खण्ड-467, अंक-5
शुक्रवार, 19 माघ, शक संवत् 1929
(15 फरवरी, 2008 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(पंद्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2008)

खण्ड 467 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2008

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-च
नि 1-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	1
इलाहाबाद जौनपुर क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	1-2
जौनपुर के केराकत क्षेत्र में शारदा सहायक खण्ड-23 पर पुलिया निर्माण एवं क्षतिग्रस्त पुलियों का पुनर्निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	2
गाजीपुर के जहूराबाद क्षेत्र में पूर्वांचल सहकारी कताई मिल बड़ोरा, बहादुरगंज को पूरी क्षमता से चलाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	2
मथुरा के गोवर्धन क्षेत्रान्तर्गत रसूलपुर से लालपुर माइनर बनाने हेतु धन आवंटित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ..	3
वाराणसी में विद्युत कटौती से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	3
रामपुर के बिलासपुर क्षेत्रान्तर्गत तहसील मिलक में डिग्री कालेज की स्थापना के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	4
आगरा नगर निगम में कुछ पार्षदों द्वारा की गयी तोड़-फोड़ की न्यायिक जांच कराने एवं महापौर, आगरा के खिलाफ दर्ज गलत रिपोर्ट को वापस करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	4-5
जनपद कुशीनगर की तहसील तमकुहीराज में भूमि विकास बैंक की शाखा खोलने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	5
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वित्त लेखे वर्ष 2006-2007 उ0 प्र0 सरकार एवं विनियोग लेखे वर्ष 2006 2007 उ0 प्र0 सरकार ..... (सदन के पटल पर रख गया)	5
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च 2007 को समाप्त हुये वर्ष के लिये (राजस्व प्राप्तियां) उ0 प्र0 सरकार ..... (सदन के पटल पर रखा गया)	5
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2007 को समाप्त हुये वर्ष के लिये (सिविल) उ0 प्र0 सरकार ..... (सदन के पटल पर रखा गया)	6

विषय	पृष्ठ-संख्या
...त के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2007 को समाप्त हुये वर्ष के लिये (वाणिज्यिक) उ0 प्र0 सरकार ..... (सदन के पटल पर रखा गया)	6
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2008 ..... (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	6
नेता प्रतिपक्ष द्वारा आज दिनांक 15 फरवरी, 2008 को सदन में उपस्थित न रहने के कारण आज के लिये नेता सदन के पूर्व निर्धारित उत्तर भाषण को दिनांक 20 फरवरी, 2008 को परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी	6-7
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	7-8
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में राज्य सूचना आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत मा0 अध्यक्ष विधान सभा/प्रमुख सचिव तथा जन सूचना अधिकारी विधान सभा का आयोग के समक्ष सुनवाई हेतु जारी किये जाने वाले सम्मनों/नोटिसों के सम्बन्ध में कार्यवाही न करने और भविष्य में आयोग द्वारा सम्मन/नोटिस भेजने पर विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमवली, 1958 के नियम-84 का उल्लंघन मानते हुए विशेषाधिकार की अवहेलना/सदन की अवमानना के प्रश्न के रूप में कार्यवाही किये जाने विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	8-10
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	10-28
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में नेता सदन (मा0 मुख्य मंत्री) द्वारा अपने भाषण के उपरान्त सदन से तत्काल चले जाने पर समाजवादी पार्टी द्वारा क्षोभ व्यक्त करना ...	28-31
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2008 (पुरःस्थापित)	31
उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर विधेयक, 2008 (जारी)	31-39
श्री विशम्भर सिंह यादव द्वारा अपने आवास ओ0सी0आर0 में बगल वाले फ्लैटों से हो रही असुविधा के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष का ध्यानाकृष्ट ...	39-40
उत्तर प्रदेश मूल्य सवंर्धित कर विधेयक, 2008 (पारित)	40-199
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	200-201

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पन्द्रहवीं विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 15 फरवरी, 2008

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुयी)

उपस्थित सदस्य-329

अंगद यादव, श्री	आजमगढ़
अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अजय तोमर, डा0	बागपत
अजय यादव, श्री	एटा
अजय सिंह, श्री	जालौन
अनन्त मिश्रा, श्री	फर्रुखाबाद
अनिल कुमार, श्री	कन्नौज
अनिल कुमार, श्री	बुलन्दशहर
अनिल कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
अनिल कुमार अहिरवार, श्री	महोबा
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
अनिल चौधरी, डा0	हाथरस (महामायानगर)
अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत
अनुग्रह नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
अनूप कुमार गुप्ता, श्री	सीतापुर
अनूप सण्डा, श्री	सुल्तानपुर
अब्दुल कलाम, श्री	सन्तकबीरनगर
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अब्दुल वारिस खाँ, श्री	मुजफ्फरनगर
अब्बास अली जैदी उर्फ रुश्दी मियां, श्री	फैजाबाद
अमरेश कुमार शुक्ल, श्री	बाराबंकी
अमीता सिंह, श्रीमती	सुल्तानपुर
अम्बिका सिंह, श्री	गोरखपुर
अमेरिका प्रधान, श्री	गाजीपुर
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री	बाराबंकी
अरविन्द गिरि, श्री	लखीमपुर खीरी
अरविन्द सिंह यादव, श्री	कन्नौज
अरशद खान, श्री	पीलीभीत
अरूण कुमार यादव, श्री	आजमगढ़
अरूणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अर्चना सरोज, श्रीमती	सन्तरविदास नगर (भदोही)
अलीम हाजी, श्री	बुलन्दशहर
अवध पाल सिंह यादव, श्री	एटा
अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दबे, श्री	महराजगंज
अवस्थी बाला प्रसाद, श्री	लखीमपुर खीरी
अशोक कुमार दोहरे, श्री	औरैया
अशोक कुमार कंसल, श्री	मुजफ्फरनगर
अशोक कुमार राणा, श्री	बिजनौर
अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री	हमीरपुर
आदित्य पाण्डेय, श्री	फतेहपुर
आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय, श्री	इलाहाबाद

आनन्द सेन, श्री	फैजाबाद
आर0 ए0 उस्मानी, श्री	लखीमपुर खीरी
आर0 के0 चौधरी, श्री	लखनऊ
आर0 के0 शर्मा, पाण्डत	बरेली
आरिफ अनवर हाशमी, श्री	गोण्डा
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आसिफ, श्री	हरदोई
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री	सिद्धार्थनगर
उदयराज, श्री	उन्नाव
उदयलाल मौर्य, श्री	वाराणसी
उमेश पाण्डेय, श्री	मऊ
उस्मानुल हक, श्री	मुरादाबाद
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री	सुल्तानपुर
ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर
कमलेश चन्द्र दिवाकर, श्री	कानपुर देहात
काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब	रामपुर
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
काशीराम, श्री	रामपुर
कुवेर सिंह, श्री	एटा
कुलदीप सिंह गंगवार, श्री	फर्रुखाबाद
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृपा शंकर सिंह, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार, श्री	बहराइच
कृष्ण गोपाल पटेल, श्री	लखीमपुर खीरी
कृष्णाराज, श्रीमती	लखीमपुर खीरी
के0 के0 सचान, डा0	जौनपुर
केदारनाथ वर्मा, श्री	बलिया
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कैलाश सिंह राजपूत, श्री	कन्नौज
कौशल किशोर, डा0	लखीमपुर खीरी
गजेन्द्र सिंह, श्री	बुलन्दशहर
गिरीश चन्द्र, श्री	मुरादाबाद
गुरू प्रसाद मौर्य, श्री	इलाहाबाद
गुलाम मोहम्मद खान, श्री	बहराइच
गेंदा लाल चौधरी, श्री	लखनऊ (महामायानगर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	लखनऊ
घूराराम, श्री	बलिया
चन्द्रदेव, श्री	आजमगढ़
चन्द्र प्रकाश मिश्र "मटियारी", श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रभद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
चौधरी रविन्द्र प्रताप, श्री	सिद्धार्थनगर
जगदीश नारायण, श्री	जौनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जगपाल, श्री	सहारनपुर
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	महराजगंज
जमुना निषाद, श्री	गोरखपुर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जयवीर सिंह, ठाकुर	अलीगढ़
जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री	चन्दौली
जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री	बस्ती
जितेन्द्र कुमार बब्लू भइया, श्री	फैजाबाद
जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री	आगरा
जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद
ज्योत्सना श्रीवास्तव, डा0	वाराणसी
ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
त्रिभुवन दत्त, श्री	अम्बेडकरनगर
दद्दन मिश्र, श्री	श्रावस्ती
ददद्दू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दिनेश प्रसाद, श्री	चित्रकूट

दीनानाथ कुशवाहा, श्री — देवरिया
दीनानाथ पाण्डेय, श्री — वाराणसी
दीपक कुमार, श्री — उन्नाव
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री — आजमगढ़
दूधराम, श्री — बस्ती
धनंजय सिंह, श्री — जौनपुर
धनीराम वर्मा, श्री — औरैया
धर्मपाल, श्री — गाजियाबाद
धर्मपाल सिंह, डा0 — आगरा
धर्मराज निषाद, श्री — अम्बेडकरनगर
धर्म सिंह सैनी, डा0 — सहारनपुर
धर्मी रावत, श्रीमती — बाराबंकी
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री — बरेली
धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री — बलरामपुर
धू राम लोधी चौधरी, श्री — हमीरपुर
नकुल दुबे, श्री — लखनऊ
नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री — इलाहाबाद
नन्दिता शुक्ला, श्रीमती — गोण्डा
नरेन्द्र सिंह, श्री — सीतापुर
नसीरुद्दीन, श्री — फिरोजाबाद
नाथू राम कुशवाहा
'इंजीनियर', श्री — ललितपुर
नारायण सिंह, श्री — आगरा
निर्मल वर्मा, श्री — सीतापुर
नीरज (कुशवाहा), मौर्य श्री — शाहजहाँपुर
पशुपति, श्री — गाजीपुर
पी0 के0 राय, डा0 — कुशीनगर
पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, श्री — बाँदा
पूजा पाल, श्रीमती — इलाहाबाद
पूरन प्रकाश, श्री — मथुरा
प्रजापालन, श्री — एटा
प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती — कानपुर देहात
प्रदीप कुमार उर्फ गुड्डू, श्री — बदायूं
प्रदीप जैन 'आदित्य', श्री — झाँसी
प्रमोद तिवारी, श्री — प्रतापगढ़
प्रमोद सिंह, श्री — देवरिया
प्रवीण पटेल, श्री — इलाहाबाद
प्रेमलता कटियार, श्रीमती — कानपुर नगर
फतेह बहादुर, श्री — महराजगंज
फरहत हसन, श्री — ज्योतिबाफूलेनगर
फरीद महफूज किदवई, श्री — बाराबंकी
फागू, श्री — मऊ
बलवीर, श्री — मुजफ्फरनगर
बादशाह सिंह, श्री — हमीरपुर
बिरजू राम, श्री — जौनपुर
बृजेश सौरभ, श्री — प्रतापगढ़
बैजनाथ दूबे, श्री — गोण्डा
ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री — देवरिया
भगवत शरण गंगवार, श्री — बरेली
भगवती प्रसाद सागर, श्री — झाँसी
भगवान दास, श्री — सन्तकबीरनगर
भगवान सिंह कुशवाहा, श्री — आगरा
भगेलू राम, श्री — सुल्तानपुर
भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट, श्री — इटावा
भोला, श्री — आजमगढ़
मदन चौहान, श्री — गाजियाबाद
मनोज चौधरी, श्री — सहारनपुर
ममतेश शाक्य, श्री — एटा
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री — रायबरेली
महबूब अली, श्री — ज्योतिबाफूलेनगर
महिपाल सिंह, श्री — सहारनपुर
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री — सीतापुर
महेन्द्र सिंह, श्री — अलीगढ़
महेश चन्द्र, श्री — कानपुर देहात
माधव पासवान, श्री — गोरखपुर
मिथिलेश कुमार, श्री — शाहजहाँपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मिथलेश कटियार, श्रीमती	कानपुर देहात
मीता गौतम, कु0	बाराबंकी
मुख्तार अंसारी, श्री	मऊ
मुरलीधर, श्री	फतेहपुर
मुस्लिम खाँ, श्री	बदायूँ
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद इकबाल, श्री	बिजनौर
मोहम्मद जलील खान, श्री	गोण्डा
मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री	सीतापुर
मोहम्मद ताबीश खां, श्री	सन्तकबीरनगर
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
यशपाल सिंह, श्री	बिजनौर
यशपाल सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
यशवन्त सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
योगराज सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
योगेन्द्र सागर, श्री	बदायूँ
योगेश वर्मा, श्री	मेरठ
रंगनाथ मिश्र, श्री	सन्त रविदासनगर (भदोही)
रघुनाथ प्रसाद शंखवार, डा0	कानपुर देहात
रघुराज प्रताप सिंह	
"राजा भइया" कुंवर, श्री	प्रतापगढ़
रतनलाल अहिरवार, श्री	झाँसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश गौतम, श्री	गोण्डा
रमेश चन्द्र विन्द, डा0	मिर्जापुर
रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	जौनपुर
रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री	सहारनपुर
राकेश कुमार गोस्वामी, श्री	महोबा
राकेश बाबू, श्री	फिरोजाबाद
राघव लखन पाल, श्री	सहारनपुर
राज किशोर सिंह, श्री	बस्ती
राजकुमार सिंह गौतम, डा0	गाजीपुर
राजकुमार रावत, श्री	मथुरा
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
राजबली जैसल, श्री	इलाहाबाद
राजाराम त्यागी, श्री	रायबरेली
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजीव चन्ना, श्री	मुरादाबाद
राजेन्द्र कुमार, श्री	मऊ
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राजेन्द्र सिंह, डा0	आगरा
राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री	गोरखपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश कुमार, श्री	लखीमपुर खीरी
राजेश त्रिपाठी, श्री	गोरखपुर
राजेश यादव, श्री	शाहजहाँपुर
राजेश्वरी, श्रीमती	हरदोई
राधे लाल रावत, श्री	उन्नाव
राधे श्याम गुप्ता, श्री	फतेहपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकर नगर
राम किशुन, श्री	चन्दौली
राम कुमार तिवारी, पण्डित	ललितपुर
रामपाल राजवंशी, श्री	सीतापुर
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश कुशवाहा, श्री	कानपुर नगर
राम प्रकाश यादव, श्री	फिरोजाबाद
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम प्रसाद जायसवाल, श्री	देवरिया
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
राम शिरोमणि शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
राम सागर अकेला, श्री	श्रावस्ती
राम सिंह, डा0	अलीगढ़
रामसेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम सेवक सिंह पटेल, श्री	बदायूँ

रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
रिजवान अहमद खाँ, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
रोशन लाल वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर
लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा
लखीराम नागर, श्री	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टंडन, श्री	लखनऊ
लालजी यादव, श्री	सिद्धार्थनगर
लालजी वर्मा, श्री	अम्बेडकरनगर
वकार अह्मद शाह, डा0	बहराइच
वाचस्पति, श्री	कौशाम्बी
वारिस अली, श्री	बहराइच
वासुदेव सिंह "बाबा", श्री	बुलन्दशहर
विजय कुमार, श्री	गाजीपुर
विजय कुमार उर्फ	
विजय यादव, श्री	मुरादाबाद
विजय कुमार मिश्र, श्री	सन्त रविदास नगर (भदोही)
विजय पाल सिंह, श्री	बरेली
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्यासागर गुप्त, श्री	लखनऊ
विनोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
विनोद सिंह, श्री	सुल्तानपुर
विनोद कुमार हरित, श्री	मेरठ
विनोद चतुर्वेदी, श्री	जालौन
विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विशम्भर सिंह यादव, श्री	बांदा
विश्वनाथ, श्री	कुशीनगर
वीरेन्द्र कुमार, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र सिंह, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री	बुलन्दशहर
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
शम्भू चौधरी, श्री	कुशीनगर
शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री	बरेली
शारदा प्रसाद, श्री	चन्दौली
शहनवाज, श्री	बिजनौर
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिवबालक पासी, श्री	रायबरेली
शिवशंकर, श्री	बलिया
शीशराम, श्री	बिजनौर
शेखर तिवारी, श्री	औरैया
शेरबहादुर, श्री	अम्बेडकरनगर
शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री	जौनपुर
श्यामदेव राय चौधरी, श्री (दादा)	वाराणसी
श्याम लाल, श्री	बलरामपुर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्रीभगवान पाठक, श्री	बलिया
श्रीभगवान शर्मा, श्री	बुलन्दशहर
संग्राम सिंह, श्री	बाराबंकी
संजय कुमार त्रिपाठी, श्री	प्रतापगढ़
संजय कपूर, श्री	रामपुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
संध्या, कुमारी	मैनपुरी
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्य नारायण जैसल, श्री	सोनभद्र
सत्यपाल सिंह, चौ0	अलीगढ़
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री	गौतमबुद्धनगर
सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0	बागपत
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सनातन पाण्डेय, श्री	बलिया
सर्वेश कुमार सिंह सीपू, श्री	आजमगढ़
सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर
सी0एम0 प्रसाद, श्री	सोनभद्र
सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री	फतेहपुर
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुखलाल, श्री	पीलीभीत
सुधीर कुमार, श्री	उन्नाव
सुनील शर्मा, श्री	गाजियाबाद

सुन्दर लाल लोधी, श्री	उन्नाव	सूरजपाल ठाकुर, श्री	आगरा
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर	सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सुभाष, श्री	बलिया	सूर्यभान, श्री	मिर्जापुर
सुभाष पाण्डेय, श्री	जौनपुर	सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती	गाजीपुर
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री	आजमगढ़	हरगोविन्द भार्गव, डा0	सीतापुर
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी	हरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
सुरेश तिवारी, श्री	देवरिया	हरिओम, श्री	जालौन
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर	होराम सिंह, श्री	गौतमबुद्धनगर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ	रिक्त	मनोनीत
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ	रिक्त	हरदोई
सुरेश्वर सिंह, श्री	बहराइच		

नोट–आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी), सहकारिता मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य), भूतत्व एवं खनिकर्म तथा पंचायती राज मंत्री (श्री बाबू सिंह कुशवाहा) तथा कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री (श्री कमला कान्त गौतम) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 15 फरवरी, 2008 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 11 सूचनायें प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयीं :-

पहली सूचना श्री जोखू लाल यादव की इलाहाबाद-जौनपुर क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री बिरजू राम की जौनपुर के केराकत क्षेत्रान्तर्गत शारदा सहायक खण्ड-23 पर पुलिया निर्माण एवं पूर्व में निर्मित कई क्षतिग्रस्त पुलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री कालीचरन राजभर की गाजीपुर के जहूराबाद क्षेत्रान्तर्गत पूर्वांचल सहकारी कताई मिल बड़ौरा बहादुरगंज को पूरी क्षमता के साथ चलाने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री पूरन प्रकाश की मथुरा के गोवर्धन क्षेत्रान्तर्गत रसूलपुर से लालपुर माइनर बनाने हेतु धन आवंटित करने के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचना श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव की वाराणसी में विद्युत कटौती से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

(छठी सूचना के सूचनाकर्ता श्री सुरेश चन्द्र तिवारी सदन में उपस्थित नहीं थे)

सातवीं सूचना श्री संजय कपूर की रामपुर के बिलासपुर क्षेत्रान्तर्गत तहसील मिलक में डिग्री कालेज की स्थापना के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग की आगरा नगर निगम में कुछ पार्षदों द्वारा की गयी तोड़-फोड़ की न्यायिक जांच कराने एवं महापौर आगरा के खिलाफ दर्ज गलत रिपोर्ट को वापस करने के सम्बन्ध में है। नवीं सूचना डा0 पी0 के0 राय की जनपद कुशीनगर की तहसील तमकुहीराज में भूमि विकास बैंक की शाखा खोलने के सम्बन्ध में है।

माननीय सदस्यों के नाम जिनकी सूचना अस्वीकार की गयी। श्री प्रदीप जैन आदित्य तथा डा0 आर0 ए0 उस्मानी।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं)

इलाहाबाद जौनपुर क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जोखू लाल यादव-

[मैं आपका ध्यान इलाहाबाद और जौनपुर के मार्ग की तरफ दिलाना चाहता हूं कि यह सड़क बहुत दिनों से क्षतिग्रस्त हो गया है जिसकी मरम्मत नहीं हो रही है यह सड़क इलाहाबाद और जौनपुर के बीच फूलपुर में पड़ता है वहां पर आये दिन सड़क खराब होने के कारण दुर्घटनायें होती रहती हैं। सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण आवागमन बाधित हो जाता है और क्षेत्रीय जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह मार्ग इलाहाबाद, जौनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से जाना जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार से उपरोक्त सड़क की मरम्मत कराये जाने की मांग करता हूं।]

जौनपुर के केराकत क्षेत्र में शारदा सहायक खण्ड-23 पर पुलिया निर्माण एवं क्षतिग्रस्त पुलियों का पुनर्निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बिरजू राम-

[महोदय, यह अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा-केराकत में शारदा सहायक, खण्ड-23 के ऊपर कृषि कार्य एवं सुगम आवागमन हेतु पुलिया का निर्माण होना नितान्त आवश्यक है। जिसके सम्बन्ध में दिनांक 26-07-07 को प्रमुख अभियन्ता परिकल्प एवं नियोजन सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 को लिखित पत्र के माध्यम से अवगत भी कराया गया है, किन्तु खेद है कि उक्त स्थलों पर एक भी पुलिया का निर्माण नहीं हुआ। पूर्व में निर्मित पुलिया भी कई जगह टूट गई है।

अतः जनहित में निम्न स्थानों पर पुलिया निर्माण कराया जाए।

1-अमिलिया, लोहाराखुर्द, काशीदासपुर, बिशुनपुर राजभर बस्ती में, भैंसा यादव बस्ती में, सूरतपुर (पुलिया क्षतिग्रस्त है)।

2-घुड़दौड़ माइनर पर क्षतिग्रस्त पुलिया एवं देवराई माइनर में एक बैरियर तथा खरगशीपुर चमार बस्ती में तथा सिधौरा में पुलिया का निर्माण जनहित में नितान्त आवश्यक है।]

गाज़ीपुर के जहूराबाद क्षेत्र में पूर्वांचल सहकारी कताई मिल बड़ौरा, बहादुरगंज को पूरी क्षमता से चलाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कालीचरन राजभर-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत पूर्वांचल सहकारी कताई मिल बड़ौरा (बहादुरगंज) जो कई वर्षों से स्थापित है पूर्व सरकार की ग़लत नीतियों के कारण यह मिल आर्थिक रूप से काफी पिछड़ी हुई है इस मिल में हजारों मजदूर कार्य करके अपनी रोजी-रोटी से निजात पाते हैं। इस मिल में काम करने वाले मजदूर अपने वेतन से 25% की कटौती करके मिल को चलाने का काम करते हैं फिर भी रुई और संसाधन के अभाव में मिल पुरी क्षमता से नहीं चलती है जिसके कारण रोजाना कुछ न कुछ मजदूरों को काम से वापस किया जाता है बराबर काम न मिलने से मिल मजदूरों को घोर असंतोष एवं दुख व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व की अविलम्बनीय मांग को ध्यान में रखकर मिल मजदूरों की समस्याओं को देखते हुए बराबर काम दिलाने तथा मिल को पूरी क्षमता से चलाने की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मथुरा के गोवर्धन क्षेत्रान्तर्गत रसूलपुर से लालपुर माइनर बनाने हेतु धन आवंटित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूरन प्रकाश-

[जनपद मथुरा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र गोवर्धन कृषि प्रधान क्षेत्र है सिंचाई के एक मुख्य स्रोत लोअर आगरा कैनाल सब डिवीजन मथुरा है सिर्फ लोअर आगरा कैनाल आगरा (मथुरा) से ही पूरे क्षेत्र में सिंचाई सम्भव होती है। लोअर आगरा कैनाल मथुरा के अन्तर्गत लगभग 45 गांव सिंचाई के अभाव में बंजर रह जाते है इसके लिये विभाग द्वारा रसूलपुर से लालपुर माइनर बनाने का पुनर्स्थापना प्रस्ताव शासन में स्वीकृत होने के बावजूद भी धन आवंटन न होने पर पड़ा हुआ है। अगर रसूलपुर से लालपुर माइनर की खुदाई नहीं हुई तो क्षेत्रीय 45 गांव भुखमरी के कगार पर पहुंच जायेंगे इसका प्रस्ताव जो कि लगभग 55 लाख का है एवं सभी औपचारिकतायें पूर्ण हो चुकी हैं। सिर्फ धन आवंटन के अभाव में क्रियान्वित नहीं हो पा रहा है।

अतः इस गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये तुरन्त कार्यवाही की मांग करता हूं।]

वाराणसी में विद्युत कटौती से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव-

[वर्तमान में प्रदेश में बिजली का भारी संकट उत्पन्न हो गया है। मांग व पूर्ति में अन्तर बढ़ता जा रहा है। इस समय वाराणसी में 24 घण्टे में 10 से 12 घण्टे की बिजली कटौती जारी है। अगर जाड़े के मौसम में कटौती की यह स्थिति है तो आने वाले गर्मी के दिनों में जब मांग में भारी वृद्धि होगी, उस समय स्थिति विस्फोटक हो जायेगी। वर्तमान स्थिति यह है कि कामकाज के समय शाम को बच्चों के पढ़ने के समय तथा बाजार में बिक्री के समय विशेषकर रोहनिया जैसे बाजार से बिजली गायब रहती है। घोषित व अघोषित कटौती से उद्योग धन्धों, बुनकरी और कृषि कार्य (सिंचाई) पर बुरा असर पड़ रहा है।

सरकार ने बिजली के उत्पादन बढ़ाने हेतु कई दीर्घकालीन योजनायें घोषित की हैं। यदि पूंजी प्राप्त भी हो गई तो 5 से 10 सालों में बिजली उत्पादन बढ़ने की सम्भावना होगी। लेकिन अभी तो तत्काल उपाय की जरूरत है, जिससे जनता के जिन्दगी से जुड़े अति आवश्यक कार्यों के सम्पादन में राहत मिले। बिजली कटौती से समस्त विद्यार्थियों, व्यापारियों, कृषकों, बुनकरों तथा जनता में असन्तोष व आक्रोश व्याप्त है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के तात्कालिक विषय को आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाते हुए कार्यवाही की मांग करती हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रामपुर के बिलासपुर क्षेत्रान्तर्गत तहसील मिलक में डिग्री कालेज की स्थापना के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री संजय कपूर-

[माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन के माध्यम से अपने विधान सभा क्षेत्र की तहसील मिलक में डिग्री कालेज न होने से उत्पन्न स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र बिलासपुर की मिलक बहुत बड़ी तहसील है। जिसकी आबादी 3 लाख से भी अधिक है और यहां पर उच्च शिक्षा पर किसी भी प्रकार का कोई साधन नहीं है। यहां पर डिग्री कालेज खोले जाने की मांग पिछले 15-20 वर्षों से चली आ रही है। इसके सम्बन्ध में प्रस्ताव भी शासन में विचाराधीन है। यहां पर डिग्री कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में अक्सर धरने-प्रदर्शन होते रहते हैं। यदि इसमें शीघ्र कोई प्रभावी कदम न उठाया गया तो कोई बड़ी घटना हो सकती है। यह मिलक क्षेत्र की अत्यन्त गंभीर समस्या है। सरकार की मांग भी सभी वर्ग के बच्चों को उच्च शिक्षा मुहैया कराना है। यह तहसील बहुत पिछड़ा वर्गों की तहसील है। उच्च शिक्षा न मिलने के कारण यहां के बच्चे अशिक्षित रह जाते हैं। यहां दलित बच्चों की आबादी लगभग 40 प्रतिशत है जो कि बहुत गरीब है। तहसील मिलक जनपद-रामपुर में अविलम्ब राजकीय डिग्री कालेज खोले जाने की आवश्यकता है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के विषय पर इस सदन के माध्यम से वक्तव्य की मांग करता हूं।]

आगरा नगर निगम में कुछ पार्षदों द्वारा की गयी तोड़-फोड़ की न्यायिक जांच कराने एवं महापौर, आगरा के खिलाफ दर्ज गलत रिपोर्ट को वापस करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री जगन प्रसाद गर्ग-

[मैं आपके माध्यम से आगरा नगर निगम में की गई तोड़-फोड़ व महापौर पर किए गये हमले से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

विगत दिनांक 02-02-08 को थाना हरीपर्वत पुलिस की देख-रेख में कुछ पार्षदों द्वारा नगर निगम की मीटिंग में बवाल किया तथा कुर्सी मेजें तोड़ी व महापौर के ऊपर प्राण घातक हमला किया। महापौर ने वहां से निकलने की कोशिश की तो अनुसूचित जाति की महिला महापौर को जाति सूचक गालियां दीं। उसके बाद हमलावरों ने अपने आपको बचाने के लिए हरीपर्वत पुलिस की सांठ-गांठ से उनके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। हरीपर्वत पुलिस के गलत व्यवहार के कारण दिनांक 04-02-08 को थाना मण्टोला में कोरी समाज द्वारा मुख्य मंत्री

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

का पुतला जलाया गया, इस कारण पुलिस व समाज के लोगों के बीच पुतला छीनने के कारण पुलिस के लोग व समाज के लोग चुटैल हुए हैं। यदि हरीपर्वत पुलिस समझ से काम लेती तो ये घटना न होती। इस समय आगरा का वातावरण काफी अशान्त है और कभी भी दंगा भड़क सकता है।

अतः लोक महत्व के अवलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए गैर जिम्मेदार हरीपर्वत इन्सपेक्टर को हटाकर इस काण्ड की न्यायिक जांच करने की मांग व महापौर आगरा के खिलाफ दर्ज गलत रिपोर्ट को वापस कर कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद कुशीनगर की तहसील तमकुहीराज में भूमि विकास बैंक की शाखा खोलने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 पी0 के0 राय-

[जनपद कुशीनगर की सबसे पुरानी तहसील तमकुहीराज में रहने वाले लोग जिला मुख्यालय से 70 किमी0 की दूरी पर बिहार सीमा से लगे हुए बसे हैं। जनपद की सबसे पुरानी तहसील होने के बावजूद भूमि विकास बैंक की कोई शाखा नहीं है। जिससे की किसानों को अत्यन्त असुविधा होती है। इस सन्दर्भ में जनपद से प्रेषित प्रस्ताव स्वीकृति हेतु लम्बित है।

इस अत्यन्त लोक महत्व और अविलम्बनीय प्रश्न की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए तहसील तमकुहीराज में भूमि विकास बैंक की शाखा खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की जाये।]

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वित्त लेखे वर्ष 2006-2007 उ0प्र0 सरकार एवं विनियोग लेखे वर्ष 2006-2007 उ0प्र0 सरकार †

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वित्त लेखे वर्ष 2006-2007 उ0प्र0 सरकार एवं विनियोग लेखे वर्ष 2006-2007 उ0प्र0 सरकार को संविधान के अनुच्छेद-151(2) में निहित प्राविधान के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2007 को समाप्त हुये वर्ष के लिए (राजस्व प्राप्तियां) उ0प्र0 सरकार †

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2007 को समाप्त हुये वर्ष के लिये (राजस्व प्राप्तियां) उ0प्र0 सरकार को संविधान के अनुच्छेद-151(2) में निहित प्राविधान के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

† छापे नहीं गये।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2007 को समाप्त हुये वर्ष के लिए (सिविल) उ0 प्र0 सरकार †

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2007 को समाप्त हुये वर्ष के लिये (सिविल) उ0प्र0 सरकार को संविधान के अनुच्छेद-151(2) में निहित प्राविधान के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2007 को समाप्त हुये वर्ष के लिए (वाणिज्यिक) उ0 प्र0 सरकार †

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2007 को समाप्त हुये वर्ष के लिये (वाणिज्यिक) उ0प्र0 सरकार को संविधान के अनुच्छेद-151(2) में निहित प्राविधान के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2008

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2008, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2008 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 14 फरवरी, 2008 को वापस प्राप्त हो गया।

नेता प्रतिपक्ष द्वारा आज दिनांक 15 फरवरी, 2008 को सदन में उपस्थित न रहने के कारण आज के लिये नेता सदन के पूर्व निर्धारित उत्तर भाषण को दिनांक 20 फरवरी, 2008 को परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

* श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, कल माननीय नेता प्रतिपक्ष ने आपसे एक अनुरोध किया था और एक पत्र भी आपको भेजा था। मैंने कल माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर अनुरोध किया था कि माननीय नेता प्रतिपक्ष की पहले से पूर्व निश्चित एक सभा है और आज वह उपस्थित नहीं रह पायेंगे इसलिये माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध कर लिया जाय। यह पत्र आपको भी भेजा था और आज भी मैंने आपसे अनुरोध किया था। जिस दिन 20 तारीख को नेता प्रतिपक्ष जी रहें, उस दिन माननीय मुख्य मंत्री जी का उत्तर आ जाय। यह उचित होगा। इस सम्बन्ध में क्या निर्णय हुआ है, यह मैं जानना चाहूंगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

† छापे नहीं गये।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, विधान सभा की कार्यवाही पहले से ही निर्धारित थी और कार्य-मंत्रणा समिति में इसका विधिवत निर्धारण किया गया था। जब सदन चल रहा हो तो सदन की कार्यवाही जो निर्धारित होती है वह महत्वपूर्ण होती है और पहले से मालूम था तो ऐसी परिस्थितियों में इसे टाला जाना उचित नहीं है और विधान सभा से इम्पार्टेंट कोई दूसरा काम, कोई सभा महत्वपूर्ण नहीं हो सकती।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष का पत्र आज सुबह मिला, कल रात में लेट आया था। कार्य-मंत्रणा समिति की कई बार बैठकें हो चुकी थीं, जिसमें कार्य-मंत्रणा समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे। नियमावली में है कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की चर्चा चार दिन के लिए होती है और लगभग कार्य-मंत्रणा समिति की बैठकों में मा0 मुख्य मंत्री जी के उत्तर भाषण पर भी चर्चा हुई, जिसमें सभी माननीय सदस्य उपस्थित थे। आज 15 फरवरी को भी तय हुआ, नेता प्रतिपक्ष की मांग थी कि मा0 मुख्य मंत्री जी का उत्तर भाषण 20 फरवरी को हो तभी मैं उत्तर भाषण के समय उपस्थित रह सकता हूं। एक तरफ नियमावली के तहत् महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चार दिन की चर्चा की व्यवस्था है। 19 तारीख को सदन चलेगा और 20 तारीख को बजट भाषण पर साधारण चर्चा है और इधर आज की कार्यवाही कार्य-मंत्रणा समिति ने अनुमोदित की थी, उससे आज का एजेण्डा बना है। अब उसमें एक व्यावहारिक परेशानी है, हमने तो यहां तक निवेदन किया था कि आप कुछ समय के लिए आ जायें, मैंने बड़े अदब के साथ निवेदन किया था कि कुछ समय के लिए आ जायें और उसके बाद आपको बैठा दें, केवल उपस्थिति हो जाये। इसलिए हर व्यावहारिक परेशानियों को देखते हुए हमारे अन्दर कोई भावना नहीं थी कि नेता प्रतिपक्ष को यहां बैठने न दिया जाये। लेकिन कार्य-मंत्रणा समिति ने जो निर्धारित कर दिया है उससे हटने में दिक्कत है। आप भी जानते हैं कि इस तरह की परम्परा भी कायम की गई है कि राज्यपाल के अभिभाषण को बढ़ा करके फिर बीच में साधारण चर्चा करा दिये। इसलिये सभी का सम्मान है लेकिन मैंने सादर नेता प्रतिपक्ष को आमंत्रित किया था और मैंने आज भी उन्हें पत्र भेज दिया है।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने दिनांक 15 फरवरी, 2008 की बैठक में यह सिफारिश की है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के संगत प्राविधानों को शिथिल करते हुए उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर विधेयक, 2008 पर विचार एवं पारण सम्बन्धी मदें आज दिनांक 15 फरवरी, 2008 को ले ली जायं।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना मा0 अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो मा0 संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में राज्य सूचना आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत मा0 अध्यक्ष विधान सभा/प्रमुख सचिव तथा जन सूचना अधिकारी विधान सभा को आयोग के समक्ष सुनवाई हेतु जारी किये जाने वाले सम्मनों/नोटिसों के सम्बन्ध में कार्यवाही न करने और भविष्य में आयोग द्वारा सम्मन/नोटिस भेजने पर विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-84 का उल्लंघन मानते हुये विशेषाधिकार की अवहेलना/ सदन की अपमानना के प्रश्न के रूप में कार्यवाही किये जाने विषयक प्रस्ताव

श्री प्रमोद तिवारी--

मा0 अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान के अनुच्छेद-168 के अन्तर्गत इस सम्मानित विधान सभा का गठन किया गया है और यह सम्मानित विधान सभा एक संवैधानिक निकाय है, कॉस्टीट्यूशनल बॉडी है। इसलिए यह सर्वोच्च है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। इस पर कोई दूसरी संस्था अपना कानून नहीं थोप सकती है। इस पर वही कानून चलेगा जो हमने अपनी नियमावली में बनाया है और जहां हमारे पास नियम कम पड़ जायेंगे तो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में, "हाऊस इज मास्टर ऑफ इट्स ओन बिजनेस," वह अपने लिए अपने नियम बनायेगा। लेकिन इधर मैं कुछ दिनों से यह महसूस करता हूं कि कुछ लोग या तो नियमावली पढ़ते नहीं या उन्हें नियमों की जानकारी नहीं है या फिर अपने अधिकारों का दुरुपयोग करना चाहते हैं और विधान सभा की गरिमा की अक्षुण्णता को चुनौती दे रहे हैं और ऐसे लोग निःसंदेह विधान सभा की गरिमा को कम कर रहे हैं। उन्होंने हमारी नियमावली नहीं पढ़ी है, जो भारत के संविधान से निकलती है। नियम-84 कहता है कि दीवानी या फौजदारी विधि सम्बन्धी आदेश सदन के परिसर के भीतर मा0 अध्यक्ष की अनुज्ञा प्राप्त किये बिना तामील नहीं किया जायेगा। मान्यवर, यह प्रतिबन्ध न्यायालय पर भी है और भारत का संविधान इसकी इजाजत देता है। मान्यवर, इस सदन में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ है तो आप हैं। मान्यवर, नेता सदन के रूप में मा0 मुख्य मंत्री हम सम्पूर्ण लोगों की नेता हैं। मान्यवर, हर सम्मानित सदस्य का यह अधिकार है, आज भारत के संविधान और नियमावली की अवहेलना करके मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का राज्य सूचना आयोग अपने अधिकारों का अतिक्रमण कर रहा है और हमारे अधिकारों को चुनौती दे रहा है। मान्यवर, जब न्यायालय का कोई आदेश या वारंट बिना आपकी अनुमति के तामील नहीं हो सकता। तो मान्यवर, मैं सम्पूर्ण सदन को बताना चाहता हूं और चाहता हूं कि उसे गम्भीरता से लीजिए, वह हमारे अध्यक्ष को वादी बना रहा है, पार्टी बना रहा है। मान्यवर, वह

अपनी सीमा से बाहर जा रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं अपनी सीमा का। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि आज पहली बार है इसलिए मैं कुछ कह रहा हूं अगली बार आपकी अवमानना की सूचना ही आपको दूंगा। अगर कोई आपकी अवमानना करता है तो हम सबकी अवमानना करता है, पूरे सदन की अवमानना करता है। आइन्दा राज्य सूचना आयोग को सचेत कर दिया जाए कि वह विधान सभा अध्यक्ष, मा0 मुख्य मंत्री, मंत्री या किसी सदस्य को आपके माध्यम से पार्टी नहीं बना सकते, आपको पार्टी नहीं बना सकते। वह अपनी सीमा में रहें, अपनी सीमा का अतिक्रमण न करें। उनकी नियुक्ति समाज में पारदर्शिता पैदा करने के लिए की गयी है। पारदर्शिता की आड़ में अगर वह दबाव बनाना चाहते हैं, अगर पारदर्शिता की आड़ में वह हम पर कोई अपनी शर्त थोपना चाहते हैं तो मैं आग्रह करूंगा कि हर दल को अपने बन्धन तोड़कर इस मामले में, सम्पूर्ण सदन को एक हो जाना चाहिए और अपनी गरिमा की रक्षा के लिए हमें साफ-साफ कह देना चाहिए कि हमें तुम्हारा अतिक्रमण स्वीकार नहीं है और मैं इसलिए इस आशा के साथ यह प्रस्ताव ला रहा हूं। अब मैं नेता सदन से आग्रह करूंगा कि कृपया इस प्रस्ताव को लें। मैं नेता विरोधी दल और सभी दलों से आग्रह करूंगा कि इसको लें और साफ-साफ कह दें कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा की सार्वभौमिकता का अगर आपने अतिक्रमण किया तो फिर यह उचित नहीं होगा और अवमानना करेंगे अब अवमानना करेंगे तो उसकी आपको कीमत चुकानी पड़ेगी।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि-'यह सदन प्रस्ताव करता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत राज्य सूचना आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा मा0 अध्यक्ष, विधान सभा/प्रमुख सचिव, विधान सभा/जन सूचना अधिकारी, विधान सभा अथवा विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश के किसी अन्य अधिकारी को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत आयोग के समक्ष सुनवाई हेतु जारी किए जाने वाले सम्मनों/नोटिसों के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही न की जाए और राज्य सूचना आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा भविष्य में इस प्रकार के सम्मन/नोटिस भेजे जाने पर उसे उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-84 का उल्लंघन मानते हुए सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना/सदन की अवमानना के प्रश्न के रूप में उसके बारे में यथावश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

मान्यवर, मैं इस आशा के साथ आपसे आग्रह करूंगा कि इस पर आप चाहें तो मतदान करा लें और इसे सर्व-सम्मति से पारित करें। जहां विधान सभा की बात आ जाए वहां हमें एक होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन प्रस्ताव करता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत राज्य सूचना आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा मा0 अध्यक्ष, विधान सभा/प्रमुख सचिव, विधान सभा/जन सूचना अधिकारी, विधान सभा अथवा विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश के किसी अन्य अधिकारी को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत आयोग के समक्ष सुनवाई हेतु जारी किए जाने वाले सम्मनों/नोटिसों के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही न की जाए और राज्य सूचना आयोग,

उत्तर प्रदेश द्वारा भविष्य में इस प्रकार के सम्मन/नोटिस भेजे जाने पर उसे उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-84 का उल्लंघन मानते हुए सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना/सदन की अवमानना के प्रश्न के रूप में उसके बारे में यथावश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्व-सम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव[†]

(नेता सदन के खड़े होने पर प्रतिपक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

* मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने और विपक्ष के अन्य दलों के नेताओं ने तथा सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों ने भी महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जो अपने विचार व्यक्त किये हैं इसके लिए मैं इनका आभार प्रकट करना चाहती हूं। लेकिन विपक्ष के मा0 सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त करते समय कुछ मुद्दों को लेकर के जो हमारी सरकार के ऊपर आरोप लगाये हैं, उनका मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को जवाब देना जरूरी समझती हूं। माननीय अध्यक्ष जी मैंने नेता प्रतिपक्ष के भाषण को काफी ध्यानपूर्वक सुना है। जब वह महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण के प्रस्ताव पर अपने विचार रख रहे थे तो मैं पूरे समय सदन में मौजूद रही और उनकी एक-एक बात को मैंने ध्यानपूर्वक सुना है। लेकिन उनके पूरे भाषण को सुनने के बाद मुझे बहुत मायूसी हुई है और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि नेता प्रतिपक्ष अपने बेटे, अपने भाई, अपने परिवार, अपने गांव, अपने जिले और अपनी जाति की संकीर्णता से थोड़ा भी ऊपर नहीं उठ पाए। मुझे उम्मीद थी अध्यक्ष जी कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते वह समाज के सभी वर्ग के लोगों के हित और कल्याण की बात करेंगे कुछ अच्छे सुझाव देंगे लेकिन नेता प्रतिपक्ष व्यक्तिगत घटनाक्रमों तथा संकीर्ण राजनीति से भरे अपने रवैये से वह जरा भी ऊपर नहीं उठ पाए। इसे एक विडम्बना ही कहा जाय या दुर्भाग्यपूर्ण घटना कि नेता प्रतिपक्ष का लगभग आधा भाषण जितने समय तक उन्होंने भाषण दिया उसमें से लगभग आधा भाषण उनके व्यक्तिगत पारिवारिक अपने जिले के घटनाक्रमों तक सीमित रहा और अपने भाषण में उन्होंने जो भी बेबुनियाद एवं तथ्यहीन आरोप मेरी सरकार के ऊपर लगाए हैं उनका जवाब देना मैं जरूरी समझती हूं ताकि सदन और पूरे देश की जनता के सामने सही तथ्य आ सकें। हालांकि माननीय अध्यक्ष जी यह अच्छा होता कि आज नेता प्रतिपक्ष भी सदन में मौजूद रहते लेकिन उनकी अनुपस्थिति को देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि नेता प्रतिपक्ष कोई न कोई बहाना बनाकर आज सदन में गैर हाजिर रहे हैं क्योंकि उनमें यह हिम्मत नहीं थी कि वह मेरे जवाबों का सामना कर सकें इसलिए अब मैं नेता प्रतिपक्ष की अनुपस्थिति में ही सदन का ध्यान विपक्ष के आरोपों की तरफ दिलाना चाहती हूं। अध्यक्ष जी महामहिम राज्यपाल महोदय के

[†] दिनांक 13 फरवरी, 2008 की कार्यवाही से।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष ने सबसे पहला आरोप यह लगाया है कि महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण गप्प का पुलिन्दा है और इसमें जनता के नाम कोई संदेश नहीं है तथा न ही जनता के लिए किए गये कार्यों का कोई वर्णन है। सबसे पहला आरोप प्रतिपक्ष के नेता ने जब उन्होंने अपना भाषण शुरू किया तो इसकी शुरुआत इसी से की थी लेकिन मान्यवर मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ आरोप प्रतिपक्ष के नेता ने अपने भाषण की शुरुआत करते हुए लगाये थे तो इसको लेकर मुझे ऐसा लगता है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण को ठीक ढंग से नहीं पढ़ा है। यदि उन्होंने शुरू के ही 2/3 पृष्ठ पढ़ लिये होते तो उन्हें यह स्पष्ट हो जाता कि इसमें हमारी सरकार की नीतियों का पूरा उल्लेख किया गया है और जो जनता के नाम संदेश भी है। हमारी सरकार क्या करना चाहती है और किनके लिये हम क्या-क्या कर रहे हैं इसका पूरा विवरण महामहिम श्री राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण में निहित है। माननीय अध्यक्ष जी, इसके बाद माननीय नेता प्रतिपक्ष ने सबसे बड़ा आरोप हमारी सरकार के ऊपर यह लगाया है कि हमारी सरकार विपक्ष में बैठे खास तौर से उन्होंने अपनी ओर ज्यादा इंगित किया है लेकिन विपक्ष के अन्य दलों का समर्थन जुटाने के ऐंगिल से भी हो सकता है कि उन्होंने यह बोला हो। उन्होंने हमारी सरकार पर यह आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष में बैठे सभी दलों के लोगों के साथ हर मामले में राजनीतिक द्वेष की भावना से काम कर रही है और इस मामले में खास तौर से समाजवादी पार्टी के नेता ने अपनी पार्टी के लोगों पर ज्यादा जोर देकर यह कहा है कि हमारी सरकार राजनीतिक द्वेष की भावना से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को छांट-छांट कर उन पर फर्जी गुण्डा एवं गैंगस्टर और अनेकों ऐक्ट लगाकर उनको जेल भिजवा रही है। यह एक आरोप उन्होंने हमारी गर्वनमेंट के ऊपर लगाया है। इनका यह आरोप मान्यवर, एकदम गलत, बेबुनियाद, तथ्यहीन एवं टोटल गप्प का पुलिन्दा है।

(समाजवादी पार्टी की तरफ से सुश्री सैय्यदा फातिमा शादाब के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप बोलिये नहीं। सब लोग बैठ जायं। वो बैठ जायेंगी। झटके में उठ गई हैं।

सुश्री मायावती-

मान्यवर, जबकि इस मामले में सच्चाई यह है कि जिस समय हमारी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली थी तो उस समय पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी। हालांकि वह पिछले काफी सालों से ध्वस्त होती जा रही थी लेकिन जिस समय मैंने सत्ता संभाली तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त होने के मामले में चरम सीमा पर आ चुकी थी और उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं बल्कि गुण्डों का, बदमाशों का, माफियाओं का एवं अराजक तत्वों का राज चल रहा था। दुखी व पीड़ित आम आदमी की रिपोर्ट तक भी पूर्व की सरकार में नहीं लिखी जाती थी। लेकिन जैसे ही हमारी पार्टी ने सत्ता संभाली तो मैंने सत्ता संभालने के तुरन्त बाद ही खास तौर से पुलिस महकमें के लोगों की मैंने अलग से बैठक बुलाई और उनको यह कहा कि उत्तर प्रदेश में जो कानून का राज्य पूर्व की सरकार में नहीं चल रहा था, जंगल राज्य चल रहा था अब

हमारी पार्टी की सरकार बन गई है तो मैं चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश में अब जंगल राज्य नहीं होना चाहिए गुण्डे पुलिस और माफिया, अराजक तत्वों का राज्य नहीं होना चाहिए। बल्कि कानून का राज्य होना चाहिए।

(मेजें थपथपाई गईं)

और आम आदमी को न्याय मिलना चाहिए चाहे वह किसी जाति का हो। चाहे किसी धर्म का हो। मैंने यह भी अधिकारियों को कहा कि छोटी से छोटी घटना को भी गम्भीरता से लेना है और उसकी भी एफ0आई0आर0 आपको दर्ज करानी है।

(मेजें थपथपाई गईं)

आपको पूर्व की सरकार की तरह आंकड़ों को लेकर चिन्तित नहीं होना है। यदि एफ0आई0आर0 लोगों की आप दर्ज कराते हैं और आंकड़े बढ़ते भी हैं तो उसकी आपको परवाह नहीं करनी है। क्योंकि आपके कार्यों का आंकलन एफ0आई0आर0 की संख्या के आधार पर नहीं बल्कि जो एफ0आई0आर0 दर्ज कराई गई है उसके ऊपर आपने कितना एक्शन लिया है उसके आधार पर आपके कार्यों का आंकलन किया जायेगा।

(मेजें थपथपाई गईं)

यह मैंने सत्ता संभालने के बाद पुलिस कर्मियों की बैठक बुलाकर साफ लफ्जों में कहा था। हालांकि इस बात पर मैं अभी भी जोर देती रहती हूं। तो इसलिए यह स्वाभाविक है जब मैंने अधिकारियों को पुलिस कर्मियों को खुली छूट दी है कि आंकड़ों के मामले में परवाह नहीं करनी है तो हो सकता है कि आंकड़े बढ़ें फिर भी पूर्व की सरकार के मुकाबले में अगर आंकड़े उठाकर देखेंगे तो अभिभाषण में मैंने मेंशन किया है कि पूर्व की सरकार के मुकाबले आंकड़े कम हुए हैं। इसके अलावा माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से पूरे सदन का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहती हूं कि जब उत्तर प्रदेश में विधान सभा के लिए आम चुनाव हो रहा था तो मैंने चुनाव प्रचार के दौरान अपनी चुनावी जन सभाओं में उत्तर प्रदेश की आम जनता को यह आश्वासन दिया था खासतौर से पीड़ित और दुखी लोगों को जिनकी पूर्व की सरकार में एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं कराई गई थी तो ऐसे लोगों के बारे में मैंने आश्वासन दिया था कि उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी को सरकार में आने का मौका मिलता है तो हमारी पार्टी की सरकार जिनको पूर्व की सरकार में न्याय नहीं मिला, न्याय मिलना तो दरकिनार रहा एफ0आई0आर0 तक दर्ज नहीं कराई गई तो जब हमारी पार्टी सत्ता में आ जाएगी तो जिनको न्याय नहीं मिला और एफ0आई0आर0 भी दर्ज नहीं हुई उनकी मेरी सरकार में एफ0आई0आर0 भी दर्ज कराई जाएगी और न्याय भी दिलाया जाएगा।

(मेजें थपथपाई गईं)

उत्तर प्रदेश की आम जनता ने मेरे ऊपर भरोसा करके पूर्ण बहुमत दिलाया। मेरी पार्टी सत्ता में आई और सत्ता में आने के बाद मैंने चुनाव प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश की आम जनता को और उसमें भी जो दुखी और पीड़ित लोग थे जिनको पूर्व की सरकार में न्याय नहीं मिला था उस वायदे को पूरा किया। उस वायदे को पूरा करने के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के जो पुलिस के वरिष्ठ

अधिकारी थे उनको मैंने लिखित निर्देश दिए मैंने कहा कि आप उत्तर प्रदेश में विशेष अभियान चलाकर जिन लोगों की पूर्व की सरकार में एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं हुई उनको न्याय नहीं मिला उनकी एफ0आई0आर0 दर्ज करायें और उनको न्याय दें तो यह अभियान हमने एक महीने के लिए चलाया था लेकिन लोगों की डिमाण्ड थी कि इसकी अवधि और बढ़ाई जाए और इसकी अवधि को बढ़ाया गया कि ऐसे लोगों को एफ0आई0आर0 दर्ज कराने का मौका मिले और हमारी सरकार ने उनको न्याय दिया। जब एफ0आई0आर0 दर्ज हो रही थी तो खास तौर से समाजवादी पार्टी के लोग जगह-जगह कह रहे थे कि हमारी पार्टी के लोगों को फर्जी फंसाया जा रहा है। लेकिन हमने पुलिस कर्मियों को भी कहा था कि आंप इसको भी ध्यान में रखें कि ऐसा न हो कि जिनको पूर्व की सरकार में न्याय नहीं मिला है तो एफ0आई0आर0 दर्ज कराते समय सावधानी बरतें और ऐसी कोई गलत एफ0आई0आर0 दर्ज न हो जाए। यह भी मैंने कहा कि यदि कोई गलत एफ0आई0आर0 दर्ज कराता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए यह भी मैंने पुलिस अधिकारियों को कहा था तो माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में इस विशेष अभियान के तहत लगभग 9500 से ज्यादा एफ0आई0आर0 लिखी गईं जिन्हें समाजवादी पार्टी के नेता 11 हजार फर्जी मुकदमें दर्ज कराने की बात कह रहे हैं, उन्होंने कहा था, अपने विचार व्यक्त करते समय। इसके साथ-साथ जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि मैंने फर्जी एफ0आई0आर0 दर्ज कराने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे और यहां मैं यह भी बताना चाहती हूं, पूरे सदन को कि जो 9500 के करीब पूर्व की सरकार में जिनको न्याय नहीं मिला था और जिन्होंने अपनी एफ0आई0आर0 दर्ज करायी थी, उसमें से करीब 7500 मामलों की विवेचना करने पर 2150 से ज्यादा अभियोगों को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में खारिज किया गया। लगभग 2 हजार मामलों में फर्जी एफ0आई0आर0 दर्ज कराने की बात भी सामने आई। ऐसे झूठे मामले दर्ज कराने वालों के खिलाफ भारतीय दण्ड विधान की धारा 182 के तहत कार्यवाही की जा रही है। हमारी सरकार किसी के खिलाफ भी अन्याय नहीं होने देगी और जहां तक विपक्ष का हमारी सरकार के ऊपर राजनीतिक द्वेष की भावना से कार्य करने का सवाल है तो मैं समझती हूं कि यदि राजनैतिक द्वेष की भावना होती तो जो फर्जी मुकदमें पाए गये थे, उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों करती ? इतना ही नहीं यदि हमारी पार्टी की सरकार राजनीतिक द्वेष की भावना से कार्यवाही करती होती तो इस बारे में यहां मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि जैसा कि हमारी सरकार के ऊपर बार-बार यह आरोप लग रहा है खासतौर से नेता प्रतिपक्ष के द्वारा कि जब से हमारी सरकार बनी है, तो हमारी सरकार समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ राजनीतिक द्वेष की भावना से कार्रवाई कर रही है, हमारे लोगों को फर्जी फंसा रही है। लेकिन मैं इस बात के ऊपर फिर जोर देते हुए यह स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि यदि हमारी सरकार राजनीतिक द्वेष की भावना से कार्य करती होती तो फिर अपनी ही पार्टी के एक सांसद को गलत कार्य करने पर उसे जेल क्यों भिजवा देती और जहां तक नोएडा में हुयी एक वारदात जिसके बारे में नेता प्रतिपक्ष ने अपने भाषण के दौरान कहा था तो उसमें हमारी सरकार के एक मंत्री और उसके बेटे का नाम उसमें शामिल होने का उन्होंने आरोप लगाया था। माननीय अध्यक्ष जी, इस मामले में मैं पूरे सदन को

बताना चाहती हूं कि इस मामले को भी हमारी सरकार ने काफी गम्भीरता से लिया है और हम इस पूरे प्रकरण की जांच करा रहे हैं और यदि उसमें हमारे मंत्री या उनके बेटे का कोई भी हाथ नजर आता है तो हमारी सरकार ने जैसे पार्लियामेन्ट के मेम्बर को जेल भिजवाया है तो इनको भी नहीं बख्शेंगे। लेकिन इसके साथ यहां मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि मेरी सरकार में प्रदेश में गुण्डे, बदमाश, माफिया व अन्य जो अराजक तत्व हैं, उनके लिए मेरी सरकार में असली जगह जेल के बाहर नहीं बल्कि जेल के अंदर है। ऐसे लोगों को संरक्षण देने के लिए प्रतिपक्ष के नेता इसे चाहे राजनीतिक द्वेष की भावना से कार्रवाई करने की बात कहें, वह कितना भी चिल्लाते रहें तो भी हमारी पार्टी की सरकार इस किस्म के एलीमेंटस को छोड़ने वाली नहीं है। और मेरी हुकूमत में इस किस्म के एलीमेंट्स इस किस्म के तत्व जेल के बाहर नहीं बल्कि जेल के अन्दर ही रहेंगे। इसके साथ-साथ अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष का यह भी आरोप है कि आतंकवादियों ने उत्तर प्रदेश को अपनी आरामगाह बना रखा है और आतंकवाद के नाम पर [x x x] को पकड़ा जा रहा है तथा उनके खिलाफ गलत रिपोर्ट लिखायी जा रही है। मान्यवर, आतंकवाद के बारे में मैं पहले ही यह बता चुकी हूं कि आतंकवादियों की घुसपैठ अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर लापरवाही बरतने से होती है। पिछले 3 वर्षों में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो आतंकवाद की वारदातें बढ़ी हैं। वाराणसी, अयोध्या व जौनपुर के पास कई वारदातें हुयी थीं। समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष तो यहां मौजूद नहीं है लेकिन उनके दूसरे और साथी मौजूद हैं तो उनके माध्यम से मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से यह पूछना चाहती हूं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार में वाराणसी, अयोध्या और जौनपुर में आतंकवादी घटनाएं घटी थीं उस समय उनकी पार्टी की सरकार ने इस मामले में कोई कार्यवाही क्यों नहीं की यह सोचने वाली बात है जबकि हमारी [illegible] के बाद आतंकवादियों पर अंकुश लगाने के लिए आतंकवादी निरोधक दस्ते का [illegible] और इन्टेलीजेन्स को मजबूत करने के लिए एक अलग काडर बनाया है और [illegible]वादियों को पकड़ने में पुलिस को बेहतर सफलता मिली है। इसके अलावा मैं [illegible] इस माननीय सदन के सामने यह भी कहना चाहती हूं कि लोकतंत्र में विरोधी [illegible]-प्रत्यारोप लगाने की पूरी छूट है लेकिन इसका कोई आधार भी होना चाहिए। सही बात तो यह है कि पिछली सरकार के समय में ही उत्तर प्रदेश को आतंकवादियों की आरामगाह बना दिया गया था और इसके साथ-साथ यह आरोप लगाना कि मेरी सरकार के द्वारा आतंकवाद के नाम पर मुस्लिमों के साथ गलत कार्यवाही की जा रही है तो यह गलत है। जबकि असलियत यह है कि मुस्लिम भाई पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार के साथ है और उन्हें हमारी सरकार पर पूरी तरह से भरोसा है। हमारी सरकार उनके साथ कोई अन्याय नहीं करेगी जैसा इलाहाबाद में मदरसा कांड हुआ, जौनपुर में बलात्कार कांड हुआ। हमारी सरकार में इस तरह के काण्ड नहीं होने वाले हैं। तो मेरा यह कहना है कि इस तरह से गलत आरोप नहीं लगाने चाहिए जबकि हमारी सरकार समाज को जोड़ने का काम कर रही है। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को उनके

नोट :-[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

साथियों के माध्यम से यह भी बताना चाहूंगी कि हमारी पार्टी की सरकार सर्वसमाज के सभी वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। लेकिन शांति व्यवस्था के लिए किसी भी खतरे को हमारी सरकार कभी बरदाश्त नहीं कर सकती है। हमारी सरकार अपराधी को अपराधी ही मानकर चलती है, उसको साधु महात्मा मानकर नहीं चलती है और जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनके खिलाफ जब हमारी सरकार कार्यवाही करती है तो उनकी जाति और धर्म नहीं होती है क्योंकि अपराधी की न कोई जाति होती है और न कोई धर्म होता है लेकिन आतंकवाद की आड़ में या फिर क्रिमिनल एलीमेंट्स को बचाने के लिए राजनीतिक द्वेष की भावना की आड़ में राजनीति करना प्रदेश और देश के हित में ठीक नहीं है। इस ओर नेता प्रतिपक्ष को जरूर ध्यान देना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने एक आरोप यह भी लगाया है कि मेरी सरकार के ऊपर कि मेरी सरकार केवल चन्द अधिकारियों के माध्यम से सभी कार्य करा रही है। खासतौर से मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, मण्डल आयुक्त, लखनऊ और अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था आदि से जो चाहे वह लिखा लिया जाता है। ऐसा आरोप अधिकारियों को लेकर लगाया गया है, लेकिन मान्यवर, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को इस सम्बन्ध में यह बताना चाहूंगी कि मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, मण्डलायुक्त लखनऊ और अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था इन सबकी छवि सबसे ईमानदार अधिकारियों की है और इन अधिकारियों से कोई भी जबरदस्ती कुछ भी नहीं लिखवाया जा सकता है। इन अधिकारियों ने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पुलिस भर्ती घोटाले और समाजवादी पार्टी की सरकार के अन्य घोटालों की निष्पक्ष जांच करके उनका खुलासा किया है। जबकि पूर्व की सपा सरकार में अधिकारियों पर दबाव डाल कर उनसे काफी गलत कार्य करवाये गये हैं जो साक्ष्य मेरी सरकार के रिकार्ड में आ चुके हैं और इस मामले में इस बात का जीता-जागता उदाहरण पुलिस भर्ती का लम्बा घोटाला है। माननीय अध्यक्ष जी नेता प्रतिपक्ष ने एक अजीब आरोप यह भी लगाया है कि सरकार को पुलिस पर भरोसा नहीं है इसलिए कई जांचों को सी0बी0आई0 को भेज दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय यहां मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष को मुझसे तो घबराहट हो सकती है लेकिन सी0बी0आई0 से घबराहट नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनको सी0बी0आई0 की जांच से घबराहट क्यों हो रही है ? हमने तो सिर्फ माननीय अध्यक्ष जी पिछली सरकार के दौरान हुए गम्भीर भ्रष्टाचार के मामले जैसे खाद्यान्न घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाला जैसे अत्यन्त गम्भीर मामलों की जांच भी सी0बी0आई0 से कराने की संस्तुति की है और यह इसलिए की है क्योंकि इन घोटालों में कई ऊंचे स्तर के लोगों के लिप्त होने का प्रथम दृष्टया पता चला था। साथ ही यह हमने इसलिए भी किया है ताकि कोई हमारे ऊपर राजनीतिक बदले की भावना से कार्य करने का आरोप न लगा सके। सबसे गम्भीर बात यह है कि मुख्य सचिव की रिपोर्ट में यह इंगित किया गया है कि पुलिस भर्ती घोटाले में पिछली सरकार के एक बड़े राजनेता के ऊपर धन उगाही के प्रथम दृष्टया सबूत है। इसी तरह भाजपा द्वारा जारी की गई सी0डी0 की जांच को भी हमने सी0बी0आई0 को सौंपी है। अब इन्होंने जारी की है या नहीं की है इसका फैसला तो सी0बी0आई0 करेगी। इसके साथ ही साथ मेरी सरकार ने किडनी मामले को भी सी0बी0आई0 को

ही दे दिया है। ताकि हमारे ऊपर किसी भी राजनेता को व अधिकारी को बचाने का आरोप न लग सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष का एक आरोप यह भी है कि मेरी सरकार में सिपाही से लेकर डी0जी0पी0 तक तथा लेखपाल से लेकर मुख्य सचिव तक धन उगाही में लगे हुये हैं। यह भी आरोप लगाया है कि मुख्य मंत्री के नाम पर धन की वसूली की जा रही है, नेता प्रतिपक्ष ने यह भी आरोप लगाया।

(समाजवादी पार्टी के कुछ सदस्यों की आवाजें-'यह सही है')

इस मामले में असलियत तो यह है कि यह कार्य सत्ता में तो नहीं बल्कि माननीय नेता प्रतिपक्ष जब सत्ता में थे तो उनके कार्यकाल में यह कार्य उस समय जरूर किया जाता रहा है।

(सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा 'शेम-शेम' की आवाजें)

और मेरी सरकार में अभी तक जितने भी घोटाले संज्ञान में आये हैं वे सभी समाजवादी पार्टी के समय के ही हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण कृपया शांत रहें, जब माननीय नेता सदन और माननीय नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं तो उस समय टीका-टिप्पणी नहीं की जाती है।

सुश्री मायावती-

चाहे वह नोएडा जमीन घोटाला हो, एल0डी0ए0 जमीन घोटाला हो, या खाद्यान्न घोटाला हो, अथवा पुलिस भर्ती घोटाला हो। इस प्रकार पिछली सपा सरकार घोटालों की सरकार रही है। और, उस सरकार में गरीब व ईमानदार जनता का जबरदस्त शोषण हुआ है। और, पूर्व की सपा सरकार में असलियत तो यह है कि बड़े पैमाने पर अधिकारियों पर दबाव डालकर उनके माध्यम से धन उगाही की गयी थी। और, यह बात भी सही है कि मुख्य मंत्री के नाम पर चारों तरफ काफी धन की वसूली भी की गयी थी। (सत्ता पक्ष द्वारा मेजों की थपथपाहट) यह मैं सब पूर्व की सरकारों की बातें बता रही हूँ। इन मामलों में मेरी सरकार की कड़ी नजर है और एक पैसे की भी गलत वसूली मेरी सरकार में मुमकिन नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने एक यह भी आरोप लगाया है कि मेरी सरकार ने एक गैर आई0ए0एस0 अधिकारी को केबिनेट सचिव बना कर उन्हें मंत्री का दर्जा दिया हुआ है। इस बारे में मैं नेता प्रतिपक्ष को जो यहां मौजूद नहीं हैं, मैं यह बताना चाहती हूँ कि यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इसलिये फिलहाल इस पर कुछ भी बोलना मैं ठीक नहीं समझती हूँ।

माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के कई माननीय सदस्यों ने महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त करते हुये गंगा एक्सप्रेस-वे को लेकर यह आशंका जतायी है कि इस परियोजना में किसानों की लाखों एकड़ उपजाऊ भूमि ली जा रही है और यदि सड़क नहीं बनी तो सड़क की भूमि किसानों को वापस नहीं की जायेगी। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष के माननीय सदस्यों ने इस

परियोजना का ठीक ढंग से अध्ययन नहीं किया है और इस एक्सप्रेस-वे के निर्माण और विकास हेतु कुल मिलाकर 28,510 के लगभग हेक्टेयर भूमि का अर्जन करार नियमावली में प्रस्तावित है, लाखों हेक्टेयर भूमि का नहीं। और, जो इन्होंने दूसरा आरोप लगाया है वह भी बिल्कुल गलत है। इसके अलावा इस परियोजना से किसानों को व प्रदेश की आम जनता को क्या-क्या फायदे होंगे इसका विस्तार से विवरण अभिभाषण में किया गया है उसे मैं दोहराना नहीं चाहती हूँ।

माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष ने एक यह भी आरोप लगाया है कि बुन्देलखण्ड में प्रतिदिन 5 व्यक्ति भूख से मर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी नेता प्रतिपक्ष का यह आरोप एकदम गलत है क्योंकि मेरी सरकार में एक भी व्यक्ति की भूख से मृत्यु नहीं हुई है। यह हमने सरकारी रिकार्ड, जब अखबारों में इस किस्म की खबर छपती है आप लोग तो उसको राजनीतिक एंगिल से ले सकते हैं लेकिन जब मैं पेपर रोज पढ़ती हूँ और इस किस्म की कोई खबर मेरे संज्ञान में आती है तो मैं अपने अधिकारियों को तुरन्त उनको मैं निर्देश देती हूँ कि जिस जिले को लेकर यह खबर छपी है वहां के डी0एम0 से मालूम करें इसमें क्या सच्चाई है। वहां पर जो सरकारी रिकार्ड हमारे पास अभी तक आया है उसके आधार पर मैंने यह कहा है कि मेरी सरकार में बुन्देलखण्ड में यह जो आरोप लगाया गया है कि रोजाना बुन्देलखण्ड में 5 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, यह गलत है। तो मेरी हुकूमत में बुन्देलखण्ड में एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है और इस क्षेत्र में जो मौते हुई हैं वह कोई भूखे रहने या कर्ज में डूबे रहने के कारण नहीं हुई है बल्कि नेचुरल मौते हुई हैं। वैसे भी इस क्षेत्र के पीड़ित लोगों को हमारी सरकार ने काफी राहत पहुँचाई है जिसका विस्तार से वर्णन अभिभाषण में किया गया है तो उसकी जानकारी आप लोगों को है। लेकिन, यहां मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगी कि बुन्देलखण्ड में जो सूखे से वहां के क्षेत्र की हालत खराब हुई है वह यकायक मेरी हुकूमत में नहीं क्योंकि बुन्देलखण्ड में पिछले 4 सालों से वहां पर सूखा पड़ रहा है। मेरी सरकार ने तो काफी सख्त कदम उठाये है वहां के लोगों को राहत दिलाने के लिये। लेकिन, यहां पर नेता प्रतिपक्ष मौजूद नहीं हैं लेकिन उनके साथियों के माध्यम से मैं जरूर उनसे पूछना चाहूँगी कि जब इनकी सरकार थी तो उन्होंने अपनी हुकूमत में बुन्देलखण्ड के लोगों को कितनी राहत पहुँचाई थी। मैं समझती हूँ कि नहीं पहुँचाई थी, यदि पहुँचाई होती तो बुन्देलखण्ड की हालत आज इतनी खराब नहीं होती। माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष का एक यह भी आरोप है कि प्रदेश में मेरी सरकार के रहते हुये गन्ना किसान बरबाद हो चुके हैं और गन्ने के खेत जलाये जा रहे हैं, एक यह भी आरोप लगाया गया है और क्यों जलाये जा रहे हैं, क्यों बरबाद हो रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने बताया क्योंकि गन्ना किसानों को बकाये का भुगतान नहीं मिल पा रहा है और पूर्ववर्ती सरकार की अच्छी गन्ना नीति को हमारी सरकार ने समाप्त कर दिया है। यह आरोप नेता प्रतिपक्ष ने लगाये हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इनके यह सब आरोप गलत हैं, बेबुनियाद हैं और तथ्यहीन हैं क्योंकि पिछली सपा सरकार की गलत गन्ना नीति के कारण ही यहां गन्ना किसान बरबाद हुआ है असलियत तो यह है जिसे फिर हमें किसानों के हित में खत्म करना पड़ा है। जहां तक गन्ना किसानों के बकाये के भुगतान करने का सवाल है, इसके लिये भी पूर्व की सरकार ही जिम्मेदार है। क्योंकि हमारी सरकार ने जब सत्ता संभाली थी तो प्रदेश के गन्ना किसानों का पिछली सरकार का अर्थात् 2006-2007 का 3000 करोड़ रुपये से अधिक गन्ने का बकाया था, यह सरकार के रिकार्ड में है। यह बकाया माननीय

अध्यक्ष जी हमें पिछली सरकार से विरासत में मिला है। हमारी सरकार ने तो उसका भुगतान कराया है और अब केवल जो 3 हजार करोड़ रुपया बकाया था, उसमें से भी काफी भुगतान कर दिया गया है और अब केवल 637 करोड़ रुपये का भुगतान शेष रहा है, जिसको जल्दी ही भुगतान करा दिया जायेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को यह भी अवगत कराना चाहती हूँ कि पिछली सरकार में 126 चीनी मिलों द्वारा गन्ने की पेराई की गयी थी लेकिन इस सरकार के समय में 129 चीनी मिलों द्वारा गन्ने की पेराई की जा रही है। इतना ही नहीं, बल्कि मेरी सरकार गन्ना किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य दिलाने और उनकी खुशहाली को बढ़ाने के लिये भी पूरी तरह से कटिबद्ध है। इसके अलावा प्रदेश में किसानों को बीज, दवा, खाद, बिजली, पानी व उनकी फसल की बिक्री को लेकर जो भी समस्यायें थीं, उन्हें भी हमारी सरकार ने काफी हद तक हल किया है। अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष का एक यह भी आरोप है कि हमारी सरकार ने 19,000 पुलिस कर्मियों को सेवा से निकाल दिया है और हिन्दुस्तान में ऐसा कोई काम अभी तक नहीं हुआ है, ऐसा नेता प्रतिपक्ष ने हमारी सरकार के ऊपर यह आरोप लगाया है। मान्यवर, इस बारे में मेरा यह कहना है खासतौर से पूरा सदन इस बात को जरूर जानता होगा कि पूरे हिन्दुस्तान में शायद ही इससे बड़ा कोई भर्ती घोटाला हुआ हो जिसमें हर स्तर पर भ्रष्टाचार करके पुलिस सिपाहियों की भर्ती की गयी और भर्ती कैसे व किस भावना से की गयी है, इसकी जानकारी मा0 नेता प्रतिपक्ष को भी है इसलिये मैं इसे दोहराना नहीं चाहती हूँ, इसका पर्दाफास इस मामले की सी0बी0आई0 से जांच हो जाने के बाद हो जायेगा।

मा0 अध्यक्ष महोदय, मा0 नेता प्रतिपक्ष का यह भी कहना है कि हमारी सरकार द्वारा छात्रसंघ पर प्रतिबन्ध लगाकर लोकतंत्र के विरुद्ध कार्य किया गया है। मान्यवर, इस बारे में मैं सदन को यह बताना चाहती हूँ पूर्व की सरकार में यहां प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में छात्रसंघ के नाम पर गुण्डागर्दी और अराजकता का माहौल फैला हुआ था, जिससे पढ़ने-लिखने वाले छात्रों को नुकसान पहुंच रहा था। इससे शिक्षण कार्य भी पूरी तरह से प्रभावित हो रहा था। माहौल को ध्यान में रखकर ही हमारी सरकार ने अग्रिम आदेशों तक छात्रसंघ के चुनाव न कराये जाने का नीतिगत निर्णय लिया है। साथ ही छात्रसंघों के चुनाव के सम्बन्ध में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है जो इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और इसके बाद ही इस मामले में हमारी सरकार समुचित निर्णय लेगी। अध्यक्ष महोदय, मा0 नेता प्रतिपक्ष व विपक्ष के अन्य दलों के नेताओं का यह भी आरोप है कि प्रदेश में वैट लगाने से व्यापारियों का और आम जनता का अहित हो रहा है क्योंकि इससे महंगाई बढ़ रही है, इसलिये इसको वापस करना चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मा0 नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के, मैं सभी दलों के नेताओं की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो वैट से सहमत है लेकिन विपक्ष में कुछ दलों के नेताओं का यह आरोप गलत है और अध्यक्ष महोदय मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि नेता प्रतिपक्ष वैट का विरोध करके करवंचकों की वकालत क्यों करना चाहते हैं। मान्यवर, वैट को लगाने की प्रगतिशील व्यवस्था है जो पूरी दुनिया के अधिकांश देशों में लागू है। इसे प्रदेश में लागू करना इसलिये भी आवश्यक है क्योंकि यहां इससे आम आदमी को तो राहत मिलेगी ही तथा साथ ही इससे ईमानदार व्यापारियों को भी लाभ होगा। पूरा सदन इस बात

को अच्छी तरह से जानता है कि प्रदेश में अभी तक बड़े पैमाने पर व्यापार कर की चोरी होती रही थी। अब वैट लगने से इस प्रवृत्ति पर पूरी तरह से अंकुश लगेगा तथा साथ ही इसके बारे में यह कहना भी गलत है कि वैट के लग जाने से प्रदेश में महंगाई बढ़ रही है। मान्यवर, महंगाई पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर आधारित होती है, जिसका वैट से कोई सरोकार नहीं है। महोदय, मा0 अध्यक्ष महोदय, मा0 नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा है कि सरकार ने दलितों के हित में कोई कार्य नहीं किये हैं। इस बारे में मुझे ऐसा लगता है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष इस मामले को लेकर उल्टी गंगा बहाने में लगे हुये हैं। मान्यवर, समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार ने, यह किसी से छिपा नहीं है कि उन दलितों का न सिर्फ शोषण ही किया था उनकी सरकार के कार्यकाल में दलितों पर बड़े पैमाने पर जुल्म होते रहे, उन पर अन्याय, अत्याचार होते रहे और उनकी सरकार शांत रही, यह सब देखती रही। लेकिन हमारी पार्टी ने सत्ता में आने के बाद दलितों के उत्थान के लिये असली मुहिम चलायी हुई है और यहां इस मामले में खासतौर से दलितों के हितों के मामले में मैं सदन को यह भी बताना चाहती हूँ कि पहले भूमि आवंटन में अनुसूचित जाति के लोगों को वर्ष 2002 तक प्रथम वरीयता में रखा जाता था लेकिन इस व्यवस्था को पूर्व की समाजवादी पार्टी की सरकार ने समाप्त कर दिया था जिससे अनुसूचित जाति के कमजोर लोगों को पर्याप्त पट्टे और कब्जे नहीं मिल पाये। किन्तु हमने अपनी सरकार बनने पर सबसे पहले इस कानून को बदला और उनको उनके अधिकार वापस दिलवाये तथा एक अभियान के रूप में उन्हें पट्टे आवंटित कराकर उन्हें कब्जे दिलवाये जा रहे हैं। दिसम्बर, 2007 तक अनुसूचित जाति के 40,890 व्यक्तियों को 8,104 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि को आवंटित किया गया है। इसके अलावा अनुसूचित जाति के 54,533 व्यक्तियों को आवास स्थल आवंटन किया गया है, साथ ही भूमिहीन अनुसूचित जाति के किसानों को ग्राम सभा की भूमि पर 13 मई, 2007 तक हुये अनधिकृत कब्जों को विनियमित करने के आदेश भी दिये गये हैं। इसके अलावा प्रतिपक्ष के नेता को बजट का अध्ययन करने पर उन्हें यह खुद ही स्पष्ट हो जायेगा कि हमारी सरकार दलित वर्गों के विकास के लिये कितनी गम्भीर एवं सजग है। इसके अलावा हमारी सरकार ने सर्व-समाज के हित को ध्यान में रख कर आरक्षण के मामले में भी अनेकों महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं और जहां तक उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं तो स्टेट लेबिल पर सरकारी नौकरियों में जो पूर्व की सरकार ने आरक्षण कोटा अधूरा पड़ा हुआ था जैसे ही हमारी पार्टी सत्ता में आयी तो उसे विशेष अभियान चलाकर इसको काफी हद तक पूरा कर दिया गया है और जो रह गया है उसको बहुत जल्दी ही पूरा कर दिया जायेगा। इसके अलावा पूरे देश में उत्तर प्रदेश में यह पहली बी0 एस0 पी0 की सरकार है जिस सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लोगों के हितों में आरक्षण मुद्दे को ले करके एक यह भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश में जितने सरकारी विभागों और संस्थाओं को किसी कारणवश निजी क्षेत्र को दिया जाता है तो निजी क्षेत्र को देने के बावजूद भी इन वर्गों को सरकारी संस्थानों और विभागों में जिस प्रकार से आरक्षण मिलता रहा है उतने ही प्रतिशत निजी क्षेत्र में बरकरार रहेगा। इसके साथ साथ हमारी सरकार ने इन वर्गों के हित को

लेकर आरक्षण के मामले में यह भी नीति निर्धारित की है कि यदि सरकारी विभागों और संस्थानों के कार्यों को किसी व्यक्तिगत या संस्था को कांट्रेक्ट या ठेके पर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में भी इन वर्गों को जितने प्रतिशत आरक्षण सरकारी विभागों और संस्थानों में इनको मिलता रहा है उतने प्रतिशत इनको किसी संस्था या व्यक्ति को कांट्रेक्ट या ठेके पर इन कार्यों को दिये जाने के बावजूद मिलता रहेगा इसमें कोई कटौती नहीं को जायेगी। इसके साथ हमारी सरकार ने आरक्षण के मामले में सर्वसमाज के हित को ध्यान में रखकर यानी बहुजन समाज के साथ-साथ अपर कास्ट के समाज के हित को ध्यान में रखकर हमने यह भी फैसला लिया है आरक्षण के मामले में कि उत्तर प्रदेश के अन्दर जो भी अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं या निवेश करते हैं या कारोबार शुरू करते हैं तो हमारी पार्टी की सरकार ऐसे लोगों को सरकारी सुविधायें तभी देगी यदि वह हमारी सरकार की जो आरक्षण नीति है सर्वसमाज के हित को ध्यान में रखकर बनाई है उसके ऊपर अमल करते हैं हमारी सरकार ने ऐसे क्षेत्रों को लेकर यानी जो अपना पैसा खुद इन्वेस्ट करेंगे सरकार का उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा केवल सरकार उनको छोटी-मोटी सुविधायें दे सकती है कोई बड़ी सुविधायें नहीं दे सकते हैं हमारा कोई पैसा नहीं लगेगा तो ऐसे क्षेत्र में भी हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उनको सरकार की ओर से तभी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी यदि वह सर्वसमाज के हित में 10 प्रतिशत आरक्षण एस0सी0/एस0टी0 को 10 प्रतिशत आरक्षण ओ0बी0सी0/माइनारिटी को व 10 प्रतिशत अपर कास्ट के गरीब लोगों को अपनी नौकरियों में देते हैं तभी हमारी सरकार उसको कोई भी सुविधा प्रदान करेगी। अपर कास्ट में आर्थिक तौर पर गरीब लोग हैं उनके मामले में भी हमारी सरकार काफी गम्भीर है और जैसे हमारी पार्टी सत्ता में आई मैने सत्ता में आते ही माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी सरकार की ओर से कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपर कास्ट में से आर्थिक तौर पर जो गरीब लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं तो केन्द्र की सरकार को चाहिये कि वह भारतीय संविधान में अमेण्डमेंट करके आर्थिक तौर पर गरीब लोगों को आर्थिक आधार पर इनको भी आरक्षण की सुविधा जरूर प्रदान करे। इसके साथ-साथ मैने यह भी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि इस देश में अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को जिन क्षेत्रों में आरक्षण की सुविधा सेन्ट्रल लेबिल पर या स्टेट लेबिल पर क्योंकि इसकी नीति निर्धारित केन्द्र करेगी प्रदेश स्तर पर हम लोग कर सकते हैं जिसको हमने किया है लेकिन केन्द्र स्तर पर या जिन राज्यों में सरकारों ने जिन क्षेत्रों में इनको आरक्षण की सुविधा नहीं मिली है वह प्रदेश स्तर पर दे सकते हैं। और कुछ ऐसे हैं जिनमें केन्द्र की सरकार को ही केवल पावर है। तो ऐसे क्षेत्र में केन्द्र की सरकार को ही कोई फैसला लेना है कि जिन लोगों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग को आरक्षण की सुविधा नहीं मिल रही है उनको भी आरक्षण की सुविधा दी जाय। धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुस्लिम समाज है। मान्यवर, मैं पूरे सदन को यह बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में जब 1995 में हमारी पार्टी की सरकार पहली बार बनी थी तो हमारी पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज में से जो पिछड़े वर्ग के लोग थे उनको पिछड़े वर्ग में शामिल करके हमने उनको सरकारी नौकरियों

और अन्य क्षेत्रों में आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई। हमने और भी कई महत्वपूर्ण फैसले इस वर्ग के लिये किये थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष का यह भी आरोप है कि राज्य सरकार द्वारा जो बैकलॉग है वह तो भरा जा रहा है लेकिन जब सरकार की नीति सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की है तो सामान्य वर्ग की भर्तियां क्यों नहीं की जा रही हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इस बारे में मैं पूरे सदन को यह बताना चाहती हूँ कि प्रदेश में सामान्य वर्ग की भर्तियों पर रोक पिछली समाज वादी पार्टी की सरकार ने 12 दिसम्बर, 2006 को लगाई थी जिस रोक को अब हमारी पार्टी की सरकार ने हटा दिया है और अब सामान्य जाति की भी भर्तियां प्रदेश में शुरू हो गयी हैं। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष का यह भी आरोप है कि इटावा में नारा लगा रहे छात्रों को गोली मारी गई है, उनके साथ बड़ा अन्याय हुआ है। मान्यवर, इस घटना को लेकर जो मुझे जानकारी मिली है उस जानकारी के आधार पर मैं पूरे सदन को यह बताना चाहती हूं कि जब भीड़ ने, जहां पर यह गोली काण्ड का जिक्र किया गया है। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अपने भाषण के अन्दर इटावा में गोली काण्ड का रेफरेंस दिया है तो, मुझे उसके बारे में जो जानकारी मिली है, मुझे बताया गया कि भीड़ बेकाबू हो गयी थी और इल्लीगल हथियार लेकर जब उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया और पुलिस के ऊपर हमला किया तो पुलिस को अपनी आत्म रक्षा में गोली चलानी पड़ी। लेकिन फिर भी हमारी सरकार इस मामले की विवेचना करा रही है और जो भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी। (मेजें थपथपाई गईं) माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष का यह भी कहना है कि सुल्तानपुर के मण्डलायुक्त और जिलाधिकारी का निलम्बन गलत किया गया है। मान्यवर, इस बारे में मैं यह बताना चाहती हूँ कि संबंधित अधिकारियों का निलम्बन ठीक किया गया है क्योंकि इन्होंने सिविल सर्विस कन्डक्ट रूल का उल्लंघन किया है। इसके अलावा माननीय अध्यक्ष जी, कुछ माननीय सदस्यों ने प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को अलग से राज्य बनाने की बात कही है। मान्यवर, प्रदेश के विशाल आकार और आबादी को देखते हुये विकास की गति को और तेज करने के लिये छोटे राज्यों के गठन के बारे में हमारी पार्टी पहले से इसके समर्थन में अपना पक्ष स्पष्ट कर चुकी है। एक बार नहीं अनेकों बार कर चुकी है। लेकिन इसे केन्द्र सरकार को ही करना होगा। इस मामले में जब भी हमारी सरकार की सहमति केन्द्र की सरकार मांगेगी तो हमारी सरकार इसकी तुरन्त सहमति दे देगी।

(मेजें थपथपाई गईं)

अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष व विपक्ष के अन्य नेताओं ने बिजली की समस्या को भी लेकर यह आरोप लगाया है कि इस मामले में हमारी सरकार गम्भीर नहीं है। मान्यवर इस बारे में जैसा कि आप सभी को यह विदित है, मालूम है कि पिछले वर्ष 60 वर्षों में प्रदेश में 3,970 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता का विकास किया गया है। इसमें से पिछले 18 वर्षों में बिजली की उत्पादन क्षमता में केवल 610 मेगावाट वृद्धि हुई है। जबकि हमारी सरकार ने पिछले नौ माह के अन्दर 700 मेगावाट की अतिरिक्त ऊर्जा क्षमता की स्थापना की है।

(मेजें थपथपाई गईं)

इसके लिये बिजली को विकास की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है और विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने के लिये ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र एवं संयुक्त क्षेत्र में 10,500 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता सृजित करने की कार्यवाही शुरू की गई है। इसके अलावा हमारी सरकार ने 10,000 मेगावाट विद्युत क्षमता की स्थापना के लिये अनुबन्ध किया है साथ ही ललितपुर में भी 4000 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा थर्मल पावर प्रोजेक्ट को सैद्धान्तिक सहमति दी है। नवेली लिगनाइट कारपोरेशन को भी 1000 मेगावाट उत्पादन क्षमता के लिये सैद्धान्तिक सहमति दी है अर्थात् ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 15,000 मेगावाट विद्युत क्षमता का अतिरिक्त सृजन किया जाएगा। यह अभूतपूर्व है और इससे प्रदेश को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। इस प्रकार बिजली के मामले में हमारी सरकार काफी गम्भीर है। इस मामले में मैं कोई गप नहीं मार रही हूँ यह जमीन पर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय विपक्ष का यह भी आरोप है कि प्रदेश के अस्पतालों की हालत खराब है। दवाइयां नहीं उपलब्ध हैं और लोगों का इलाज नहीं हो रहा है। मान्यवर इस मामले में मेरा यही कहना है कि उत्तर प्रदेश में अस्पतालों की हालत कोई एक-दो साल में खराब नहीं हुई है। यह वर्षों से सरकारी अस्पतालों की हालत खराब होती जा रही है। लेकिन हमारी सरकार ने इस मामले में यह सुनिश्चित किया है कि सभी अस्पतालों में आवश्यकता के अनुरूप दवाइयां उपलब्ध हों, इस बात को हमने प्राथमिकता दी है और इसे सुनिश्चित करने के लिये मैंने 4 बार अस्पतालों का निरीक्षण भी किया और दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई भी की गयी। हमारी सरकार में अस्पतालों की हालत में पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा सुधार हो रहा है और अब दवाइयां भी उपलब्ध हो रही हैं और वैसे भी पूरा सदन मेरी इस बात से जरूर सहमत होगा कि वर्षों से अस्पतालों के बिगड़े ढांचे को सुधारने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, इसमें हमें पूरे सदन के सहयोग की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, मा0 नेता प्रतिपक्ष का एक आरोप यह भी है कि प्रदेश में नकली दवाइयों का कारोबार फैला हुआ है। मान्यवर, नकली दवाइयों का कारोबार तो पिछली सरकार की मेहरबानी से पूरे देश में फल-फूल रहा था, यह किसी से छिपा नहीं है। हमारी सरकार ने तो नकली दवाओं के कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है और नकली दवाओं का कारोबार करने वालों का भण्डाफोड़ भी किया है। हमने नकली दवाओं के धन्धे की रोकथाम हेतु खाद्य एवं औषधि प्रशासन के नाम से एक नये विभाग के गठन का भी निर्णय लिया है।

अध्यक्ष महोदय, मा0 नेता विरोधी दल का यह भी कहना है कि हमारी सरकार द्वारा स्मारकों के नाम पर करोड़ों रुपये बर्बाद किये जा रहे हैं। मान्यवर, मैं प्रतिपक्ष के नेता से, यहां मौजूद नहीं हैं, मौजूद होते तो जरूर पूछना चाहती कि क्या महापुरुषों का सम्मान करना कोई गुनाह है? मैं समझती हूँ कि इस देश में महापुरुषों का सम्मान करना कोई गुनाह नहीं है, इसलिये हमारी सरकार सर्वसमाज में जन्में सन्तों, गुरुओं व महापुरुषों का पूरा आदर-सम्मान करती है,

जिसके तहत ही हमारी सरकार बाबा साहेब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल और मान्यवर कांशीराम जी स्मारक का निर्माण करा रही है। जब कि समाजवादी पार्टी की सरकार इन महापुरुषों के प्रति हमेशा भेदभाव एवं उदासीनता का रवैया अपनाती रही है, यह किसी से छिपा नहीं है और मान्यवर कांशीराम जी जैसे महानुभाव जिन्होंने अपना पूरा जीवन गरीब और दबे-कुचले लोगों के उत्थान में लगाया है, इनकी मृत्यु होने पर दिनांक 9 अक्टूबर, 2006 को उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, उस समय सपा की सरकार थी, उस सरकार द्वारा तो इनके आदर-सम्मान में, इनके शोक में तो अवकाश घोषित करना तो दूर रहा, राज्य में शोक तक को पूर्व की सरकार द्वारा घोषित नहीं किया गया। लेकिन हमारी सरकार ने ऐसे महापुरुषों की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिये उनके स्मारक बनाने का निर्णय लिया ताकि लोग उनसे प्रेरणा ले सकें। इसके अलावा सपा प्रतिपक्ष के नेता ने अपने भाषण में यह भी कहा कि समाजवादी मानसिकता के लोगों ने भी डॉ0 बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को राज्य सभा में चुनकर भेजने में मदद की थी। लेकिन मैं यह भी उनको बताना चाहती हूँ। मान्यवर, जिन समाजवादी मानसिकता के लोगों ने बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर की मदद की थी तो उनकी सोच में और आप की तरह आज के समाजवादी की सोच में जमीन आसमान का अन्तर है। और यदि नेता प्रतिपक्ष सही मायने में समाजवादी मानसिकता के होते तो फिर आप लखनऊ में बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर के आदर-सम्मान में बन रहे डा0 अम्बेडकर स्मारक को अय्याशी का अड्डा नहीं बताते और अपनी सरकार में इस स्मारक की बिजली नहीं कटवाते और 10-10, 12-12 फुट घास वहां पर खड़ी नहीं करवाते। अर्थात् आप जैसे लोग तो आज हमारे देश में समाजवाद को कलंकित कर रहे हैं जो किसी से छिपा नहीं है।

माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष द्वारा यह भी कहा गया कि वैट लगाये जाने से राज्य के करों की वृद्धि में कमी आएगी। मान्यवर, विपक्ष ने राजस्व वृद्धि में कमी होने की जो बात कही है वह सरासर गलत है। इसके सम्बन्ध में ऐसा लगता है कि विपक्ष के माननीय सदस्यों ने हमारी सरकार की बजट पुस्तिका का सही ढंग से अध्ययंन नहीं किया है। जबकि हमारी सरकार आने के बाद राजस्व वृद्धि में कर वसूली में 20.5 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। अध्यक्ष महोदय, यह भी कहा गया कि प्रदेश की विकास दर घट रही है। मान्यवर, इसमें मैं संक्षेप में यह बताना चाहूंगी कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में 8 प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य था जो केवल 5.2 प्रतिशत तक ही पहुंच सका था। इसके विपरीत 11वीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में ही अभी तक साढ़े छह प्रतिशत विकास दर की बढ़ोत्तरी का अनुमान है। यह एक बहुत अच्छी उपलब्धि है। क्योंकि इस वर्ष बजट जुलाई के महीने में पारित हुआ था और हमारी सरकार को काम करने के लिए बहुत कम समय मिल पाया। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष ने यह भी कहा है कि उनकी सरकार ने खासतौर से नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा है कि उनकी सरकार ने वर्ष 2005-2006 तथा 2006-2007 में प्लान परिव्यय की धनराशि का शत प्रतिशत व्यय कर लिया जबकि वर्ष 2007-2008 में 25 हजार करोड़ रुपये के प्लान परिव्यय के विरुद्ध प्रदेश की वर्तमान सरकार ने बहुत कम व्यय किया है तो

ऐसी स्थिति में केन्द्र से 80 हजार करोड़ रुपये का पैकेज मांगने का क्या औचित्य है ? मान्यवर, मैं पूरे सदन को प्लान परिव्यय के खर्च के आंकड़ों के बारे में यह स्पष्ट करना चाहूंगी कि हमारी सरकार द्वारा 31 जनवरी, 2008 तक 22 हजार 125 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं जो पिछले वर्ष की इसी अवधि से लगभग 1 हजार 300 करोड़ रुपये अधिक है। वह भी तब जबकि आम तौर पर फरवरी के महीने में बजट पारित हो जाता है तो बजट पास हो जाने के बाद किसी भी सरकार को अप्रैल से काम करने का मौका मिल जाता है। लेकिन इस बार बजट जुलाई में पारित हुआ इसलिए हमें काम करने के लिए 4 महीने कम समय मिला।

इससे स्पष्ट है कि यदि हमारी सरकार केन्द्र से अस्सी हजार करोड़ रुपये का पैकेज मिल गया होता तो पैकेज की योजना के अनुसार समय पर पूरी तरह से खर्च कर लेते और उत्तर प्रदेश के विकास के ऊपर उन मुद्दों पर लगाते जहां पर जरूरत है। अन्त में मैं इन्हीं लफ्जों के साथ ज्यादा बात न रखते हुए क्योंकि जो मुख्य सवाल थे उनका जवाब मैंने दे दिया है, अपनी बात समाप्त करती हूं।

*श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

मान्यवर, मात्र एक स्पष्टीकरण पूछना चाहता हूं कोई ऐसा नहीं है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिस तरह से महापुरुषों की जन्म तिथि पर छुट्टी की घोषणा की बात कही तो 21 फरवरी को रविदास जयन्ती है, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस पर विचार कर लें। 21 तारीख को छुट्टी की घोषणा करने पर विचार करेंगी ?

सुश्री मायावती-

यह तो आप सोकर जाग रहे हैं। यह निर्णय हमारी सरकार ने बहुत पहले ही ले लिया है।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

माननीय अध्यक्ष जी, आज जुम्मा है और बहुत से सदस्य जुम्मे की नमाज में जाना चाहते हैं इसलिए प्रश्न उपस्थित कर लें।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव पर उत्तर भाषण आम तौर पर इतने अच्छे वातावरण में नहीं होता है लेकिन यह हुआ है और हम बधाई दे रहे हैं। जब अभिभाषण पर जवाब दिया जाता है तो यह घोषणा होती है कि हम कल विधान सभा क्षेत्र में क्या करने जा रहे हैं, मैं आपको सिर्फ याद दिला रहा हूं कुछ कह नहीं रहा हूं। आप हैण्डपम्प न दें ऐसा कर सकती हैं क्या ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, आज जुम्मा की नमाज है, इसका समय खत्म होने जा रहा है इसलिए प्रश्न उपस्थित कर लें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष संशोधन का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं।

(कोई जवाब न आने पर)

श्री राम सागर अकेला जी आप अपने धन्यवाद प्रस्ताव पर कुछ कहना चाहते हैं।

श्री राम सागर अकेला-

मान्यवर, मैं अपने प्रस्ताव पर बल प्रदान करता हूं और सदन से चाहता हूं कि वह भी बल प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं नेता विरोधी दल द्वारा दिये गये श्री राज्यपाल के अभिभाषण में प्राप्त संशोधनों पर प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं। प्रश्न यह है कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जायः-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया हैः-

1-बेरोजगारी भत्ता समाप्त कर बेरोजगारों को रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में,

2-कन्या विद्या धन योजना को यथावत् लागू करने के सम्बन्ध में,

3-बहुजन समाज पार्टी के विधायकों, कार्यकर्ताओं द्वारा खुले आम अराजकता फैलाने एवं आतंक का माहौल पैदा करने के सम्बन्ध में,

4-प्रदेश में विद्युत उत्पादन में बढ़ोत्तरी किये जाने हेतु योजना प्रस्तावित करने के सम्बन्ध में,

5-ऊसर तथा बंजर भूमि के सुधार हेतु योजना लागू करने के सम्बन्ध में,

वस्त्र उद्योग एवं रेशम मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है। अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

[6-सैफई में निर्दोष छात्रों पर गोली चलाने वाले मुकेश यादव के हत्यारों को फांसी दिये जाने के सम्बन्ध में,

7-नकली दवाइयों की रोकथाम के सम्बन्ध में,

8-प्रदेश में उत्पन्न हो रही पेयजल समस्या के सम्बन्ध में,

9-निरंतर बढ़ रही मंहगाई के सम्बन्ध में,

10-सभी वर्ग के लोगों को आत्म सम्मान की गारन्टी देने के सम्बन्ध में,

11-पूर्व सरकार की भांति डकैतों एवं माफियाओं के उन्मूलन हेतु योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में,

12-सरकार द्वारा की जा रही विभिन्न मदों में फिजूलखर्ची रोकने के सम्बन्ध में,

13-राज्य कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण की सुविधा बहाल किये जाने के सम्बन्ध में,

14-किसी मानक या नीति के बगैर लगातार किये जा रहे स्थानान्तरण से प्रभावित हो रहे शासकीय काम-काज के सम्बन्ध में,

15-बेघर और बेसहारा लोगों को बसाने और उन्हें अच्छी जिन्दगी गुजारने की गारंटी देने के सम्बन्ध में,

16-महिलाओं का उत्पीड़न व अत्याचार रोकने की कार्य योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में,

17-प्रदेश में नहर की सफाई तथा सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करने के सम्बन्ध में,

18-सरकारी अस्पतालों में नकली दवाइयों की खरीद फरोख्त रोकने के सम्बन्ध में,

19-बाल मजदूरी व बंधुआ मजदूरी पर पाबंदी लगाने के सम्बन्ध में,

20-गन्ना किसानों की जीवन्त समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में,

21-प्रदेश के गरीब लोगों की लड़कियों की शादी में अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में,

22-किसानों के गेहूं की खरीदारी सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में,

23-प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन एवं किसानों की पेंशन की बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में,

24-पूर्व सरकार द्वारा स्वीकृत फैजाबाद मेडिकल कालेज के निर्माण हेतु धन आवंटन के

[illegible]जाबाद के सोहावल विद्युत पावर हाउस के सम्बन्ध में,

[illegible]पद फैजाबाद के सोहावल विधान सभा क्षेत्र के 60 ग्रामों को पुनः सदर तहसील में [illegible]म्बन्ध में,

साहावल उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों एवं अन्य कर्मचारियों की [illegible] सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में,

28-सरकारी निगमों को पुनर्जीवित करने एवं कर्मचारियों की छटनी को रोकने के सम्बन्ध में,

29-किसी मानक या नीति के बगैर लगातार किये जा रहे तबादलों के सम्बन्ध में,

30-मंत्रियों एवं उच्च राजनैतिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के संबंध में, सत्ता पक्ष के इशारे पर प्रतिपक्ष नेताओं और कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न रोके जाने के सम्बन्ध में,

31-प्रशासनिक अधिकारी विशेष रूप से पुलिस प्रशासन में जातीय आधार पर नियुक्तियां किये जाने के सम्बन्ध में.

32-सभी प्रमुख उद्योगों का प्रदेश से पलायन एवं प्रस्तावित योजनाओं को रोके जाने के सम्बन्ध में,

33-प्रदेश में रासायनिक खाद विशेष रूप से डी0ए0पी0 एवं यूरिया के अभाव को दूर किये जाने के सम्बन्ध में,

34-गन्ना कृषकों को गन्ने का मूल्य बढ़ाने के सम्बन्ध में,

35-गन्ना क्रय अधिनियम का घोर उल्लंघन एवं गन्ना कृषकों के शोषण के सम्बन्ध में,

36-प्रदेश सरकार की तुष्टिकरण नीति से सामाजिक टकराव एवं दुराव के सम्बन्ध में,

37-हत्या, अपराध, लूट, बलात्कार जैसे जघन्य अपराधियों को राजनैतिक संरक्षण दिये जाने से रोकने के सम्बन्ध में,

38-सरकारी शिक्षण संस्थाओं, प्राइमरी से लेकर महाविद्यालयों में अराजकता का माहौल दूर करने तथा शिक्षकों की कमी को दूर करने के सम्बन्ध में,

39-चिकित्सालयों में आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराये जाने तथा ग्रामीण अंचलों के चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर नियुक्तियां किये जाने के सम्बन्ध में,

40-वैट जैसे कानून को समाप्त करने के सम्बन्ध में,

41-रणवीर आफ हीरो छात्र द्वारा आत्महत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति से निपटने के सम्बन्ध में,

42-गन्ना किसानों के बकाया भुगतान दिलाये जाने एवं गन्ना मूल्य कम दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

43-किसानों को खाद, बीज व पानी समय पर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

44-छात्र यूनियनों को पुनर्जीवित करने के सम्बन्ध में,

45-बुन्देलखण्ड क्षेत्र में किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्या को रोके जाने के सम्बन्ध में,

46-आतंकवादी गतिविधियां रोके जाने हेतु कारगर उपाय बनाये जाने के सम्बन्ध में,

47-प्रदेश में वित्तीय, कानून व्यवस्था को सरकार द्वारा सुधारने के सम्बन्ध में तथा

48-विधान सभा द्वारा गत वर्ष पारित बजट को अब तक न खर्च कर पाने के सम्बन्ध में।"]

श्री अध्यक्ष-

अब मैं प्रश्न उपस्थिति कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में जो संशोधन माननीय नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत किया गया, उससे सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

इसी के साथ जो भी अन्य संशोधन उपस्थित किये गये या माने गये थे, वे सब अस्वीकृत समझे जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 08 फरवरी, 2008 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में नेता सदन (मा0 मुख्य मंत्री) द्वारा अपने भाषण के उपरान्त सदन से तत्काल चले जाने पर समाजवादी पार्टी द्वारा क्षोभ व्यक्त करना

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी बहुत अच्छा होता एक परम्परा रही है स्पष्टीकरण की, इस सरकार के आने के बाद इतनी तफ्सील से और विस्तार से माननीय मुख्य मंत्री जी ने जवाब दिया माननीय नेता प्रतिपक्ष के भाषण का और विपक्ष ने उतनी ही शालीनता से उसे सुना जितना उसे सुनना चाहिए था, कोई एहसान नहीं किया। स्वस्थ परम्परायें बननी चाहिए और स्वस्थ परम्परा आज कायम रही। स्पष्टीकरण एक प्रश्न हुआ माननीय सदस्य की तरफ से और एक जवाब आया सही जवाब आया पहले से छुट्टी की घोषणा कर दी गई। इधर से शायद जानकारी की कमी रही होगी माननीय सदस्य की, इस बिना पर यह सवाल हुआ, हम अपनी उस गलती को स्वीकार करते हैं, मानते हैं उसे, लेकिन मात्र एक ही स्पष्टीकरण का प्रश्न काफी नहीं था, देश की सबसे बड़ी विधान सभा के इस सत्र का, और भी स्पष्टीकरण पूछे जा सकते थे और पूछे जाने चाहिए थे और उसका मौका मिलना चाहिए था। मेरे ख्याल से मुख्य मंत्री जी को बैठना चाहिए था और दो-चार स्पष्टीकरणों का जवाब जरूर देना चाहिए था। मैं यह बात इसलिए मान्यवर कह रहा हूं कि बहुत सी बातें ऐसी कही गई जिनका अगर स्पष्टीकरण हो जाता तो हो सकता था पक्ष को भी उसका ज्यादा फायदा मिलता, लेकिन इससे एहसास हुआ कि मात्र अपनी बात कह ली गई, नेता प्रतिपक्ष नहीं हैं, खास मजबूरी है जिसकी वजह से वह यहां नहीं हैं, वह पाबंदी से यहां बैठते हैं, लेकिन नेता सदन की इतनी उदासीनता जवाब देने के रिश्ते से मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं थी। उन्हें थोड़ी देर बैठना चाहिए था और मेरे जैसा व्यक्ति भी उनके भाषण को जो संजीदगी होना चाहिए थी उससे सुन रहा था मैं,

(सत्ता पक्ष की तरफ से धन्यवाद की आवाज आने पर)

श्री मोहम्मद आजम खां-

आपके अन्दर इतनी सभ्यता आ गई इसके लिए आपका शुक्रिया कि आपने मेरा धन्यवाद किया, बहुत धन्यवाद आपका। मान्यवर, मैंने कुछ याददाश्त के लिए आपने लिखा था,

नोट्स बनाये थे कि मैं मोहतरमा से यह पूछूंगा और एक शेर उनकी खिदमत् में अर्ज करूंगा, वह नहीं है लेकिन उनके जो पैगम्बर यहां बैठे हुए हैं वह उन तक पहुंचायेंगे।

तुझको मालूम है दुनिया तुम्हें क्या कहती है,

यह तू शब्द शायरी का एक अन्दाज है मैं इसे तुम में बदले देता हूं, ताकि असभ्य न कहलाऊँ।

तुमको मालूम है दुनिया तुम्हें क्या कहती है,

इस थोड़े से ही अर्से में मान्यवर,

"तुमको मालूम है दुनिया तुझे क्या कहती है,
हाथ रख लेती है कानों पे तुम्हारे नाम के साथ
कुछ दिनों और रहे गर यही हालात-ए-चमन
बैठ सकता नहीं सयूयाद भी आराम के साथ।"

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

माननीय अध्यक्ष जी, उदासीनता तो बहुत स्पष्ट नजर आ रही है। जब माननीय नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे तो माननीय नेता सदन पूरे समय तक ढाई तीन घंटे तक बैठी रही थीं और आज करीब डेढ़-पौने दो घंटे जो माननीया मुख्य मंत्री जी का उत्तर भाषण रहा, उस समय वह उपस्थित नहीं रहे। मान्यवर, जबकि विधान सभा का कार्यक्रम पहले से निर्धारित था, विधान सभा के कार्यक्रम के बजाय अन्य कार्यक्रमों को प्राथमिकता देने को उदासीनता की श्रेणी में नहीं गिना जायेगा तो मैं नहीं समझता हूं कि इसे और क्या कहा जायेगा। मान्यवर, वैसे एक-एक इनके सवाल का जवाब माननीया मुख्य मंत्री जी ने दिया है और उस प्रकरण को आपने मतदान के द्वारा पूरा भी करा लिया है। मान्यवर, सदन में जो परम्परा है, नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष को तो विशेषाधिकार है कि वे किसी भी इश्यू पर किसी भी समय खड़े हो सकते हैं। अगर नेता प्रतिपक्ष यहां होते तो उनके अनुपूरक प्रश्न भी होते, स्पष्टीकरण भी होते तो उस स्थिति में माननीया मुख्य मंत्री जी बैठकर उत्तर भी देती, जैसे उन्होंने पूरे सवालों का जवाब दिया है। मेरा आपसे आग्रह है कि उस बात को यहीं पर समाप्त करके आगे की कार्यसूची को लेने का कष्ट करें।

(श्री मोहम्मद आजम खां के खड़े होने पर)

मान्यवर, सबको हर अवसर पर खड़े होने का अधिकार नहीं है। यह विशेषाधिकार सिर्फ नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष को है। जो मद खत्म हो गयी है तो उससे आगे बढ़े यह अनुरोध है। मान्यवर, जो इश्यू खत्म हो गया है उसी पर फिर चलता रहे तो यह उचित नहीं होगा। यह मेरा आपसे आग्रह है। वैसे मान्यवर निर्णय आपको करना है। आपके विवेक और आपके अधिकार पर कोई प्रश्नचिन्ह नहीं है, अन्य विषय भी ले लें यह अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, एजेन्डे के आधार पर चलें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह कोई एतराज की बात नहीं है।

डा0 अनिल चौधरी-

मान्यवर, मेरा एक छोटा सा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जो मद खत्म हो गयी है उससे आगे बढ़ें, यह आग्रह है।

डा0 अनिल चौधरी-

मान्यवर, महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर जब कल वाद-विवाद हो रहा था तो माननीय ओम प्रकाश सिंह जी ने एक बात यह उठायी थी कि झूठ शब्द जो कहा गया है वह असंसदीय है उसे कार्यवाही से निकाला जाये। मान्यवर, आपने उस पीठ से उसकी यह व्याख्या की थी, यह व्यवस्था दी थी कि झूठ शब्द असंसदीय है उसे कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा।

मान्यवर, आज जब माननीया नेता सदन जी आतंकवाद पर भाषण दे रही थीं तो उन्होंने उसमें झूठ शब्द का प्रयोग किया है। मेरा अनुरोध है कि वह शब्द कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

वह कल की व्यवस्था है कि असंसदीय है। झूठ शब्द असंसदीय है तो वह सबके लिये रहेगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इतने नाराज न हों। संख्या बल के आधार पर हर चीज को न देखें आप नाराज हो जाते हैं। यह सही है कि विधान सभा की संख्या बल के आधार पर सरकार चलती है और उसी संख्या बल के आधार पर आप कटाक्ष करते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र में आपका कितना भरोसा है, आपको कितना प्रोसीडिंग्स में भरोसा है तो उसका तो अंदाजा आपको लग गया होगा। मान्यवर, मैंने इसे इसलिए कहा था कि आपने हल्के से इसे ले लिया। यकीनन नेता प्रतिपक्ष नहीं हैं। मैं भी यहां तीन रोज नहीं रहा। मुझसे आप यह भी कह सकते हैं कि जब आपने नेता प्रतिपक्ष का, नेता सदन का भाषण नहीं सुना था तो मुझे यह अधिकार नहीं था कि मैं कोई सप्लीमेंटरी प्रश्न या कोई ऐसा सवाल कर सकता।

श्री अध्यक्ष-

आपको अधिकार है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, लेकिन काश यह जानने की कोशिश की गयी होती कि मैं कहां था और उस तीन चार दिन की मेरी पीड़ा को आप समझते कि मैं कितना बड़ा अपराधी आज हो गया हूं कि मुझे रोज कितनी अदालतों में जाना पड़ता है। मेरे ऊपर मान्यवर लगभग 52 मुकदमें, दीवानी तथा क्रिमिनल केसेज के चल रहे हैं, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की बाबत तमाम केसेज़ चल रहे हैं। कभी मुझे एस0डी0एम0 को कोर्ट में जाना पड़ता है, कभी कमिश्नर, कभी इलाहाबाद रेवेन्यू

कोर्ट, कभी इलाहाबाद हाईकोर्ट कभी लखनऊ हाईकोर्ट बेंच में जाना पड़ता है। तीन-चार रोज बराबर कोर्ट के मैं चक्कर लगाता रहा था। बड़ी कृपा है आपकी। तो यह महज मैंने इसलिए कहा कि मैं खुद भी यहां नहीं रहा, मैं 3-4 रोज क्यों नहीं रहा यह जानकर आपको थोड़ी शर्म तो जरूर आयेगी। ऐसा ही कुछ कारण है जो मा0 नेता प्रतिपक्ष मौजूद नहीं हैं। इसीलिए हम चाहते थे मान्यवर, कि नेता सदन यहां नहीं हैं, बहरहाल वह नहीं हैं और हमारे संसदीय कार्य मंत्री पुराने साथी हैं वह बुरा मान रहे हैं। हम यह नहीं चाहते हैं कि आपके पड़ोस का रिश्ता खराब हो इसलिए वह चली गयीं शायद उनकी-

"यह अदाएं बेनियाजी तुझे बेवफा मुबारक,
मगर ऐसी बेरुखी क्या कि सलाम तक न पहुंचे।"

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2008 †

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर विधेयक, 2008

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, प्रस्तावक उपस्थित नहीं हैं।

(श्री सुरेश कुमार खन्ना के खड़े होने पर)

मान्यवर, इनका नाम नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हम हैं, अननुमोदन करेंगे।

नोट :-† दिनांक 20 मार्च, 2008 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह 10-ग नहीं कर सकते हैं। 10-घ हो जाये उसके बाद ये बोल सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

10-घ हो जाये तो विचार के लिये बोल सकते हैं।

नगर विकास, पर्यावरण, संस्कृति, शहरी समग्र विकास एवं कर एवं निबन्धन मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर विधेयक, 2008 पर विचार किया जाय।

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह सदन उत्तर प्रदेश वैट 2008 का अननुमोदन करता है।

मान्यवर, मैं अननुमोदन के समर्थन में विचार रख रहा हूं। मान्यवर, यह वैल्यू एडेड टैक्स पिछले कई वर्षों से यह वैट का हौवा पूरे समाज के सामने खड़ा है और पिछली सरकार के सामने भी यह एक बहुत बड़ा प्रश्न था और वर्तमान सरकार ने इसको एक जनवरी से लागू कर दिया। होना तो यह चाहिए था कि जिस प्रकार से हम नया बजट लाते नये बजट के साथ में इसको लाना चाहिए था लेकिन बजट में सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिये बजट कर विहीन है किसी प्रकार का नया कर नहीं लगाया गया और यह वैट लागू कर दिया। मान्यवर, सबसे बड़ी आपत्ति जो व्यापारियों को इस सम्बन्ध में थी वह 2 बिन्दुओं पर थी। एक बिन्दु तो यह है कि जो ट्रांजेक्शन की लिमिट रखी गयी कि केवल 5 लाख रुपया तक जो व्यापारी टर्नओवर करते हैं उन लोगों को इस दायरे के बाहर रखा गया और वही लोग जो 5 लाख से ऊपर टर्नओवर करते हैं वह लोग इसमें पंजीकरण करायेंगे और इन लोगों के ऊपर यह लायबिलिटी आयद होगी। मान्यवर, हम आपके माध्यम से इस बात पर विशेष रूप से बल देना चाहते हैं कि जितनी भी इसकी टेक्नीकल्टीज हैं, जितनी फारमेल्टीज हैं, उसके लिये एक सहायक की आवश्यकता जरूर होगी। नई व्यवस्था में बिना सहायक के, बिना एक एक्सपर्ट के, बिना सारी कुछ जानकारी के यह किसी भी एकाउन्टेंट या साधारण एकाउन्टेंट के बस की बात नहीं है कि जो उसका पूरी तरह से केलकुलेशन कर सके और सबसे बड़ा व्यापारियों का विरोध सड़कों पर इसीलिये था कि उनके ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ रखा जा रहा है, वैट के नाम पर। मान्यवर, आप कल्पना करिये जो लोग 5 लाख रुपये की सीमा तक टर्नओवर करते हैं उन लोगों का अगर 10 प्रतिशत का प्राफिट सालाना मान लिया जाय तो ज्यादा से ज्यादा 50 हजार रुपया साल में उनकी प्राफिट होगी और आजकल के इस मंहगाई के जमाने में, जो व्यक्ति खुद 50 हजार रुपया साल पैदा करेगा वह कहां से सहायक रखेगा, कहां से एकाउन्टेंट रखेगा, कहां से कम्प्यूटर जानने वाला कोई एक्सपर्ट रखेगा ? मान्यवर, इसलिये हमारी आपके माध्यम से सरकार से पहली मांग यह है कि यह 5 लाख़ टर्नओवर की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सीमा बढ़ाकर कम से कम 20 लाख रुपये कर दी जाय और अगर किसी वजह से 20 लाख रुपये न कर सकें तो कम से कम 10 लाख रुपये की सीमा जरूर होनी चाहिये। अगर 10 लाख रुपये टर्नओवर नहीं होता है तो वह व्यक्ति, वह व्यापारी जो कारोबार करता है, जो टर्नओवर करता है, वह किसी भी हालत में सहायक नियुक्त नहीं कर सकता और इसका नतीजा क्या होगा कि वह अपना हिसाब किताब अपने आप नहीं रख सकेगा। आज हम जानते हैं कि 1991 की जनगणना के हिसाब से 41.06 प्रतिशत साक्षरता और 2001 में यह साक्षरता बढ़कर 57 प्रतिशत हो गयी है, आज भी उत्तर प्रदेश में 100 में से 42 लोग ऐसे हैं जो हस्ताक्षर तक करना नहीं जानते। मान्यवर, जो व्यापारी जो जनरल मर्चेन्ट की दुकान रखने वाला, जो आढ़त की दुकान रखने वाला केवल दस्तखत करना जानता है, केवल हस्ताक्षर करना जानता है, उसको यह विभाग की फारमेल्टीज और केलकुलेशन, जो वह अपने आप नहीं कर सकता, वह बिना सहायक के वैट का केलकुलेशन कि कहां से माल लायेंगे और उसके बाद उसको घटायेंगे और घटाने के बाद जो कुछ बचेगा, उसके बाद उस पर टैक्स देंगे।

श्री लालजी वर्मा-

हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली से पूछ लीजिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हमारे यहां छोटे और खुदरा व्यापारियों की संख्या ज्यादा है यह हमेशा यही बात कहते रहे। हम उत्तर प्रदेश के हैं इसलिये हम उत्तर प्रदेश के व्यापारियों के हित की बात करते हैं। तो सबसे बड़ी आपत्ति इस बात पर है कि जो टर्नओवर, जिसके ऊपर टैक्स लागू किया जा रहा है इसकी सीमा अगर बढ़ा दी जाय तो जो छोटे व्यापारी हैं, जो कम टर्नओवर करने वाले हैं, कम पूंजी पर कम काम करने वाले हैं वह लोग चूंकि सहायक नहीं रख पायेंगे इसलिये उसका केलकुलेशन नहीं हो पायेगा और जब केलकुलेशन नहीं हो पायेगा तो वह पूरा का पूरा जो कुछ कमायेंगे, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, वह इस सहायक को दे देंगे, एकाउन्टेंट को दे देंगे इसका नतीजा यह होगा कि उनके पास रोटी खाने के लिये, जीविका चलाने के लिये कोई साधन नहीं रहेगा इसलिये मेरा सबसे पहला और सबसे ज्यादा इस बात पर बल है कि वैट को केवल 10 लाख या उससे ऊपर के टर्नओवर वाले व्यापारियों पर ही लागू किया जाय और उससे छोटे व्यापारियों को इससे मुक्त किया जाय। मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं आगे महाना जी इस पर अपने विचार रखेंगे।

*श्री सतीश महाना-

मान्यवर, यह जो वैट के माध्यम से इस लोक कल्याणकारी सरकार के द्वारा इतना टैक्स आम आदमी के ऊपर लादा जा रहा है जिससे गरीब आदमी का जीना दूभर हो गया है। श्रीमन्, जब हम आज रोटी कपड़ा और मकान की बात करते हैं तो कोई भी चीज, जो गरीब आदमी के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस्तेमाल के अन्तर्गत आती है कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसके ऊपर टैक्स न लाद दिया गया हो जिससे आम आदमी को परेशानी न हो। मान्यवर, इस सरकार के द्वारा जिस समय टैक्स लागू किया गया, संस्थागत वित्त मंत्री एवं वाणिज्य मंत्री बड़े विद्वान हैं। जिस समय वैट पर बातचीत चल रही थी तब उन्होंने कहा कि अन्य प्रदेशों में भी वैट लगाया गया है। मान्यवर, अन्य प्रदेशों के अन्तर्गत किस प्रकार से लगाया गया, वहां कौन-कौन सी वस्तुओं पर लगाया गया, किन-किन वस्तुओं पर कितने-कितने प्रतिशत लगाया गया, इसके बारे में भी अध्ययन कर लेते। इसके अध्ययन करने की मान्यवर, आवश्यकता नहीं समझी। दो प्रतिशत, चार प्रतिशत जिनके ऊपर टैक्स था उनको बढ़ा करके बारह प्रतिशत टैक्स कर दिया गया। मान्यवर, आम गरीब आदमी जो अपना रोजगार अपनी मेहनत से कमाता है उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया। मान्यवर, मैं कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। मान्यवर, आपने कपड़े को टैक्स से मुक्त कर दिया, कपड़े को आपने जिस समय टैक्स से मुक्त किया और उसी कपड़े को जब एक गरीब आदमी सिल करके उसे रजाई का स्वरूप देता है और उस कपड़े के ऊपर एक जुलाहे ने अपनी मेहनत के साथ एक सुई लगा दी तो उसके ऊपर 12 प्रतिशत का वैट लगा दिया गया। मान्यवर, यह कहां का न्याय है कि जिस आदमी को 12 रुपये मजदूरी नहीं मिली, उसके ऊपर टैक्स लगा दिया गया। मान्यवर, टैक्स हर उस आदमी के ऊपर लगा दिया गया जो मेहनत करता है, मजदूरी करता है। बोरी के ऊपर इन्होंने टैक्स लगा दिया, मा0 संस्थागत वित्त मंत्री जी, जरा बताइये उस बोरी का जिसने उत्पादन किया और उसने एक व्यक्ति को बोरी बेच दिया, मान्यवर, एक बोरी एक बार इस्तेमाल नहीं होती बल्कि एक बोरी 10-20-25 बार इस्तेमाल होती है और हर बार उसके ऊपर वैल्यू एडेड टैक्स लगेगा और आप उस बोरी पर टैक्स लगायेंगे कि उस बोरी में भरे माल पर टैक्स लगायेंगे। यह बात स्पष्ट नहीं है। मान्यवर, जिस समय आपने टैक्स लगाया तो आपकी जानकारी में होना चाहिए कि अन्य प्रदेशों में जिस समय टैक्स लगा तो देश के अन्दर कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है जहां महीनों तक अपनी दुकानें बन्द करके व्यापारी सड़कों पर न आ गये हों। मान्यवर, वह व्यापारी जो अपनी मेहनत से, अपनी कमाई से, अपने पसीने से जिस समय मेहनत करता है तो अपने घर में अपने बच्चों की बीमारी की अनदेखी करके दुकान खोलता है। अगर उसे शादी में जाना होता है तो वह कहता है कि शाम के आठ बजे के बाद शादी अटेंड कर लूंगा। मान्यवर, वह व्यापारी अगर 15-15 दिन तक अपनी दुकान बन्द करके सड़क के ऊपर बैठा था तो मान्यवर, उसकी पीड़ा समझने के लिये कोई नहीं था उसकी बात को समझने के लिये कोई नहीं था। यह सरकार जो अपने आपको गरीब आदमियों की सरकार कहती है, उस जुलाहे के ऊपर टैक्स लगा देती है, उस बोरी बेचने वाले के ऊपर टैक्स लगा देती है और जब गरीब आदमी बीमार हो जाता है तो दवाओं के ऊपर टैक्स लगा देती है। मान्यवर, दवा की दुकानें छोटी से लेकर बड़ी तक 15-15 दिनों तक बन्द रहीं तथा मरीजों को दवायें नहीं मिलीं। उसकी दवाई के बारे में आपने चिन्ता नहीं की। इससे बड़े आदमियों को लाभ होगा जो बड़ी-बड़ी इण्डस्ट्रीज चलाते होंगे लेकिन छोटे आदमी के बारे मे जैसा कि खन्ना साहब ने कहा मैं उनकी बातों से अपने को सम्बद्ध करता हूं, उन्होंने कहा कि गरीब आदमी को एक एकाउन्टेंट

रखना पड़ेगा। जो छोटी सी दुकान चला रहा है, जो बोरी बना रहा है, जो रजाई बना रहा है, उसको एकाउन्टेंट रखना पड़ेगा तथा जितना वह अपने लिये नहीं कमाता है उससे ज्यादा पैसा उसे एकाउन्टेंट के लिये रखना होगा। मान्यवर, पांच लाख रुपये की आपने छूट दे दी, आप जानते हैं कि सड़क के ऊपर चाट बेचने वाला भी आज कितने रुपये की चाट बेच लेता है। इस बढ़ती हुई महंगाई के अन्तर्गत पांच लाख रुपये की क्या वैल्यू। तो मान्यवर, वास्तविकता को समझने की जरूरत है, उस गरीब आदमी की पीड़ा को समझने की जरूरत है। आपको इसको समझना पड़ेगा, कोई ऐसी चीज आपने छोड़ी है, जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता हो, जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता था उसके ऊपर भी आपने टैक्स लगा दिया। मान्यवर, आप इस पीड़ा को समझने की आवश्यकता समझिये। वह व्यापारी जो आपकी सरकार चला रहा है, वह व्यापारी जो अपने अर्जित किये हुए लाभ में से सबसे पहला हिस्सा आपको देता है, उस व्यापारी का उत्पीड़न करने का आप काम कर रहे हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस कानून का विरोध करता हूं, इस प्रकार वैट के माध्यम से प्रदेश के अन्तर्गत जो व्याप्त भय है, जो अधिकारियों का दबाव है, मैं इसका विरोध करता हूं। मान्यवर, अखबार के माध्यम से मैंने पढ़ा कि कई व्यापारी तो इसके भय के कारण अवसादग्रस्त हो गये। बोलने की स्थिति के अन्तर्गत वह नहीं हैं, ऐसी स्थितियों के अन्तर्गत हम इस टैक्स का विरोध करते हैं। इसी मुद्दे पर हमारे भाई सलिल विश्नोई व अन्य सदस्यगण भी बोलेंगे। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री सलिल विश्नोई-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस बहुजन समाज पार्टी की सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि इस सरकार ने बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के अन्तर्गत एक ऐसे वर्ग को भी ढूंढ निकाला है जो आजादी के 60 सालों तक भी उस वर्ग के ऊपर कोई सरकार टैक्स नहीं लगा पायी लेकिन इस सरकार ने भिखारी के ऊपर भी टैक्स लगा दिया। सड़क के किनारे जो खाने के ढाबे होते हैं, उस ढाबे में बिकने वाली दाल और रोटी पर 12.5 प्रतिशत टैक्स इस बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने लगा दिया। दिन भर भीख मांगने वाला भिखारी जब शाम को उस भीख के पैसे से ढाबे पर दाल और रोटी खरीदेगा तो उस रोटी पर भी 12.5 प्रतिशत का टैक्स लगेगा। मान्यवर, आपके माध्यम से इस सरकार को बधाई देना चाहता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि गरीब आदमी की दाल और रोटी पर कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। हम विधान सभा में महात्मा गांधी की इतनी बड़ी फोटो लगाकर, उनको साक्षी मानकर जनहित के निर्णय लेते हैं लेकिन उनकी भावना का सम्मान नहीं करते हैं। यह बड़े खेद की बात है कि सरकार ने इस वैट की आड़ में भिखारियों से भी टैक्स ले लिया। सरकार कहती है कि फाइव स्टार होटल में बनने वाले खाने पर हम 12.5 प्रतिशत का टैक्स लेना चाहते हैं। मान्यवर, फाइव स्टार होटल पर 12.5 प्रतिशत टैक्स लीजिए कोई ऐतराज नहीं है लेकिन जो खाने के ढाबे सड़क के किनारे चल रहे हैं, जो टट्टर लगाकर किसी तरह से कुछ लोगों का पेट पाल रहे हैं जिनके

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पास घर नहीं है, खाना बनाने का साधन नहीं है, उनके पेट के लिये जो लोग काम करते हैं अगर उनके ऊपर भी 12.5 प्रतिशत टैक्स लगाया जायेगा तो मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा इस सदन के लिये कोई शर्मनाक बात नहीं होगी। मान्यवर, ठठेरा प्रजाति हाथ से बर्तन बनाता है, जो आज तक हाथ से निर्मित सारी वस्तुएं कर मुक्त थीं लेकिन यह पहली सरकार आयी है जिसने ठठेरे द्वारा बनाये जाने वाले बर्तन पर भी 12.5 प्रतिशत का टैक्स लगा दिया। यह 2008 साल की शुरुआत व्यापारियों के लिये मनहूसियत ले करके आयी। 01 जनवरी, 2008 से आपने वैट लागू कर दिया। जैसे ही नई साल शुरू हुई प्रदेश के सारे व्यापारियों ने अपनी दुकानें छोड़ दीं, दुकानें बन्द कर दीं, धरना-प्रदर्शन में लग गये लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। बुन्देलखण्ड की मंडियों में 25-25 दिन तक हड़ताल चली, जब मुख्य मंत्री जी का झांसी का दौरा लगा तो उसके पहले प्रदेश सरकार के दो वरिष्ठ मंत्री गये और झांसी के व्यापारियों से कहा कि आपकी मांग जायज है हम इस पर विचार करेंगे, आप हड़ताल खत्म कर दीजिए। व्यापारियों ने मंत्रियों के झूठे आश्वासन पर हड़ताल खत्म कर दी। मुख्य मंत्री का झांसी का दौरा हो गया लेकिन व्यापारियों की बात नहीं सुनी गयी। मान्यवर, वैट लगाने के लिये केन्द्र सरकार की जो समिति बनायी गयी थी पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री श्री असीम दास मंत्री के नेतृत्व में, उसकी मंशा यह थी कि वैट के माध्यम से सारे प्रदेशों में एक समान कर प्रणाली लागू की जाए जिससे जो असमानता है वह समाप्त कर दी जाए। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में गल्ला, तिलहन, दलहन पर 4 प्रतिशत का टैक्स लगा दिया गया जबकि पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और यहां तक असीम दास गुप्ता जी के राज्य बंगाल में जीरो प्रतिशत टैक्स है और उत्तर प्रदेश में 4 प्रतिशत का टैक्स है और 2.5 प्रतिशत का मण्डी शुल्क अलग से है। बिहार में दलहन के ऊपर 1 प्रतिशत का टैक्स है लेकिन कोई मण्डी शुल्क नहीं लगता है, उत्तर प्रदेश में 4 प्रतिशत का टैक्स भी लगेगा और 2.5 प्रतिशत का मण्डी शुल्क भी लगेगा। मान्यवर, यह जो 4 प्रतिशत और 2.5 प्रतिशत टैक्स लगेगा वह व्यापारी कोई अपनी जेब से नहीं देगा। व्यापारी तो उसकी लागत जो किसान से माल खरीदेगा, उसी में जोड़कर देखेगा और यह किसान को दाम कम मिलेगा किसान को उसकी लागत मूल्य का पैसा कम मिलेगा। सरकार इस व्यवहारिकता पर भी नजर डाले और जिस तरह से ये पैनल क्लाजेज बनाये गये हैं, दण्ड देने की व्यवस्था की गयी है उस पर सरकार गम्भीरता से विचार करे और इसको खत्म करे।

*श्री राम बिशुन आजाद-

माननीय अध्यक्ष जी, आज सदन में जो यह वैट का विधेयक लाया गया है मैं उसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब यह सरकार बनी थी जो अपने को कल्याणकारी सरकार कहती है, जनता के हितों वाली सरकार है, दलितों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है, गरीबों की सरकार है। अगर यह सरकार दलितों, पिछड़ों के हित में होती तो वैट कभी न लगाती। व्यापारियों की हितैषी यह सरकार होती तो वैट

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कभी न लगाती। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस पर बहुत से दबाव आये लेकिन हमारी सरकार ने माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार ने वैट को नहीं लगाया इसलिये प्रदेश के दलितों, पिछड़ों का अगर किसी को ध्यान है तो वह मुलायम सिंह यादव की पार्टी समाजवादी को है। इसीलिये जब से यह बी0एस0पी0 की सरकार आई है.....

श्री राम सागर अकेला-

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है।

श्री अध्यक्ष-

बताइए क्या व्यवस्था का सवाल है ?

श्री राम सागर अकेला-

मान्यवर, मैं भी आरक्षण से आता हूं और हमारे भाई राम विशुन आजाद भी आरक्षण से आते हैं मैं उनको समय का आरक्षण दिलाने की व्यवस्था चाहता हूं। उनके लिये सदन सबसे स्वतंत्र स्थल है इसके बाद उनकी जबान बन्द हो जाती है। जब कभी बोलते हैं तो ध्वनि प्रदूषण हो जाता है। वह सारी ऊर्जा संकलित करते रहते हैं और सदन में निकालने का काम करते हैं इसलिए इनको ज्यादा समय दे दें।

श्री अध्यक्ष-

इसमें कोई व्यवस्था की बात नहीं है।

श्री राम बिशुन आजाद-

जब से यह सरकार उत्तर प्रदेश में आई है तभी से प्रदूषण बहुत अधिक बढ़ा है। चाहे बुन्देलखण्ड का प्रदूषण हो, चाहे घोटाले का प्रदूषण हो सब जगह प्रदूषण आ गया है। यह जो वैट लाया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार को अभी इतनी जल्दी क्या थी कि वैट को बिना सोचे समझे जल्दबाजी में लागू कर दिया। जो सरकार दलितों, पिछड़ों के हितों की बात करती है लेकिन यह जो वैट लाया गया है यह व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं के साथ धोखा है, किसानों के साथ धोखा है इससे दलितों, पिछड़ों का कल्याण नहीं हो सकता है। इसमें जो छोटे व्यापारी हैं ग्रामीण अंचलों में जिनकी छोटी सी दुकानें हैं, चाय की दुकानें हैं मुंगफली की दुकानें हैं, फल की दुकानें हैं इनके छोटे दुकानदार सबसे ज्यादा वैट से प्रभावित हैं यह इसलिये प्रभावित हैं क्योंकि वह ज्यादा पढ़े लिखे तो हैं नहीं ज्यादातर तो अंगूठा छाप हैं वहां कैसे कम्प्यूटर चला पायेंगे वह कहां से कम्प्यूटर चलाने वाले लायेंगे वह एकाउंटेंट नहीं रख सकते हैं। जब से वैट लागू हुआ है महंगाई बहुत बढ़ गयी है जो आटा पहले 11 रुपये में बिकता था आज 14 रुपये में बिक रहा है, अरहर की दाल पहले 40 रुपये में बिकती थी आज 49 रुपये में बिक रही है जो सब्जी पहले 15 रुपये में बिक रही थी आज वह 18 रुपये में बिक रही है इस तरह से वैट लागू होने से पूरे प्रदेश में महंगाई बढ़ी है इसमें कोई दो राय नहीं है यह सरकार महंगाई को कम करने का कोई प्रयास नहीं कर रही है। वैट लगने से इंस्पेक्टर राज का बढ़ावा मिलेगा।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें आपकी बात आ गई।

श्री राम बिशुन आजाद-

मान्यवर, मैं चाहूंगा कि एक कमेटी बना दी जाय जो वैट का परीक्षण करे उसमें छोटे व्यापारियों, उपभोक्ताओं एवं बड़े व्यापारियों को भी रखा जाए उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही सरकार कोई कार्यवाही करे।

*श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिस बुन्देलखण्ड क्षेत्र से आता हूं वहां काफी आर्थिक विषमताएं हैं। बुन्देलखण्ड मध्य प्रदेश से लगा हुआ क्षेत्र है बुन्देलखण्ड में दलहन व तिलहन पर 4 फीसदी का टैक्स है जबकि समीपवर्ती मध्य प्रदेश के अन्दर कोई कर नहीं है। एक तो बुन्देलखण्ड में सूखा और अकाल की स्थिति है वहीं हमारे यहां मण्डी के व्यापारियों ने महीनों से वहां हड़ताल की। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि वैट कानून का यह उद्देश्य था कि समान कर लगे एक तरफ पांच कि0मी0 दूर मध्य प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है वहां पर कोई कर नहीं है जिससे सारे के सारे मजदूर और व्यापारी उत्तर प्रदेश से पलायन कर रहे हैं मैं चाहता हूं कि वैट के सम्बन्ध में जो विचारधारा थी कि पूरे राष्ट्र में एक समान कर लगे और खासतौर से ऐसी जगह बुन्देलखण्ड ऐसी जगह है जिसके 5-6 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश लगा है। मध्य प्रदेश में न तो दलहन पर कोई कर है और न ही तिलहन पर कोई कर है। तो मैं चाहूंगा कि वैट लगे लेकिन वैट एक संशोधित होकर लगे। कम से कम आज दूध से बनाये जाने वाले आइटम पर वैट न लगे। खोये पर आपका वैट लग गया, पनीर पर आपका वैट लग गया।

श्री अध्यक्ष-

प्रदीप जी अब समाप्त करें। राजेन्द्र जी, कहिये, क्या कहना है।

श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'-

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि बुन्देलखण्ड में कम से कम दलहन और तिलहन पर तो वैट न लगायें। वैट लगे लेकिन संशोधित होकर लगे। शून्य इसकी दर रहे।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं कि आपने खास तौर से.....

(एक सदस्य द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाये जाने पर)

श्री अध्यक्ष-

राजेन्द्र सिंह जी आपके पीछे खड़े हैं। आपका क्या व्यवस्था का प्रश्न है ? आप बैठ जायं अभी एक मिनट।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं वैट के बारे में उन विसंगतियों की ओर खास तौर से ध्यान दिलाना चाहता हूं जो कि दूसरे प्रदेशों में हमारे देश के अन्दर पाई जा रही हैं। वैट लगने से 1967 में ब्राजील में 15 प्रतिशत, अर्जेन्टाइना में 57 प्रतिशत और चिली में 150 परसेन्ट तक महंगाई बढ़ गई थी। दूसरे 121 देशों में कोई दूसरा कर नहीं है लेकिन हमारे यहां वैट के साथ में दूसरे करों का भी प्राविधान किया गया है। दूसरे सेन्ट्रल सेल्स टैक्स को यहां पर टच नहीं किया गया है। इन्टरस्टेट परचेज कॉस्ट को कम नहीं किया गया है। आगरा, कानपुर, सहारनपुर, लखनऊ, फैजाबाद के जूता कुटीर उद्योग में 3 लाख परिवार लगे हैं, यह जूता उद्योग से जुड़े हुए हैं। मोल्डेड पर 4 प्रतिशत तथा 300 रुपये से कम के जूतों पर 4 प्रतिशत कर लगाया गया है जबकि और जो कुटीर उद्योगों में बनने वाला जूता है उस पर साढ़े बारह परसेन्ट कर लगा दिया गया है। आगरा में 13-11-07 से लगा करके 28-11-07 तक हड़ताल रही लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। हम चाहते हैं कि मोल्डेड फुट वियर की जगह पर प्लास्टिक फुट वियर लिख दिया जाय। हैंडीक्राफ्ट मार्बल पर साढ़े बारह प्रतिशत से 4 प्रतिशत कर कर दिया जाय। कपड़े पर जीरो प्रतिशत कर रखा जाय। डीजल इंजन पर 4 प्रतिशत से जीरो प्रतिशत कर दिया जाय जैसे हरियाणा में है। जो सामान खो जायेगा, नष्ट हो जायेगा या अपने निजी उपयोग में ले लिया जायेगा। उसको स्टोर कर लिया जायेगा उसके बारे में कोई प्राविधान नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष-

डा0 साहब हो गया। दो-दो मिनट में अपने सुझाव और आपत्तियां कह दीजिये। ज्यादा किस के लिये, सब इसमें आ गया है। यह हमारे सदस्य कई बार कहने के लिये उठ रहे हैं। क्या कहना है, जल्दी कहें।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, थोड़ा टाइम और दिया जाय।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मंत्री जी से उत्तर भाषण दिलवा दिया जाय।

श्री विशम्भर सिंह यादव द्वारा अपने आवास ओ0सी0आर0 में बगल वाले फ्लैटों से हो रही असुविधा के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष का ध्यानाकृष्ट

श्री विशम्भर सिंह यादव-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। राज्य सम्पत्ति विभाग से मुझे 1001 नं0 का फ्लैट आवंटित किया गया है। जब से मैं उसमें गया हूं तब से रोज वहां ऐसे-ऐसे कार्यक्रम मेरे फ्लैट के ऊपर के फ्लैट सं0-1101 में होते है।। वहां रोज मुजरा होता है, नाच गाना होता है जिसको सुनकर मैं पागल जैसी स्थिति में पहुंच गया हूं (हंसी) माननीय अध्यक्ष जी, हंसने की बात नहीं है।

अध्यक्ष जी किसी दिन अगर मेरे जैसे नौजवान का भी मन खराब हो गया। साधू संतों जैसों के भी मन को खराब करने के लिये इन्द्रासन से उर्वशियां भेजी जाती थीं।

श्री अध्यक्ष-

आप संयम बरतिये।

श्री विशम्भर सिंह यादव-

मान्यवर, अगर मेरा भी मन खराब हो गया और यदि मैं किसी दिन मुजरा सुनने के लिये पहुंच गया तो फिर अध्यक्ष जी आपके पास यदि शिकायत आये तो मुझे क्षमा करियेगा मुझे दोषी न मानियेगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य जी, सदन उठता है तो आप मेरे दफ्तर में आ जाइयेगा।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर विधेयक, 2008 (क्रमागत)

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने वाणिज्य कर के इस प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मेरा यह मानना है कि उत्तर प्रदेश की इस लोकप्रिय सरकार ने जितने अच्छे काम किये हैं उनमें सबसे अच्छा अगर कोई काम किया है तो वैट को लागू करके किया है। काम किया है तो वह वैट को लागू करने का काम किया है यह मेरा मानना है। मैं अक्सर सदन में बैठकर देखने का काम करता हूं कि अगर हम लोग विपक्ष में बैठने का काम करते हैं तो सरकार अगर कोई अच्छा काम करती है तो हम लोग राजनीतिक रूप में उसको गलत बताने का काम करते हैं। लेकिन वैट के बारे में जो मेरी जानकारी में है दुनिया के जितने भी देशों में, हिन्दुस्तान की बात मैं नहीं कर रहा हूं। दुनिया के जितने देशों में वैट लागू किया गया सबसे अच्छे परिणाम आये। वैट को लागू करना सबसे अच्छा कदम है इस सरकार का। मैं एक निवदेन आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छा कदम उठाया बहुत पहले उत्तर प्रदेश में वैट लग जाना चाहिए था कई साल पहले। जितने प्रदेशों में वैट लगाने का काम हुआ वे सारे प्रदेशों को आगे बढ़ाने का काम हुआ, उनको उन्नति पे ले जाने का काम हुआ।

श्री अध्यक्ष-

सोलंकी साहब अब बहुत हो गया, अब क्या बोलेंगे इस पर। जितने सुझाव या आपत्तियां थीं सब इसमें आ गई हैं। सारे सुझाव आ गये हैं।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

जन उपयोगी एवं किसानों से सम्बन्धित वस्तुओं पर कम से कम वैट लगाने का काम करें वैट अच्छी व्यवस्था है इसको लागू करके सरकार ने अच्छा काम किया है।

डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, एक मिनट का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठें।

श्री अशोक कुमार कंसल-

मान्यवर, आपने वैट जैसी कर प्रणाली के विरोध में बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, जिस समय प्रदेश के अन्दर बिक्री कर था तो बहुसूत्रीय कर प्रणाली थी और आम सर्वे छापे पूरे प्रदेश के अन्दर थे। तो व्यापारियों ने उसका विरोध किया और विरोध करने के बाद यह स्थिति पैदा हुई कि सर्वे छापे पूरे प्रदेश के अन्दर बन्द हैं और जो बहुसूत्रीय कर प्रणाली थी उसको एक सूत्रीय किया गया। अगर वैट प्रणाली यहां प्रदेश के अन्दर लगने से इसको बहुसूत्रीय कर प्रणाली कर दिया जायेगा और सर्वे छापे इसमें पूर्ण रूप से पुनः खोल दिये जायेंगे इससे व्यापारियों को बड़ी कइिनाइयां पैदा होंगी। एक तरफ तो सरकार कहती है कि वैट प्रणाली लगने से महंगाई कम होगी लेकिन मेरा मानना है कि बार-बार जब एक वस्तु पर टैक्स लगेगा तो इससे महंगाई बढ़ेगी और आम जनता को भी इससे कठिनाई होगी। इस समय 31 फार्म मिलने में वैट लगने से इतनी बड़ी कठिनाई आ रही है कि पांच रुपये का फार्म पांच सौ रुपये तक उसमें कर्मचारी और अधिकारी मांगता है। सर्वे छापे का प्राविधान इसमें समाप्त होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

सुझाव ठीक है। बैठें।

श्री अशोक कुमार कंसल-

प्रतिष्ठानों तक जो सीमित था लेकिन वैट प्रणाली से घरों में सर्वे छापे खोल दिये जायेंगे तो बड़ी कठिनाई हो जायेगी।

*डा0 धर्मपाल-

मान्यवर, मैं मंत्री जी का ध्यान जैसे अद्वितीय कला के अद्वितीय आदर्श ताजमहल के लिये जाना जाता है वैसे ही यह जूते के उद्योग के लिये भी जाना जाता है। आगरा के पास में ही मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा की सीमा लगती है। उन राज्यों में 300 रुपये का आर0पी0एम0 जूता टैक्स फ्री है। इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो चार लाख लोग अनुसूचित जाति के लोग जो हाथों से जूता बनाते हैं उनका रोज़गार बंद हो जायेगा क्योंकि पास के राज्यों में आर0पी0एम0 का 300 रुपये का जूता टैक्स फ्री है। आगरा का जो जूता बनेगा आठ परसेंट टैक्स के बाद उसकी कास्ट बहुत बढ़ जायेगी उसको कोई नहीं खरीदेगा। साथ ही वैट में जो प्रापर उद्योग थे जैसे अलीगढ़ का ताला, लखनऊ का चिकन इनको टैक्स फ्री रखा गया है। वैसे ही आगरा की गजक मशहूर है पुश्तैनी काम है वहां का, मेरा माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध है कि आगरा की गजक को भी टैक्स फ्री रखा जाए। फर्नीचर पर टैक्स लगा दिया है। आगरा के पड़ोसी राजस्थान में लकड़ी टैक्स फ्री है। मेरा आपके द्वारा अनुरोध है कि आगरा में लकड़ी से टैक्स हटाया जाए।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठें।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, वैट कानून जो अन्य प्रान्तों में लगे हैं, इसकी जो मूल भावना थी, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी वैट लगाया जाए। जैसे अन्य प्रान्तों में विभिन्न वस्तुओं पर टैक्स लगे हैं उसी प्रकार या दर पर, यहां पर भी टैक्स लगेगा तो इसका जनता को लाभ होगा वरना व्यापारी और उपभोक्ता परेशान होगा। व्यापारियों के लिये ही यह परेशानी नहीं है आम उपभोक्ता भी इससे परेशान हैं। दवाइयों के दाम दस से 50 प्रतिशत बढ़े हैं। आज अखबार में पढ़ रहे थे। उसमें माननीय मुख्य मंत्री जी खुद चिन्ता प्रकट कर रही हैं कि गेहूं आटा दाल की कास्ट ज्यादा हो गई है। इसमें प्रयास कर रही हैं कि कैसे कम हो। तो वैट से केवल व्यापारी ही नहीं उपभोक्ता भी परेशान हो रहा है। इसमें जो सबसे बड़ी बात है। आज रोजगार के अवसर बहुत कम हो रहे हैं, सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही हैं, आज पढ़े-लिखे लोग छोटी-मोटी दुकानें कर लेते हैं, वे चाय की दुकान कर रहे हैं, स्टेशनरी की दुकान खोल रहे हैं और इन दुकानों के लिये भी इसमें 5 लाख की जो लिमिटेशन बनायी है, जैसा कि महाना जी ने और सुरेश खन्ना जी ने कहा है कि इसको 10 लाख किया जाए। मान्यवर, इसकी लिमिटेशन बढ़ायी ही बढ़ायी जाए। अगर आपको रोजगार पैदा करना है, लोगों को रोजगार के लिये प्रेरित करना है और इसमें जो एकाउन्टेंसी की व्यवस्था है कि हर कोई एकाउन्टेंट रखे, जहां पर 10 या 60 रुपया रोज की आमदनी नहीं होती है, वहां कौन कैसे एकाउन्टेंट रखेगा। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं, कहीं वैट कानून इन्सपेक्टर राज में न बदल जाय। जैसे पुलिस वीक चलता है, ट्रैफिक वीक चलता है, आपका एक्साइज वीक चलता है। इसमें प्राविधान किया गया है कि किसी भी दुकानदार की कभी भी जाकर चेकिंग कर सकते हैं और यदि कहीं उसने मना कर दिया तो उस पर प्रथम 5 हजार रुपये तत्काल फाइन लगेगा। फिर दूसरी बार 10 हजार रुपये फाइन लगेगा, फिर तीसरी बार 20 हजार रुपये फाइन लगेगा। मान्यवर, आप जानते हैं, किस प्रकार जांच होती है, सभी अधिकारी ऐसे नहीं हैं मैं नहीं कहता कि सभी अधिकारी खराब हैं लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो खानापूर्ति करते हैं। मान्यवर, इसमें जो कभी भी जांच करने और जुर्माना वाली बात है, इसको हटाया जाय और अन्य राज्यों की भांति वैट का प्राविधान हो। धन्यवाद।

(डा0 अजय तोमर के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

केवल 1 मिनट में अपनी बात कह दें।

*डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, आपने मुझे वैट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये धन्यवाद करता हूं। मैं केवल एक ऐसे मुद्दे की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में गरीबी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अधिकतर दलित, अधिकतर पिछड़े और अधिकतर अल्पसंख्यक, भट्ठा उद्योग से जुड़े हुए हैं। आज उत्तर प्रदेश का सारा का सारा भट्ठा उद्योग वैट लगने की वजह से हड़ताल किये हुए हैं, उसने अपनी ईंट बेचनी बन्द कर दी है। 1 मार्च से वह पूरे एक साल के लिए अपना भट्ठा उद्योग बन्द करने जा रहे हैं। मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहते हुए, मंत्री जी से यह निवदेन करूंगा कि भट्ठा उद्योग जो लाखों-लाखों लोगों के रोजगार से जुड़ा हुआ है, गरीबों के रोजगार से जुड़ा हुआ है, उन लोगों से बात करके हर हाल में इस हड़ताल को खुलवाने का काम करें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

नगर विकास, पर्यावरण, संस्कृति, शहरी समग्र विकास एवं कर एवं निबन्धन मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मान्यवर, मा0 बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में एक संवेदनशील एवं लोकप्रिय सरकार का गठन हुआ है और गठन के बाद से ही उत्तर प्रदेश को पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व के नक्शे में उच्च स्थान दिलाने के लिये बहुजन समाज पार्टी की सरकार संकल्पित है। जहां वैट कर प्रणाली का प्रश्न है, इसके बारे में मैं सभी सम्मानित सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूँ कि पूरे विश्व में लगभग 160 देशों में वैट प्रणाली लागू की जा चुकी है। मा0 महाना जी, मा0 खन्ना जी और मा0 जैन साहब, आप सभी लोग भली-भांति अवगत है कि पूरे देश में सिर्फ आपका उत्तर प्रदेश ही ऐसा राज्य रह गया था जहां पर वैट प्रणाली नहीं लागू हो पायी थी। इसके अतिरिक्त इस देश के सभी राज्यों में वैट लागू हो चुका है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ लोगों ने, कुछ राजनीतिक दलों ने सस्ती लोकप्रियता के लिये और कुछ व्यक्तिगत कारणों से इस प्रणाली का विरोध किया है लेकिन हम लोगों ने एक जनवरी, 2008 के बाद से ही पूरी तन्मयता के साथ, आप लोगों के सुझावों को लेते हुये, पूरे तन-मन से और समय लगाकर एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचने का काम किया है जिससे समाज के हर वर्ग को यह सोचने के लिये विवश होना पड़ा कि वास्तव में यह सरकार व्यापारियों का हित चाहती है, यह सरकार उपभोक्ताओं का हित चाहती है और सबके हित के साथ-साथ यह सरकार इस सम्पूर्ण प्रदेश का भी हित चाहती है। यदि हम वैट की प्रणाली नहीं लगाते हैं तो इससे हमें क्या नुकसान होता है ? मान्यवर, सबसे पहली बात तो यह कि जो हमारे यहां का उत्पादक है, आज वह मजबूर है कि वह अपने सामानों को सस्ते दामों पर इसी प्रदेश में बेंचे। वह इसको बाहर नहीं ले जा सकते क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाहर मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली हर प्रदेश में वैट लागू है जहां उसे अच्छा दाम मिल रहा है। तो हम क्यों वैट न लगाकर अपने लोगों को पीछे करने का काम करें। मान्यवर, कहा गया कि पंजीयन सीमा 5 लाख किये जाने से छोटे व्यापारियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है तो मैं कहना चाहता हूँ कि पहले यह व्यवस्था 2-3 लाख रुपये तक थी, इसको बढ़ाकर 5 लाख किया गया है। दूसरी बात 50 लाख रुपये तक के वार्षिक विक्रय वाले व्यापारियों के लिये एक प्रतिशत की समाधान योजना लागू की गयी है। तो जितने भी व्यापारी जो 5 लाख से ऊपर है

और 50 लाख तक के है वह इस सुविधा का लाभ ले सकते है। जहां तक वैट के अन्य प्राविधानों का प्रश्न है, बार-बार एक विवाद आता है कि एक सहायक रखना पड़ेगा, बहीखाते बनाने पड़ेंगे, ऐसा कदापि नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ कि सिर्फ आपको दो बहीखाते बनाने है। एक आपका बहीखाता बनना है क्रय बही और दूसरा विक्रय बही जो सामान आप खरीदेंगे अगर आप उसको रसीद लेकर के अपनी दुकान पर रखने का काम कर रहे हैं तो उसको एक रजिस्टर में इंट्री करके रखने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये और जब आपका वह सम्पूर्ण सामान बिक जा रहा है तो उसको भी बहीखाते में चढ़ा लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये। इससे यह होगा कि जब आपका सामान इस स्थान से बिक करके जाएगा और जब वह तीसरे स्थान पर बिकेगा तो जो व्यापार कर वहां पर लगा है तो आपको इनपुट ट्रेड टैक्स के तहत आपके द्वारा दिया गया वह टैक्स आपको रिफण्ड हो जाएगा। हमने यह प्रणाली विकसित करने का भी प्रयास किया है कि हमारे प्रदेश में जो भी व्यापारी भाई अपने व्यापार में लगे हुये है उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ 30 दिन के अन्दर अनिवार्य रूप से मिले। पूरे वाणिज्य कर विभाग को यह सख्त निर्देश दिये गये हैं कि अगर किसी व्यापारी का सामान तीसरे स्थान पर बिकता है या सामान तीसरे स्थान पर जाता है तो आप देखने का प्रयास करें। मेरे पास चार्ट है उसमें दिया हुआ है कि व्यापार कर लगाने से जो 100 रुपये का सामान था 10 रुपये का जिस पर टैक्स लगता था और अगर उसकी प्राइस 150 रुपये होती है तो उस पर 10 प्रतिशत ट्रेड टैक्स के हिसाब से है तो उस पर 15 रुपये कर लगना चाहिये। लेकिन वैट लागू होने से उस पर कर 10 रुपये होगा और कुल मिलाकर उस पर 5 रुपये का लाभ होता है। कुल मिलाकर अगर हम वैट को करीब से देखें और इसकी बारीकी में जायें तो आप देखेंगे कि सम्पूर्ण में इसीलिये इसका स्वागत किया जा रहा है कि इससे व्यापारी समाज को लाभ हो रहा है और इससे उपभोक्ता को लाभ हो रहा है। और मान्यवर, दाल आज की तारीख में अगर आप देखें तो वैट के पहले अरहर की दाल 40 से 44 रुपये थी आज अरहर की दाल 36 से 40 रुपये हो गयी है। उड़द की दाल 34 से 40 रुपये हुआ करती थी आज 28 से 34 रुपये हो गयी है। मैं यह आंकड़ों के आधार पर बता रहा हूँ। मान्यवर, माननीय सदस्यों के कतिपय सामग्रियों के बारे में सुझाव आये है उनको मैंने गम्भीरता से लिया है, उनको नोट कर लिया है। जहां तक कुछ सामग्रियों के बारे में कहा गया है तो मैं बता दूँ कि बर्तन पर पहले 5 प्रतिशत कर था, वैट के बाद 4 प्रतिशत कर दिया गया। एक प्रतिशत की इसमें कमी आयी है। मान्यवर, गल्ले पर पहले 4 प्रतिशत कर था और वैट के बाद भी 4 प्रतिशत कर है। दलहन पर पहले 2 प्रतिशत कर था, वैट के बाद यह 1 प्रतिशत हो गया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी विद्यवान अधिवक्ता है और लॉ पढ़े हुए हैं। मैं एक स्पष्टीकरण आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि क्या जो बात मैंने प्रारम्भ में उठायी थी कि इसकी लिमिटेशन पांच लाख से बढ़ा दें इसको बढ़ायेंगे और जो विषमतायें हैं, जो छोटी वस्तुए हैं, जो सीमावर्ती जनपद है-झांसी या आगरा, मध्य प्रदेश में लगे हुये हैं यहां पर टैक्स कम है वह

सीमावर्ती जनपद के लोग पलायन कर रहे है, तो क्या इस पर विचार करने के लिये तैयार है ? सीमा पांच लाख से बढ़ाकर दस लाख करने और उन वस्तुओं पर जिसमें मध्य प्रदेश में टैक्स नहीं है, वह प्रभावित हो रहे हैं, उसको देखते हुये उपभोक्ता और व्यापारियों का हित देखते हुये, क्या उन चीजों पर टैक्स समाप्त करेंगे, तो यह दो स्पष्टीकरण मैं चाहता हूँ।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, खन्ना जी ने जो प्रश्न किया उसके उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा कि व्यापारी बहुत खुश और इससे व्यापारियों का हित ही हुआ है। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि व्यापारी इतना खुश है कि वह एक महीने से हड़ताल करके सड़क पर बैठा हुआ है। यह हर प्रकार का व्यापारी है, चाहे वह दवा का हो, जुलाहा हो, आढ़ती हो सब सड़क पर बैठा हुआ है। जनता इतनी खुश है कि जिस दिन से वैट लगा है महंगाई में आग लग गयी है और वह चरमसीमा पर पहुंच गयी है, इससे जनता त्रस्त है। तो क्या इसकी सीमा पांच लाख से बढ़ाकर बीस लाख करेंगे इसका स्पष्टीकरण दे दें।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर विधेयक, 2008 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-82 तक, अनुसूची 1, 2, 3, 4 व 5, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर विधेयक, 2008

उत्तर प्रदेश राज्य में माल के विक्रय या क्रय पर कर का उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए मूल्य संवर्धित कराधान प्रणाली प्रारम्भ करने और उससे संबंधित तथा आनुषंगिक मामलों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

अध्याय - एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1- (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 कहा जायगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह 1 जनवरी, 2008 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

परिभाषाएं

2-इस अधिनियम में, जब तक कोई बात किसी सन्दर्भ में या विषय के विरूद्ध न हों ;

(क) **"अपील सुनने वाला प्राधिकारी"** का तात्पर्य उस प्राधिकारी से है जिसे धारा 55 के अधीन अपील की जा सकेगी ;

(ख) **"कर निर्धारक प्राधिकारी"** का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो --

(एक) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त और तैनात किया गया हो; या

(दो) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो और कमिश्नर द्वारा तैनात किया गया हो; या

(तीन) कमिश्नर द्वारा नियुक्त और तैनात किया गया हो और इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारक प्राधिकारी के समस्त या किसी कृत्य को सम्पादित करने के लिए इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली के अधीन कर निर्धारक प्राधिकारी सशक्त किया गया हो ;

(ग) **"कर निर्धारण वर्ष"** का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष के अप्रैल के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होकर बारह मास की अवधि से है ;

(घ) **"बोर्ड"** का तात्पर्य धारा 78 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश राज्य कर बोर्ड से है;

(ङ) **"कारबार"** में माल खरीदने या बेचने के कारबार के सम्बन्ध में, निम्नलिखित सम्मिलित है:-

(एक) कोई व्यापार, वाणिज्य या विनिर्माण अथवा व्यापार, वाणिज्य या विनिर्माण के स्वरूप का कोई प्रोद्यम या समुत्थान चाहे ऐसा व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, प्रोद्यम या समुत्थान लाभ कमाने के उद्देश्य से चलाया जाय या नहीं और ऐसे व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, प्रोद्यम या समुत्थान से कोई लाभ प्रोद्भूत् हो या नहीं ;

(दो) किसी संकर्म संविदा का निष्पादन या किसी प्रयोजन के लिये किसी माल का उपयोग करने के अधिकार का अन्तरण (चाहे किसी निर्दिष्ट अवधि के लिये हो या नही) ;

(तीन) संयंत्र, मशीनरी, कच्चा माल, प्रसंस्करण करने का सामान, पैक करने का सामान, खाली डिब्बे, उपभोज्य स्टोर, उत्सर्जित पदार्थ या उपोत्पाद या इसी प्रकार का कोई अन्य माल या कोई अनुप्रयोज्य या अप्रयुज्यमान या व्यर्थ मशीन या उसके किसी हिस्से या सहायक सामान या कोई उत्सर्जित पदार्थ या छीजन या उनमें से कोई भी चीज खरीदने, बेचने या सम्भरण करने का कोई संव्यवहार या किसी भी प्रकार का कोई अन्य संव्यवहार, जो ऐसे व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, प्रोद्यम या संस्थान, संकर्म संविदा या पट्टे से अनुषंगी हो या उससे सम्बद्ध हो या उससे जुड़ी हो या उसके परिणाम स्वरूप हों,

किन्तु इसके अन्तर्गत केवल सेवा या वृत्ति की प्रकृति का कोई ऐसा कार्य- कलाप नहीं है, जिसमें माल का खरीदना या बेचना अन्तर्विष्ट न हो ;

(च) **"पूँजी माल"** का तात्पर्य व्यवहारी द्वारा विक्रय के लिये किसी माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में प्रयुक्त किसी संयंत्र, मशीन, मशीनरी, उपस्करों, यंत्रों, औजारों, साधनों या विद्युत व्यवस्थापन से है जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है:-

(एक) ऐसे संयंत्र, मशीन, मशीनरी, उपस्कर, साधित्र, उपकरण, साधन या विद्युत व्यवस्थापन के घटक, अतिरिक्त पुर्जे और ऐसे उपसाधन ;

(दो) माउल्ड और डाइज़ ;

(तीन) भण्डारण टंकी ;

(चार) प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर ;

(पाँच) दुर्गलनीय और दुर्गलनीय सामग्रियाँ ;

(छः) ट्यूब और पाइप और उसकी फिटिंग ;

(सात) प्रयोगशाला उपस्कर, उपकरण और उपसाधन ;

(आठ) कारखाना परिसर के भीतर माल उठाने या उसका संचालन करने हेतु मशीनरी, लोडर एवं उपस्कर, या

(नौ) उसके द्वारा विक्रय के लिए माल के विनिर्माण में प्रयुक्त जेनरेटर और ब्वायलर किन्तु इस अधिनियम की धारा 13 के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है :–

(एक) वातानुकूलन इकाइयाँ या वातानुकूलक, प्रशीतक, वायुशीतलक, पंखे और वात संचारक यदि विनिर्माण प्रक्रिया से सम्बन्धित न हों:

(दो) वाणिज्यिक यानों तथा दुपहिया या तिपहिया वाहनों सहित कोई स्वचालित वाहन और पुर्जे, घटक एवं उपसाधन तथा उनकी मरम्मत और अनुरक्षण ;

(तीन) कारबार में क्रय किये गए और लेखा रखे गए किन्तु कर्मचारियों को सुविधा प्रदान करने के प्रयोजनार्थ उपयोग किए गए माल ;

(चार) माल या यात्रियों या दोनों के परिवहन के लिए प्रयुक्त यान ;

(पाँच) किसी संकर्म संविदा के निष्पादन में प्रयुक्त पूँजी माल, और

(छः) विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए प्रयुक्त कैप्टिव विद्युत संयंत्र तथा उनके मरम्मत और अनुरक्षण हेतु उनके पुर्जे, घटक तथा उपसाधन ;

(छ) **"कमिश्नर"** का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा वाणिज्य कर कमिश्नर के रूप में नियुक्त व्यक्ति से है और इसके अन्तर्गत विशेष कमिश्नर वाणिज्य कर, अपर कमिश्नर वाणिज्य कर और संयुक्त कमिश्नर वाणिज्य कर सम्मिलित है ;

(ज) **"व्यवहारी"** का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो उत्तर प्रदेश में (चाहे नियमित रूप से या अन्यथा) नकद या आस्थगित संदाय या कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माल के क्रय विक्रय, सम्भरण या वितरण का कारबार करता है, और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित है :-

(एक) कोई स्थानीय प्राधिकारी, निगमित निकाय, कम्पनी, सहकारी समिति या अन्य समिति, क्लब, फर्म, अविभाजित हिन्दू कुटुम्ब या व्यक्तियों का अन्य संघ (एसोसिएशन), जो ऐसा कारबार करता है ;

(दो) कारिंदा, दलाल, आढ़ती, कमीशन अभिकर्ता, प्रत्यापक अभिकर्ता, या कोई अन्य वाणिज्यिक अभिकर्ता, चाहे वह किसी नाम से पुकारा जाय जो ऊपर वर्णित प्रकार का हो या न हो और जो किसी प्रकट या अप्रकट मालिक के माल का क्रय, विक्रय, सम्भरण या वितरण करने का कारबार करता है ;

(तीन) कोई नीलामकर्ता प्रकट या अप्रकट मालिक के माल का विक्रय या नीलाम करने का कारबार करता है और चाहे इच्छुक क्रेता का प्रस्ताव उसके द्वारा स्वीकार किया जाय या मालिक द्वारा या मालिक के नामांकिती द्वारा :

(चार) कोई सरकार जो, चाहे कारबार के दौरान या अन्यथा नकद या आस्थगित संदाय या कमीशन पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए प्रत्यक्ष रूप से या अन्यथा माल का क्रय-विक्रय, सम्भरण या वितरण करती है ;

(पाँच) कोई भी व्यक्ति जो राज्य के बाहर निवास करने वाले किसी व्यवहारी के अभिकर्ता के रूप में राज्य के भीतर कार्य करता है और जो राज्य में माल का क्रय-विक्रय, सम्भरण या वितरण करता है या ऐसे व्यवहारी की ओर से निम्नलिखित रूप में कार्य करता है:-

(क) वाणिज्य अभिकर्ता, जैसा कि माल विक्रय अधिनियम-1930 में यथा परिभाषित है, या

(ख) माल या माल से सम्बन्धित हक के दस्तावेजों का प्रबन्ध करने के लिए अभिकर्ता, या

(ग) माल के विक्रय मूल्य का संग्रहण या संदाय करने के लिए अभिकर्ता या ऐसे संग्रह या संदाय के लिए प्रतिभू ;

(छह) किसी फर्म या कम्पनी का या अन्य निगमित निकाय का मुख्य कार्यालय, मुख्यालय चाहे वह राज्य के बाहर स्थित हो और उसकी कोई शाखा या कार्यालय राज्य में हो ऐसी शाखा या कार्यालय के माध्यम से माल का क्रय या विक्रय, सम्भरण या वितरण करना ;

(सात) कोई व्यक्ति जो सकर्म संविदा के निष्पादन में अर्न्तग्रस्त माल (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में) में सम्पत्ति के अन्तरण का कारबार करता है ;

(आठ) कोई व्यक्ति जो नकद या आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी माल को किसी भी प्रयोजनार्थ (चाहे किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हो या न हो) उपयोग करने के अधिकार के अन्तरण का कारबार करता है ;

(नौ) रेल आधान, संविदाकार, परिवाहक या कोई अन्य वाहक या माल का अग्रेषण अभिकर्ता, जिसमें शीत भण्डारण का स्वामी सम्मिलित है जो पारेषक या परेषिती का पूर्ण पता प्रकट करने में विफल हो या यदि पारेषक परेषिती का प्रकट नाम और पता मिथ्या, कूटरचित या असत्यापनीय हो ;

(दस) गोदाम या भण्डारागार का स्वामी या उसका प्रभारी व्यक्ति, जो वाणिज्यिक माल भण्डारित करता हो :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे व्यक्ति, जो निगमित निकाय न हों, को, जो ऐसी कृषि या बागवानी उपज का, जिसे उसने स्वयं उत्पन्न किया हो, या किसी ऐसी भूमि में उत्पन्न किया हो, जिसमें उसका चाहे स्वामी, भोग-बन्धकदार, अभिधारी, पट्टेदार या अन्य रूप में कोई हित हो, विक्रय करता है या जो अपने द्वारा पाले गये कुक्कुट या पशुओं से कुक्कुटादि या दुग्ध उत्पाद का विक्रय करता है, ऐसे माल के सम्बन्ध में व्यवहार करता है, ऐसे माल के सम्बन्ध में व्यवहारी नहीं समझा जायगा ;

(झ) **"घोषित माल"** का तात्पर्य केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 की धारा-14 के अधीन अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य में विशेष महत्व के घोषित माल से है ;

(ञ) **"दस्तावेज"** का तात्पर्य किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंको या चिन्हों के साधन द्वारा या उन साधनों में से एक से अधिक के द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित विषय से है जिन्हें इस विषय के अभिलेखन के प्रयोजन से प्रयोग करने की चेष्टा हो या उसे प्रयोग किया जा सके जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है :-

(एक) ऐसा इलेक्ट्रानिक दस्तावेज जिसमें आंकड़े, अभिलेख या जनित्र आंकड़े किसी इलेक्ट्रानिक प्रारूप में स्टोर की गयी, प्राप्त की गयी या प्रेषित प्रतिबिम्ब या ध्वनि या सूक्ष्म फिल्म या कम्प्यूटर जनित्र माइक्रो फीक सम्मिलित है ; और

(दो) ऐसे अन्य दस्तावेज जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ;

(ट) **"पूर्ववर्ती अधिनियम"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 (उ0प्र0 ऐक्ट संख्या 15 सन् 1948) से है ;

(ठ) **"छूट प्राप्त माल"** का तात्पर्य इस अधिनियम की अनुसूची-एक के स्तम्भ-2 में उल्लिखित या वर्णित किसी माल से है ;

(ड) **"माल"** का तात्पर्य प्रत्येक प्रकार या वर्ग की चल सम्पत्ति से है और उसके अन्तर्गत किसी संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त समस्त सामग्री, वस्तुएं और पदार्थ और उगती हुई फसलें, घास, वृक्ष और ऐसी वस्तुयें भी है जो पृथ्वी से संलग्न हों या पृथ्वी से स्थायी रूप से संलग्न किसी वस्तु से बंधी हों, और जिन्हें बिक्री की संविदा के अधीन पृथक करने का अनुबन्ध हो, किन्तु इसके अन्तर्गत अनुयोज्य दावा, स्टाक, शेयर या प्रतिभूति सम्मिलित नहीं है ;

(ढ) किसी माल के सम्बन्ध में **"आयात"** का तात्पर्य राज्य के बाहर स्थित किसी ऐसे स्थान से राज्य के भीतर किसी स्थान पर माल लाने या प्राप्त करने से है जहाँ राज्य के बाहर ऐसे स्थान से ऐसे माल की यात्रा प्रारम्भ होती है और राज्य के भीतर किसी स्थान पर समाप्त होती है :

(ण) **"आयातकर्ता"** का तात्पर्य ऐसे व्यवहारी से है जो राज्य के बाहर किसी स्थान से राज्य में कोई माल लाता है या प्राप्त करता है और ऐसे व्यवहारी में निम्नलिखित सम्मिलित है :-

(एक) जो राज्य के बाहर किसी स्थान से राज्य के भीतर लाये गये या प्राप्त किये गये किसी माल का प्रथम विक्रय करता है, या

(दो) जो राज्य के बाहर किसी स्थान से किसी अन्य व्यक्ति की ओर से राज्य के भीतर कोई माल प्राप्त करता है, या

(तीन) जिसकी ओर से कोई माल किसी अन्य व्यक्ति द्वारा राज्य के बाहर किसी स्थान से राज्य के भीतर प्राप्त किये जाते है;

(त) किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी, जिसने राज्य के भीतर से कोई माल क्रय किया हो, के सम्बन्ध में **"इनपुट कर"** का तात्पर्य ऐसी समपूर्ण कर धनराशि से है, जो:-

(एक) ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा, ऐसे माल के क्रय के सम्बन्ध में ऐसे माल के रजिस्ट्रीकृत विक्रेता व्यवहारी को संदत्त या संदेय हो, और

(दो) जहाँ ऐसा क्रयकर्ता व्यवहारी ऐसे माल के, क्रय के आवर्त पर इस अधिनियम के अधीन कर संदाय करने का दायी हो, वहाँ ऐसे माल के क्रय के सम्बन्ध में स्वयं क्रयकर्ता व्यवहारी द्वारा राज्य सरकार को सीधे संदत्त हो ;

(थ) **"पट्टा"** का तात्पर्य स्वामित्व के अन्तरण के बिना नगद, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये किसी अनुबन्ध या प्रबन्ध या जिसके अन्तर्गत किसी प्रयोजन के लिए किसी माल के प्रयोग के अधिकार का अन्तरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किया जाय, (चाहें किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हो या न हो) से है और इसमें उप-पट्टा सम्मिलित है, किन्तु इसमें भाड़ा क्रय या किश्तों द्वारा संदाय की किसी प्रणाली पर कोई अन्तरण सम्मिलित नहीं है ;

(द) **"पट्टेदार"** का तात्पर्य किसी व्यक्ति, जिसको पट्टा के अधीन किसी प्रयोजन के लिए माल के प्रयोग का अधिकार अन्तरित किया जाय, से है ;

(ध) **"पट्टाकर्ता"** का तात्पर्य किसी व्यक्ति, जिसके लिए किसी माल के प्रयोग का अधिकार किसी प्रयोजन के लिए अन्तरित किया जाय, से है ;

(न) **"विनिर्माण"** का तात्पर्य किसी माल का उत्पादन करने, बनाने, खनन, संग्रहण, निष्कर्षण, मिश्रण बनाना, मथना, परिवर्तन, अलंकृत, परिसज्जित करने या अन्यथा प्रसंस्करण, शोधन, या अनुकूलित करने से है, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा विनिर्माण या विनिर्माण प्रक्रिया नहीं है जैसी निर्धारित की जाए :

(प) इस अधिनियम की अनुसूची-चार के स्तम्भ-2 में उल्लिखित या वर्णित किसी माल के सम्बन्ध में "विनिर्माता" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यवहारी से है जो राज्य के भीतर किसी नये वाणिज्यिक वस्तु के विनिर्माण के पश्चात, विनिर्माण के किसी प्रक्रिया के अनुप्रयोग द्वारा राज्य के भीतर ऐसी नई वाणिज्यिक वस्तु का सीधे या अन्यथा प्रथम विक्रय करता है जिसमें ऐसा कोई विक्रय करने वाला अभिकर्ता सम्मिलित है जो ऐसे व्यक्ति, जिसने इसे विनिर्मित किया हो, की ओर से ऐसी नयी वस्तु का विक्रय करता है;

(फ) "गैर मूल्य संवर्धित माल" का तात्पर्य इस अधिनियम की अनुसूची-चार के स्तम्भ-2 में उल्लिखित या वर्णित किसी भी माल से है;

(ब) "जॉच चौकी या नाका के प्रभारी अधिकारी" किसी जॉच चौकी या नाका पर तैनात कर निर्धारक प्राधिकारी की श्रेणी से अनिम्न् अधिकारी सम्मिलित है ;

(भ) "कारबार का स्थान" का तात्पर्य ऐसे स्थान से है जहॉ कोई व्यवहारी कारबार करता है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित सम्मिलित है :-

(एक) कोई दुकान, भण्डारागार, गोदाम या अन्य स्थान जहॉ कोई व्यवहारी अपने माल का भण्डारण करता है ;

(दो) कोई स्थान जहॉ कोई व्यवहारी माल का उत्पादन या विनिर्माण करता है;

(तीन) कोई स्थान जहॉ कोई व्यवहारी अपनी लेखा बही और दस्तावेज रखता है;

(चार) कोई स्थान जहॉ कोई व्यवहारी सकर्म संविदा निष्पादित करता है या जहॉ माल के उपयोग के अधिकार का प्रयोग किया जाता है ;

(पाँच) ऐसे व्यवहारी के मामले में जो किसी अभिकर्ता (चाहे उसे किसी भी नाम से बुलाया जाय) के माध्यम से कारबार करता है, ऐसे अभिकर्ता के कारबार का स्थान ;

(म) "क्रय-मूल्य" का तात्पर्य यथा निर्धारित ऐसी अवधि के भीतर ऐसे विक्रेता को वापस किए गए किसी माल के सम्बन्ध में विक्रेता द्वारा क्रेता को, यदि कोई धनराशि लौटायी गयी हो, उस धनराशि से कटौती करने के पश्चात, उसके द्वारा या उसके माध्यम से, किये गये किसी माल के क्रय के प्रतिफल स्वरूप, किसी विक्रेता को किसी क्रेता द्वारा संदेय धनराशि से है ;

स्पष्टीकरण : क्रय कीमत के अन्तर्गत निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है :-

(1) माल के क्रेता को विक्रेता द्वारा प्रभारित आवक भाड़ा की लागत या उसके संस्थापन की लागत का प्रतिनिधित्व करने वाली धनराशि, यदि ऐसी धनराशि विक्रेता द्वारा जारी किये गये विक्रय बीजक या कर बीजक में पृथक से दर्शायी गयी हो ;

(2) कर की धनराशि, यदि ऐसी धनराशि विक्रय बीजक या कर बीजक में पृथक से दर्शायी गयी हो ;

(य) **"रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी"** का तात्पर्य धारा 17 या 18 के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से है।

(क क) **"रजिस्ट्रीकृत प्राधिकारी"** का तात्पर्य उस अधिकारी से है जिसे इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमावली के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के निर्गमन, निलम्बन, निरस्तीकरण या इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण से सम्बन्धित या किसी अन्य मामले को व्यवहृत करने हेतु सशक्त किया गया है और इसमें कर निर्धारक प्राधिकारी सम्मिलित है।

(क ख) **"पुनः विक्रय"** का तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा किसी माल को उसी रूप और दशा में जिसमें ऐसे माल को ऐसे व्यक्ति द्वारा क्रय किया गया हो, विक्रय करने से है।

(क ग) **"विक्रय"** का तात्पर्य, उसके व्याकरणिक विभेद और सजातीय पदों सहित किसी माल में सम्पत्ति का अन्तरण (बन्धक, दृष्टिबन्धक, प्रभार या गिरवी से भिन्न रूप में) एक व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को करने से है जो नकद या आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये किया जाय और इसमें निम्नलिखित भी है :-

(एक) नकद, आस्थगित संदाय, या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी माल में सम्पत्ति की संविदा के अनुसरण से भिन्न रूप में अन्तरण ;

(दो) किसी सकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त माल में सम्पत्ति का अन्तरण (चाहे माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में) ;

(तीन) अवक्रय या किश्तों द्वारा संदाय की किसी अन्य प्रणाली पर माल का परिदान करना ;

(चार) नकद, आस्थगित संदाय या किसी अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी माल का किसी प्रयोजन से उपयोग करने के अधिकारी का अन्तरण (चाहे वह किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हो या न हो) ;

(पाँच) नकद, आस्थगित संदाय या किसी अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी संघ या व्यक्तियों के निकाय द्वारा (चाहे वह निगमित हों या न हों) उसके किसी सदस्य को माल की आपूर्ति ;

(छह) सेवा के रूप में या उसके किसी भाग के रूप में या किसी अन्य रीति से, चाहे कोई भी हो, माल की आपूर्ति, जो मानव उपयोग के लिए खाद्य या कोई अन्य पदार्थ या पेय हो, (चाहे मादक हों या न हों) जहाँ ऐसी आपूर्ति या सेवा नकद, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए हो,

और उपर्युक्त उपखंड (एक) से उपखंड-(छह) के अधीन किसी माल के ऐसे परिदान, अन्तरण या आपूर्ति को परिदान, अन्तरण या आपूर्ति करने वाले व्यक्ति द्वारा उन मालों का विक्रय और उस व्यक्ति द्वारा उन मालों का क्रय माना जायेगा जिसे ऐसा परिदान, अन्तरण या आपूर्ति की गयी है ;

(क घ) **"विक्रय मूल्य"** का तात्पर्य किसी माल के विक्रय के लिये प्रतिफल के रूप में किसी व्यवहारी को संदेय धनराशि से है जो व्यापार में सामान्य रूप से प्रचलित व्यवहार के अनुसार नकद छूट के रूप में किसी अनुज्ञात धनराशि को घटाकर के, उसमें ऐसी धनराशि को सम्मिलित करके आये जो माल के सम्बन्ध में ऐसे माल के परिदान के समय या उसके पूर्व व्यवहारी द्वारा की गयी किसी बात के लिये प्रभारित की गयी है, उन दशाओं के सिवाय जिसमें जावक भाड़ा या परिदान का खर्चा या संस्थापन का खर्च अलग से प्रभारित किया जाता है ;

स्पष्टीकरण :-

(एक) ऐसे मामले में किसी व्यवहारी द्वारा किसी संदेय शुल्क की कोई धनराशि किसी अवधि के लिए आस्थगित की गयी हो या ऐसे मामले में जिसमें किसी शुल्क के संदेय का बिन्दु परिवर्तित कर दिया गया है तो ऐसे शुल्क की धनराशि को विक्रय कीमत का भाग समझा जायगा ;

(दो) पैकिंग सामग्री मूल्य को, जिसमें किसी माल को पैक किया जाय, बेचे गये माल की विक्रय कीमत का भाग समझा जायगा ;

(तीन) किसी सकर्म संविदा के निष्पादन में सम्मिलित माल में सम्पत्ति के अन्तरण के सम्बन्ध में (चाहे वह माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में हो) माल का विक्रय मूल्य श्रम और सेवाओं की ओर उपगत

वास्तविक धनराशि, श्रम और सेवाओं की आपूर्ति से सम्बन्धित लाभ की धनराशि, और ऐसे सकर्म संविदा के सम्बन्ध में प्राप्त की गयी या लिये जाने योग्य कुल धनराशि से यथा निर्धारित ऐसी अन्य धनराशियों के योग को कटौती करने के पश्चात अवधारित की जाएगा ;

(चार) माल के प्रयोग के अधिकार के अन्तरण के सम्बन्ध में किसी प्रयोजन के लिए किसी माल के विक्रय मूल्य का तात्पर्य (चाहे किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए या हो या न हो) माल के प्रयोग के अधिकार के ऐसे अन्तरण के सम्बन्ध में प्राप्त की गयी या लिये जाने योग्य मूल्यवान प्रतिफल से है किन्तु इसके अन्तर्गत संविदा के भंग के लिए किसी शास्ति के रूप में या प्रतिकर या नुकसानों के रूप में संदेय कोई धनराशि सम्मिलित नहीं है ;

(क ङ) **"अनुसूची"** का तात्पर्य इस अधिनियम से अनुलग्न किसी अनुसूची से है ;

(क च) **"व्यवस्थापन आयोग"** का तात्पर्य धारा 62 के अधीन गठित आयोग से है;

(क छ) **"कर"** का तात्पर्य समाचार पत्रों के सिवाय, माल के विक्रय अथवा क्रय पर इस अधिनियम के अन्तर्गत उदग्रहणीय कर से है तथा निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :-

(क) धारा 6 के उपबन्धों के अनुसार विक्रय आवर्त पर देय वास्तविक कर की राशि के स्थान पर संदेय, यथास्थिति, कर या एक मुश्त धनराशि

(ख) विपरीत इनपुट कर क्रेडिट की धनराशि ।

(क ज) **"कराधेय व्यवहारी"** का तात्पर्य ऐसे व्यवहारी से है जो उक्त धारा की उपधारा (5) के उपबन्धों के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार कर कर भुगतान का दायी है ;

(क झ) **"कराधेय माल"** का तात्पर्य इस अधिनियम की अनुसूची-एक के स्तम्भ-2 में उल्लिखित या वर्णित माल के सिवाय किसी माल से है ;

(क ञ) **"कर बीजक"** का तात्पर्य छूट प्राप्त माल और गैर वैट माल के सिवाय किसी माल के विक्रय के संबंध में धारा 22 की उपधारा (1) के खण्ड (दो), (तीन), (चार) और (पाँच) में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत विक्रेता व्यवहारी द्वारा रजिस्ट्रीकृत क्रेता व्यवहारी या व्यक्ति या निकाय विहित प्रपत्र या रीति से जारी किए गये बिल या नकद मेमो से है ;

(क ट) **"कर अवधि"** का तात्पर्य ऐसी अवधि से है जिसके लिए कोई व्यवहारी धारा 24 के अधीन कर आवर्त विवरणी या कर जमा करने का दायी होगा और जहाँ कोई व्यवहारी किसी कर अवधि के दौरान अपना कारबार या तो प्रारम्भ करता है या समाप्त कर देता है वहाँ ऐसी कर अवधि में ऐसी कर अवधि का भाग सम्मिलित होता है जिसके दौरान व्यापारी का कारबार चल रहा हो :

(क ठ) **"कर विवरणी"** का तात्पर्य इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन विहित या प्रदान किये जाने के लिए अपेक्षित किसी आवर्त और कर विवरणी से है ;

(क ड) **"क्रय का कराधेय आवर्त"** का तात्पर्य क्रय के सकल आवर्त से ऐसी धनराशि, जैसी विहित की जाय, की कटौती करने के पश्चात प्राप्त आवर्त से है ;

(क ढ) **"विक्रय का कराधेय आवर्त"** का तात्पर्य विक्रय के सकल आवर्त से ऐसी धनराशि, जैसी विहित की जाय, की कटौती करने पश्चात प्राप्त आवर्त से है;

(क ण) **"अधिकरण"** का तात्पर्य धारा 57 के अधीन गठित अधिकरण से है ;

(क त) **"क्रय का आवर्त"** का तात्पर्य उसके सजातीय पदों के साथ किसी व्यवहारी द्वारा या तो प्रत्यक्ष रूप से या अन्य व्यवहारी के माध्यम से चाहे अपने स्वयं के लेखे में या किसी अन्य के लेखे में क्रय किये गये माल के सम्बन्ध में संदत्त या संदेय क्रय मूल्य की धनराशि के योग से ऐसी अवधि के भीतर, जैसी निर्धारित की जाय, ऐसे विक्रेता को वापस किये गये किसी माल के सम्बन्ध में विक्रेता द्वारा वापस की गयी धनराशि की कटौती के पश्चात, यदि कोई हो, से है ;

(क थ) **"विक्रय का आवर्त"** का तात्पर्य किसी व्यवहारी द्वारा या तो प्रत्यक्ष रूप से या अन्य माध्यम से चाहे अपने स्वयं के लेखे से या किसी अन्य लेखे से विक्रय स्वरूप बेचे गये, सम्भरित किये गये या वितरित किये माल के विक्रय मूल्य की धनराशि के योग से है ;

(क द) **"यान"** का तात्पर्य माल की ढुलाई के लिए प्रयुक्त परिवहन के ऐसे किसी प्रकार के तरीके से, जिसमें माल की ढुलाई के लिए निर्मित या अनुकूलित मोटर यान या अन्य कोई मोटर यान, जो इस प्राकर निर्मित या अनुकूलित न हो जब उसे मात्र माल की ढुलाई के लिए प्रयोग किया जाय, या जिसमें यात्री वाहन के अतिरिक्त पहिया वाले प्रत्येक वाहन और ऐसी खीचने या ठेलने वाली गाड़ी सम्मिलित है, जिसमें पशुचालित गाड़ी, पशु, ट्रेलर, ट्राली, साईकिल, रिक्शा वाहन भी हैं और परिवहन के ऐसे अन्य तरीके से है जैसा कि इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो;

(क ध) **"जलयान"** के अन्तर्गत कोई माल, जहाज, छोटी नौका, रैफ्ट, टिम्बर, बांस या तैरती हुई सामग्री जिसे किसी भी प्रकार से चलाया जाय ;

(क न) **"वेबसाइट"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश वाणिज्यिक कर विभाग के वर्डवाइड वेब से है जिसमें "व्यापार कर एन आई सी आई एन" प्रक्षेत्र और "एच टी0टी0पी/ व्यापार कर एन आई सी आई एन " पता है अथवा ऐसे अन्य वेबसाईट से है जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए ;

(क प) **"सकर्म संविदा"** के अन्तर्गत नकद आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति के भवन निर्माण, विनिर्माण, प्रसंस्करण, ढ़ांचा परिनिर्माण संस्थापन, ठीक-ठीक करना, सज्जीकरण सुधार उपान्तरण, मरम्मत या चालू करने के लिए निष्पादित करने हेतु कोई अनुबंध भी है।

अध्याय - दो

कर का भार, उदग्रहण और दर

कर का भार, उदग्रहण और दर

3- (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रत्येक व्यवहारी कराधेय माल के, यथा स्थिति, विक्रय या क्रय या दोनों के उतने कर योग्य आवर्त पर, प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष के लिए, इस अधिनियम के अधीन ऐसी दरों पर और विक्रय या क्रय के ऐसे बिन्दु पर, जैसा धारा-4 या धारा (5) के अधीन उपबन्धित है, कर के भुगतान करने का दायी होगा:

प्रतिबन्ध यह है कि कर का उदग्रहण, प्रत्येक व्यापारी से ऐसे विक्रयों और क्रयों पर किया और प्रमाणित किया जायेगा, जो ऐसे दिनांक को या उसके पश्चात हो, जिसको व्यापारी, यथास्थिति, उपधारा (3) या उपधारा (5) के उपबन्धों के अनुसार कर के भुगतान का दायी हो।

(2) जहाँ कोई व्यवहारी किसी कर निर्धारण वर्ष के भाग में कारबार करता है, तो वह, इस अधिनियम में निहित अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कराधेय माल के, यथास्थिति, विक्रय या क्रय या दोनों के कराधेय आवर्त पर, ऐसी दरों पर और विक्रय या क्रय के ऐसे बिन्दु पर, कर के भुगतान का दायी होगा जो धारा-4 या धारा-5 के अधीन उपबंधित है, जहाँ ऐसे विक्रय या क्रय उक्त अवधि के दौरान हों जिसमें वह उपधारा (3) या उपधारा (5) के उपबन्धों के अनुसार कर के भुगतान के लिए दायी है।

(3) स्तम्भ (1) में उल्लिखित क्रम संख्या के सामने स्तम्भ (2) में उल्लिखित वर्ग के व्यवहारी, यथास्थिति, विक्रयों या क्रयों पर, दोनों पर कर का भुगतान करने के दायी होगें, जहाँ माल के ऐसे विक्रय या क्रय उनके द्वारा नीचे सारिणी की उसी क्रम संख्या के सामने स्तम्भ (3) में उल्लिखित दिनांक को या उसके पश्चात किये जाएं।

सारिणी

क्रमांक		व्यवहारियों का वर्ग	दिनांक
(1)		(2)	(3)
1.	(एक)	व्यवहारी जिनका रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र इस अधिनियम के अधीन, दिनांक 1 जनवरी, 2008 से प्रभावी है।	1 जनवरी, 2008
	(दो)	व्यवहारी जिनका रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 के अधीन निर्गत है और 1 जनवरी, 2008 से विधि मान्य है।	

(1)	(2)	(3)
(तीन)	व्यवहारी, जो 1 जनवरी, 2008 को प्रारम्भिक स्टॉक में कोई आयातित कराधेय माल धारण करते है।	
(चार)	व्यवहारी, जो 1 जनवरी, 2008 को प्रारंभिक स्टॉक में कोई कराधेय माल रखते है जहाँ ऐसे मालों का विनिर्माण, प्रसंस्करण या पैकेजिंग किसी आयातित माल का प्रयोग या उपभोग करके की गयी है।	
(पाँच)	व्यवहारी, जो 1 जनवरी, 2008 को प्रारंभिक स्टॉक में कोई कराधेय माल रखते है जहाँ ऐसे मालों का विनिर्माण, प्रसंस्करण या पैकेजिंग किसी ऐसे खरीदे गये माल का प्रयोग या उपभोग करके की गयी हो जिसका क्रय पूर्ववर्ती अधिनियम या उसके अधीन बनायी गई नियमावली के अधीन विहित घोषणा के किसी प्रपत्र या प्रमाण-पत्र को विक्रेता व्यापारी को देने के बाद किया गया हो।	
(छह)	व्यवहारी, जो 1 जनवरी, 2008 को प्रारम्भिक स्टॉक में कोई माल रखते है जहाँ ऐसे माल का क्रय पूर्ववर्ती अधिनियम या तद्धीन बनायी गई नियमावली के अधीन विहित घोषणा के किसी प्रपत्र या प्रमाण-पत्र विक्रेता व्यवहारी को देने के बाद किया गया हो ;	
(सात)	व्यवहारी, जिन्होंने, इस अधिनियम के प्रारम्भ के कर निर्धारण वर्ष में, राज्य के भीतर से किसी माल के क्रय के एक मात्र कारबार या राज्य के भीतर किसी माल के विक्रय के एक मात्र कारबार या दोनों, जैसी भी स्थिति हो, को 1 जनवरी, 2008 से पूर्व किसी दिनांक को प्रारम्भ किया हो; और (क) जिसका, सभी मालों के ऐसे क्रय के आवर्त और ऐसे विक्रय के आवर्त का कुल योग, जैसा कि नीचे परिभाषित है, इस अधिनियम के प्रारम्भ के कर निर्धारण वर्ष के दौरान, ऐसे कर निर्धारण वर्ष के दौरान कारबार के प्रथम दिन से, 1 जनवरी, 2008 को या उसके पूर्व, उपधारा (4) में यथा व्यवस्थित कराधेय मात्रा से अधिक हुआ है ; और (ख) जिन्होंने खण्ड (क) में यथा उल्लिखित आवर्तो के अपने कुल योग के पूर्व अपने कारबार की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं किया है और उपधारा (4) में यथा व्यवस्थित कराधेय मात्रा को पार कर दिया है ;	

(1)	(2)	(3)
	(आठ) व्यवहारी, जो इस अधिनियम के अधीन प्रथम कर निर्धारण वर्ष के ठीक पूर्व कर निर्धारण वर्ष के दौरान, किसी माल के, यथास्थिति, राज्य के भीतर से किसी माल के क्रय या राज्य के भीतर किसी माल के विक्रय या दोनों के एक मात्र कारबार को चला रहे है और ऐसे पूर्ववर्ती कर निर्धारण वर्ष के दौरान, नीचे यथा परिभाषित सभी मालों के ऐसे क्रय के आवर्त और ऐसे विक्रय के आवर्त का कुल योग उपधारा (4) में यथा व्यवस्थित कराधेय मात्रा से अधिक हो गया था ;	
	(नौ) व्यवहारी, जिन्होंने इस अधिनियम के प्रारम्भ के वर्ष में 1 जनवरी, 2008 के पूर्व, --- (क) किसी कराधेय माल का अन्तर्राज्यीय विक्रय किया है ; या (ख) भारत की सीमा के बाहर माल के निर्यात के दौरान विक्रय किया है; या (ग) विक्रय के कारण के सिवाय राज्य के बाहर किसी कराधेय माल को पारेषित किया है और ऐसे मालों के विक्रय के बिना दूसरे राज्य में भेजा जाता है ; या (घ) राज्य के बाहर किसी स्थान से किसी कराधेय माल को लाये है या प्राप्त किया है ;	
2.	व्यवहारी, जो किसी अन्य प्रकार के कारबार के साथ या उसके बिना 1 जनवरी, 2008 को या उसके पश्चात किसी कराधेय माल का आयात करते है ।	दिनांक जिसको व्यवहारी प्रथम बार कराधेय माल प्राप्त करता है।
3.	व्यवहारी जो 1 जनवरी, 2008 को या उसके पश्चात केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करते है	दिनांक जिससे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रभावी है।
4.	व्यवहारी जो किसी अन्य प्रकार के कारबार के साथ या उसके बिना, 1 जनवरी, 2008 को या उसके पश्चात अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान किसी कराधेय माल का विक्रय करते है।	दिनांक जिसको व्यवहारी अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान किसी कराधेय माल के प्रथम विक्रय को करता है।

(1)	(2)	(3)
5.	व्यवहारी, जो किसी अन्य प्रकार के कारबार के साथ या उसके बिना, 1 जनवरी, 2008 को या उसके पश्चात, किसी कराधेय माल का भारत की सीमा के बाहर माल के निर्यात के दौरान विक्रय करता है या किसी छूट प्राप्त माल का ऐसा विक्रय करता है जहॉ ऐसे छूट प्राप्त माल के विनिर्माण, प्रसंस्करण या पैकेजिंग में किसी कराधेय माल का प्रयोग, उपभोग का उपयोग हुआ है।	दिनांक जिसको व्यवहारी माल के निर्यात के दौरान माल का प्रथम विक्रय करता है।
6.	व्यवहारी, जो विक्रय के कारण के सिवाय, राज्य के बाहर किसी स्थान पर, 1 जनवरी, 2008 को या उसके पश्चात किसी अन्य प्रकार के कारबार के साथ या उसके बिना किसी कराधेय माल को पारेषित करते है और ऐसे माल को बिना विक्रय के अन्य राज्य को सुपुर्द किया जाता है।	दिनांक जिसको व्यवहारी राज्य के बाहर किसी कराधेय माल को प्रथम बार पारेषित करता है।
7.	व्यवहारी, जो 1 जनवरी, 2008 के पूर्व किसी दिनांक से, किसी माल का, यथास्थिति, राज्य के भीतर से क्रय या राज्य के भीतर विक्रय या दोनों का एक मात्र कारबार चला रहे है या व्यवहारी जो 1 जनवरी, 2008 को या उसके पश्चात प्रारम्भ करते है, और (एक) जिनका किसी कर निर्धारण वर्ष में, जिसमें इस अधिनियम के प्रारम्भ का कर निर्धारण वर्ष सम्मिलित है, ऐसे कर निर्धारण वर्ष के दौरान कारबार के प्रथम दिन से, सभी मालों के ऐसे क्रय का आवर्त और ऐसे विक्रय के आवर्त का योग 1 जनवरी, 2008 के पश्चात किसी दिनांक को इस धारा की उपधारा (4) में यथा उपबन्धित कराधेय मात्रा से अधिक होता है, और (दो) जो खण्ड (क) में यथा उल्लिखित आवर्तों के अपने योग को इस धारा की उपधारा (4) में यथा व्यवस्थित कराधेय मात्रा से अधिक होने से पूर्व अपने कारबार की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं करते है	दिनांक, जिसको राज्य के भीतर से व्यवहारी के सभी मालों के क्रय के आवर्तों और राज्य के भीतर विक्रय के आवर्त या दोनों का योग, जैसी भी स्थिति हो, जैसा कि नीचे परिभाषित है, किसी कर निर्धारण वर्ष में प्रथम बार कराधेय मात्रा से अधिक होते है।

(1)	(2)	(3)
8.	माल का परिवहनकर्ता या कोई अन्य संवाहक या अग्रसारण अभिकर्ता या रेल डिब्बा ठेकेदार जहाँ ऐसा परिवहनकर्ता, संवाहक या अग्रसारण अभिकर्ता या रेल डिब्बा ठेवे . र उत्तर प्रदेश में किसी माल के संबंध में परेषती या परेषक का नाम व पता उद्घाटित करने में विफल हो जाए या यदि परेषक या परेषिती का उद्घाटित नाम और पता मिथ्या, छलपूर्ण या पुष्टनीय न हो या बीजक चालान, परिवहन पावती या परेषण टीप या ऐसी प्रकृति का दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहे, जो उसके कब्जे या उसके अभिरक्षा में पाये जाये या उसके वाहन में ले जाये जायें ; या गोदाम या शीत भण्डारगृह या भांडागार का स्वामी या प्रभारी व्यक्ति ऐसे गोदाम, शीतभंडारगृह या भांडारगार में भण्डारित किसी कराधेय माल के स्वामी का नाम और पता उद्घाटित करने में विफल रहे।	प्रथम दिनांक जिसको कोई कराधेय माल कब्जा या अभिरक्षा में पाया जाये।
9.	व्यवहारी जो ऊपर क्रम संख्या-1 से 8 तक के सामने उल्लिखित किसी वर्ग में नहीं आते है और धारा-18 के अधीन स्वेच्छा से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करते है।	दिनांक जिससे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रभ ी है।

प्रतिबन्ध यह है कि व्यवहारी, जो, यथास्थिति, छूट प्राप्त माल के क्रय या विक्रय या दोनों में एक मात्र रूप से व्यापार करता है, इस अधिनियम के अधीन कर का दायी नही होगा।

स्पष्टीकरण-(1) इस उपधारा और उपधारा (5) के प्रयोजन के लिए पद "राज्य के भीतर से सभी मालों के क्रय आवर्त और राज्य के भीतर विक्रय के आवर्त या दोनों, जैसी भी स्थिति हो, का योग" का तात्पर्य निम्नलिखित के आवर्त के योग से है :-

क-सभी कराधेय मालों का क्रय जहाँ ऐसे क्रय व्यवहारी द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यवहारियों से भिन्न व्यक्तियों से राज्य के भीतर किये जाये ; और

ख-खण्ड (क) में सम्मिलित माल के सिवाय सभी मालों का विक्रय जहाँ ऐसे विक्रय व्यवहारी द्वारा राज्य के भीतर किये जाये।

स्पष्टीकरण- (2) जहाँ व्यवहारी ऊपर दी गयी सारिणी के स्तम्भ (2) में उल्लिखित एक श्रेणी से अधिक के अन्तर्गत आता है तो वह ऊपर निर्दिष्ट सारिणी के स्तम्भ (3) में उल्लिखित सभी दिनांक में से पूर्वतम दिनांक से कर के भुगतान के लिए दायी होगा।

(4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट कराधेय मात्रा 5 लाख रूपये होगी।

(5) प्रत्येक व्यवहारी जो एक बार कर के भुगतान के लिए दायी हो गया है इस प्रकार दायी बना रहेगा जब तक वह अपने कारबार को विच्छेदित कर दे ;

(6) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित का अवधारण विहित रीति से किया जायेगा ;

(क) माल के विक्रय का आवर्त

(एक) संविदा सकर्म के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त जिसमें माल में सम्पत्ति का अन्तरण हो ; या

(दो) किसी माल के प्रयोग करने के अधिकार के अन्तरण के मामले में

(ख) विक्रय के कराधेय आवर्त, और

(ग) क्रय का कराधेय आवर्त।

(7) जहाँ संविदा सकर्म के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त माल में सम्पत्ति के अन्तरण के सम्बन्ध में, ठेकेदार उचित लेखों का अनुरक्षण न कर या उसके द्वारा अनुरक्षित लेखे कर निर्धारण अधिकारी को विश्वास योग्य प्रतीत न हो और श्रम और अन्य सेवाओं के प्रभारों के प्रति उपगत यथार्थ धनराशि और श्रम और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित लाभ उपधारा (6) के खण्ड (क) के उप खण्ड-(एक) के अधीन माल के विक्रय के आवर्त का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए अभिनिश्चेय न हों, श्रम और अन्य सेवाओं के ऐसे प्रभारों और ऐसे लाभों का अवधारण संविदा सकर्म के मूल्य में से ऐसे प्रतिशत की कटौती के आधार पर किया जा सकता है जैसा कि विहित किया जाये और संविदा सकर्म के विभिन्न प्रकारों के लिए विभिन्न प्रतिशत विहित किये जा सकते है।

(8) कर की धनराशि, जिसके लिए व्यवहारी इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन भुगतान करने के लिए दायी है, का भुगतान विहित रीति से किया जायेगा।

(9) इस अधिनियम में प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, जहाँ किन्ही मालों का किसी पैकेजिंग सामग्री के साथ विक्रय या क्रय किया जाये, पैकिंग सामग्री का विक्रय या क्रय, इस तथ्य के होते हुए भी, कि ऐसे माल और ऐसी पैकिंग सामग्री के विक्रय या क्रय की संविदा, यथास्थिति, मालों के विक्रय या क्रय के मूल्य से पृथक किये गए है और पैकिंग सामग्री को पृथक से प्रदर्शित किया गया है,

(क) ऐसी पैकिंग सामग्री के साथ विक्रय या क्रय किये गये माल के विक्रय या क्रय पर प्रयोज्य दर पर इस अधिनियम के अधीन कर का दायी ;

(ख) इस अधिनियम के अधीन किसी कर का दायी नहीं यदि व्यवहारी के ऐसे माल का विक्रय या क्रय कर से छूट प्राप्त है।

(10) जहाँ कर की देनदारी है और, यथास्थिति, किसी माल के विक्रय के किसी आवर्त या क्रय के किसी आवर्त या दोनों पर अपने स्वामी की ओर से कमीशन एजेन्ट द्वारा इस प्रकार भुगतान कर दिया गया है तो स्वामी ऐसे आवर्त के सम्बन्ध में कर का भुगतान करने का दायी नहीं होगा।

स्पष्टीकरण- इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, किसी फर्म या व्यक्तियों के संघ का विघटन या हिन्दू अविभक्त परिवार का विभाजन या व्यवसायी द्वारा अपने कारबार के अन्तरण के कारबार की समाप्ति या विच्छेदन समझा जायेगा।

विक्रय के आवर्त पर कर का उद्ग्रहण

4-(1) इस अधिनियम के अधीन माल के विक्रय पर देय कर का उदग्रहण किया जायेगा और विक्रय के कराधेय आवर्त पर निम्न प्रकार भुगतान किया जायेगा ---

(क) अनुसूची दो के स्तम्भ 2 में नामित या वर्णित माल, विक्रय के प्रत्येक बिन्दु पर और चार प्रतिशत की दर पर,

(ख) अनुसूची तीन के स्तम्भ 2 में नामित या वर्णित माल, विक्रय के प्रत्येक बिन्दु पर और एक प्रतिशत की दर पर,

(ग) अनुसूची चार के स्तम्भ 2 में नामित या वर्णित माल, स्तम्भ 3 में उल्लिखित विक्रय के बिन्दु पर और ऐसे माल के सामने अनुसूची के स्तम्भ 4 में उल्लिखित कर की दर पर,

(घ) अनुसूची पाँच के स्तम्भ 2 में नामित या वर्णित माल, विक्रय के प्रत्येक बिन्दु पर और साढ़े बारह प्रतिशत की दर पर,

प्रतिबन्ध यह है कि अनुसूची (4) के स्तम्भ 2 में उल्लिखित माल के सम्बन्ध में, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विभिन्न मालों या मालों के वर्ग के संबंध में कर की विभिन्न दरें घोषित कर सकती है, जो पचास प्रतिशत से अधिक नही होगी :

प्रतिबन्ध यह और भी कि अनुसूची (दो) के स्तम्भ 2 में उल्लिखित या वर्णित वस्त्र और चीनी, खाण्डसारी चीनी के सिवाय, के विक्रय के आवर्त पर ऐसे दिनांक से और ऐसी दर पर कर का दायी होगा जो चार प्रतिशत से अधिक नहीं होगी और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जायेगी।

(2) किसी अनुसूची की किसी प्रविष्ट के सम्बन्ध में, ऐसी अनुसूची के नीचे दिया गया अर्थ या स्पष्टीकरण का, यदि कोई हो, ऐसी अनुसूची की ऐसी प्रविष्टि का भाग समझा जायेगा।

(3) जहाँ किसी माल का विक्रेता व्यवहारी, माल के क्रेता से कर बीजक, विक्रय बीजक, कैशमेमों या बिल पर पृथक से ऐसे माल के विक्रय के आवर्त पर उसके द्वारा देय कर की धनराशि का संग्रह करने का हकदार नहीं है तो ऐसे विक्रय के आवर्त पर उसके द्वारा देय कर की धनराशि की गणना निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करके की जायेगी—

$$\text{देय कर की धनराशि} = \frac{\text{कर की दर} \times \text{विक्रय मूल्यों का योग}}{100 + \text{कर की दर}}$$

(4) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, किसी अनुसूची की किसी प्रविष्टि को संशोधित कर सकती है, किसी अनुसूची में किसी नई प्रविष्टि की वृद्धि कर सकती है और इसी प्रकार किसी अनुसूची की किसी प्रविष्टि का लोप कर सकती है।

(5) इस धारा के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना, उसके जारी किये जाने के पश्चात यथाशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के सामने प्रस्तुत की जायेगी जब उसका सत्र 14 दिन से अन्यून कुल अवधि के लिए चल रहा हो, तो चाहे एक सत्र में हो या एक से अधिक उत्तरवर्ती सत्रों में हो, और जब तक कोई पश्चातवर्ती दिनांक नियत न किया जाये, तो विधानमण्डल के दोनों सदनों द्वारा ऐसे उपान्तरों या निष्प्रभावीकरण के अधीन रहते हुए, जिसके लिए उक्त अवधि के दौरान सदन सहमत हुए हों, तथापि, कोई ऐसा उपान्तर या निष्प्रभावीकरण पूर्व में पहले की गई किसी बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा, सिवाय उसके कि कर या शास्ति का कोई अधिरोपण, निर्धारण, उद्ग्रहण या संग्रह उक्त उपान्तर या निष्प्रभावीकरण के अधीन होगा।

क्रय के आवर्त पर कर का उद्ग्रहण

5-(1) प्रत्येक व्यवहारी जो कारबार के दौरान किसी कराधेय माल का क्रय करता है—

(एक) रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से भिन्न किसी व्यक्ति से गैर-वैट माल से भिन्न या

(दो) गैर-वैट माल, जिसके पूर्ववर्ती विक्रय या क्रय पर या तो पूर्व अधिनियम के उपबन्धों के अधीन या इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कर के उद्ग्रहण की हानि नहीं हुई हो,

यथास्थिति, गैर-वैट माल या गैर वैट माल के क्रय के आवर्त या दोनों के सिवाय ऐसे कराधेय माल के क्रय के आवर्त पर कर का भुगतान करने का दायी होगा।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (एक) या खण्ड (दो) में निर्दिष्ट कराधेय माल के क्रय के आवर्त पर कर का उद्ग्रहण उसी दर से किया जायेगा जिससे धारा-4 के उपबन्धों के अनुसार ऐसे माल के विक्रय के आवर्त पर कर का दायी है।

कर दायित्व का समाधान

6-(1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में निहित किसी बात के होते हुए भी, लेकिन इस धारा के अन्य उपबन्धों और राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन रहते हुए, कर निर्धारण अधिकारी विक्रय के उसके आवर्त पर या तो एक मुश्त या कर के स्थान पर सहमत दर पर समाधान राशि स्वीकार करने के लिए सहमत हो सकता है जो व्यवहारी द्वारा ऐसे माल के या माल के वर्ग के सम्बन्ध में और ऐसी अवधि के लिए जिस पर सहमति हुई हो, देय हो सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि व्यवहारी जो राज्य के भीतर माल के पुन: विक्रय का एक मात्र कारबार राज्य के भीतर से उसके क्रय के पश्चात करता है और किसी कर निर्धारण वर्ष में जिसका ऐसे माल के विक्रय का आवर्त पचास लाख रुपये से न तो अधिक होने की सम्भावना है और न ही ऐसे कर निर्धारण वर्ष के पूर्ववर्ती कर निर्धारण वर्ष में उसका ऐसा आवर्त पचास लाख रुपये से अधिक हुआ है, तो राज्य सरकार ऐसे माल के विक्रय पर दर प्रतिशत अधिसूचित कर सकती है। विभिन्न मालों के लिए विभिन्न दरें अधिसूचित की जा सकती है :

प्रतिबन्ध यह और भी है कि कर की दर में कोई परिवर्तन, जो ऐसी सहमति के दिनांक के पश्चात प्रवृत हो सकता है, एकमुश्त या कर निर्धारण की अवधि के उस भाग के संबंध में, जबकि परिवर्तित दर प्रवृत्त रहे, सहमत दर में समनुपाती परिवर्तन करने के परिणाम स्वरूप होगा

(2) कोई व्यवहारी, जो इस धारा के अधीन एक मुश्त भुगतान का विकल्प लेता है ऐसे माल के विक्रय के सम्बन्ध में धारा 13 के अधीन इनपुट टैक्स के क्रेडिट का दावा करने का हकदार नहीं होगा जो माल उस अवधि के दौरान, उसके द्वारा पुन: विक्रय किये जाते है जिसमें वह, यथास्थिति, कर के भुगतान या एक मुश्त का इस धारा के अधीन या माल के क्रय के संबंध में दायी है, जिसका प्रयोग, उपभोग या उपयोग माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में हुआ हो जो माल उसके द्वारा ऐसी अवधि के दौरान विक्रय किये जाते है और जहाँ व्यवहारी ने किसी ऐसे माल के सम्बन्ध में इनपुट टैक्स के क्रेडिट का दावा किया है तो वह परिवर्तित माना जायेगा और व्यवहारी धारा-14 के उपबन्धों के अनुसार परिवर्तित इनपुट टैक्स क्रेडिट की ऐसी धनराशि का भुगतान करेगा।

(3) कोई व्यवहारी, जो इस धारा के अधीन, यथास्थिति, कर के भुगतान का एकमुश्त का विकल्प लेता है किसी कर बीजक को जारी नहीं करेगा और कर के रूप में या भिन्न नाम या संज्ञा दे कर माल के क्रेता से कोई धनराशि नहीं वसूलेगा।

(4) कोई व्यवहारी जो किसी व्यवहारी से किसी माल का क्रय करता है और जिसने इस धारा के अधीन, यथास्थिति, कर के भुगतान का एकमुश्त धनराशि का विकल्प लिया है, ऐसे व्यवहारी से क्रय किये गये माल के सम्बन्ध में इनपुट टैक्स के क्रेडिट का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

कतिपय विक्रयों और क्रयों पर कर का उद्ग्रहण न किया जाना

7-इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित के आवर्त पर किसी कर का उद्ग्रहण और भुगतान नहीं किया जायेगा —

(क) विक्रय या क्रय जहाँ ऐसे विक्रय या क्रय निम्न स्थितियों में हो —

(एक) अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान ; या

(दो) राज्य के बाहर; या

(तीन) भारत की सीमा से बाहर निर्यात या सीमा के अन्दर आयात के दौरान,

(ख) अनुसूची एक के स्तम्भ 2 में नामित या वर्णित किसी माल का क्रय या विक्रय ; या

(ग),ऐसा विक्रय या क्रय, या ऐसे माल का विक्रय या क्रय व्यवहारियों के ऐसे वर्ग द्वारा, जिसे इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये :

प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (ग) के अधीन अधिसूचना जारी करते समय, राज्य सरकार ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों को अधिरोपित कर सकती है जिन्हें विनिर्दिष्ट किया जाय :

स्पष्टीकरण :- इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 3, 4 और 5 क्रमश: इस निर्धारण पर प्रवृत्त होगी कि क्या किसी माल का विशिष्ट विक्रय या क्रय खण्ड (क) के उपखण्ड (एक) (दो) और (तीन) में से किसी के अधीन आता है या नहीं।

कर बीजक और विक्रय बीजक का छलपूर्ण निर्गमन और प्राप्ति पर दायित्व

8-इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में निहित किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी और धारा-54 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जहाँ यह पाया जाए कि किसी व्यवहारी ने ऐसे बीजक में प्रदर्शित माल के यथार्थ विक्रय के बिना कर बीजक या विक्रय बीजक निर्गत किया है तो बिक्रेता व्यवहारी और क्रेता व्यवहारी जिसने ऐसा बीजक प्राप्त किया है संयुक्त रूप से और पृथक रूप से, ऐसे बीजक में प्रभारित की गयी प्रदर्शित कर की धनराशि के बराबर धनराशि का भुगतान करने के लिए दायी होंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही करने के पूर्व, संबंधित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिया जायेगा।

फर्म, व्यक्तियों के संघ और हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का दायित्व

9-(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जहाँ व्यवहारी, फर्म या व्यक्तियों का संघ या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब है:-

(क) ऐसी फर्म का संघ और प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसी फर्म का भागीदार या ऐसे संघ का सदस्य या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का सदस्य है, संयुक्त रूप से, और पृथक रूप से, निर्धारित कर और अधिरोपित शास्ति का इस अधिनियम के अधीन देय किसी धनराशि के भुगतान करने का दायी होगा जो ऐसी फर्म या संघ या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब द्वारा देय है : और

(ख) जहाँ ऐसी फर्म या संघ या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब ने अपना कारबार विघटित कर दिया है,—

(एक) इस अधिनियम के अधीन ऐसी फर्म या संघ या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब को कारबार के ऐसे विघटन के दिनांक तक देय शास्ति सहित, कर निर्धारित तथा अवधारित किया जायेगा मानो ऐसा कोई विघटन हुआ ही न हो ; और

(दो) प्रत्येक व्यक्ति, जो कारबार के इस प्रकार विघटन के समय उक्त फर्म का साझीदार अथवा उक्त संघ या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का सदस्य था, इस प्रकार विघटन के होने पर भी, उक्त फर्म या संघ या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब द्वारा निर्धारित कर तथा आरोपित शास्ति का पृथक-पृथक तथा संयुक्त रूप से देनदार होगा, चाहे ऐसा कर निर्धारण या शास्ति आरोपण ऐसे विघटन के पूर्व अथवा पश्चात किया जाए, तथा पूर्वोक्त के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे मानों प्रत्येक ऐसा व्यक्ति अथवा साझीदार स्वयं ही व्यवहारी हो :

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ ऐसा मालूम हो कि फर्म या संघ के संगठन में परिवर्तन हुआ है तो पुन: संगठित फर्म या संघ तथा उस फर्म या संघ के साझीदार या सदस्य संयुक्त रूप से तथा पृथक-पृथक, शास्ति सहित, यदि कोई हो, ऐसे कर के देनदार होंगे जो पुन: संगठन के पहले के किसी अवधि के लिए उक्त फर्म या संघ द्वारा देय हो।

(2) जहाँ किसी व्यवहारी के कारबार के स्वामित्व का, जो कर का दायी हो, अन्तरण हो जाय तो अन्तरणकर्ता और अन्तरिती संयुक्त रूप से और पृथक रूप से कर का भुगतान करने के दायी होंगे, जिसमें ऐसे कारबार के सम्बन्ध में ऐसे अन्तरण के समय तक देय शास्ति, यदि कोई हो, सम्मिलित है चाहे कर निर्धारण या शास्ति ऐसे अन्तरण के पूर्व या पश्चात किया जाय या अधिरोपित की जाय।

(3) जहाँ कर, जिसमें शास्ति सम्मिलित है, यदि कोई हो, उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन पुनः संगठित फर्म या संघ से या उपधारा (2) के अधीन अन्तरिती से वसूल किया जाय तो ऐसी फर्म या संघ या अन्तरिती उस व्यक्ति से उसे वसूल करने का हकदार होगा, जो मूल रूप से कर के भुगतान करने का दायी था।

मृत व्यक्ति द्वारा देय कर का भुगतान उसके प्रतिनिधियों द्वारा किया जायेगा

10-(1) यदि किसी व्यवहारी की मृत्यु हो जाय, तो उसका निष्पादक, प्रशासक या अन्य विधिक प्रतिनिधि इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ व्यवहारी समझा जायेगा और उक्त मृत व्यवहारी के कारबार के, सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्ध इस पर लागू होंगे :-

प्रतिबन्ध यह है कि —

(क) मृतक के किसी दायित्व के सम्बन्ध में उसका निष्पादक, प्रशासक या अन्य विधिक प्रतिनिधि केवल मृतक की प्राप्त परिसम्पत्तियों तक देनदार होगा;

(ख) कोई भी कार्यवाही जिसके अन्तर्गत वसूली की कार्यवाही भी है, उस प्रक्रम से जारी रखी जा सकती है जिस पर वह व्यवहारी की मृत्यु के समय लम्बित थी,

(2) उपधारा (1) के उपबंध किसी ऐसे व्यवहारी पर, जो भागीदारी फर्म हो और जिसके किसी भागीदार की मृत्यु के फलस्वरूप वह विघटित हो जाए, यथाआवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

नाबालिग या असमर्थ व्यक्ति के मामले में कर दायित्व

11-यदि किसी नाबालिग या किसी असमर्थ व्यक्ति की ओर से तथा उसके लाभ के लिए कोई संरक्षक, न्यासी या एजेन्ट पर, जो भी हो, उसी प्रकार और उसी सीमा तक कर लगाया जायेगा तथा उससे वसूल किया जायेगा जैसा कि ऐसे नाबालिग या असमर्थ व्यक्ति पर निर्धारित किया जाता तथा उससे वसूल किया जाता, यदि वह बालिग व समर्थ होता और यदि वह अपना कारबार स्वयं करता होता और ऐसी दशा में इस अधिनियम के सब उपबंध और उनके अधीन बने नियम लागू होंगे।

प्रतिपाल्य अधिकरण के मामले में दायित्व

12-यदि किसी कारबार का स्वामी ऐसा व्यक्ति है, जिसकी सम्पत्ति या उसका कोई भाग प्रतिपाल्य अधिकरण, महाप्रशासक, राजकीय न्यासी, रिसीवर या व्यवस्थापक (जिसके अन्तर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है चाहे उसकी उपाधि कुछ भी हो, जो व्यवहारी की ओर से यथार्थ में उसके व्यापार का प्रबन्ध करता हो) जो व्यवहारी द्वारा या किसी न्यायालय की आज्ञा से नियुक्त किया गया हो, तो कर ऐसे प्रतिपाल्य अधिकरण, महाप्रशासक, राजकीय न्यासी, रिसीवर या व्यवस्थापक पर उसी प्रकार लगाया जायेगा जैसा कि वह उस व्यवहारी पर लगाया जाता या उससे लिया जाता, यदि वह अपना कारबार स्वयं करता होता और उस दशा में, इस अधिनियम के सब उपबंध और उसके अधीन बनाये नियम उसी प्रकार लागू होंगे।

इनपुट टैक्स क्रेडिट

13- (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित खण्डों में निर्दिष्ट और विधि मान्य रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र धारण करने वाले व्यवहारियों को, राज्य के भीतर से क्रय किये गये कराधेय माल के सम्बन्ध में और इन खण्डों में उल्लिखित, इनमें दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, और ऐसी अन्य शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन जो विहित किये जायं, इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में सुसंगत खण्ड द्वारा उपबन्धित तक या अधीन धनराशि का क्रेडिट अनुमन्य किया जायेगा :-

(क) स्तम्भ (2) में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, गैर वैट माल, पूँजी माल और केपटिव विद्युत संयन्त्र के सिवाय सभी कराधेय माल के सम्बन्ध में कर के भुगतान के दायी प्रत्येक व्यवहारी को, जहाँ ऐसे कराधेय माल का क्रय इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनाँक को या उसके पश्चात किया जाय,

नीचे सारणी के स्तम्भ (3) में दी गई सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में धनराशि का क्रेडिट अनुमन्य होगा :-

सारणी

क्रम संख्या	शर्तें	इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि की सीमा
1	2	3
1-	यदि क्रय किये गये माल का पुनर्विक्रय किया जाय- (एक) राज्य के अन्दर, या (दो) अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान, या (तीन) भारत की सीमा के बाहर माल के निर्यात के दौरान	इनपुट टैक्स की पूर्ण धनराशि
2-	यदि क्रय किये गये माल का प्रयोग निम्नलिखित के विनिर्माण में किया जाय- (एक)गैर-वैट माल के सिवाय कोई माल और जहाँ ऐसे विनिर्मित माल भारत की सीमा के बाहर माल के निर्यात के दौरान विक्रय किये जाएं,— या (दो) गैर-वैट माल के सिवाय कोई कराधेय माल और जहाँ ऐसे विनिर्मित माल या तो राज्य के अन्दर या अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान विक्रय किया जाय :-	इनपुट टैक्स की पूर्ण धनराशि

1	2	3
3-	यदि क्रय किये गये माल— (एक) विक्रय के परिणाम से भिन्न राज्य के बाहर अन्तरित या परेषित किये जायें ; या (दो) गैर-वैट माल के सिवाय किसी कराधेय माल के विनिर्माण में प्रयोग किये जायें और ऐसे विनिर्मित माल को, विक्रय के परिणाम से भिन्न, राज्य के बाहर अन्तरित या पारेषित किया जाय।	क्रय मूल्य के इनपुट टैक्स की आंशिक धनराशि, जो केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा-8 की उपधारा(1) के अधीन विहित दर से अधिक है, जिस पर व्यवहारी ने या तो रजिस्ट्रीकृत विक्रेता व्यवहारी या राज्य सरकार को कर का भुगतान किया है।

(ख) इनपुट टैक्स की पूर्ण धनराशि का इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रत्येक व्यवहारी को अनुमन्य होगा, यदि वह ऐसे दिनाँक को या उसके पश्चात जिसको व्यवहारी इस अधिनियम के अधीन कर के भुगतान के लिए दायी होता है, क्रय किये गये पूँजी माल के सम्बन्ध में कर के भुगतान का दायी हो यदि ऐसे माल का प्रयोग निम्नलिखित के विनिर्माण में किया जाना हो -

(ख-1) गैर-वैट माल के सिवाय कराधेय माल और जहाँ ऐसे विनिर्मित माल का -

(एक) अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान या भारत की सीमा के बाहर माल का निर्यात करने के दौरान राज्य के भीतर विक्रय किया जाये ; या

(दो) विक्रय के परिणाम से भिन्न राज्य के बाहर अन्तरित या परेषित किया जाय ;

(ख-2) गैर-वैट माल के सिवाय छूट प्राप्त माल हो और जहाँ ऐसे विनिर्मित माल का विक्रय भारत की सीमा के बाहर माल के निर्यात के दौरान किया जाए।

(ग) खण्ड (क) के अधीन सारिणी के स्तम्भ (2) में उल्लिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक व्यवहारी को जो इस अध्यादेश के प्रारम्भ के दिनाँक को कर का भुगतान करने का दायी है, गैर-वैट माल, पूँजी माल और केपटिव विद्युत संयत्र के सिवाय सभी कराधेय मालों के सम्बन्ध में, जहाँ ऐसे मालों का

क्रय 1 जनवरी, 2008 को समाप्त होने वाली छह मास की अवधि के भीतर किया गया हो और जहाँ ऐसे माल :-

(एक) 1 जनवरी, 2008 को उसी रूप में और दशा में जिसमें वे क्रय किये गये थे, प्रारम्भिक स्टाक में धृत हों ; या

(दो) तैयार या अर्ध तैयार माल (गैर-वैट माल के सिवाय कराधेय माल के विर्निमाण की प्रक्रिया में) या गैर-वैट माल के सिवाय तैयार कराधेय माल, और ऐसे तैयार या अर्द्ध तैयार माल 1 जनवरी, 2008 को प्रारम्भिक स्टाक में धृत हों ; और

(तीन) पूर्व अधिनियम के अधीन कर के उदग्रहण की हाँनि उठाई हो,

उक्त सारिणी की सुसंगत प्रविष्टि के सामने स्तम्भ (3) में यथा व्यवस्थित इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में इनपुट टैक्स की आंशिक या पूर्ण धनराशि का क्रेडिट अनुमन्य होगा और इस प्रयोजन के लिये इनपुट टैक्स की धनराशि की संगणना विहित रीति से की जायेगी।

(घ) खण्ड (क) के अधीन सारिणी के स्तम्भ (2) में उल्लिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक व्यवहारी को, जो गैर-वैट माल, पूँजी माल और कैप्टिव विद्युत संयंत्र के सिवाय सभी कराधेय मालों के सम्बन्ध में 1 जनवरी, 2008 के पश्चात किसी दिनाँक को कर का भुगतान करने का दायी होता है, जहाँ ऐसे कराधेय मालों का क्रय, 1 जनवरी, 2008 को या उसके पश्चात लेकिन उस दिनाँक से पूर्ववर्ती दिन को समाप्त होने वाली छह मास की अवधि के भीतर, जब ऐसा व्यवहारी कर के भुगतान का दायी हो गया है, किया गया हो और, —

(एक) ऐसे दिनाँक को जब व्यवहारी कर के भुगतान का दायी हो गया है, उसी रूप और दशा में, जिसमें वे क्रय किये गये थे, प्रारम्भिक स्टाक में धृत हो;

(दो) गैर-वैट माल के सिवाय, अर्द्ध तैयार माल (गैर-वैट माल के सिवाय कराधेय माल के विनिर्माण की प्रक्रिया में) या तैयार कराधेय माल के विनिर्माण में प्रयोग किये गये हों और ऐसे अर्द्ध तैयार या तैयार माल ऐसे दिनाँक को प्रारम्भिक स्टाक में धृत हो जब व्यवहारी कर के भुगतान का दायी हो गया है ; या

(तीन) क्रेता व्यवहारी के नाम और पते वाला विक्रय बीजक प्राप्त करने के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से क्रय किया गया है;

उक्त सारणी की सुसंगत प्रविष्टि के सामने स्तम्भ-3 में यथा व्यवस्थित इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में इनपुट टैक्स की आंशिक या पूर्ण धनराशि का क्रेडिट अनुमन्य होगा और इस प्रयोजन के लिये इनपुट टैक्स की धनराशि की संगणना विहित रीति से की जायेगी।

(ङ) प्रत्येक व्यवहारी के, जो गैर-वैट माल, पूँजी माल और केपटिव विद्युत संयंत्र के सिवाय सभी कराधेय माल के सम्बन्ध में कर का भुगतान करने का दायी है और जो धारा-6 के उपबन्धों के अधीन कर के भुगतान का या एक मुश्त का विकल्प लेता है जो माल ऐसी अवधि के अन्त में स्टाक में धृत हों, जिसके दौरान धारा-6 के उपबन्ध प्रयोज्य रहते है, ऊपर खण्ड (क) से (घ) तक के उपबन्धों के

अनुसार, यथास्थिति, इनपुट टैक्स की पूर्ण या आंशिक धनराशि का या डीम्ड इनपुट टैक्स का क्रेडिट अनुमन्य किया जायेगा, जो भी प्रयोज्य हो :

प्रतिबन्ध यह है कि जब तक कि राज्य सरकार धारा 4 की उपधारा (1) के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करके, अधिसूचना में निर्दिष्ट चीनी या वस्त्र के विक्रय के सम्बन्ध में कर की दर और कर का बिन्दु विहित करने वाली अधिसूचना जारी न करे, तब तक, उक्त माल के विर्निमाण में प्रयोग के लिये क्रय किये गये माल के सम्बन्ध में, इनपुट टैक्स क्रेडिट की कोई सुविधा, उपर्युक्त किसी भी खण्ड के अधीन अनुमन्य नहीं होगी

स्पष्टीकरण :- इस उपधारा के प्रयोजन के लिये,—

(क) खण्ड (क) के अधीन सारिणी की क्रम संख्या 1 के सामने प्रविष्टि में संविदा संकर्म के निष्पादन में अन्तर्गस्त माल में (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में) सम्पत्ति का अन्तरण सम्मिलित है ;

(ख) किसी माल के विनिर्माण में प्रयोग के लिये अपेक्षित माल में केपटिव विद्युत संयन्त्र, या केपटिव विद्युत संयन्त्र के पुर्जे, संघटक और सहायक सामग्री या केपटिव विद्युत संयन्त्र को चलाने या अनुरक्षण करने के लिये अपेक्षित कोई अन्य माल सम्मिलित नही है।

(2) उपधारा (1) के उपबन्ध में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, सभी कराधेय माल के सम्बन्ध में इनपुट टैक्स की पूर्ण या आंशिक धनराशि का क्रेडिट, विकासकर्ता, सह विकासकर्ता और विशेष आर्थिक परिक्षेत्र में प्राधिकृत कार्यों के लिये स्थापित इकाइयों के लिये ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए अनुमन्य किया जा सकता है जिन्हें राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय।

स्पष्टीकरण :- इस उपधारा के प्रयोजन के लिये शब्द "सह विकासकर्ता" या "विकासकर्ता" और पद "विशेष आर्थिक परिक्षेत्र" या "प्राधिकृत कार्य" के वही अर्थ होंगे जो उनके लिये विशेष आर्थिक परिक्षेत्र अधिनियम, 2005 में समनुदेशित है।

(3) जहाँ क्रय किये गये माल का प्रयोग या निस्तारण उपधारा (1) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिये आंशिक रूप से हो, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा और अनुमन्यता उसी सीमा के अनुपात में होगी जिसमें वे ऐसे खण्ड में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए प्रयोग या निस्तारित किये जाते है।

(4) इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाई गयी नियमावली के किसी उपबन्ध में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी माल के क्रय के सम्बन्ध में जिसके विषय में इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा अनुमन्य है, इनपुट टैक्स की पूर्ण धनराशि का इनपुट टैक्स क्रेडिट का अस्थाई रूप से उस दिनाँक को दावा किया जा सकता है जिसको ऐसे माल से सम्बन्धित कर बीजक व्यवहारी को प्राप्त हो और जहाँ व्यवहारी स्वयं किसी माल के क्रय के सम्बन्ध में कर का

भुगतान करने के लिये ऐसे दिनाँक को दायी है, जिसको देय कर की धनराशि उसके द्वारा देय कर के खाते में व्यवहारी द्वारा जमा कर दी जाती है।

(5) जहाँ किसी व्यवहारी ने उपधारा (4) के अधीन किसी माल के सम्बन्ध में इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया है लेकिन ऐसा माल, या ऐसे माल का प्रयोग करके विनिर्मित माल, या ऐसे माल का प्रयोग या उपभोग करके पैकिंग किये गये माल को राज्य के बाहर परेषित किये जाते है या ऐसी रीति से निस्तारित या अपने पास से हटाये जाते है जिसके लिये इनपुट टैक्स क्रेडिटं सुविधा अनुमन्य नही है या ऐसी सुविधा इनपुट टैक्स की आंशिक धनराशि के लिए अनुमन्य है, तो इनपुट टैक्स की पूर्ण धनराशि और इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमन्य धनराशि के अन्तर की धनराशि इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि में से, जिसका दावा पहले ही व्यवहारी द्वारा अनुरक्षित इनपुट टैक्स क्रेडिट के लेखे में ऐसी धनराशि घटा कर किया गया था, कटौती कर ली जायेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि घटाने के पूर्व व्यवहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।

(6) उपधारा (5) में निर्दिष्ट परिस्थितियों में, इनपुट टैक्स की पूर्ण धनराशि और इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमन्य धनराशि के अन्तर की धनराशि व्यवहारी द्वारा अनुरक्षित इनपुट टैक्स क्रेडिट के लेखे में उस दिनाँक को जमा की जायेगी जिसको --

(एक) माल, जिसके सम्बन्ध में इनपुट टैक्स की पूर्ण धनराशि के क्रेडिट का दावा किया गया था ; या

(दो) ऐसे माल का प्रयोग करके विनिर्मित माल जिसके सम्बन्ध में इनपुट टैक्स की पूर्ण धनराशि के क्रेडिट का दावा किया गया था ; या

(तीन) जहाँ उस माल का, जिसके सम्बन्ध में इनपुट टैक्स की पूर्ण धनराशि के क्रेडिट का दावा किया गया था प्रयोग या उपभोग ऐसे माल की पैकिंग में किया जाए और ऐसे पैकिंग किए गए माल को राज्य के बाहर परेषित किया जाय ; या व्यवहारी द्वारा ऐसी रीति से निस्तारित या अपने पास से हटाया जाए जिसके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा अनुमन्य नहीं है या ऐसी सुविधा इनपुट टैक्स की आंशिक धनराशि के लिए अनुमन्य है :

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ व्यवहारी अपना कारबार समाप्त करे, इनपुट टैक्स की पूर्ण धनराशि, जिसका उपधारा(4) के अधीन दावा किया गया था, निम्न के सम्बन्ध में, -

(एक) व्यवहारी द्वारा धृत माल उसी रूप और दशा में हो जिसमें उन्हें क्रय किया गया था ; या

(दो) माल, जिनका प्रयोग व्यवहारी द्वारा धृत किसी माल के विनिर्माण में किया गया था, (चाहे अर्द्ध विनिर्मित या विनिर्मित अवस्था में हो) ;

(तीन) माल, जिनका प्रयोग या उपभोग व्यवहारी द्वारा धृत किसी माल के पैकिंग में किया गया है ;

उस दिन के अन्तिम स्टाक में, जिस दिन उसने अपना कारबार समाप्त किया, उस कर अवधि की कर विवरणी प्रस्तुत करने के लिये विहित कर अवधि की समाप्ति के पूर्व, जिसमें कारबार समाप्त किया जाता है, व्यवहारी द्वारा अनुरक्षित इनपुट टैक्स क्रेडिट के खाते में जमा किया जायेगा।

(7) सिवाय इसके कि जहाँ -

(क) क्रय किये गये माल ; या

(ख) विनिर्मित माल, जिनका विनिर्माण क्रय किये गये माल का प्रयोग करके किया जाता है ; या

(ग) पैक किये गये माल, जिन्हें क्रय किये गये माल का प्रयोग करके या उनका उपभोग करके पैक किया जाता है ।

भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर माल के निर्यात के दौरान बेचे जाने हों, उपधारा 4, के अधीन किसी व्यवहारी द्वारा इनपुट टैक्स की किसी धनराशि के जमा का दावा नहीं किया जाएगा और किसी माल के क्रय के सम्बन्ध में किसी व्यवहारी को इनपुट टैक्स क्रेडिट की किसी सुविधा की अनुमति नहीं दी जाएगी, जहाँ ---

(एक) धारा 7 के खण्ड(ग) के अधीन व्यवहारी द्वारा ऐसे माल का विक्रय किया जाना कर के भुगतान से मुक्त हो; या

(दो) ऐसे माल का उपयोग या उपभोग किसी माल के विनिर्माण या पैकिंग में किया जाना हो और व्यवहारी द्वारा ऐसे विनिर्मित या पैक किये गये माल का विक्रय धारा 7 के या तो खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन कर संदाय से मुक्त हो।

(8) किसी कर अवधि और किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए अनुमन्य इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि की संगणना विहित रीति से की जाएगी और ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से जैसा कि विहित किया जाय, उसका दावा किया जाएगा और उसे अनुज्ञात किया जाएगा।

(9) जहाँ राज्य के भीतर से क्रय किये गये किसी माल का विक्रय किसी मालिक द्वारा किसी विक्रयकर्ता अभिकर्ता के माध्यम से किया जाता है या जहाँ किन्ही माल का क्रय किसी मालिक की ओर से किसी क्रयकर्ता अभिकर्ता द्वारा किया जाता है वहाँ ऐसे माल के क्रय के सम्बन्ध में इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा मालिक द्वारा उस रीति से, जैसा कि विहित किया जाय, किया जाएगा और उसे अनुज्ञा होगी।

(10) व्यवहारी, जो इस धारा के अधीन इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करता है, इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट और माल की सूची के सम्बन्ध में प्रत्येक ऐसे अभिलेख अनुरक्षित करेगा और ऐसे विवरण प्रदान करेगा जैसा कि विहित किया जाय।

(11) जहाँ कर निर्धारक प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि किसी व्यवहारी द्वारा प्रदान किये गये किसी विवरण में दर्शायी गयी इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि असत्य है या विश्वास के योग्य नहीं है, वहाँ ऐसे व्यवहारी को सुनवायी का युक्ति-युक्त अवसर दिये जाने के पश्चात और ऐसी जाँच, जैसा कि वह उचित समझें, करने के पश्चात् वह लिखित रूप में आदेश करके, यथास्थिति, इनपुट टैक्स की धनराशि या इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि का अवधारण कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ मामला धारा 24 के अधीन जमा की गयी किसी कर विवरणी या इस अध्यादेश की किसी धारा के अधीन किन्हीं निर्धारण कार्यवाहियों से सम्बन्धित है वहाँ कार्यवाहियाँ सुसंगत धाराओं के उपबंधों के अनुसार पूर्ण की जाएगी।

स्पष्टीकरण : (1) इस धारा के प्रयोजनों के लिए ---

(एक) किसी माल के विनिर्माण में प्रयोग हेतु माल के अन्तर्गत ऐसे माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में प्रयोग, उपभोग या उपयोग हेतु अपेक्षित माल या ऐसे विनिर्मित या प्रसंस्कृत माल के पैकिंग में प्रयोग के लिए अपेक्षित माल सम्मिलित है।

(दो) किसी माल के विनिर्माण के अन्तर्गत ऐसे माल का प्रसंस्करण और ऐसे विनिर्मित या प्रसंस्कृत माल की पैकिंग सम्मिलित है ; और

(तीन) जहाँ किसी कराधेय माल के विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान कोई छूट प्राप्त माल उपोत्पाद या अपशिष्ट उत्पाद के रूप में उत्पादित किये जाय वहाँ यह समझा जाएगा कि क्रय किये गये माल का उपयोग कराधेय माल के विनिर्माण में किया गया है। स्पष्ट रूप से, जहाँ किसी छूट प्राप्त माल के विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान किन्ही कराधेय माल का उत्पादन, उपोत्पाद या अपशिष्ट उत्पाद के रूप में किया जाता है वहाँ यह समझा जाएगा कि क्रय किये गये माल का उपयोग छूट प्राप्त माल के विनिर्माण में किया गया है।

उत्क्रमित इनपुट टैक्स क्रेडिट

14-(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप, राज्य सरकार ऐसी परिस्थितियाँ और माल विहित कर सकती है जिनमें ऐसे माल के सम्बन्ध में इनपुट टैक्स क्रेडिट का न तो दावा किया जायेगा और न तो उसे अनुज्ञात किया जायेगा।

(2) जहाँ किसी माल के सम्बन्ध में किसी व्यवहारी ने पहले ही इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबंधों के विरुद्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया हो या किसी माल के सम्बन्ध में इनपुट टैक्स क्रेडिट का मिथ्या दावा किया हो, वहाँ उस सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट की प्रसुविधा, जो अनुमन्य न हो, उत्क्रमित रहेगी और उत्क्रमित इनपुट टैक्स क्रेडिट की ऐसी धनराशि को उस कर अवधि में व्यवहारी द्वारा पहले ही दावाकृत इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि से कटौती कर ली जाएगी, जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट घटित हुआ है :

प्रतिबंध यह है कि जहाँ उत्क्रमित इनपुट टैक्स क्रेडिट को जन्म देने वाली घटना, ऐसी कर अवधि, जिसमें ऐसी स्थिति हुई हो, के लिए कर विवरणी को प्रस्तुत कर दिये जाने के पश्चात की जानकारी व्यवहारी को होती है वहाँ व्यवहारी को स्थिति का संज्ञान होने के पश्चात ऐसी कर अवधि, जिसमें ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई हो, की कर विवरणी जमा करने के लिए अनुवर्ती पिछले दिनांक को प्रारम्भ होने वाली और ऐसे दिनांक, जिस दिनांक को धनराशि जमा की गयी हो, को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्रति वर्ष पन्द्रह प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज सहित उत्क्रमित इनपुट टैक्स क्रेडिट की ऐसी धनराशि का, तीस दिन के भीतर भुगतान करने के लिए व्यवहारी दायी होगा।

संदेय कर की शुद्ध धनराशि और कर दायित्व से अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट का निरूपण

15-(1) किसी कर अवधि के लिए, संदेय कर की शुद्ध धनराशि की संगणना निम्नलिखित समीकरण का प्रयोग करते हुए की जाएगी :-

किसी अवधि के लिए संदेय कर की शुद्ध धनराशि = ऐसी अवधि के लिए संदेय कर की सकल धनराशि - उक्त अवधि के लिए अनुमन्य इनपुट टैक्स क्रेडिट की सकल धनराशि

जहाँ,—

(क) उक्त अवधि के लिए संदेय कर की सकल धनराशि निम्नलिखित धनराशियों का योग हो :-

(एक) कर अवधि के दौरान किये गये माल के विक्रय के आवर्त पर संदेय कर ;

(दो) कर अवधि के दौरान किये गये माल के क्रय के आवर्त पर संदेय कर ;

(तीन) धारा 6 के उपबंधों के अधीन संदेय, यथास्थिति, उक्त अवधि के दौरान किये गये विक्रय के आवर्त पर कर या उक्त अवधि के दौरान देय होने वाली एकमुश्त धनराशि की किश्त ;

(चार) संदेय कर की कोई अन्य धनराशि ; और

(ख) उक्त अवधि के लिए अनुमन्य इनपुट टैक्स क्रेडिट की सकल धनराशि निम्नलिखित धनराशियों का योग हो -

(एक) उक्त अवधि के दौरान किये गये माल के क्रय के सम्बन्ध में दावाकृत इनपुट टैक्स क्रेडिट में से उत्क्रमित इनपुट टैक्स क्रेडिट, यदि कोई हो, की धनराशि को घटाएं ;

(दो) ठीक पूर्ववर्ती कर अवधि से अग्रेनीत इनपुट टैक्स क्रेडिट ;

(तीन) ऐसे दिनांक को, जिस से व्यवहारी कर संदाय करने के लिए दायी हो गया हो, प्रारम्भिक स्टाक में धृत माल के सम्बन्ध में या पूँजी माल के क्रय के सम्बन्ध में इनपुट टैक्स क्रेडिट की कोई किश्त ;

(चार) जिस दिनांक से ऐसे व्यवहारी के सम्बन्ध में जिसने इस अधिनियम की धारा 6 के अधीन कर या एकमुश्त धनराशि का भुगतान करने के लिए विकल्प लिया हो, धारा 6 के उपबंध लागू होने से प्रविरत हो जाते है और व्यवहारी अपना कारबार जारी रखता है, ऐसे दिनांक को प्रारम्भिक स्टाक में धृत माल के सम्बन्ध में इनपुट टैक्स क्रेडिट :

प्रतिबंध यह है कि जहाँ किसी व्यवहारी को धारा 42 के अधीन कर भुगतान के लिए अधिस्थगन अनुज्ञात किया गया हो वहाँ उक्त अवधि के लिए संदेय कर की सकल धनराशि में ऐसी धनराशि सम्मिलित नहीं होगी जिसके सम्बन्ध में अधिस्थगन की सुविधा लागू हो, उस धनराशि का भुगतान, व्यवहारी द्वारा, धारा 42 के उपबंधों के अनुसार पृथक रूप से किया जाएगा।

(2) यदि किसी कर अवधि के लिए, उपधारा (1) के अधीन अनुमन्य इनपुट टैक्स क्रेडिट की सकल धनराशि, उस उपधारा के अधीन संदेय कर की सकल धनराशि की अन्तरात्मक धनराशि और ऐसी कर अवधि के लिए कर के निमित्त व्यवहारी द्वारा संदत्त कर की धनराशि के योग से अधिक होती है तो व्यवहारी द्वारा अनुमन्य इनपुट टैक्स क्रेडिट की अतिशय धनराशि का समायोजन केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन समवर्ती कर अवधि की कर विवरणी में संदेय कर की धनराशि के विरुद्ध किया जाएगा और जहाँ ऐसी अनुमन्य इनपुट टैक्स क्रेडिट की सकल धनराशि नकारात्मक अंक में हो वहाँ, व्यवहारी, उपधारा (1) के अधीन संदेय कर की शुद्ध धनराशि की संगणना के दौरान ऐसी धनराशि व्यवहारी द्वारा संदेय कर की सकल धनराशि में जोड़ दी जाएगी।

<u>स्पष्टीकरण</u> :इस उपधारा के प्रयोजनार्थ पद "ऐसी कर अवधि के कर के निमित्त व्यवहारी द्वारा संदत्त कर की धनराशि का योग" का तात्पर्य निम्नलिखित धनराशि के योग से है :–

(क) व्यवहारी द्वारा ऐसी कर अवधि के कर के निमित्त जमा कर ;

(ख) माल के किसी विक्रय के सम्बन्ध में धारा 34 के उपबंधों के अधीन स्रोत पर कटौती किया गया कर, जहाँ ऐसा विक्रय ऐसी कर अवधि के दौरान किया जाय ; और

(ग) ऐसी कर अवधि के कर के निमित्त समायोजित प्रति संदाय :

प्रतिबंध यह है कि खण्ड (क), (ख) या (ग) के अधीन धनराशि को ऐसी कर अवधि के कर के निमित्त व्यवहारी द्वारा संदत्त कर की धनराशि के योग में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, जब तक कि व्यवहारी तत्सम्बन्ध में ऐसी कर अवधि की कर विवरणी सहित पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर देता है।

(3) उपधारा (2) में यथा उपबंधित समायोजन के पश्चात बची हुई इनपुट टैक्स क्रेडिट की अतिशय धनराशि को अग्रनीत किया जाएगा और अगली कर अवधि के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि में जोड़ दी जाएगी :

प्रतिबंध यह है कि ऐसे किसी व्यवहारी के सम्बन्ध में जिसका मुख्य कारबार धारा-41 के उपबंध के अधीन रहते हुए भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर माल के निर्यात के दौरान माल विक्रय करना है, कर निर्धारक प्राधिकारी, व्यवहारी के आवेदन करने पर, निर्यात के साक्ष्य के साथ, व्यवहारी द्वारा कर विवरणी के प्रस्तुतिकरण हेतु विहित अन्तिम दिनांक से या कर विवरणी के प्रस्तुतिकरण के दिनांक, जो भी बाद में हो, से तीस दिन के भीतर ऐसी कर अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् किसी कर अवधि के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट की अतिशय धनराशि की औपबंधिक प्रति संदाय की अनुज्ञा देगा।

(4) जहाँ व्यवहारी ने किसी निर्धारण वर्ष की सम्पूर्ण कर अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत कर दी है और यदि अनुमन्य इनपुट टैक्स क्रेडिट की कोई अधिक धनराशि अन्तिम कर अवधि की विवरणी के अनुसार अभी भी विद्यमान है, अनुमन्य इनपुट टैक्स क्रेडिट की ऐसी अधिक धनराशि धारा 40 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ऐसे निर्धारण वर्ष की अन्तिम कर अवधि की विवरणी के प्रस्तुतीकरण के लिए विहित या अनुमन्य अन्तिम दिनांक के पश्चात तीस दिन के भीतर व्यवहारी को वापस की जायेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि निर्धारण वर्ष के, जिसमें व्यवहारी कर के संदाय के लिए दायी हो गया है, अन्तिम दिनांक को अतिशेष में बचे अनुमन्य इनपुट टैक्स क्रेडिट की अधिक धनराशि, उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अगले निर्धारण वर्ष की प्रथम कर विवरणी में अग्रनीत की जायेगी और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष की अन्तिम कर अवधि की कर विवरणी के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट की किसी अधिक धनराशि को व्यवहारी को ऐसे पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष की अन्तिम कर अवधि की विवरणी के प्रस्तुतीकरण के लिए विहित या अनुमन्य अन्तिम दिनांक के पश्चात् तीस दिन के भीतर वापस की जायेगी।

(5) उपधारा (4) में निहित किसी बात के होते हुए भी, जहाँ कोई व्यवहारी कारबार का विघटन कर दे तो उस निर्धारण वर्ष की अन्तिम कर अवधि से सम्बन्धित, जिसके दौरान कारबार विघटित किया गया है, अनुमन्य इनपुट टैक्स क्रेडिट की किसी अधिक धनराशि की वापसी ऐसे निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण आदेश के पारित होने के दिनांक के पश्चात तीस दिन के भीतर अनुमन्य की जायेगी।

(6) जहाँ किसी निर्धारण वर्ष की किसी कर अवधि के लिए कर विवरणी निर्धारण वर्ष की अन्तिम कर अवधि की कर विवरणी के प्रस्तुतीकरण के लिए विहित या अनुमन्य अन्तिम दिनांक तक प्रस्तुत नहीं की गयी हो, अनुमन्य इनपुट टैक्स क्रेडिट की अतिरिक्त धनराशि, यदि कोई हो, ऐसे निर्धारण वर्ष के लिए, धारा 40 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसे निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में निर्धारण आदेश पारित करने के पश्चात नब्बे दिन की अवधि के भीतर व्यवहारी को वापस की जायेगी।

(7) उपधारा (3) और उपधारा (4) में निहित किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी किसी निर्धारण वर्ष की अन्तिम कर अवधि की कर विवरणी में छूट गयी अनुमन्य इनपुट टैक्स क्रेडिट की किसी अधिक धनराशि को व्यवहारी के विकल्प पर अनुवर्ती निर्धारण वर्ष की प्रथम कर अवधि की कर विवरणी के लिए अग्रनीत किया जा सकता है।

साबित करने का भार

16-ऐसे कर निर्धारण कार्यवाहियों में जहाँ कोई तथ्य विशेषत: निर्धारिती के ज्ञान में हो तो उस तथ्य को साबित करने का भार उसी पर होगा, और विशेष रूप से ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व को साबित करने का भार, जो मामले को अधिनियम के किन्ही उपबन्धों सहित इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में किसी धनराशि के किन्ही दावा के अधीन किसी भी अपवाद छूट या मुक्ति के अन्तर्गत लाती हो, उसी पर होगा और निर्धारण प्राधिकारी ऐसी परिस्थितियों के अभाव को उपधारण करेगा।

अध्याय - तीन

रजिस्ट्रीकरण, प्रतिभूति और लेखों का रखरखाव

व्यवहारियों का रजिस्ट्रीकरण

17-(1) इस अधिनियम के अधीन कर भुगतान का दायी प्रत्येक व्यवहारी विहित रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा।

(2) उपधारा (3), (4) और (5) के अधीन यथा उपबन्धित के सिवाय, कर भुगतान का दायी प्रत्येक व्यवहारी, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी किये जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को, ऐसे दिनांक से 30 दिन के भीतर, जब ऐसा व्यवहारी इस प्रकार दायी हो, विहित प्रपत्र और रीति में एक सौ रुपये रजिस्ट्रीकरण फीस जमा करने के सबूत के साथ प्रस्तुत करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यवहारी, जो, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए, विहित समय के भीतर आवेदन प्रस्तुत करने में विफल रहा हो, इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य दायित्व के बिना विलम्ब की अवधि के लिए प्रति माह या उसके भाग के लिए एक सौ रुपया प्रति माह की दर से, विलम्ब फीस को जमा करते हुए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

(3) प्रत्येक व्यवहारी, जो 1 जनवरी, 2008 के पूर्व पूर्ववर्ती अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र या अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र रखता है और 1 जनवरी, 2008 से इस अधिनियम के अधीन कर भुगतान का दायी हो, 1 जनवरी, 2008 से रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी माना जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ व्यवहारी से पूर्ववर्ती अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण के लिए किसी फीस के भुगतान की अपेक्षा की गयी हो, यदि उसका भुगतान न किया गया हो तो वहाँ रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र तब तक विधि मान्य नहीं माना जायेगा जब तक कि ऐसा व्यवहारी 1 जनवरी, 2008 से 30 दिन की अवधि के भीतर एक सौ रुपये की विलम्ब फीस के साथ नवीनीकरण फीस जमा न कर दे।

(4) किसी ऐसे व्यवहारी के मामले में, जो 1 जनवरी, 2008 से इस अधिनियम के अधीन कर के भुगतान का दायी हो और जिसका पूर्ववर्ती अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने का आवेदन 1 जनवरी, 2008 को लम्बित हो, तो ऐसे व्यवहारी को 1 जनवरी, 2008 से इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी माना जायेगा, यदि --

(एक) पूर्ववर्ती अधिनियम के अधीन उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया है ; और

(दो) व्यवहारी ने पूर्ववर्ती अधिनियम के अधीन देय नवीनीकरण फीस और इस अधिनियम के अधीन देय विलम्ब फीस, यदि कोई हो, पूर्ववर्ती अधिनियम के अधीन इसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के दिनांक से 30 दिन के भीतर जमा कर दिया हो।

(5) प्रत्येक व्यवहारी जो पूर्ववर्ती अधिनियम के अधीन जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र रखता हो उसे, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी या कर निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष यथाविहित प्रपत्र में 1 जनवरी, 2008 से या पूर्ववर्ती अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के दिनांक से, जो भी पश्चात्वर्ती हो, 60 दिन के भीतर इस अधिनियम के अधीन उक्त प्रमाण-पत्र की विधिमान्यता से सम्बन्धित उक्त प्राधिकारी के आवश्यक पृष्ठांकन के लिए प्रस्तुत करेगा।

(6) (क) कोई भी परिवाहक, वाहक या परिवहन अभिकर्ता या रेलवे आधान संविदाकार रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी से यथाविहित रीति से रजिस्ट्रीकरण कराये बिना राज्य में कराधेय माल से सम्बन्धित अपने परिवहन कारबार का संचालन नहीं करेगा।

(ख) कोई परिवाहक या वाहक या परिवहन अभिकर्ता का रेलवे आधान संविदाकार, जो राज्य में कराधेय माल से सम्बन्धित परिवहन कारबार का पहले से संचालन कर रहा हो, 1 जनवरी, 2008 से तीस दिन की अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए यथाविहित रीति से रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को आवेदन करेगा।

(ग) यदि कोई परिवाहक या वाहक या परिवहन अभिकर्ता या रेलवे आधान संविदाकार इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों के उल्लंघन में कराधेय माल को ले जाता है या उसका परिवहन करता है तो उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा उसका रजिस्ट्रीकरण यथा विहित अवधि के लिए निरस्त किया या स्थगित रखा जा सकेगा।

(घ) प्रत्येक परिवाहक या वाहक या परिवहन अभिकर्ता या रेलवे आधान संविदाकार, जो अपने परिवहन कारबार का संचालन कर रहा हो, ऐसा अभिलेख रखेगा जैसा विहित किया जाय।

(ङ) परिवाहक या वाहक या परिवहन अभिकर्ता या रेलवे आधान संविदाकार द्वारा किसी भी कराधेय माल का परिदान तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि विहित अपेक्षाओं का अनुपालन न किया गया हो।

(7) जहाँ रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि ---

(क) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी होने से सम्बन्धित आवेदन-पत्र व्यवस्थित है;

(ख) प्रस्तुत सूचनाएं सही और पूर्ण हैं ;

(ग) अपेक्षित फीस जमा कर दी गयी है और प्रतिभूति, जहाँ आवश्यकता है, जमा दर दी गयी है,

वहाँ रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, ऐसी जाँच, जैसी आवश्यक हो, करने के पश्चात् व्यवहारी को रजिस्ट्रीकरण करवाने देगा और विहित प्रपत्र और विहित समय में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

(8) यदि व्यवहारी, जिसने रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाने के लिए आवेदन किया हो, इस धारा में उल्लिखित किसी शर्त को पूरा नहीं करता हो या किसी अन्य कारबार के संबंध में रुचि रखने वाला कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन या पूर्ववर्ती अधिनियम के अधीन किन्हीं देयों के भुगतान में व्यतिक्रमी हो, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् लिखित आदेश द्वारा आवेदन को अस्वीकृत कर देगा।

(9) पूर्ववर्ती अधिनियम के अधीन जारी और इस अधिनियम के अधीन धारित विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र यथाविहित दिनांक से विधिमान्य होगा।

(10) उपधारा (9) के उपबन्धों के अधीन प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र कारबार के बन्द होने के दिनांक तक प्रवृत्त रहेगा।

(11) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, व्यवहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् उस दिनांक से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त कर सकता है-

(क) जिस दिनांक को कर के भुगतान के लिए व्यवहारी का दायित्व समाप्त हो गया हो ; या

(ख) जिस दिनांक को व्यवहारी ने कारबार बन्द कर दिया हो ; या

(ग) जिस दिनांक को रद्दकरण का आदेश हुआ हो, जहाँ-

(एक) व्यवहारी को कपटपूर्वक या तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत करने के द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ हो ; या

(दो) व्यवहारी, यथास्थिति, प्रतिभूति या अतिरिक्त प्रतिभूति प्रदान करने में विफल रहा हो ; या

(तीन) व्यवहारी ने इस अधिनियम या तद्धीन बनाई गयी नियमावली के उपबन्धों के विरुद्ध किसी व्यक्ति को स्वयं द्वारा प्राप्त कोई निर्धारित घोषणा-पत्र या प्रमाण-पत्र अन्तरित कर दिया हो ; या

(चार) व्यवहारी ने अपने नाम से कारबार जारी रखने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को अनुज्ञात कर दिया हो ; या

(पाँच) व्यवहारी ने किसी व्यवहारी को, माल का वास्तविक विक्रय किये बिना, कोई कर बीजक जारी कर दिया हो ; या

(छः) जहाँ कोई परिवाहक या वाहक या परिवहन अभिकर्ता या रेलवे आधान संविदकार विवरणी को फाइल करने में विफल रहता हो या इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों के उल्लंघन में अन्यथा कार्य करता हो ;

(सात) कोई व्यक्ति धारा 43 के उपबन्धों के उल्लंघन में कार्य करता हो ;

(आठ) जहाँ कोई व्यवहारी कर, शास्ति या अन्य देयों के देय होने के दिनांक से तीन माह के भीतर उक्त कर शास्ति या अन्य देयों का भुगतान करने में विफल हो गया हो ;

(नौ) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र किसी अन्य पर्याप्त कारण से निरस्त कर दिया गया हो।

(12) उपधारा (11) के अधीन रद्दकरण कार्यवाही लम्बित रहने के दौरान जहाँ रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि व्यवहारी उपधारा (11) के अधीन रद्दकरण की कार्यवाही लम्बित रहने के दौरान, राजस्व की क्षति करने में सफल होगा, वहाँ रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण उसके लिए कारण समनुदेशित करने के पश्चात ऐसी अवधि तक के लिए जिसके दौरान कार्यवाहियाँ लम्बित हों, लिखित आदेश पारित करके रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र स्थगित रख सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि व्यवहारी रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के समाधान के लिए पर्याप्त प्रतिभूति उपलब्ध कराकर संतुष्ट कर दे कि राजस्व क्षति, यदि कोई हो, राजस्व क्षति की पूर्ति उसके द्वारा की जायेगी, तो रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के निलम्बन को प्रतिसंहृत कर सकता है।

(13) उपधारा (12) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के निलम्बन की अवधि में व्यवहारी को गैर रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी माना जायेगा।

(14) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, प्रदान की गयी या अन्यथा प्राप्त की गयी किसी सूचना पर विचार करने के पश्चात् और ऐसी जांच, जैसा वह उचित समझे, के पश्चात किसी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में समय-समय पर संशोधन कर सकता है, जो प्रभावी होगा ---

(क) संशोधन की आवश्यकता की घटना के दिनांक से जहाँ नाम, स्वामित्व या कारबार के स्थान में परिवर्तन या कारबार के नये स्थान के खोले जाने की स्थिति में धारा 75 के अधीन निर्धारित समय के भीतर उस निमित्त सूचना उपलब्ध करायी गयी हो या नकारी गयी हो;

(ख) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में किसी माल या माल के वर्ग के विवरण में किसी परिवर्धन या उपान्तरण की स्थिति में संशोधन की आवश्यकता की घटना के दिनांक से यदि उस निमित्त सूचना धारा 75 के अधीन निर्धारित समय के भीतर प्रदान की गयी हो और, यथास्थिति, किसी अन्य स्थिति में रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी या कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा ऐसे परिवर्तन या उपान्तरण के लिए अनुरोध प्राप्त करने के दिनांक से ;

(ग) किसी माल या माल के वर्ग को हटाये जाने की स्थिति में हटाये जाने के आदेश के दिनांक से :

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ किसी कारबार के स्वामित्व में किसी परिवर्तन के फलस्वरूप किसी व्यवहारी के कर के भुगतान का दायित्व समाप्त हो जाता है, तो वहां रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का संशोधन उस दिनांक से प्रभावी हो जायेगा, जिस दिनांक को धारा 75 के अधीन ऐसे परिवर्तन के सम्बन्ध में सूचना दी गयी हो।

स्पष्टीकरण :- (एक) इस उपधारा के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के किसी संशोधन का किसी कर या शास्ति के लिए किसी देयता का इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोग पर प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ेगा।

स्पष्टीकरण :- (दो) संदेहों के निवारण के लिए एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि जहाँ कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी ---

(क) अपने कारबार के नाम में कोई परिवर्तन करता है ; या

(ख) फर्म है और उसके विघटन के बिना फर्म के गठन में परिवर्तन है ; या

(ग) न्यास या न्यासी है और उसके न्यासियों में परिवर्तन है ; या

(घ) प्रतिपाल्य का अभिभावक है और अभिभावक में परिवर्तन होता है ; या

(ङ) अविभाजित हिन्दू परिवार है और ऐसे परिवार का कारबार भागीदारी के रूप में सभी या किन्ही समंशियों के साथ साझेदारी कारबार में परिवर्तित हो जाता है तो केवल उपर्युक्त परिस्थितियों के कारण से, यथास्थिति, व्यवहारी या फर्म जिसके गठन में परिवर्तन हो गया है या नये न्यासियों या नये अभिभावक के लिए यह आवश्यक नही होगा कि ऐसे साझेदारी कारबार के भागीदार रजिस्ट्रीकरण के नये प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करें, और धारा 75 द्वारा अपेक्षित रीति में दी गयी सूचना के आधार पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को संशोधित कर दिया जायेगा।

(15) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र पर रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा स्वयं न तो निरस्त किया जायेगा न तो संशोधित किया जायेगा जब तक व्यवहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाये।

स्वैच्छिक रजिस्ट्रीकरण

18-(1) 1 जनवरी, 2008 को कोई व्यवहारी, जो अन्यथा कर का भुगतान करने का दायी नहीं है और यदि ऐसा व्यवहारी कारबार करना चाहता हो या कारबार करने का इरादा रखता हो, 1 जनवरी, 2008 को या उसके पश्चात् किसी भी समय धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन विहित प्रपत्र में और रीति से उक्त उपधारा के अधीन विहित शुल्क के जमा किये जाने के सबूत के साथ रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के लिए आवेदन कर सकता है।

(2) प्रत्येक अन्य व्यवहारी जिसने 1 जनवरी, 2008 के ठीक पूर्व पूर्ववर्ती अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो किन्तु इस अधिनियम के अधीन वह कर का भुगतान करने का अन्यथा दायी न हो, इस अधिनियम के अधीन स्वैच्छिक रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी समझा जायेगा, किन्तु उसने 1 जनवरी, 2008 से तीस दिन की अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी बने रहने के अपने इरादे के सम्बन्ध में धारा 17 की उपधारा (5) के अधीन विहित प्रपत्र में सूचित कर दिया होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ किसी व्यवहारी के लिए पूर्ववर्ती अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण के लिए किसी शुल्क का भुगतान किया जाना अपेक्षित था, यदि उसका भुगतान न किया गया हो, तो वहाँ रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र तब तक विधिमान्य नहीं समझा जायेगा जब तक कि उक्त व्यवहारी इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से तीस दिन की अवधि के भीतर एक सौ रुपये के विलम्ब शुल्क के साथ नवीनीकरण शुल्क जमा नहीं कर देता है।

(3) कोई व्यवहारी, जिसे 1 जनवरी, 2008 के पश्चात पूर्ववर्ती अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो और जहाँ उक्त व्यवहारी 1 जनवरी, 2008 से इस अधिनियम के अधीन कर भुगतान करने का अन्यथा दायी न हो, रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी समझा जायेगा, यदि उक्त व्यवहारी, नवीनीकरण फीस और विलम्ब फीस, यदि कोई हो, जमा करने के पश्चात्, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी या कर निर्धारण प्राधिकारी को उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर विहित प्रपत्र में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को स्वैच्छिक रूप से रखने के अपने इरादे के सम्बन्ध में सूचित कर दें।

(4) धारा 17 की उपधारा (5) और (7) से (14) के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, इस धारा के अधीन जारी या प्राप्त किये गये प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र पर लागू होंगे।

राजस्व के हित में प्रतिभूति

19-(1) जहाँ रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को ऐसा करना आवश्यक प्रतीत हो,

(क) इस अधिनियम के अधीन देय या संदेय कोई कर, शास्ति या अन्य धनराशि की समुचित वसूली के लिए ; या

(ख) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन निर्धारित प्रपत्रों की समुचित अभिरक्षा या प्रयोग के लिए ; या

(ग) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र या, यथास्थिति, उसको प्रभावी बने रहने के लिए, एक शर्त के रूप में :

वहाँ वह लिखित आदेश द्वारा और उन कारणों से जो उसमें अभिलिखित किये जायेंगे, ऐसे प्रमाण-पत्र की, यथास्थिति, स्वीकृति या किसी भी समय जब ऐसा प्रमाण-पत्र प्रवृत्त हो, निर्देश दे सकता है कि व्यवहारी या सम्बन्धित व्यक्ति निर्धारित रीति से और ऐसे समय के भीतर जैसा आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाये, ऐसी प्रतिभूति या यदि व्यवहारी या सम्बन्धित व्यक्ति ने ऐसी प्रतिभूति पहले ही दे दी हो तो किसी प्रकार की ऐसी अतिरिक्त प्रतिभूति देगा जैसा उपर्युक्त सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट की जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि पूर्ववर्ती अधिनियम के अधीन किन्ही उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए उपलब्ध करायी गयी विधिमान्य प्रतिभूति या अतिरिक्त विधिमान्य प्रतिभूति इस अधिनियम के अधीन ऐसे प्रयोजनों के लिए विधिमान्य समझी जायेगी, यदि व्यवहारी, यथास्थिति, अपने कर निर्धारण प्राधिकारी या रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को उचित अंकित मूल्य और मूल्य वर्ग के स्टाम्प पेपर पर प्रतिभूति से दायित्व के साथ ऐसी प्रतिभूति या अतिरिक्त प्रतिभूति को प्रभावी बनाये रखने के अपने इरादे के सम्बन्ध में सूचित कर दे।

(2) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा किसी व्यवहारी या सम्बद्ध व्यक्ति से उपधारा (1) के अधीन कोई प्रतिभूति या अतिरिक्त प्रतिभूति देने की तब तक अपेक्षा नही की जायेगी जब तक कि उसे सुनवाई का अवसर न दिया गया हो और प्रतिभूति या अतिरिक्त प्रतिभूति की धनराशि उस कर निर्धारण वर्ष के लिये जिसमें ऐसी प्रतिभूति देने की अपेक्षा की जाय, ऐसे प्राधिकारी के अनुमान से व्यवहारी के आवर्त पर देय कर से किसी भी स्थिति में अधिक नहीं होगी।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी कमिश्नर, सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किसी माल के सम्बन्ध में लिखित सामान्य आदेश द्वारा निर्देश दे सकता है कि ऐसे व्यवहारी या व्यक्ति से, जिसे इस अधिनियम के अधीन निर्धारित किसी प्रपत्र की आवश्यकता हो, उतनी धनराशि की नगद प्रतिभूति, जितनी ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, देने की अपेक्षा की जायेगी।

(4) यदि किसी व्यवहारी या सम्बद्ध व्यक्ति द्वारा उपधारा (1) के अधीन दी गयी प्रतिभूति बन्ध पत्र के रूप में हो और किसी प्रतिभू की मृत्यु हो जाय या वह दिवालिया हो जाय, तो व्यवहारी या सम्बद्ध व्यक्ति उपर्युक्त किसी घटना होने के 30 दिन के भीतर उसकी सूचना, यथास्थिति, धारा 17 या धारा 18 के अधीन प्रमाण-पत्र स्वीकृत करने वाले या उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्रपत्र जारी करने वाले निर्धारक प्राधिकारी को देगा, और ऐसी घटना होने के साठ दिन के भीतर बन्ध पत्र की धनराशि के लिए नया बन्ध पत्र देगा अथवा निर्धारित रीति से अन्य प्रतिभूति देगा।

(5) कर निर्धारण प्राधिकारी आदेश द्वारा और समुचित तथा पर्याप्त कारण से किसी व्यवहारी या सम्बद्ध व्यक्ति द्वारा दी गयी सम्पूर्ण प्रतिभूति अथवा उसके किसी भाग को ---

(क) व्यवहारी या सम्बद्ध व्यक्ति द्वारा देय किसी कर या शास्ति की धनराशि अथवा अन्य धनराशि को वसूल करने के लिए ; या

(ख) यदि यह पाया जाय कि व्यवहारी या सम्बद्ध व्यक्ति ने उपधारा (1) में अभिदिष्ट किन्हीं प्रपत्रों का दुरुपयोग किया है अथवा उन्हें समुचित अभिरक्षा में नहीं रखा है, जब्त कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि व्यवहारी या सम्बद्ध व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिये बिना इस उपधारा के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया जायेगा।

(6) यदि उपधारा (5) के अधीन किसी आदेश के कारण किसी व्यवहारी या सम्बद्ध व्यक्ति द्वारा दी गयी प्रतिभूति अपर्याप्त हो जाये तो वह इसकी पूर्ति ऐसी रीति और ऐसे समय के भीतर जैसा कि कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा निर्देशित किया जाय, करेगा।

(7) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी किसी ऐसे व्यवहारी या सम्बद्ध व्यक्ति को, जिसने उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन किसी आदेश या उपधारा (4) या उपधारा (6) के उपबन्धों का पालन न किया हो जब तक व्यवहारी या सम्बद्ध व्यक्ति, यथास्थिति, ऐसे आदेश या ऐसे उपबन्धों का पालन न करे --

(क) प्रमाण-पत्र जारी करने से इन्कार कर सकता है, या

(ख) पहले से जारी किये गये किसी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को निलम्बित कर सकता है, या

(ग) उपधारा (1) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट किन्हीं प्रपत्रों को जारी करने से इन्कार कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि ऊपर खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन कोई आदेश व्यवहारी या सम्बद्ध व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित नहीं किया जायेगा।

(8) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, व्यवहारी या सम्बद्ध व्यक्ति द्वारा प्रार्थना-पत्र देने पर, इस धारा के अधीन अथवा किसी अन्य धारा के अधीन व्यवहारी या सम्बद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति के रूप में जमा प्रतिभूति उन्मोचित करने अथवा कोई धनराशि या उसका भाग लौटाने का, यदि उसकी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यकता न हो, आदेश दे सकता है।

(9) इस धारा के अधीन दिये गये आदेश के विरुद्ध धारा 55 के अधीन अपील की जा सकती है।

(10) कोई व्यक्ति जो अपीलीय अधिकारी के आदेश से क्षुब्ध हो, अपने पर आदेश तामील किये जाने के 90 दिन के भीतर, किन्तु प्रतिभूति देने के पश्चात् अधिकरण के समक्ष धारा 57 के अधीन अपील दाखिल कर सकता है।

(11) इस धारा के उपबन्ध, ऐसी प्रतिभूति के सम्बन्ध में, जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी या न्यायालय के आदेश द्वारा देने की अपेक्षा की गयी हो, आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

करदाता पहचान संख्या का उद्धृत किया जाना

20-(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र पर उसे आवंटित करदाता पहचान संख्या को, किये जाने वाले सभी पत्र व्यवहार, विवरण और प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी, दी जाने वाली सूचना और उसके द्वारा जारी किये जाने वाले दस्तावेजों पर और कोषागार चालान की प्रत्येक प्रति पर जब वह इस अधिनियम के अधीन कर की धनराशि, फीस या कोई अन्य देय जमा कर रहा हो, उद्धृत करेगा।

(2) किसी कराधेय माल का विक्रय करते समय यदि ऐसे माल का क्रेता मांग करे तो विक्रेता व्यवहारी अपना रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र दिखायेगा।

(3) किसी कराधेय माल का क्रय करते समय प्रत्येक क्रेता व्यवहारी विक्रेता व्यवहारी को अपना नाम, पता और करदाता पहचान संख्या देगा और विक्रेता व्यवहारी, यथास्थिति, उसके द्वारा जारी कर बीजक, विक्रय बीजक, परिवहन मेमो, चालान या अन्तरण बीजक पर उन विवरणों का उल्लेख करेगा।

(4) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी उसे जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या कर्मचारी के समक्ष, जब कभी भी इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में ऐसे अधिकारी या कर्मचारी द्वारा अपेक्षित हो, प्रस्तुत करेगा।

(5) प्रत्येक व्यवहारी जिसके पास आय कर अधिनियम, 1961 के अधीन आवंटित स्थायी खाता संख्या हो, आवर्त और कर की वार्षिक विवरणी पर ऐसी संख्या का उल्लेख करेगा और इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा जब भी मांग की जाये, ऐसी संख्या को प्रस्तुत करेगा।

व्यवहारी द्वारा रखे जाने वाले लेखे और दस्तावेज

21-(1) प्रत्येक कराधेय व्यवहारी विक्रय और क्रय किये गये माल के मूल्य को प्रदर्शित करने वाले सत्य और ठीक लेखे को रखेगा और घोषित करेगा और यदि सामान्य स्थिति में पोषित लेखे बोधगम्य रूप में उसे प्रदर्शित न करें तो वह सत्य और ठीक लेखे को ऐसे रूप में पोषित करेगा जैसा इस निमित्त विहित किया जाय।

(2) इस अधिनियम के अधीन कर का भुगतान करने का दायी विनिर्माता अन्य उपधाराओं में निर्दिष्ट लेखों के अलावा विनिर्माण में प्रयुक्त या खपत हुए माल के सम्बन्ध में और उत्पादन के प्रत्येक प्रक्रम पर प्राप्त उत्पादों के सम्बन्ध में स्टाक बही को पोषित करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि विनिर्माताओं के किसी वर्ग जिनके आवर्त का कुल योग किसी निर्धारण वर्ष में दस लाख रुपये से अधिक न हो, कमिश्नर और किसी अन्य मामले में राज्य सरकार ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए जिन्हें कमिश्नर या राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करने के लिए उपयुक्त समझे, इस धारा की अपेक्षाओं से छूट दे सकती है।

(3) इस धारा के अधीन पोषित किये जाने के लिए अपेक्षित लेखा, दस्तावेज और स्टाक बही, व्यवहारी द्वारा ऐसी अवधि के लिए जैसी विहित की जाये, संरक्षित किये जायेंगे।

(4) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी जो तद्धीन बनायी गयी नियमावली में विनिर्दिष्ट किसी माल या माल के वर्ग को या ऐसे अन्य माल या माल के वर्ग को, जिसे राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, ऐसी मात्रा, माप या मूल्य, जिसे अधिसूचित किया जाये, किसी व्यवहारी को चाहे विक्रय से या अन्यथा पारेषित या परिदत्त करे माल के क्रेता या पारेषिती को

विहित रीति में और उस निर्धारक प्राधिकारी से प्राप्त विहित प्रपत्र में, जिसकी ऐसे क्षेत्र के ऊपर अधिकारिता हो, जिसमें ऐसे व्यवहारी का मुख्य कारबार स्थान स्थित हो, एक परिवहन मेमो जारी करेगा।

(5) उपधारा (4) में यथा उपबंधित के सिवाय कर का भुगतान करने का दायी प्रत्येक व्यवहारी किसी कराधेय माल को किसी अन्य व्यवहारी को, चाहे विक्रय के परिणामस्वरूप या अन्यथा पारेषण या परिदत्त करते समय माल के क्रेता या पारेषिती को एक पठनीय चालान या विहित रीति में अन्तरण बीजक, जिसमें ऐसी विशिष्टियाँ हों, जो विहित की जाये, जारी करेगा।

(6) जहाँ कोई माल सड़क द्वारा परिवहन किया जाये, यथास्थिति, उपधारा (4) में निर्दिष्ट परिवहन मेमो, या उपधारा (5) में निर्दिष्ट चालान या अन्तरण बीजक की मूल प्रति, जो सभी प्रकार से पूर्ण हो, माल की यात्रा के दौरान माल के साथ रहेगी।

(7) पारेषिती को सौपने के लिए माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति, यथास्थिति, परिवहन मेमो, चालान या अन्तरण बीजक में विहित सुसंगत स्तम्भों में विशिष्टियाँ भरेगा और माल के साथ पारेषिती व्यवहारी को ऐसा परिवहन मेमो, चालान या अन्तरण बीजक सौपेगा।

(8) प्रत्येक व्यवहारी जो अपने निर्धारक प्राधिकारी से या अन्य किसी व्यक्ति से इस अधिनियम या इसके अधीन बनायी गयी नियमावली के अधीन कोई घोषणा-प्रपत्र या प्रमाण-पत्र प्राप्त करता है, वह उनका प्रयोग विहित रीति से करेगा और सभी प्रयुक्त तथा अप्रयुक्त घोषणा-प्रपत्रों या प्रमाण-पत्रों, उन घोषणा-पत्रों या प्रमाण-पत्रों सहित जो अन्य व्यक्तियों से प्राप्त किये है, का लेखा विहित रूप में रखेगा।

(9) इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली के अधीन विहित घोषणा-प्रपत्र या प्रमाण-पत्र को, इस अधिनियम या उसके अधीन बनायी गयी नियमावली में यथा उपबन्धित के सिवाय कोई व्यवहारी किसी व्यक्ति को न तो अन्तरित करेगा और न कोई व्यक्ति उसे प्राप्त करेगा।

(10) जहाँ कोई व्यवहारी कराधेय माल का निम्नलिखित तरीकों में से एक से अधिक तरीकों से व्ययन करता है :-

(एक) राज्य के भीतर माल का विक्रय करता है ; या

(दो) राज्य के भीतर विक्रय के लिए अन्य व्यवहारियों को पारेषित करता है ; या

(तीन) अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल का विक्रय करता है ; या

(चार) भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर माल के निर्यात के दौरान या भारत के राज्य क्षेत्र में आयात के दौरान माल का विक्रय करता है ; या

(पाँच) विक्रय के परिणाम से भिन्न राज्य के बाहर माल का पारेषण करता है। यथासम्भव प्रत्येक ऐसे प्रयोजन के लिए माल के क्रय, विक्रय, रसीद और प्रेषण का पृथक-पृथक लेखा रखेगा।

(11) धारा-13 के अधीन इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने वाला व्यवहारी इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि की कर अवधिवार संगणना के संबंध में पंजिका रखेगा।

(12) किसी कम्प्यूटर में बहियों, लेखाओं और दस्तावेजों को अनुरक्षित या रखने वाला व्यवहारी ऐसी समस्त बहियों, लेखाओं और दस्तावेजों की दिन-प्रतिदिन की मुद्रित प्रति भी अनुरक्षित रखेगा।

(13) कर का भुगतान करने का दायी प्रत्येक व्यवहारी स्टाक में रखे गये समस्त माल की, जैसा नीचे उल्लिखित है, उनके क्रय मूल्य के साथ एक सूची निम्नलिखित दिनांक को तैयार करेगा :-

(क) उस दिनांक को जब व्यवहारी कर का भुगतान करने का दायी हो जाता है, प्रारम्भिक रहतिया में रखे गये माल,

(ख) प्रत्येक कर-निर्धारण वर्ष के अंतिम दिनांक को अंतिम रहतिया में रखे गये माल,

(ग) कारोबार के बन्द होने के दिनांक को अन्तिम रहतिया में रखे गये माल,

(घ) ऐसे व्यवहारी के मामले में जिसने धारा 6 के अधीन कर का भुगतान करने या एकमुश्त का विकल्प दिया है उस दिनांक को जब से धारा 6 के उपबन्ध लागू नहीं होते हैं, प्रारम्भिक रहतिया में रखे गये माल :

प्रतिबन्ध यह है कि विनिर्माता पूर्वोक्त दिनांक को स्टाक में रखे गये किसी विनिर्मित या अर्धविनिर्मित माल के विनिर्माण, प्रसंस्करण या पैकेज में उपर्युक्त या उपभुक्त माल की उनके क्रय मूल्य सहित एक सूची भी तैयार करेगा।

(14) जहाँ किन्हीं माल के विक्रय के सम्बन्ध में रजिस्ट्रीकृत विक्रेता व्यवहारी द्वारा रजिस्ट्रीकृत क्रेता व्यवहारी को जारी किये गये किसी कर बीजक में कर के रूप में प्रदर्शित धनराशि इस अधिनियम के अधीन ऐसे विक्रय पर देय कर की धनराशि से अधिक हो जाय, वहाँ ऐसा विक्रेता व्यवहारी ऐसे क्रेता व्यवहारी को कर बीजक के जारी होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर कर के रूप में वसूल की गयी अधिक धनराशि का जमा पत्र प्रदान करेगा और क्रेता व्यवहारी विक्रेता व्यवहारी को ऐसी धनराशि का नामे नोट प्रदान करेगा जिसमें ऐसे अपेक्षित विवरण संलग्न होंगे जैसा विहित किये जायं।

(15) जहाँ किन्हीं माल के विक्रय के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन देय कर की धनराशि रजिस्ट्रीकृत विक्रेता व्यवहारी द्वारा रजिस्ट्रीकृत क्रेता व्यवहारी को जारी किये गये कर बीजक में कर के रूप में प्रदर्शित धनराशि से अधिक हो जाय, वहाँ ऐसा विक्रेता व्यवहारी कर बीजक जारी होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर उक्त क्रेता व्यवहारी को कर की धनराशि का नामे नोट प्रदान करेगा और क्रेता व्यवहारी रजिस्ट्रीकृत विक्रेता व्यवहारी को एक जमा पत्र प्रदान करेगा जिसमें ऐसे अपेक्षित विवरण संलग्न होंगे जैसा विहित किये जायं।

(16) क्रेता द्वारा वापस किये गये या अस्वीकृत किये गये माल के सम्बन्ध में विक्रेता व्यवहारी द्वारा क्रेता व्यवहारी को एक जमा पत्र जारी किया जायेगा और क्रेता व्यवहारी द्वारा विक्रेता व्यवहारी को नामे नोट जारी किया जायेगा जिसमें ऐसे अपेक्षित विवरण संलग्न होंगे जैसा विहित किये जायं :

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ किसी कर निर्धारण वर्ष में बेचे गये किसी माल को उत्तरवर्ती वर्ष में विक्रय के दिनांक से छह माह के भीतर वापस कर दिया जाय या अस्वीकृत कर दिया जाय, वहाँ वापस किये गये या अस्वीकृत किये गये माल के विक्रय मूल्य की धनराशि और ऐसे माल से सम्बन्धित कर की धनराशि को जिसे क्रेता व्यवहारी से विक्रेता व्यवहारी द्वारा वसूला गया है, उस कर निर्धारण वर्ष में, जिसमें माल को वापस किया गया या लौटाया गया है, यथा स्थिति, विक्रय के आवर्त या क्रय के आवर्त के साथ समायोजित कर दिया जायेगा।

(17) यदि किसी विशेष कर निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में किसी व्यवहारी का, यथास्थिति, क्रय या विक्रय या दोनों का सकल आवर्त एक करोड़ रुपये से अधिक हो जाय तो ऐसा व्यवहारी अपने लेखा का उक्त कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति से छह माह के भीतर सत्यापन और लेखा परीक्षण करायेगा और उक्त अवधि के भीतर ऐसे विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित ऐसे लेखा परीक्षा की रिपोर्ट विहित प्रपत्र में प्राप्त करेगा जिसमें ऐसे विवरण संलग्न होंगे जैसा विहित किये जायं। ऐसे रिपोर्ट की एक सत्य प्रतिलिपि उक्त व्यवहारी द्वारा कर निर्धारक प्राधिकारी को यथाविहित अवधि के भीतर प्रदान की जायेगी।

स्पष्टीकरण :- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, पद "विनिर्दिष्ट प्राधिकारी" का तात्पर्य-

(एक) चार्टर्ड एकाउन्टेंट अधिनियम, 1940 के अर्थान्तर्गत किसी चार्टर्ड एकाउन्टेंट से है और उसके अन्तर्गत कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 226 की उपधारा (2) के उपबन्धों के द्वारा ऐसे व्यक्ति भी है जो कंपनियों के लेखापरीक्षक के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त किये जाने के लिए हकदार है ;

(दो) लागत और संकर्म एकाउन्टेंट अधिनियम, 1959 के अर्थान्तर्गत किसी लागत एकाउन्टेंट से है ;

(तीन) राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य प्राधिकारी से है।

(18) यदि कोई व्यवहारी, जो उपधारा (1) के अधीन अपने लेखा की लेखा परीक्षा कराने का दायी है, ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति विहित समय के भीतर उपलब्ध कराने में विफल रहता है तो कर निर्धारण अधिकारी उक्त व्यवहारी को सुनवाई के लिए युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् उस पर देय कर के अतिरिक्त शास्ति के रूप में अवधारित ऐसे रकम जो दस हजार रुपये से अनधिक होगी, अधिरोपित करेगा।

व्यापारी द्वारा जारी किया जाने वाला कर बीजक, विक्रय बीजक और क्रय बीजक

22-(1) नीचे उल्लिखित परिस्थितियों में सभी कराधेय माल, वैट से मुक्त माल को छोड़कर, के सम्बन्ध में प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी, ऐसे व्यवहारी को छोड़कर जो धारा 6 के अधीन कर या एक मुश्त के भुगतान का विकल्प देता हो और जहाँ ऐसा व्यवहारी किसी ऐसे माल के विक्रय पर कर का भुगतान करने का दायी हो, उक्त माल के विक्रय के समय क्रेता को विहित प्रपत्र में और रीति में एक कर बीजक जारी करेगा। जिसमें ऐसे विवरण संलग्न होंगे जो विहित किये जायं और ऐसे कर बीजक पर उसके द्वारा देय कर की धनराशि पृथक रूप से प्रभारित की जायेगी, जहाँ ऐसे माल का विक्रय निम्नलिखित को किया जाता है -

(एक) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी को ; या

(दो) किसी विदेशी राजनयिक मिशन या भारत के वाणिज्यिक दूतावास के किसी पदधारी या कार्मिक को ; या

(तीन) संयुक्त राष्ट्र संघ या किसी अन्य समान अन्तर्राष्ट्रीय निकाय को किसी ऐसे सम्मेलन के अधीन, जिसका भारत एक पक्षकार हो या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन विशेषाधिकार का अधिकार हो ; या

(चार) किसी मिशन, संयुक्त राष्ट्र, संघ या खण्ड (दो) या खण्ड (तीन) में निर्दिष्ट किसी अन्य निकाय के किसी वाणिज्यिक दूतावास सम्बन्धी या राजनयिक अभिकर्ता को ; या

(पाँच) प्राधिकृत अभियान में प्रयोग या उपभोग के लिए किसी विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के किसी विकासक या सहविकासक को :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार विभिन्न वर्ग के व्यवहारियों या भिन्न-भिन्न मालों या माल के वर्गों या भिन्न-भिन्न मालों या माल के वर्गों के लिए कर बीजक के भिन्न-भिन्न प्रपत्र निर्धारित कर सकती है :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि जहां राज्य सरकार के कर बीजक का प्रारूप विहित न की हो, वहाँ विक्रेता व्यवहारी, ऐसे मामलों में जो ऊपर विनिर्दिष्ट है, विहित रीति से कर बीजक जारी करेगा और उसमें माल का क्रय करने वाले व्यक्ति के नाम और पूरा पता एवं करदाता पहचान संख्या, यदि कोई हो, के साथ ऐसे विवरण होंगे जो विहित किये जायं।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट माल का विक्रय करने वाला व्यवहारी उपधारा (1) में निर्दिष्ट कर बीजक को तीन प्रतियों में तैयार करेगा जिन पर मूल प्रति, द्वितीय प्रति और कार्यालय प्रति अंकित किया गया होगा और वह मूल प्रति व द्वितीय प्रति के रूप में अंकित प्रतियों को माल का क्रय करने वाले व्यक्ति को प्रदान करेगा। द्वितीय प्रति के रूप में अंकित कर बीजक की प्रति ऐसे माल के परिवहन के दौरान माल के साथ होगी।

(3) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी, जो-

(क) वैट से युक्त माल के विक्रय पर कर के भुगतान का दायी हो, और जो क्रेता से कर वसूल करता हो ऐसे माल का विक्रय करते समय क्रेता को विहित प्रपत्र में एक विक्रय बीजक जारी करेगा जिसमें ऐसे विवरण होंगे जो विहित किये जायं और ऐसे विक्रय बीजक पर कर की धनराशि पृथक रूप से प्रभारित करेगा, या

(ख) वैट से मुक्त माल को छोड़ कर, कराधेय माल के विक्रय पर कर के भुगतान का दायी हो, और जो ऐसे माल का विक्रय किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से भिन्न व्यवहारी को करता हो, ऐसे माल का विक्रय ऐसे व्यवहारी को करते समय क्रेता व्यवहारी का नाम, पूरा पता और यथाविहित ऐसे अन्य विवरण का उल्लेख करने के उपरान्त एक विक्रय बीजक जारी करेगा।

(4) उपधारा (1) और उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक कराधेय व्यवहारी, सभी माल के विक्रय के सम्बन्ध मे, जहाँ—

(एक) एकल विक्रय का विक्रय मूल्य इस निमित्त विहित धनराशि से अधिक हो, या

(दो) माल का क्रेता कैश मेमो या बिल की मांग करता हो, या

(तीन) किसी माल के विक्रय के सम्बन्ध में कोई बिल या कैश मेमो जारी करने के लिए कोई अन्य विधि विहित करता हो ; या

(चार) विक्रेता व्यवहारी चलन के रूप में स्वयं द्वारा किये गये विक्रय के रूप में कोई बिल या कैश मेमो जारी करता हो,

क्रेता को विहित रीति से एक कैश मेमो या बिल जारी करेगा जिसमें ऐसे विवरण होंगे जो विहित किये जायं।

(5) उपधारा (1) या उपधारा (3) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यवहारी, यथास्थिति, प्रत्येक कर बीजक या विक्रय बीजक पर पृथक रूप से कर की धनराशि प्रभारित करेगा।

(6) विक्रेता व्यवहारी द्वारा तैयार किये गये, यथास्थिति, कर बीजक, विक्रय बीजक, कैश मेमो या बिल की कार्यालय प्रति और क्रेता व्यवहारी द्वारा प्राप्त की गयी, यथास्थिति, कर बीजक, विक्रय बीजक, कैशमेमो या बिल की प्रतियाँ उनके द्वारा धारा 21 की उपधारा (3) के अधीन विहित अवधि तक सुरक्षित रखी जायेंगी।

(7) प्रत्येक व्यवहारी किसी व्यवहारी से किसी माल को क्रय करते समय विक्रेता व्यवहारी को अपना नाम, पता और करदाता पहचान संख्या, यदि कोई हो, देगा।

(8) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी क्रेता को माल का विक्रय करने वाला व्यवहारी ऐसे क्रेता को तब तक कर बीजक जारी नहीं करेगा जब तक कि क्रेता अपना नाम, पूरा पता और करदाता पहचान संख्या न उपलब्ध करा दे।

(9) जहाँ कर का भुगतान करने का दायी कोई व्यवहारी किसी कराधेय माल का क्रय किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से भिन्न व्यक्ति से करता हो और ऐसे माल का विक्रय करने वाला व्यक्ति कैश मेमो या बिल जारी नहीं करता है तो वहाँ क्रेता व्यवहारी माल का विक्रय करने वाले व्यक्ति को ऐसे क्रय के सम्बन्ध में विहित रीति से एक क्रय बीजक जारी करेगा जिसमें ऐसे विवरण होंगे जो विहित किये जायं और वह माल का विक्रय करने वाला व्यक्ति का हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी लेगा।

(10) उपधारा (9) में निर्दिष्ट क्रेता व्यवहारी क्रय बीजक को दो प्रतियों में तैयार करेगा जिन पर मूल प्रति और कार्यालय प्रति अंकित किया गया होगा। क्रेता व्यवहारी ऐसे क्रय बीजक की मूल प्रति को माल का विक्रय करने वाले व्यक्ति को प्रदान करेगा और ऐसे क्रय बीजक की कार्यालय प्रति को धारा 21 की उपधारा (3) के अधीन विहित अवधि तक सुरक्षित रखेगा।

माल के विक्रय या

23-(1) धारा 22 में यथाउपबन्धित के सिवाय, कोई व्यक्ति, किसी

क्रय पर कर की वसूली

माल के किसी विक्रय या क्रय के सम्बन्ध में कर के नाम से या किसी अन्य नाम और रूप में कोई धनराशि वसूल नहीं करेगा।

(2) जहाँ, -

(एक) यथास्थिति, कर बीजक या विक्रय बीजक में प्रभारित कर की धनराशि संदेय कर की धनराशि से अधिक हो, या

(दो) किसी विक्रय के सम्बन्ध में संदेय कर की धनराशि, यथास्थिति, किसी कर बीजक या विक्रय बीजक में प्रभारित कर की धनराशि से अधिक हो, या

(तीन) किसी माल के सम्बन्ध में विक्रय व्यवहारी द्वारा किसी क्रय करने वाले व्यवहारी को कर बीजक या विक्रय बीजक जारी किया गया हो लेकिन ऐसे क्रय करने वाले व्यवहारी द्वारा ऐसा माल या ऐसे माल के कुछ भाग को लौटा दिया गया हो या अस्वीकृत कर दिया गया हो, तो धारा 21 की उपधारा (14), (15) और (16) के उपबंधों के अनुसरण में, प्रत्येक मामलों में अन्तर्निहित कर की धनराशि का क्रेडिट नोट और डेविट नोट जारी किया जाएगा।

(3) धारा 34 में यथाउपबन्धित के सिवाय कोई व्यक्ति माल बेचने वाले किसी व्यक्ति को संदेय धनराशि से कर के रूप में कोई धनराशि कटौती नहीं करेगा।

अध्याय - चार

कर का निर्धारण, भुगतान, वसूली और संग्रहण

कर विवरण का प्रस्तुतीकरण

24-(1) प्रत्येक कराधेय व्यवहारी, जिसमें ऐसा व्यवहारी सम्मिलित है, जिससे कर की किसी धनराशि की धारा 34 के अधीन स्रोत पर कटौती की गयी हो, ऐसी कर अवधि के लिए और ऐसे समय के भीतर, जैसा कि निर्धारित किया जाय, अपना स्वनिर्धारित आवर्त और कर की विवरणी ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से सत्यापित करेगा जैसा कि निर्धारित किया जाय, प्रस्तुत करेगा, किन्तु कर निर्धारक प्राधिकारी अपने विवेक से और अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से किसी व्यवहारी या व्यवहारियों के किसी वर्ग द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने के दिनांक को बढ़ा सकता है :

प्रतिबंध यह है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने वाले व्यवहारी सहित कर भुगतान का दायी प्रत्येक व्यवहारी कर विवरणी के साथ निम्नलिखित की एक सूची ऐसे विवरणों को सम्मिलित कर के जैसा निर्धारित किया जाय, भी प्रस्तुत करेगा-

(एक) रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से क्रय किये गये माल की सूची, जिसके सम्बन्ध में व्यवहारी ने कर बीजक प्राप्त किया है ;

(दो) रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी को विक्रय किये गये माल की सूची जिसके सम्बन्ध में व्यवहारी ने कर बीजक जारी किया है ; और

(तीन) व्यवहारियों को किये गये माल का विक्रय जिनको ऐसे व्यवहारी के नाम से विक्रय बीजक जारी किया गया हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन कर विवरणी दाखिल करने के पूर्व व्यवहारी, इस अधिनियम के अधीन कर अवधि के दौरान माल के क्रेताओं से अधिक वसूल की गई धनराशि, यदि कोई हो, के साथ ऐसी कर विवरणी में दर्शायी गयी संदेय कर की धनराशि विहित रीति से जमा करेगा।

(3) प्रत्येक व्यक्ति या व्यवहारी जिस पर धारा 34 के उपबंध लागू होते हों, व्यवहारियों जिनसे कर की किसी धनराशि की कटौती की गयी हो, के संबंध में ऐसा विवरण-पत्र ऐसे समय के भीतर, जैसा निर्धारित किया जाय, दाखिल करेगा।

(4) जहाँ उपधारा (1) के अधीन व्यवहारी के आवेदन पर विवरणी दाखिल करने का दिनांक बढ़ाये जाने के फलस्वरूप उपधारा (2) के अधीन कर का जमा किया जाना आस्थगित हो जाता है, वहाँ विवरणी दाखिल करने के लिए निर्धारित अन्तिम दिनांक के तत्काल अनुवर्ती दिनांक से ऐसी धनराशि के जमा किये जाने की तिथि तक सवा प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।

(5) यदि किसी व्यवहारी को अपने द्वारा दाखिल किसी विवरणी में कोई चूक या अन्य त्रुटि मिलती हो तो वह अगली विवरणी दाखिल कर सकता है। यदि संशोधित विवरणी, मूल विवरणी में दर्शायी गयी धनराशि की अपेक्षा देय होने वाला कर अधिक प्रदर्शित करती है तो व्यवहारी देय कर के अन्तर और उपधारा (4) के अधीन इस अन्तर पर संदेय ब्याज की धनराशि पृथक-पृथक जमा करेगा मानो, व्यवहारी के आवेदन पर मूल विवरणी दाखिल करने के दिनांक तक बढ़ा दिया गया हो और यदि संशोधित विवरणी मूल विवरणी में दर्शायी गयी धनराशि से अपेक्षाकृत देय होने वाले कर की धनराशि कम दर्शाती हो तो व्यवहारी अनुवर्ती कर अवधियों के लिए देय कर के प्रति अधिक धनराशि को समायोजित कर सकता है।

(6) यदि किसी व्यवहारी द्वारा विक्रय किया गया माल क्रेता द्वारा उसे विक्रय के दिनांक से छः मास के भीतर लौटा दिया जाता है और विक्रय व्यवहारी का उस वर्ष का कर निर्धारण, जिससे ऐसा विक्रय सम्बन्धित है, अभी किया जाना हो तो विक्रय व्यवहारी और जहाँ किसी व्यवहारी द्वारा क्रय किया गया माल विक्रेता को, क्रय के दिनांक से छः माह के भीतर लौटा दिया जाता है और क्रय व्यवहारी का उस वर्ष का कर निर्धारण, जिससे ऐसा क्रय सम्बन्धित है, अभी किया जाना है तो क्रेता व्यवहारी, ऐसे माह, जिसमें ऐसा माल लौटाया गया हो,

की समाप्ति के तीस दिनों के भीतर, ऐसी कर अवधि जिसके दौरान, यथास्थिति, ऐसा विक्रय या क्रय किया गया हो, के लिए केवल संशोधित विवरणी उस प्रयोजन हेतु प्रस्तुत करेगा।

(7) कर भुगतान के लिए ऐसा दायी व्यवहारी जिसने किसी आंशिक निर्धारण वर्ष के दौरान कारबार किया हो, सहित प्रत्येक व्यवहारी, यथास्थिति, ऐसे निर्धारण वर्ष या ऐसे आंशिक निर्धारण वर्ष के लिए आवर्त और कर की वार्षिक विवरणी, ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्रपत्र और रीति में, जैसा कि निर्धारित किया जाये, प्रस्तुत करेगा :

प्रतिबंध यह है कि समुचित मामलों में, व्यवहारी के आवेदन पर कर निर्धारक प्राधिकारी वार्षिक विवरण दाखिल करने हेतु निर्धारित समय के नब्बे दिन से अधिक नहीं होगी।

(8) प्रत्येक व्यक्ति, जिस पर धारा-34 के उपबन्ध लागू होते है प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष के लिए ऐसे व्यवहारी के संबंध में जिससे कर की धनराशि की कटौती की गयी है, ऐसे ब्योरे ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर दाखिल करेगा जैसा निर्धारित किया जाय।

(9) किसी भी माल को किसी सार्वजनिक मोटर सेवा वाहन द्वारा या किसी अन्य जलयान द्वारा परिवहन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक फारवर्डिंग एजेन्ट, उस क्षेत्र के कर निर्धारक प्राधिकारी को, जहाँ से माल भेजा जा रहा है, उसके द्वारा परिवहन किये गये या भेजे गये सभी माल की ऐसी विवरणी प्रस्तुत करेगा जैसी विहित की जाय। सम्बन्धित कर निर्धारक प्राधिकारी को यह शक्ति होगी कि प्रस्तुत की गयी विवरणियों की शुद्धता को सत्यापित करने के उद्देश्य से ऐसे परिवाहक या अभिकर्ता के कब्जे में लेखा-बहियों या अन्य अभिलेखों को मंगा सकेगा और उनकी जांच कर सकेगा, और परिवाहक और अभिकर्ता, इस प्रकार मंगाये जाने पर लेखा-बहियों या अन्य अभिलेखों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होंगे।

किसी कर अवधि के लिए कर का निर्धारण

25-(1) जहां किसी कर निर्धारण वर्ष की किसी कर अवधि के संबंध में-

(एक) किसी व्यवहारी ने कर की विवरणी को निर्धारित समय के भीतर या कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा बढ़ाये गये समय के भीतर दाखिल न की हो या यदि विवरणी को ऐसे कर, जिसे ऐसी विवरण में देय प्रदर्शित किया गया हो, बिना जमा किये हुए दाखिल किया हो, या

(दो) कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा विवरणी के प्रारम्भिक परीक्षण से यह प्रकट होता हो कि विवरणी में प्रदर्शित संगणना दोषपूर्ण है या दावाकृत इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि या प्रदर्शित देय कर की धनराशि गलत है ; या

(तीन) कर निर्धारक अधिकारी के पास अभिलेख में उपलब्ध सामग्री के आधार पर कर निर्धारक अधिकारी को ऐसा प्रतीत होता है कि व्यवहारी द्वारा प्रकटित विक्रय या क्रय या दोनों का आवर्त विश्वसनीय नहीं है, वहाँ कर निर्धारक अधिकारी ऐसी जाँच करने के पश्चात् जो वह उचित समझें, और व्यवहारी को सुनवायी का युक्ति युक्त अवसर देने के पश्चात्, -

(एक) जहां व्यवहारी ने कर विवरणी प्रस्तुत नहीं की है या यदि कर विवरणी प्रस्तुत की गयी है तो कर निर्धारक प्राधिकारी की राय हो कि ऐसी विवरणी में प्रदर्शित आवर्त विश्वसनीय नहीं है तो वह अपनी सर्वोत्तम बुद्धि विवेक के अनुसार आवर्त, देय कर की धनराशि और इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमन्य, धनराशि का अवधारण ; या

(दो) किसी अन्य मामलें में कर की देय धनराशि और इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमन्य धनराशि का अवधारण ;

ऐसी कर अवधि के लिए करनिर्धारण का अनन्तिम आदेश पारित करके कर सकता है।

(2) व्यवहारी द्वारा आवर्त और कर की वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के पश्चात और जहाँ व्यवहारी द्वारा ऐसी वार्षिक विवरणी करनिर्धारक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर या बढ़ाये गये समय के भीतर प्रस्तुत न किया गया हो, वहाँ ऐसे समय की समाप्ति के पश्चात किसी कर निर्धारण वर्ष की किसी कर अवधि के लिए उपधारा (1) के अधीन कर निर्धारण का कोई अनन्तिम आदेश नहीं दिया जाएगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन निर्धारित कर की धनराशि, जो व्यवहारी द्वारा जमा की गयी कर की धनराशि से अधिक हो, का भुगतान व्यवहारी द्वारा विहित रीति से कर निर्धारण और मांग की नोटिस की उस पर तामीली के दिनांक से तीस दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा।

कर निर्धारण वर्ष के लिए कर निर्धारण

26-इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष के लिए कर का भुगतान करने के लिए दायी प्रत्येक व्यवहारी के सम्बन्ध में, व्यवहारी द्वारा देय कर का और व्यवहारी को अनुमन्य इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि का निर्धारण किया जाएगा :

प्रतिबंध यह है कि जहाँ व्यवहारी ने कर निर्धारण वर्ष के किसी भाग के दौरान कारबार किया हो वहां ऐसा कर निर्धारण, कर निर्धारण वर्ष के ऐसे भाग के लिए किया जाएगा :

अग्रतर प्रतिबंध यह है कि ऐसे व्यक्ति के मामले में -

(एक) जिसने राज्य से होकर माल के अभिवहन के लिए, प्राधिकार प्राप्त किया है और ऐसी उपधारणा हो कि ऐसा माल राज्य के भीतर ही विक्रय किया गया है, और -

(दो) जो रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से भिन्न व्यवहारी है और राज्य के बाहर से कोई कर योग्य माल लाता है,

कर निर्धारक प्राधिकारी, यथास्थिति, व्यवहारी द्वारा माल के अभिवहन या माल की प्राप्ति के लिए प्रत्येक ऐसे प्राधिकार के लिए पृथक-पृथक निर्धारण कर सकता है।

स्व कर निर्धारण

27-(1) धारा-28 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक ऐसे व्यवहारी, जिसने वार्षिक विवरणी विहित प्रपत्र और रीति में दाखिल कर दी है, के सम्बन्ध में यह समझा जाएगा कि उसका स्व कर निर्धारण कर की ऐसी धनराशि तक हो चुका है जो, यथास्थिति, प्रकटित क्रय या विक्रय या दोनों के आवर्त पर स्वीकृत रूप से देय हो और इनपुट टैक्स क्रेडिट की ऐसी धनराशि तक हो चुका है जिसे ऐसी विवरणी में अनुमन्य प्रदर्शित किया गया है।

(2) इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन सभी प्रयोजनों के लिए-

(क) धारा-24 की उपधारा (7) में निर्दिष्ट व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत की गयी आवर्त और कर की वार्षिक विवरणी को कर निर्धारण आदेश समझा जाएगा और ऐसी विवरणी में प्रकटित तथ्यों या उल्लिखित अंकों को ऐसे कर निर्धारण आदेश का भाग समझा जाएगा, और

(ख) कर निर्धारण वर्ष, जिसमें वार्षिक विवरणी दाखिल करने का निर्धारित दिनांक पड़ता है, के उत्तरवर्ती कर निर्धारण वर्ष के अन्तिम दिनांक को ऐसे कर निर्धारण आदेश का दिनांक समझा जाएगा।

अभिलेखों के परीक्षण के पश्चात् कर का निर्धारण

28-(1) निम्नलिखित प्रकार के मामलों या व्यवहारियों में कर निर्धारण प्राधिकारी व्यवहारी द्वारा अपने कारबार के संबंध में रखे गये बहियों, लेखों और दस्तावेजों और अन्य सुसंगत अभिलेखों के विस्तृत परीक्षण के पश्चात, यदि कोई हो, और उपधारा (9) के अध्यधीन ऐसी जाँच, जिसे वह उपयुक्त समझे, करने के पश्चात् इस धारा में उपबंधित रीति से कर निर्धारण वर्ष के लिए कर निर्धारण आदेश पारित करेगा :-

(क) ऐसे व्यवहारियों के मामले में जिन्हें, कमिश्नर द्वारा या कमिश्नर द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी, जो संयुक्त कमिश्नर से नीचे की पंक्ति का न हो, द्वारा ऐसी रीति और ऐसे समय के भीतर, जैसा विहित किया जाय, कर लेखा परीक्षा के लिए विनिर्दिष्ट या चयनित किया गया हो।

(ख) निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी श्रेणी में आने वाले व्यवहारी :-

(एक) ऐसा व्यवहारी जिसने वार्षिक विवरणी को निर्धारित या बढ़ायी गयी अवधि के भीतर प्रस्तुत न किया हो, या

(दो) ऐसा व्यवहारी जिसके द्वारा कर निर्धारण वर्ष की या उससे अधिक कर अवधियों के लिए विवरणी प्रस्तुत नहीं की गयी है, या

(तीन) ऐसा व्यवहारी जिसके मामले में कर निर्धारक प्राधिकारी ने अपने सर्वोत्तम विवेक बुद्धि से एक या उससे अधिक कर अवधियों के सम्बन्ध में धारा-25 के अधीन अनन्तिम कर निर्धारण आदेश पारित किया हो, या

(चार) ऐसा व्यवहारी जिसके मामले में अभिलेखों में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, यदि कर निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि आवर्त की वार्षिक विवरणी में प्रदर्शित देय कर जमा नहीं किया गया है या इनपुट टैक्स क्रेडिट की दावाकृत धनराशि दोषपूर्ण है या देय कर की प्रदर्शित धनराशि गलत है, या

(पाँच)ऐसा व्यवहारी जिसने इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन सर्वेक्षण, निरीक्षण, तलाशी या अभिग्रहण करने के लिए सशक्त किसी अधिकारी को रोका या बाधा पहुंचाई हो, या

(छः) ऐसा व्यक्ति जिसने माल के राज्य से होकर अभिवहन के लिए प्राधिकार प्राप्त किया हो और यह अनुमान हो कि ऐसे माल का विक्रय राज्य के भीतर किया गया है।

(2) जहां उपधारा-(1) में निर्दिष्ट बहियों, लेखों, दस्तावेजों और अन्य अभिलेखों की जॉच करने के पश्चात्-

(एक) जहां कर निर्धारक अधिकारी का व्यवहारी द्वारा प्रकटित, यथास्थिति, विक्रय या क्रय या दोनों के आवर्त के बारे में समाधान हो जाता है, वहां वह ऐसे आवर्त पर व्यवहारी द्वारा देय कर की धनराशि का निर्धारण करेगा और व्यवहारी को इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमन्य धनराशि और व्यवहारी द्वारा उत्क्रमित इनपुट टैक्स क्रेडिट की देय धनराशि का अवधारण करेगा, और

(दो) जहॉ कर निर्धारक प्राधिकारी की राय हो कि व्यवहारी द्वारा प्रकटित, यथास्थिति, विक्रय या क्रय या दोनों का आवर्त विश्वसनीय नही है, वहां वह अपनी सर्वोत्तम विवेक बुद्धि के अनुसार, यथास्थिति, विक्रय या क्रय या दोनों के आवर्त का अवधारण करेगा और ऐसे आवर्त पर देय कर का निर्धारण करेगा और इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमन्य धनराशि का और व्यवहारी द्वारा देय उत्क्रमित इनपुट टैक्स क्रेडिट का अवधारण करेगा।

(3) उपधारा-(2) के अधीन कर निर्धारण करने से पूर्व व्यवहारी-

(एक) से अपेक्षा की जाएगी कि वह धारा-24 की उपधारा-(7) में निर्दिष्ट आवर्त और कर की वार्षिक विवरणी, यदि उसने ऐसी विवरणी प्रस्तुत नहीं की है, प्रस्तुत कर दे,

(दो) को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा, और

(तीन) जहां आवर्त इनपुट टैक्स क्रेडिट या उत्क्रमित इनपुट टैक्स क्रेडिट का अवधारण अथवा कर का निर्धारण, यथास्थिति, सभी का या उनमें से किसी का, कर निर्धारक प्राधिकारी की सर्वोत्तम विवेक बुद्धि के अनुसार किया जाना हो, को कारण बताओ नोटिस जारी की जायेगी।

(4) उपधारा-(3) में निर्दिष्ट कारण बताओं नोटिस में ऐसे सभी कारण अन्तर्विष्ट होंगे जिसके आधार पर कर निर्धारक प्राधिकारी ने, यथास्थिति, विक्रय या क्रय या दोनों के आवर्त, कर की धनराशि, इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि या उत्क्रमित इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि अविश्वसनीयता के बारे में अपनी राय बनाई हो ;

(5) कर निर्धारण का आदेश लिखित रूप में होगा और कर निर्धारण आदेश की प्रति, साथ में व्यवहारी द्वारा जमा किये जाने वाले कर की धनराशि के मांग की नोटिस, यदि कोई हो, व्यवहारी पर तामील की जाएगी।

(6) कर निर्धारण आदेश में स्वयं द्वारा जमा किये गये कर की धनराशि से अधिक निर्धारित कर की धनराशि को व्यवहारी कर निर्धारण आदेश और मांग की नोटिस की तामीली के दिनांक के पश्चात् तीस दिन की अवधि के भीतर जमा करेगा।

(7) यदि व्यवहारी द्वारा जमा की गयी कर की धनराशि निर्धारित कर की धनराशि से अधिक पायी जाती है तो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन व्यवहारी को वापस कर दिया जायेगा।

(8) धारा-25 के अधीन किसी कर अवधि के सम्बन्ध में किसी अनन्तिम आदेश के पारित होने के आधार पर कर निर्धारण प्राधिकारी को इस धारा के अधीन, कर निर्धारण आदेश देने से निवारित नहीं किया जाएगा और ऐसा अनन्तिम कर निर्धारण आदेश इस धारा के अधीन पारित कर निर्धारण आदेश में विलीन हो जाएगा।

(9) इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, निम्नलिखित व्यवहारियों या व्यवहारियों के वर्ग के सम्बन्ध में एक ही कर निर्धारण वर्ष के लिए ऐसी संख्या में कर निर्धारण किया जाएगा जो नीचे उल्लिखित है :-

(एक) राज्य से होकर माल के अभिवहन के लिए प्राधिकार के जारी होने से सम्बन्धित मामलों में, प्रत्येक ऐसे प्राधिकार के सम्बन्ध में पृथक-पृथक कर निर्धारण।

(दो) जहां कोई अपंजीकृत व्यवहारी कोई कर योग्य माल राज्य के बाहर से एक कर निर्धारण वर्ष में एक से अधिक बार लाता है, वहाँ प्रत्येक अवसर पर लाये गये माल के सम्बन्ध में पृथक-पृथक कर निर्धारण।

(10) इस अधिनियम के सभी उपबंध उपधारा-(9) के अधीन पारित प्रत्येक निर्धारण आदेश पर लागू होंगे जैसे कि वे उपधारा-(2) के अधीन पारित आदेश पर लागू होते है।

(11) उपधारा-(10) के अधीन व्यवहारियों से आवर्त और कर की वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी और ऐसे व्यवहारियों के मामलें में, कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति के पूर्व ही उपधारा (10) के अधीन कर निर्धारण किया जा सकता है।

(12) उपधारा-(5), (6) और (7) के उपबंध इस अधिनियम के किसी भी उपबंध के अधीन पारित प्रत्येक निर्धारण आदेश पर यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

कर निर्धारण से वंचित रह गये आवर्त का कर निर्धारण

29-(1) यदि कर निर्धारक अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी व्यवहारी का, किसी कर निर्धारण वर्ष या उसके भाग के लिए, सम्पूर्ण आवर्त या उसका कोई भाग कर निर्धारण से रह गया है अथवा कम निर्धारित किया गया है अथवा उसका उस पर ऐसी दर से कर का निर्धारण किया गया है जो इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारण किए जाने की दर से कम हो, तो कर निर्धारक अधिकारी व्यवहारी को नोटिस जारी करने और ऐसी जांच करने, जिसे वह आवश्यक समझे, के पश्चात् उस व्यवहारी पर विधि के अनुसार कर का निर्धारण या पुनर्निर्धारण कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि कर उसी दर से लगाया जायेगा जिससे वह लगाया जाता, यदि आवर्त, कर निर्धारण, या पूर्व कर निर्धारण, जैसी भी स्थिति हो, से रह न गया होता।

स्पष्टीकरणः- (1) इस उपधारा की कोई भी बात कर निर्धारक अधिकारी के लिए उसके सुविचार से कर निर्धारण करने में रुकावट पैदा करने वाली न समझी जायेगी।

स्पष्टीकरणः- (2) इस धारा और धारा-31 के प्रयोजनों के लिए "कर निर्धारक अधिकारी" का तात्पर्य उस अधिकारी या प्राधिकारी से है जिसनें पूर्वतर कर निर्धारण आदेश, यदि कोई हो, पारित किया हो और इसके अन्तर्गत वह अधिकारी या प्राधिकारी भी है, जिसे तत्समय व्यवहारी पर कर निर्धारित करने की अधिकारिता हो।

स्पष्टीकरण :- (3) उपधारा के अधीन नोटिस जारी करने के बावजूद जहाँ कर निर्धारण या पुन: कर निर्धारण का कोई आदेश ऐसा नोटिस जारी किए जाने के पूर्व से विद्यमान हो, वहां वह उसी प्रकार प्रभावी बना रहेगा जब तक ऐसी नोटिस के अनुसरण में इस धारा के अधीन किए गए कर निर्धारण या पुन: करनिर्धारण की किसी आदेश द्वारा उसमें परिवर्तन न कर दिया जाय।

(2) किसी कर निर्धारण वर्ष की किसी कर अवधि के लिए कर निर्धारण आदेश धारा-25 के अधीन निर्धारित समय के भीतर पारित किया जा सकता है।

(3) इस धारा या इस अधिनियम में यथा उपबन्धित के सिवाय किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन कर निर्धारण या पुन: कर निर्धारण का कोई आदेश ऐसे कर निर्धारण वर्ष के अन्त से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(4) जहाँ किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए उपधारा (1) के अधीन नोटिस ऐसे कर निर्धारण वर्ष, जिससे कर निर्धारण या पुन: कर निर्धारण सम्बन्धित है, की समाप्ति के पश्चात् तीन वर्ष की अवधि के भीतर तामील कर दी गई हो, वहां कर निर्धारण या पुन: कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति के पश्चात् तीन वर्ष और छ: माह के भीतर किया जा सकता है।

(5) जहाँ अपील प्राधिकारी, पुनरीक्षक प्राधिकारी, अधिकरण, उच्च न्यायालय या राज्य सरकार ने ---

(क) कर निर्धारण या पुन: कर निर्धारण के आदेश को अपास्त कर दिया हो और मामले को कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर दिया गया हो, या

(ख) सुनवाई के युक्तियुक्त अवसर के अभाव के कारण कर निर्धारण या पुन: कर निर्धारण एक पक्षीय आदेश को अपास्त कर दिया हो या कर निर्धारक प्राधिकारी को अपास्त करने के लिए निर्देशित किया हो, या

(ग) अधिकारिता के अभाव के कारण या नोटिस के अभाव के कारण कर निर्धारण या पुन: कर निर्धारण की किसी आदेश को अभिखंडित कर दिया हो,

वहां कर निर्धारण प्राधिकारी उस कर निर्धारण वर्ष के, जिसमें कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा ऐसा आदेश या निदेश सम्यक् प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया गया हो, उत्तरवर्ती कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति के पूर्व कर निर्धारण या पुन: कर निर्धारण का आदेश पारित कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां नोटिस के अभाव के कारण या अधिकारिता के अभाव के कारण किसी प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा कर निर्धारण या पुन: कर निर्धारण या पुन: कर निर्धारण का कोई आदेश अभिखण्डित कर दिया जाय, वहां कर निर्धारण या पुन: कर निर्धारण का आदेश सक्षम कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा व्यवहारी पर नोटिस तामील करने के पश्चात् किया जा सकता है।

(6) जहां धारा-32 के अधीन एक पक्षीय कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा कर निर्धारण या पुन: कर निर्धारण का कोई आदेश स्वयं अपास्त कर दिया जाय, वहां उस कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति के पूर्व, जिसमें कर निर्धारण या पुन: कर निर्धारण का आदेश अपास्त किया गया हो, कर निर्धारण या पुन: कर निर्धारण का नया आदेश पारित किया जा सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी कर निर्धारण वर्ष की अक्टूबर की पहली दिनांक को या इसके पश्चात् कर निर्धारण या पुन: कर निर्धारण का एकपक्षीय आदेश अपास्त कर दिया जाय तो उस कर निर्धारण वर्ष के लिए जिसमें कर निर्धारण या पुन: कर निर्धारण का एक पक्षीय आदेश अपास्त किया गया था, के उत्तरवर्ती कर निर्धारण वर्ष के सितम्बर के तीसवें दिवस को या उसके पूर्व कर निर्धारण या पुन: कर निर्धारण का नया आदेश दिया जा सकता है :

अग्रतर प्रतिबंध यह है कि जहां कर निर्धारण या पुन: कर निर्धारण का आदेश दूसरी बार या उत्तरवर्ती बार एक पक्षीय रूप से किया जाता है और कर निर्धारण या पुन: कर निर्धारण का दूसरी या उत्तरवर्ती बार किया गया ऐसा एक पक्षीय आदेश अपास्त किया जाना हो और कर निर्धारण या पुन: कर निर्धारण का नया आदेश किया जाना हो तो ऐसा एक पक्षीय कर निर्धारण या पुन: कर निर्धारण का दूसरी बार या उत्तरवर्ती बार आदेश पूर्व में अपास्त किये गये एक पक्षीय आदेश के बाद उपरिउल्लिखित समय के भीतर किया जा सकेगा।

(7) जहां कमिश्नर का स्वप्रेरणा से या कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा अभिलिखित किए गये कारणों के आधार पर यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना न्याय संगत और समीचीन है, और वह इस निमित्त कर निर्धारक अधिकारी को प्राधिकृत करता है, तो ऐसा कर निर्धारण या पुन: कर निर्धारण इस तथ्य के होते हुए भी कि ऐसे निर्धारण या पुन: निर्धारण में वैचेारिक मतभेद हो सकता है, उस कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति के पश्चात् आठ वर्ष की अवधि के भीतर किया जा सकेगा जिससे ऐसा कर निर्धारण या पुन: निर्धारण सम्बन्धित हो :

प्रतिबन्ध यह है कि कमिश्नर के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह कर निर्धारक प्राधिकारी को प्राधिकृत करने के पूर्व व्यवहारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करे।

(8) जहां किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण या पुन: कर निर्धारण की कार्यवाही किसी न्यायालय या प्राधिकारी के आदेश के अधीन स्थगित हो तो स्थगन आदेश के दिनांक को प्रारम्भ होने वाली और सम्बद्ध कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा स्थगन को निष्प्रभावी करने वाले आदेश की प्राप्ति के दिनांक को समाप्त होने वाली अवधि को इस धारा की उपबन्धित परिसीमा अवधि की संगणना करने में निकाल दिया जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि उपरोक्तानुसार परिसीमा की संगणना करने में, कोई कर निर्धारण या पुन: कर निर्धारण का अन्तिम दिनांक किसी कर निर्धारण वर्ष में अक्टूबर के प्रथम दिवस के पूर्व पड़ता हो तो कर निर्धारण या पुन: कर निर्धारण ऐसे कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति के पूर्व किया जा सकता है और यदि ऐसी दशा में जबकि ऐसा दिनांक किसी कर निर्धारण वर्ष के सितम्बर माह के पश्चात् पड़ता हो तो कर निर्धारण या पुन: कर निर्धारण का आदेश उस कर निर्धारण वर्ष के, जिसमें ऐसा दिनांक पड़ता है पश्चात्वर्ती कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति के पूर्व दिया जा सकता है।

(9) यदि किसी कर निर्धारण प्राधिकारी ने किसी व्यवहारी के किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए कर निर्धारण या पुन: कर निर्धारण में -

(क) किसी आवर्त को सम्मिलित कर लिया है और वरिष्ठ प्राधिकारी या न्यायालय में अपने में विधि पूर्वक निहित अधिकारों का प्रयोग करके ऐसे आवर्त को -

(एक) किसी अन्य कर निर्धारण वर्ष के लिए उस व्यवहारी के, या

(दो) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन उस व्यवहारी के, या

(तीन) इस अधिनियम के अधीन या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 के अधीन किसी अन्य व्यवहारी के कर निर्धारण से सम्बन्धित ठहराया हो,

(ख) किसी आवर्त को इस आधार पर सम्मिलित नहीं किया है कि उसका सम्बन्ध केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन कर निर्धारण से है और किसी वरिष्ठ प्राधिकारी या न्यायालय ने, अपने में विधि पूर्वक निहित अधिकारों का प्रयोग करके, ऐसे आवर्त को इस अधिनियम के अधीन उस व्यवहारी के कर निर्धारण से सम्बन्धित ठहराया हो, चाहे वह ऐसे कर निर्धारण वर्ष के लिए हो या किसी अन्य कर निर्धारण वर्ष के लिए -

तो इस धारा की समय को सीमित करने वाली कोई बात यथा स्थिति ऐसे कर निर्धारण वर्ष के या ऐसे अन्य कर निर्धारण वर्ष के लिए उस व्यवहारी के या ऐसे अन्य व्यवहारी के चाहे इस अधिनियम या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन कर निर्धारण या पुन: कर निर्धारण के सम्बन्ध में लागू न होगी।

(10) जहां कर निर्धारक अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई व्यक्ति जो कर के भुगतान से बचने की दृष्टि से या किसी ऐसे इनपुट टैक्स क्रेडिट या छूट, जिनके लिए वह अन्यथा पात्र नहीं था, का दावा करने के उद्देश्य से किसी अन्य व्यक्ति के नाम से या उसके साथ, या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे अभिकर्ता, कर्मचारी, प्रबन्धक, भागीदार या मुख्तारनामा धारक या प्रतिभूति दाता, सापेक्ष या सहोदर समुत्थान के रूप में हो अथवा किसी अन्य हैसियत से कारोबार कर रहा था तो वहाँ उक्त व्यक्ति और वह व्यक्ति जिसके नाम से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र लिया गया हो, पृथक या संयुक्त रूप से कर, ब्याज या शास्ति के लिए दायी होगा जिसका कर निर्धारण, उद्ग्रहण और वसूली सभी या ऐसे व्यक्ति से की जायेगी मानो ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन व्यवहारी हों, तथापि कोई कार्यवाही करने के पूर्व सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जायेगा।

(11) जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि राज्य या उसके किसी भाग में किसी कर निर्धारण वर्ष में व्याप्त असामान्य परिस्थितियों के कारण किसी ऐसे मामले या मामलों के वर्ग में, जिसके सम्बन्ध में ऐसे कर निर्धारण वर्ष में कर निर्धारण या पुन: कर निर्धारण पारित करने के लिए परिसीमा समाप्त हो जाती है, कर निर्धारण या पुन: कर निर्धारण को पूरा करना कठिन होगा, वहां ऐसे मामले या मामलों के वर्ग में कर निर्धारण या पुन:कर निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए वह गजट में अधिसूचना द्वारा इस धारा के अधीन निर्धारित समय-सीमा के बाद एक वर्ष तक समय सीमा बढ़ा सकती है।

(12) जहां विक्रेता और क्रेता के मध्य किसी करार में यह करार किया जाता है कि मूल्य वृद्धि के कारण माल का विक्रय मूल्य पश्चात्वर्ती दिनांक को निर्धारित किया जायेगा और ऐसा दिनांक कर निर्धारण वर्ष जिसमें ऐसे माल का विक्रय किया गया था, के, किसी पश्चात्वर्ती कर निर्धारण वर्ष में पड़ता हो, इस अधिनियम के अधीन सभी प्रयोजनों के लिए कीमत निर्धारण के कारण प्राप्य धनराशि को, उस कर अवधि के दौरान जिसमें ऐसा निर्धारण किया जाए, आवर्त माना जायेगा और जहां धारा 28 में यथाविहित ऐसे आवर्त पर कर निर्धारण की सीमा समाप्त हो गई हो, वहां आवर्त के ऐसे भाग का निर्धारण उस कर निर्धारण वर्ष के जिसमें ऐसा मूल्य निर्धारित किया गया है, के उत्तरवर्ती कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति के पूर्व किया जा सकता है किन्तु विक्रय के ऐसे आवर्त पर कर विक्रय के समय प्रचलित दर पर प्रभारित किया जाएगा।

आवर्त और कर को पूर्णांकित करना

30- (1) निर्धारित रीति से अवधारित आवर्त की धनराशि को, यदि ऐसी धनराशि दस रुपये के गुणांक में न हो, तो निकटतम दस रुपये के गुणांक में पूर्णांक किया जाएगा, अर्थात दस रूपये के ऐसे भाग को जो पांच रुपये से कम हो, छोड़ दिया जायेगा और किसी अन्य भाग को दस रुपये गिना जाएगा। इस प्रकार पूर्णांक की गयी धनराशि को इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारण के प्रयोजनों के लिए करदाता का आवर्त समझा जायेगा।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देयकर, शुल्क, ब्याज, शास्ति या किसी अन्य धनराशि को या वापस करने योग्य धनराशि को अगर ऐसी धनराशि में एक रुपये का भाग हो, निकटतम रुपये में पूर्णांक किया जायेगा, अर्थात एक रुपये के ऐसे भाग को जो पचास पैसे से कम हो, छोड़ दिया जाएगा और किसी अन्य भाग को एक रुपया गिना जाएगा।

त्रुटियों का संशोधन

31- (1) कोई अधिकारी या प्राधिकारी या अधिकरण या उच्च न्यायालय इस अधिनियम के अधीन अपने द्वारा पारित किसी आदेश में अभिलेख देखने मात्र से प्रत्यक्ष किसी भूल को स्वप्रस्ताव से या व्यवहारी या किसी अन्य हितबद्ध व्यक्ति के प्रार्थना पत्र पर उस आदेश के दिनांक से जिसमें सुधार किया जाना हो, तीन वर्ष के भीतर सुधार सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि इस उपधारा के अधीन प्रार्थना पत्र ऐसी तीन वर्ष की अवधि के भीतर दे दिया गया हो तो उसका निस्तारण ऐसी अवधि के पश्चात् भी किया जा सकता है :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई सुधार जिसके प्रभाव से निर्धारित कर, शास्ति, शुल्क या अन्य देयों में वृद्धि हो, तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे व्यवहारी या अन्य व्यक्ति को, जिसके ऐसी वृद्धि से प्रभावित होने की सम्भावना हो, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

(2) उस दशा में जब ऐसी भूल सुधार का प्रभाव लगाए हुए कर के बढ़ने का हो, सम्बन्धित कर निर्धारक प्राधिकारी निर्धारित प्रपत्र में मांग की फिर से सूचना व्यवहारी को देगा और उसके बाद इस अधिनियम के सभी प्रावधान उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि यह सूचना पहली बार दी गयी हो।

कर निर्धारण या शास्ति के एक पक्षीय आदेश को रद्द करने की शक्ति

32- (1) किसी मामले, जिसमें कर निर्धारण या पुन: कर निर्धारण के आदेश या रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन-पत्र को अस्वीकार करने या शास्ति का आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया हो, में व्यवहारी उक्त आदेश की तामीली के तीस दिन के भीतर कर निर्धारक प्राधिकारी को, ऐसे आदेश को रद्द करने तथा उस मामले पर पुन: विचार करने के लिए प्रार्थना पत्र दे सकता है, और यदि उक्त प्राधिकारी का सन्तोष हो जाय कि प्रार्थी को नोटिस नहीं मिला या वह पर्याप्त कारणों से नियत दिनांक को उपस्थित न हो सका तो वह आदेश को रद्द कर सकता है और मामले की सुनवाई पुन: प्रारम्भ कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि कर निर्धारण के एक पक्षीय आदेश को रद्द करने के लिए ऐसा कोई प्रार्थना पत्र तब तक स्वीकार नहीं किया जायेगा जब तक कि, यथास्थिति, विक्रय या क्रय या दोनो के आवर्त पर इस अधिनियम के अधीन देय कर की धनराशि, जिसे व्यवहारी द्वारा दाखिल की गयी विवरणी में या इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में किसी स्तर पर स्वीकार किया गया हो, जो भी अधिक हों, के भुगतान का सन्तोषजनक प्रमाण उसके साथ न लगा हो।

(2) यदि धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन कोई कर निर्धारण या शास्ति के आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाय तो व्यवहारी आदेश तामील किये जाने के तीस दिन के भीतर कर निर्धारण प्राधिकारी को ऐसा आदेश रद्द करने के लिए आवेदन कर सकता है और यदि ऐसे कर निर्धारक प्राधिकारी का समाधान हो जाय कि व्यवहारी ने कर विवरण पत्र प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित अन्तिम दिनांक से तीस दिन के भीतर कर विवरण पत्र प्रस्तुत कर दिया है और कर विवरण के अनुसार देय धनराशि जमा कर दी है तो वह ऐसे आदेश और उसके अधीन जारी की गयी मांग की नोटिस को भी, यदि कोई हो, उपांतरित या रद्द कर सकता है।

(3) किसी मामले में, जिसमें कर निर्धारण या पुन: कर निर्धारण का आदेश एकपक्षीय किया गया हो और-

(क) ऐसे आदेश के विरुद्ध धारा-55 के अधीन अपील कालातीत होने के कारण खारिज कर दी गयी हो ;

(ख) धारा 57 के अधीन अधिकरण के समक्ष अपील में धारा 55 के अधीन अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि कर दी गयी हो ; और

(ग) कमिश्नर या कमिश्नर द्वारा पदाभिहित अपर कमिश्नर का व्यवहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, समाधान हो जाता है कि -

(एक) कर निर्धारण पुन: कर निर्धारण की कार्यवाहियों की अवधि के दौरान किसी भी स्तर पर व्यवहारी को ऐसी कार्यवाही के आरम्भ होने की कोई सूचना नहीं थी ;

(दो) एक पक्षीय कर निर्धारण या पुन: कर निर्धारण के परिणाम स्वरूप किसी उचित आधार के बिना कर की धनराशि उद्ग्रहीत की गयी है ;

(तीन) व्यवहारी को असम्यक् कठिनाई होगी यदि ऐसा निर्धारित कर उससे वसूल किया जाता है ; और

(चार) यदि व्यवहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, कर पुन: निर्धारित किया जाता है, तो निर्धारण या पुन: कर निर्धारण के पूर्व आदेश द्वारा सृजित मांग बड़ी मात्रा में कम हो सकती है ;

तो वह कर निर्धारक प्राधिकारी को ऐसे कर निर्धारण या पुन: कर निर्धारण के एक पक्षीय आदेश को रद्द करने का निर्देश दे सकता है और व्यवहारी को युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात निर्धारण या पुन: निर्धारण करने का निर्देश दे सकता है, यदि व्यवहारी धारा 57 के अधीन अधिकरण द्वारा पारित आदेश की प्राप्ति के दिनांक से साठ दिन के भीतर कमिश्नर के समक्ष प्रार्थना पत्र देता है।

कर का संदाय और वसूली

33-(1) कर या शुल्क या शास्ति की कोई धनराशि या कोई अन्य धनराशि जिसका इस अधिनियम के अधीन कोई व्यवहारी या अन्य व्यक्ति भुगतान करने के लिए दायी हो, व्यवहारी या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा विहित रीति से जमा की जायेगी।

(2) धारा-42 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, स्वीकृत रूप मे देय कर निर्धारित समय के भीतर जमा किया जाएगा, ऐसा करने में विफल होने पर अंसदत्त धनराशि पर निर्धारित अन्तिम दिनांक के ठीक अगले दिनांक से ऐसी धनराशि के भुगतान के दिनांक तक प्रतिमाह सवा प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज देय होगा और दिया जाएगा और धारा 24 में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे ब्याज का भुगतान करने के दायित्व से न तो रोकेगी और न उसका प्रभाव ऐसे ब्याज के भुगतान की देयता को स्थगित करने का होगा -

स्पष्टीकरण - इस उपधारा के प्रयोजनार्थ, यथास्थिति, किसी कर अवधि या कर निर्धारण वर्ष के लिए स्वीकृत रूप में देय कर की गणना धारा 15 के उपबंधों के अनुसार की जाएगी।

(3) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, पहले से जमा किए गये कर की धनराशि से आधिक्य में इस अधिनियम के अधीन निर्धारित कर की धनराशि, उस पर देय ब्याज की धनराशि, शास्ति के रूप में आरोपित कोई धनराशि और इस अधिनियम के अधीन अवधारित कोई अन्य धनराशि विनिर्दिष्ट रीति से :-

(क) निर्धारित किए गए कर और देय ब्याज के मामलें में कर निर्धारण आदेश और मांग-पत्र ;

(ख) यथास्थिति, अधिरोपित शास्ति या कोई अन्य देय अवधारित धनराशि आदेश की तामील किये जाने के तीस दिन के अन्दर जमा किये जायेंगे।

(4) यदि किसी प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा निर्धारित, पुनः निर्धारित या बढ़ाया गया कोई कर (जो स्वीकार रूप से देय उस कर से भिन्न हो जिस पर उपधारा (2) लागू होती हो) कर निर्धारण और मांग की नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात असंदत्त रह जाता है तो ऐसी समाप्ति के दिनांक से संगणित असंदत्त धनराशि पर एक प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा और उसका भुगतान किया जायेगा।

(5) इस धारा के अधीन देय ब्याज की धनराशि किसी ऐसे अन्य दायित्व या शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी जो व्यवहारी को इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उठानी पड़े और उसे कर की धनराशि में जोड़ दिया जाएगा और, सभी प्रयोजनों के लिए इसे कर का भाग भी समझा जाएगा।

(6) जहां किसी कर की वसूली किसी न्यायालय या प्राधिकारी के किसी आदेश से स्थगित रही हो और ऐसा स्थगन आदेश बाद में निष्प्रभावी कर दिया गया हो वहां व्याज ऐसी किसी अवधि के लिए भी देय होगा जिसमें ऐसा आदेश प्रभावी रहा हो।

(7) किसी विधि या संविदा में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए, कर निर्धारक प्राधिकारी, किसी समय या समय-समय पर, लिखित सूचना द्वारा, जिसकी एक प्रति व्यवहारी के पास अन्तिम पते पर, जो कर निर्धारक प्राधिकारी को ज्ञात हो, भेजी जायेगी, किसी व्यक्ति-

(क) जिसके द्वारा व्यवहारी को कोई धनराशि देय हो या देय हो जाये ; या

(ख) जिसके पास व्यवहारी के निमित्त या उसकी ओर से धन हो या बाद में हो जायें, तो अपेक्षा कर सकता कि वह कर निर्धारक अधिकारी को -

(एक) धन देय होने पर या उसके पास होने पर तुरन्त, या

(दो) नोटिस में निर्दिष्ट समय पर या उसके भीतर, जो धन देय होने पर या उसके पास धन होने के पहले न हो

उस धनराशि में से ऐसी धनराशि अदा करें जो व्यवहारी द्वारा देय कर के बकाया व इस अधिनियम के अधीन देय अन्य धनराशियों के भुगतान के निमित्त पर्याप्त हो या जब वह उक्त धनराशि के बराबर हो या उससे कम हो तो, वह पूरी धनराशि अदा करें :

प्रतिबंध यह है कि कर निर्धारक प्राधिकारी किसी भी समय या समय-समय पर ऐसी नोटिस को संशोधित कर सकता है।

स्पष्टीकरण :- इस उपधारा के प्रयोजनों के निमित्त व्यवहारी को देय धनराशि या व्यवहारी या उसकी ओर से किसी व्यक्ति के पास धनराशि का हिसाब उन दावों पर, यदि कोई हो, विचार करने के बाद लगाया जायेगा, जिनके भुगतान उक्त व्यवहारी द्वारा उस व्यक्ति को देय हो गये हो, और जो उस समय विधिवत् अवस्थित है।

(8) उपधारा (7) के अधीन नोटिस के अनुपालन में भुगतान करने वाले व्यक्ति के विषय में यह समझा जायेगा कि उसने व्यवहारी के प्राधिकार के रूप में भुगतान किया तथा कर-निर्धारक अधिकारी की रसीद उस व्यक्ति के व्यवहारी के प्रति दायित्व से, रसीद में उल्लिखित धनराशि की मात्रा तक विधि संगत तथा पर्याप्त रूप से उन्मुक्त करेगी।

(9) जो व्यक्ति उपधारा (7) में उल्लिखित नोटिस की प्राप्ति के पश्चात् व्यवहारी के प्रति दायित्व का उन्मोचन करता है, वह कर निर्धारक प्राधिकारी के प्रति उन्मुक्त दायित्व की मात्रा तक या उस नोटिस में उल्लिखित धनराशि की मात्रा तक, जो भी कम हो, व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।

(10) यदि कोई व्यक्ति जिसे उपधारा (7) के अधीन नोटिस भेजी जाती है, कर निर्धारक प्राधिकारी के संतोषानुसार यह सिद्ध कर दे कि मांगी गयी धनराशि या उसका कोई भाग व्यवहारी को देय नही है, या व्यवहारी के निमित्त या उसकी ओर से कोई धनराशि उसके पास नहीं है, तो इस धारा में दी गयी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि उसके कारण उस व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वह मांगी गयी धनराशि या उसके किसी भाग का, जैसी भी दशा हो, कर निर्धारक प्राधिकारी को भुगतान करें।

(11) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार को देय कोई कर या अन्य धनराशियों या कोई धनराशि जिसे, कर निर्धारक प्राधिकारी को देना किसी व्यक्ति से उपधारा (7) के अधीन अपेक्षित हो या जिसके लिए वह उपधारा (9) के अधीन कर निर्धारक प्राधिकारी के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हो, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार के किसी विशेष या सामान्य आदेश के अधीन रहते हुए, मालगुजारी के बकाया के रूप में या कर-निर्धारक प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा निर्धारित रीति से वसूल की जा सकेगी और वसूली के प्रयोजनों के लिए ऐसे कर-निर्धारक प्राधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी को-

(क) ऐसे सभी अधिकार होंगे जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय को किसी डिक्री के अधीन देय धनराशि की वसूली के प्रयोजन के लिए है ;

(ख) किसी अन्य क्षेत्र में अधिकारितायुक्त कर निर्धारक प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकृत अधिकारी से ऐसी वसूली करने की अपेक्षा करने का अधिकार होगा यदि बाकीदार या उसकी सम्पत्ति ऐसे अन्य कर निर्धारक प्राधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में है और तदुपरान्त ऐसा अन्य कर निर्धारण प्राधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी वसूली की कार्यवाही निर्धारित रीति से करेगा।

(12) इस अधिनियम के अधीन भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूली योग्य किसी राशि के सम्बन्ध में, कर निर्धारक प्राधिकारी कलेक्टर को अपने हस्ताक्षर के साथ देय धनराशि को विनिर्दिष्ट करते हुए एक प्रमाण-पत्र अग्रेसित कर सकता है। ऐसा प्रमाण-पत्र उसकी धनराशि के दायित्व और दायी व्यक्ति की विद्यमानता का निश्चायक साक्ष्य होगा और कलेक्टर उक्त प्रमाण पत्र के प्राप्त होने पर ऐसे व्यक्ति से उसमें विनिर्दिष्ट धनराशि की वसूली करने की कार्यवाही इस प्रकार करेगा मानो वह राशि भू-राजस्व का बकाया हो :

प्रतिबंध यह है कि इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कलेक्टर के पास उक्त प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट धनराशि की वसूली करने के प्रयोजनार्थ ऐसी समस्त शक्तियां भी होगी जो-

(क) राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 के अधीन किसी कलेक्टर के पास हो ; और

(ख) सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय के पास किसी डिक्री के अधीन किसी देय धनराशि की वसूली के प्रयोजन के लिए हो।

स्पष्टीकरण :- पद कलेक्टर के अन्तर्गत कोई अपर कलेक्टर या कोई अन्य ऐसा अधिकारी भी है जिसे राज्य में तत्समय प्रवृत्त भू-राजस्व से सम्बन्धित विधि के अधीन किसी कलेक्टर की शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो।

(13) उपधारा (2) और उपधारा (3) में दी गयी किसी बात के होते हुए और किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण, या अन्य प्राधिकरण के निर्णय, डिक्री या आज्ञा के होते हुए भी, यदि कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा किसी व्यवहारी पर इस अधिनियम के अधीन किसी कर या अन्य देयों के सम्बन्ध में कर निर्धारण और मांग की नोटिस तामील की जाये और ऐसे कर या देयों के सम्बन्ध अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही की जाये तो-

(क) यदि ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही के परिणामस्वरूप ऐसे कर या अन्य देयों की धनराशि बढ़ा दी जाये तो कर निर्धारक प्राधिकारी व्यवहारी पर केवल उतनी धनराशि के सम्बन्ध में, जितनी धनराशि की ऐसी कर या अन्य देयों में वृद्धि की जाये, एक नई नोटिस तामील करेगा और ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य

कार्यवाही के निस्तारण के पूर्व उस पर पहले से ही तामील की गयी नोटिस में निर्दिष्ट धनराशि से सम्बन्धित कोई कार्यवाही उस प्रक्रम में जारी रखी जा सकती है जिस प्रक्रम पर वह ऐसे निस्तारण किये जाने के ठीक पूर्व रही थी,

(ख) यदि ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही के परिणाम-स्वरूप ऐसे कर या अन्य देयों की धनराशि कम कर दी जाये तो-

(एक) व्यवहारी पर नई नोटिस तामील करना आवश्यक न होगा, किन्तु केवल कम की गयी धनराशि ही वसूल की जायेगी,

(दो) यदि वसूली की कोई कार्यवाही कर-निर्धारण करने वाले प्राधिकारी से भिन्न किसी कर निर्धारक प्राधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष विचाराधीन हो तो कर निर्धारण करने वाला अधिकारी ऐसी कमी किये जाने की सूचना ऐसे कर निर्धारक प्राधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी को देगा,

(तीन) ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही का जिसके अन्तर्गत वसूली की कोई कार्यवाही भी है, निस्तारण किये जाने के पूर्व व्यवहारी पर तामील की गयी नोटिसों या नोटिस के आधार पर प्रारम्भ की गयी कोई कार्यवाही इस प्रकार कम की गयी धनराशि के सम्बन्ध में उस प्रक्रम से जारी रखी जा सकती है जिस प्रक्रम पर वह ऐसे निस्तारण के ठीक पूर्व हो रही हो,

(ग) किसी ऐसे मामलें में, जिसमें कर या अन्य देयों की धनराशि में ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई वृद्धि (कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित के निर्देश) में न हो, नये नोटिस की आवश्यकता न होगी।

(14) किसी व्यवहारी द्वारा भुगतान की गयी या जमा की गयी, या उससे वसूल की गयी या उसे वापस की जाने योग्य किसी धनराशि को सर्वप्रथम उसपर बकाया कर की मूल धनराशि, शुल्क, शास्ति या अन्य देयों के प्रति समायोजित किया जायेगा और तत्पश्चात शेष धनराशि को, यदि कोई हो, व्यवहारी द्वारा देय ब्याज, यदि कोई हो, के प्रति समायोजित किया जायेगा।

(15) जहाँ निर्धारित कर, देय ब्याज या अधिरोपित शास्ति की कोई धनराशि किसी वाहन के किसी स्वामी से वसूली योग्य है और ऐसे कर, ब्याज या शास्ति की ऐसी धनराशि की वसूली के लिए कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, वहां वसूली प्रमाण-पत्र निष्पादित करने के लिए सक्षम अधिकारी ऐसे वाहन या उसी स्वामी के अन्य वाहन का पता लगाने में पुलिस और राज्य सरकार के अन्य अधिकारी या पदाधिकारी की सहायता ले सकता है। यदि वसूली प्रमाण-पत्र निष्पादित करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसा अपेक्षित हो, तो ऐसे अन्य अधिकारी या पदाधिकारी ऐसे वाहन को निरुद्ध करने के लिए सशक्त होगा। जहाँ कोई अधिकारी या पदाधिकारी ऐसे वाहन को निरुद्ध करता है, वहां वह निरोध करते समय वाहन के प्रभारी व्यक्ति को लिखित रूप में निरुद्ध किये जाने का कारण उपलब्ध करायेगा और

वसूली प्रमाण-पत्र निष्पादित करने वाले अधिकारी को तत्काल सूचित करेगा । वसूली प्रमाण-पत्र निष्पादित करने वाला अधिकारी कर या शास्ति की ऐसी धनराशि की वसूली करने के लिए विधि के अनुसार कार्यवाही करेगा :

प्रतिबंध यह है कि यदि वाहन का स्वामी या प्रभारी व्यक्ति ऐसे अधिकारी या पदाधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह सिद्ध कर देता है कि वसूली योग्य दिखाई गयी धनराशि का भुगतान पहले से ही कर दिया गया हो तो वाहन को छोड़ दिया जायेगा :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि गाड़ी निरुद्ध किये जाने के समय यदि उस पर कुछ माल लादा गया हो और ऐसे माल का स्वामी वाहन के स्वामी से भिन्न व्यक्ति हो तो माल के स्वामी या प्रभारी व्यक्ति को यह अनुज्ञा होगी कि वह ऐसे माल को, अगर वह हटाना चाहे, तो हटा लें ।

(16) उपधारा (15) के अधीन वाहन को निरुद्ध किये जाने की अवधि के दौरान वाहन का प्रभारी व्यक्ति निरोध के समय माल या वाहन की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा और वाहन निरुद्ध करने वाला अधिकारी या पदाधिकारी माल या वाहन की हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा ।

स्रोत पर कर की कटौती

34- (1) इस अधिनियम के अधीन कर की वसूली, भुगतान या संग्रहण के किसी अन्य ढंग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार, गजट में, अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि किसी विर्निदिष्ट मामले और विर्निदिष्ट परिस्थितियों में, किन्तु ऐसी शर्तों के अद्यधीन रहते हुये, जिन्हें विर्निदिष्ट किया जाय, ऐसे मामलों में, जैसे कि विर्निदिष्ट किये जाएं, माल के विक्रय पर देय मूल्यवान प्रतिफल के कारण दायित्व के निष्पादन के लिये विक्रय करने वाले व्यवहारी को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक विनिर्दिष्ट व्यक्ति विक्रेता को चाहे साख द्वारा या नकद रूप में या किसी अन्य रीति से भुगतान करते समय किसी कराधेय माल के विक्रय के कारण व्यवहारी द्वारा देय कर के समाधान के लिए ऐसा भुगतान करते समय ऐसी धनराशि की कटौती करेगा जिसे विर्निदिष्ट रूप से अवधारित किया गया हो :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां संविदा संकर्म के मामले में ठेकेदार ने उप ठेका दिया हो और अधिसूचना में यह उपबन्ध हों कि ठेका देने वाला, ठेकेदार को किये जाने वाले भुगतान से धनराशि की कटौती करें तो उप-ठेकेदार को की गयी संविदा के अनुसरण में किसी उप ठेकेदार को किये जाने वाले भुगतान या किसी दायित्व के निष्पादन के लिये उत्तरदायी ठेकेदार, उपठेकेदार को भुगतान करते समय उपर्निर्दिष्ट कर की धनराशि की कटौती करेगा :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ किसी संविदा संकर्म के मामले में ठेकेदार ने उप ठेकेदार को किये गये भुगतान में से पहले ही कटौती कर ली है तो उस धनराशि में से जिस पर ठेका देने वाले द्वारा ठेकेदार से कटौती की जानी है, ऐसे भुगतान की धनराशि की कटौती कर ली जायेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के जारी होने पर, जहां, -

(क) उपधारा (1) के खण्डों में से किसी खण्ड के अधीन किसी कराधेय माल का विक्रय करने वाला व्यवहारी किसी कारण से दावा करता है कि वह या तो कराधेय माल के किसी विक्रय पर कर का भुगतान करने के लिये दायी नहीं है या ऐसी धनराशि कर के रूप में भुगतान करने के दायी है जो उपबन्धित रीति से संगणित कटौती की धनराशि से कम हो ; या

(ख) माल का विक्रय करने वाले व्यवहारी को भुगतान करने के लिये उत्तरदायी व्यक्ति विक्रय किये गये माल के आवर्त को सुनिश्चित करने में असमर्थ है,

वहां भुगतान करने के लिये उत्तरदायी व्यक्ति विक्रेता व्यवहारी से अपेक्षा करेगा कि वह अपने कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त जारी निर्देश को प्रस्तुत करें और वह कर निर्धारण प्राधिकारी के ऐसे निर्देश के अनुसार कार्य करेगा।

(3) जहाँ स्वयं, क्रेता व्यवहारी किसी माल के क्रय के आवर्त पर इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के कारण कर का भुगतान करने के लिये दायी हो, वहां ऐसे माल के आवर्त के सम्बन्ध में किसी धनराशि की कटौती नहीं करेगा।

(4) उपधारा (2) के अधीन परिस्थितियों में विक्रेता व्यवहारी अपने कारबार के मुख्य स्थान पर अधिकारिता रखने वाले कर निर्धारक प्राधिकारी के समक्ष या यदि उसके कारबार का कोई नियत स्थान न हो तो उस पर कर निर्धारक प्राधिकारी, जिसकी अधिकारिता में सामान्यत: निवास करता हो, के समक्ष ऐसी धनराशि की कटौती करने के लिये क्रेता को निर्देश जारी करने के लिये आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

(5) उपधारा (4) में निर्दिष्ट कर निर्धारक प्राधिकारी विक्रय किये गये माल के सम्बन्ध में व्यवहारी के कर के भुगतान के दायित्व का परीक्षण करने के पश्चात् और व्यवहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् लिखित आदेश द्वारा तद्नुसार माल के क्रेता को निर्देशित करेगा।

(6) उपधारा (1) के अधीन काटी गयी धनराशि ऐसी कटौती करने वाले व्यक्ति द्वारा उस मास के, जिसमें कटौती की जाय, आगामी मास की बीस दिन की समाप्ति के पूर्व सरकारी कोषागार में जमा की जायेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ उपधारा (1) के खण्ड(ग) या खण्ड (घ) के अधीन माल का क्रेता कोई पंजीकृत व्यवहारी है, वहां वह काटी गयी धनराशि को ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर जमा करेगा जिसमें कर की धनराशि, उस कर अवधि के लिये जिसमें क्रय किया गया है, देय है और ऐसा व्यवहारी ऐसे क्रय के सम्बन्ध में धारा 13 के उपबन्धों के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिये हकदार होगा।

(7) उपधारा (1) के अधीन कटौती करने वाला व्यक्ति भुगतान व निर्वहन करते समय विक्रेता व्यवहारी को कटौती की गयी धनराशि का एक प्रमाण-पत्र, ऐसे प्रपत्र में, ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर, उपलब्ध करायेगा, जैसी विहित की जाये और उसके द्वारा की गई ऐसी समस्त खरीदों, भुगतानों और की गई कटौतियों और जारी किये गये प्रमाण-पत्रों का ऐसा विवरण और उसका विवरण, ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जैसा विहित किया जाये, प्रस्तुत करेगा।

(8) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्टि कोई ऐसा व्यक्ति कटौती करने में असफल रहता है या कटौती करने के पश्चात् इस प्रकार काटी गई धनराशि उपधारा (6) की अपेक्षानुसार जमा करने में असफल रहता है तो कर निर्धारक प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् लिखित आदेश द्वारा निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति शास्ति के रूप में इस धारा के अधीन काटने योग्य किन्तु इस प्रकार न काटी गयी और यदि काटी गयी हो तो इस प्रकार सरकारी कोषागार में जमा न की गयी धनराशि के दो गुने से अनधिक धनराशि का भुगतान करेगा।

(9) उपधारा (8) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यदि कोई व्यक्ति, कटौती करने के पश्चात्, इस प्रकार काटी गयी धनराशि जमा करने में असफल रहता है तो वह इस प्रकार जमा न की गयी धनराशि पर उस दिनांक से जब ऐसी धनराशि वास्तव में जमा की गई, 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज भुगतान करने का दायी होगा।

(10) जहां कटौती करने के पश्चात धनराशि जमा न की गयी हो, वहां उपधारा (9) में निर्दिष्टि ब्याज सहित ऐसी धनराशि राजस्व बकाये के रूप में उस व्यक्ति से, जिसनें कटौती की है, वसूल की जायेगी और ऐसी धनराशि सम्बद्ध व्यक्तियों की समस्त आस्तियों पर प्रभार होगी।

(11) इस धारा के अन्तर्वलित कोई बात कर निर्धारक प्राधिकारी को अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अनुसार व्यवहारी द्वारा देय कर निर्धारण करने से नहीं रोकेगी और व्यवहारी इस अधिनियम के अन्य सुसंगत उपबन्धों के अनुसार कर का भुगतान करने का दायी होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन की गई किसी कटौती को विक्रेता व्यवहारी की ओर से कर का भुगतान माना जायेगा और उपधारा (9) में निर्दिष्टि प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर, यथास्थिति, सुसंगत अवधि के कर आवर्त या किये गये कर निर्धारण में इस प्रकार काटी गयी धनराशि उस व्यक्ति की ओर से जमा धनराशि मानी जायेगी और देय धनराशि से अधिक पायी गयी कोई धनराशि क्रेता व्यवहारी को वापस लौटा दी जायेगी।

(12) यदि माल का विक्रेता कोई व्यवहारी नही है तो इस धारा के अधीन किसी धनराशि की कटौती नही की जायेगी परन्तु यह सिद्ध करने का दायित्व, कि माल का क्रय किसी व्यवहारी से भिन्न व्यक्ति से किया गया है, भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति पर होगा, जिसके विफल होने पर यह माना जाऐगा कि माल का क्रय किसी व्यवहारी से किया गया है।

(13) जहाँ किसी सकर्म संविदा के अधीन विक्रय के संबंध में कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति कटौती की धनराशि सुनिश्चित करने में असमर्थ है और, यथास्थिति, ठेकेदार या उपठेकेदार अपने कर निर्धारक प्राधिकारी से उपधारा (2) में निर्दिष्ट निर्देश प्रस्तुत नही करता है तो कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति ऐसी धनराशि की कटौती करेगा जो भुगतान की सकल धनराशि का चार प्रतिशत होगी।

स्पष्टीकरण :- इस धारा के प्रयोजन के लिये विक्रेता व्यवहारी को भुगतान करने के लिये उत्तरदायी व्यक्ति के सम्बन्ध में कर निर्धारक प्राधिकारी का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है जिसकी उस स्थान पर अधिकारिता हो जहाँ राज्य के भीतर ऐसे व्यक्ति के कार्य का स्थान स्थित हो और जहाँ ऐसे व्यक्ति का उक्त स्थान न हो, वहाँ पर ऐसे स्थान, जहाँ पर ऐसे व्यक्ति का निवास स्थान स्थित हो, पर अधिकारिता हो।

स्रोत पर कर की कटौती करने के लिये उत्तरदायी व्यक्ति को कर कटौती संख्या का आवंटन

35- (1) धारा 34 के उपबन्धों के अनुसार स्रोत पर कर की कटौती करने के लिये उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति, यदि वह रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी नहीं है, कर निर्धारक प्राधिकारी को कर कटौती संख्या आवंटन के लिये, आवेदन करेगा और आवेदन-पत्र को, ऐसे समय और रीति में, जैसी विहित की गई हो, निस्तारण कर दिया जायेगा।

(2) कर को जमा करने और विवरणी दाखिल करने से सम्बन्धित सभी अभिलेखों में कर कटौती संख्या निर्दिष्ट की जायेगी।

(3) रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से भिन्न कोई व्यक्ति, धारा-34 की उपधारा(1) के अधीन, तब तक कर की कटौती नहीं कर सकता है जब तक कि उसने ऐसी कर कटौती संख्या हेतु आवेदन न दे दिया हो।

(4) यदि उपधारा (1) के निर्दिष्ट कोई व्यक्ति कर कटौती संख्या के आवेदन करने में विफल रहता है तो कर निर्धारक प्राधिकारी, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये जाने के पश्चात, लिखित आदेश द्वारा निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति शास्ति के रूप में ऐसी धनराशि का भुगतान करेगा जो धारा 34 के अधीन कटौती योग्य धनराशि के दुगने से अधिक न हो।

नगण्य धनराशियों की वसूली या उनकी वापसी की उपेक्षा किया जाना

36-इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्धों में अर्न्तविष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन कोई कर, शुल्क, ब्याज या कोई शास्ति वसूल नही किया जायेगा और कोई वापसी अनुज्ञात नही होगी, यदि किसी कर निर्धारण वर्ष के लिये सम्मिलित धनराशि सौ रुपये से कम हो।

समापनाधीन किसी कम्पनी के मामले में कर की वसूली

37- (1) प्रत्येक व्यक्ति-

(क) जो किसी ऐसी कम्पनी का समापक हो जो किसी न्यायालय या अन्यथा के आदेशों के अधीन समाप्त की जा रही हो ; या

(ख) जो कम्पनी के किन्ही परिसम्पत्तियों का प्रापक (जिसे आगे समापक कहा गया है) नियुक्त किया गया हो,

उसके इस प्रकार परिसमापक होने के पश्चात तीस दिनों के भीतर अपनी इस प्रकार नियुक्ति की सूचना कर निर्धारक प्राधिकारी को देगा।

(2) कर निर्धारक प्राधिकारी, ऐसी जॉच करने या ऐसी सूचना, जैसा वह उचित समझे माँगने के पश्चात् ऐसे दिनाँक, जिस पर उसे समापक की नियुक्ति की नोटिस प्राप्त हो, से तीन माह के भीतर समापक को ऐसी धनराशि के सम्बन्ध में अधिसूचित करेगा जो कर निर्धारक प्राधिकारी की राय में किसी कर, जो तत्समय या सम्भवत: उसके पश्चात कम्पनी द्वारा संदेय हो, की व्यवस्था करने के लिये पर्याप्त होगी।

(3) कम्पनी की किन्ही परिसम्पत्तियों या अपने अधिकार में सम्पत्तियों को समापक तब तक अलग नही करेगा जब तक कर निर्धारक अधिकारी द्वारा उपधारा (2) के अधीन उसे अधिसूचित न कर दिया गया हो और इस प्रकार अधिसूचित किये जाने पर अधिसूचित धनराशि के बराबर धनराशि पृथक रूप से रख देगा और जब तक वह ऐसी धनराशि को पृथक नहीं रख देता है, किसी भी परिसम्पत्ति को अलग नही करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा में अन्तर्विष्ट कोई बात समापक को किसी न्यायालय के किसी आदेश के अनुपालन में या इस अधिनियम के अधीन कम्पनी द्वारा संदेय कर के भुगतान करने के लिए या सरकार को देय ऋणों के संदाय को पूरा करने के लिये कम्पनी के समापन की ऐसी लागतों या व्ययों, जो कर निर्धारक प्राधिकारी की राय में युक्तियुक्त हो, को पूरा करने के लिये ऐसी परिसम्पत्तियों या सम्पत्तियों को अलग करने से नही रोकेगी।

(4) यदि समापक उपधारा (1) के अनुसार नोटिस देने में विफल हो जाता है या यथा अपेक्षित धनराशि को पृथक रूप से रखने में विफल हो जाता है, या उपधारा (3) के उपबन्धों के उल्लंघन में कम्पनी की किसी परिसम्पत्ति या अपने अधिकार में किसी सम्पत्ति को अलग कर देता है तो वह ऐसे कर के भुगतान के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा जिसे कम्पनी भुगतान करने की दायी होती :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि उपधारा (2) के अधीन कम्पनी द्वारा संदेय किसी कर की धनराशि अधिसूचित की जाती है तो इस उपधारा के अधीन समापक का व्यक्तिगत दायित्व उस धनराशि की सीमा तक होगा।

(5) जहाँ एक से अधिक समापक हो वहाँ इस धारा के अधीन समापक से सम्बद्ध समापन और दायित्व समस्त समापकों से संयुक्त रूप से और पृथक रूप से सम्बद्ध होंगे।

(6) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के विपरीत होते हुए भी इस धारा के उपबन्ध का प्रभाव होगा।

स्पष्टीकरण :-कम्पनी का तात्पर्य कम्पनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 1, सन् 1956) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (1) द्वारा कम्पनी को समनुदेशित से है।

समापनाधीन प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के निदेशक का दायित्व

38-कम्पनी अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जब कोई प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी बन्द की जाती है और इस अधिनियम के अधीन कम्पनी पर निर्धारित कोई कर किसी ऐसी अवधि के लिए, उसके समापन के पूर्व या उसके दौरान या उसके पश्चात्, वसूल न किया जा सकता हो तो प्रत्येक व्यक्ति जो प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी का निदेशक रहा हो, के दौरान किसी भी समय ऐसे कर के भुगतान के लिये संयुक्त रूप से और पृथक रूप से तब तक दायी होगा जब तक कि वह यह सिद्ध नहीं कर देता है कि गैर वसूली को कम्पनी के मामलों के सम्बन्ध में उसकी ओर से किसी सकल उपेक्षा, अपकरण या उसके कर्तव्य भंग से आरोपित नहीं किया जा सकता है।

किश्त की सुविधा प्रदान करने की शक्ति

39- (1) कर निर्धारण प्राधिकारी के समाधान के लिए प्रतिभूति उपलब्ध कराने सम्बन्धित शर्तों, जैसा अधिरोपित करने के लिये उचित समझा जाये, सहित ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन -

(क) राज्य सरकार किसी व्यवहारी या अन्य व्यक्ति, जिसके विरुद्ध किसी मात्रा में कर, शास्ति या अन्य देय या तो इस अधिनियम के अधीन या पूर्ववर्ती अधिनियम के अधीन अवशिष्ट हो, को चौबीस से अनधिक ऐसी संख्या में मासिक किस्तों में धनराशि का भुगतान करने के लिये अनुज्ञात कर सकती है, और

(ख) उसी प्रकार से कमिश्नर किसी व्यवहारी या अन्य व्यक्ति, जिसके विरुद्ध कुल मिलाकर एक लाख रुपयों से अनधिक कर, शास्ति या अन्य देयों की धनराशि या तो इस अधिनियम के अधीन या पूर्ववर्ती अधिनियम के अधीन अवशिष्ट हो, को बारह से अनधिक ऐसी संख्या की मासिक किश्तों में धनराशि का भुगतान करने के लिये अनुज्ञात कर सकता है।

(2) जहाँ ऐसा व्यवहारी या अन्य व्यक्ति अवशिष्ट धनराशि के भुगतान के लिये सम्बन्धित कर निर्धारक प्राधिकारी के समाधान के लिये पर्याप्त प्रतिभूति उपधारा (1) में निर्दिष्ट आदेश के साठ दिनों के भीतर प्रदान करने में विफल हो जाता हो या ऐसे आदेश में अधिरोपित शर्तों या निर्बंधनों का अनुपालन करने में विफल हो जाता है वहाँ देय धनराशि तत्काल वसूली योग्य होगी।

अध्याय - पाँच

वापसी और समायोजन

वापसी और समायोजन

40-(1) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा व्यवहारी को इस अधिनियम के अधीन उससे देय धनराशि से अधिक भुगतान की गयी कर, फीस या अन्य देयों की धनराशि विहित रीति से वापस की जायेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि वापस करने योग्य पायी गयी धनराशि प्रथमत: इस अधिनियम के अधीन या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956, या पूर्व कर अधिनियम के अधीन व्यवहारी के विरुद्ध अवशिष्ट कर या किसी अन्य धनराशि के प्रति समायोजित की जायेगी और केवल शेष धनराशि, यदि कोई हो, वापस की जायेगी।

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट की आधिक्य धनराशि की, अन्य शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वापसी धारा-15 की शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन होगी।

(2) जहाँ उपधारा (1) के अधीन उपबन्धों के अनुसार वापस की जाने योग्य पायी गयी धनराशि कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा दिये गये वापसी के आदेश के दिनांक से, या जहाँ वापसी उद्भूत होने वाला आदेश किसी अन्य प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा समुचित प्रक्रिया द्वारा ऐसे आदेश की प्राप्ति के दिनांक से पारित होने के तीस दिन के भीतर वापस नहीं किया जाता है वहाँ व्यवहारी कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा पारित ऐसे आदेश के दिनांक से या किसी अन्य प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा वापसी उद्भूत करने वाले आदेश की प्राप्ति के दिनांक से वापसी किये जाने वाले दिनांक तक बारह प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज के लिये हकदार होगा ;

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ व्यवहारी द्वारा दाखिल की गयी विवरणी के आधार पर देय इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि के आधिक्य से सम्बन्धित वापसी धारा-15 के अधीन निर्धारित समय के भीतर अनुज्ञात नहीं की जाती है वहाँ व्यवहारी ऐसी धनराशि पर ऐसे दिनांक, जिस पर वापसी देय हो, से वापस किये जाने के दिनांक तक बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज के लिए हकदार होगा।

(3) किसी न्यायालय या प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, यथास्थिति, ऐसे विक्रय या क्रय या दोनों के आवर्त पर जिसे व्यवहारी ने या तो इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रस्तुत किये गये विवरणी पत्र में या अन्यथा किसी कार्यवाही में किसी प्रकरण पर स्वीकार किया गया हो, इस अधिनियम के अधीन देय कर या, शुल्क को वापस लेने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

(4) जहाँ व्यवहारी ने कर निर्धारक प्राधिकारी से या तो इस अधिनियम के अधीन या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन अपनी भावी दायित्वों के प्रति समायोजन के लिये ऐसी धनराशि रोकने के लिये अनुरोध किया हो वहाँ ऐसी परिस्थितियों में व्यवहारी ब्याज के लिये हकदार नहीं होगा।

(5) जहाँ धारा-34 के अधीन कर की किसी धनराशि की किसी व्यवहारी से किसी निर्धारण वर्ष के निमित्त उसके द्वारा संदेय कर के रूप में कटौती की गयी हो, वहाँ उपधारा(3) के प्रयोजन के लिये कटौती की गयी धनराशि इस अधिनियम के अधीन देय कर मानी जायेगी और व्यवहारी को वापस नहीं की जायेगी, जहाँ व्यवहारी-

(क) ने न तो समस्त कर अवधियों के लिये आवर्त और कर की विवरणी प्रस्तुत की हो और न ही निर्धारण वर्ष, जिसमें विक्रय किया गया, के लिये वार्षिक विवरणी प्रस्तुत की हो, और

(ख) ऐसे निर्धारण वर्ष, जिसमें विक्रय किया गया हो, के लिये एक पक्षीय कर निर्धारण किया गया हो।

(6) जहाँ किसी माल के विक्रय के सम्बन्ध में किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा कर की कोई धनराशि, -

(क). -----

(एक) भारत में किसी विदेशी राजनयिक मिशन या दूतावास के किसी अधिकारी या कार्मिक से ; या

(दो) संयुक्त राष्ट्र संघ या किसी अन्य तत्समान अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, जो किसी ऐसे समझौते जिसका भारत एक पक्ष हो, या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्रसुविधाओं से हकदार हो, का अधिकारी या कार्मिक से ; या

(ख) खण्ड (क) के उपखण्ड (एक) या उपखण्ड (दो) में निर्दिष्ट किसी राजदूत या किसी मिशन, संयुक्त राष्ट्र संघ या किसी अन्य संघ के राजनयिक एजेन्ट से, - वसूल की गयी हो, और जहाँ ऐसे अधिकारी, कार्मिक, दूतावास या एजेन्ट ने अपने लिये या ऐसे मिशन, संयुक्त राष्ट्र संघ या किसी अन्य संघ के प्रयोजन के लिये माल क्रय किया हो, तो ऐसे अधिकारी, कार्मिक, एजेन्ट या संयुक्त राष्ट्र संघ या संघ ने यथाप्रयोज्य धारा-22 की उपधारा(1) के अधीन कर बीजक या उक्त धारा की उपधारा(3) में निर्दिष्ट विक्रय बीजक विहित रीति में प्रस्तुत करने के पश्चात उंससे वसूल की गयी कर की धनराशि की वापसी का दावा किया है तो कमिश्नर या उसके द्वारा इस निमित्त कोई प्राधिकारी, यथास्थिति, ऐसे अधिकारी, कार्मिक, राजदूत या ऐसे मिशन के संयुक्त राष्ट्र संघ या संघ के एजेन्ट को ऐसी धनराशि वापस करेगा।

(7) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन केवल प्रतिसंदाय बाउचर या चेक प्रदान करके ही प्रति संदाय किया जा सकेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ कोई व्यवहारी ई-कर-विवरणी प्रस्तुत करे तो वहाँ उसको वापसी योग्य पायी किसी धनराशि की वापसी की अनुमति ई-चेक के माध्यम से की जायेगी।

स्पष्टीकरण : इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विहित दिनांक वापसी का दिनांक माना जायेगा।

अनन्तिम वापसी

41-(1) धारा-40 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, किसी व्यवहारी, जिसका मुख्य कारबार भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर माल के निर्यात के प्रक्रम में माल का विक्रय करना हो, के मामले में कर निर्धारक प्राधिकारी किसी कर अवधि के लिये विवरणी और अनन्तिम वापसी के लिये और लम्बित सम्परीक्षा और दावे और अनुवर्ती निर्धारण की सत्यता स्थापित करने के लिये जाँच का आवेदन प्राप्त होने पर भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर माल के निर्यात के प्रक्रम में विक्रय के कारण ऐसी कर अवधि के लिये इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि के आधिक्य के अनन्तिम वापसी की अनुमति, विवरणी प्रस्तुत करने के लिए विहित अन्तिम दिनांक से या उस दिनांक से जब विवरणी प्रस्तुत की गयी हो, जो भी बाद में, तीस दिन के भीतर, दे सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि इस अधिनियम के अधीन या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 के अधीन या पूर्व अधिनियम के अधीन कर, शुल्क या शास्ति की कोई धनराशि या कोई अन्य धनराशि ऐसे व्यवहारी के प्रति देय हो तो प्रथमत: वापसी योग्य पायी गयी धनराशि, यथास्थिति, कर या शुल्क या शास्ति की ऐसी धनराशि में समायोजित की जायेगी और अधिक धनराशि, यदि कोई हो, तो उसे व्यवहारी को वापस कर दिया जायेगा।

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि वापसी प्रदान करने के पूर्व कर निर्धारक प्राधिकारी वापसी की धनराशि की अपने संतोषानुसार प्रतिभूति उपलब्ध कराने के लिये व्यवहारी से अपेक्षा कर सकता है।

(2) यदि कर निर्धारण किये जाने पर, उपधारा (1) के अधीन प्रदान की गयी अस्थायी वापसी आधिक्य में पायी जाती है, तो वापसी के आधिक्य की धनराशि अस्थाई वापसी की स्वीकृति की दिनाँक से धनराशि के भुगतान के दिनाँक तक 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित व्यवहारी से वसूल की जायेगी।

कर आस्थगन

42- (1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई औद्योगिक इकाई, जो 1 जनवरी, 2008 को कर से छूट या कर की दर में कमी का लाभ प्राप्त कर रही थी, या कोई औद्योगिक इकाई, जिसे पूर्व अधिनियम के अधीन कर से छूट या कर की दर में कमी की सुविधा स्वीकृत की गयी थी, को कर आस्थगन की सुविधा प्राप्त इकाई माना जायेगा।

कोई इकाई जो 1 जनवरी, 2008 को पूर्व अधिनियम के अधीन कर आस्थगन की सुविधा प्राप्त कर रही थी या कोई इकाई जिसे पूर्व अधिनियम के अधीन कर आस्थगन का लाभ स्वीकृत किया गया है, ऐसे निर्बंधनों केअध्यधीन, जैसा विनिर्दिष्ट किया जाय, उक्त सुविधा प्राप्त करती रहेगी।

(2) उपधारा (1) में यथा विनिर्दिष्ट कर आस्थगन की सुविधा प्राप्त कर रही इकाई या पूर्व अधिनियम के अधीन आस्थगन सुविधा प्राप्त कर रही इकाई, कर बीजक जारी करने और धारा 13 के उपबन्धों के अधीन इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिये अर्ह होगी।

(3) कर आस्थगन की सुविधा प्राप्त कर रही सभी इकाइयों के लिये अर्हता की अवधि, अर्हता धनराशि को नामे डालने की रीति, प्रतिसंदाय और कोई अन्य लाभ, ऐसी रीति से होंगे, जैसा विहित किया जाये।

व्यावहारियों द्वारा कर के रूप में त्रुटिपूर्ण ढंग से वसूल की गयी धनराशि के वितरण की प्रक्रिया

43-(1) जहाँ धारा 22 और 23 के अधीन अनुबन्धों के उल्लंघन में किसी व्यवहारी द्वारा किसी व्यक्ति से किसी माल के क्रय या विक्रय पर कर के रूप में तात्पर्यित कोई धनराशि वसूल की गयी हो वहाँ ऐसा व्यवहारी धारा 21 की उपधारा (14) के उपबन्धों के अधीन इस प्रकार वसूल की गयी सम्पूर्ण धनराशि को धारा 24 के अधीन निर्धारित अवधि के भीतर और रीति से जमा करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी व्यवहारी द्वारा जमा की गयी कोई धनराशि, उस सीमा तक जहाँ तक वह कर के रूप में देय न हो, राज्य सरकार द्वारा ऐसे व्यक्ति के वास्ते, जिस पर माल के क्रय या विक्रय के सम्बन्ध में, ऐसी अधिक धनराशि प्रभारित की गयी है, का अन्ततः धरोहर के रूप में रखा जायेगा।

(3) जहाँ उपधारा (1) के अधीन किसी व्यवहारी द्वारा कोई धनराशि जमा की गयी हो वहाँ ऐसी धनराशि या उसका भाग, उस निमित्त किये जा रहे दावे पर, ऐसे व्यक्ति को निर्धारित रूप में वापस किया जायेगा जिस पर ऐसी धनराशि का दायित्व अन्ततः पारित किया गया हो :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई दावा कर निर्धारण आदेश के दिनाँक से तीन वर्ष या उसके सम्बन्ध में अपील, पुनरीक्षण या निर्देश, यदि कोई हो, पर अन्तिम आदेश के दिनांक से एक वर्ष, जो भी बाद में हो, की समाप्ति के बाद ग्रहण नहीं किया जायेगा।

(4) जहाँ उपधारा (1) के अधीन उपबन्धों के अनुसार कोई धनराशि किसी व्यवहारी द्वारा जमा की गयी हो, वहां व्यवहारी धारा 21 की उपधारा (14) के उपबन्धों के अध्यधीन माल के क्रेता को ऐसी धनराशि की वापसी के लिये अनुज्ञा करने का हकदार नहीं होगा।

स्पष्टीकरण :- पद "अपील, पुनरीक्षण या निर्देश पर अंतिम आदेश" में उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित कोई आदेश सम्मिलित है।

अध्याय - छह

कर सम्परीक्षा, निरीक्षण, तलाशी तथा अभिग्रहण

कर सम्परीक्षा

44- (1) व्यवहारी या व्यवहारियों के वर्ग द्वारा दाखिल किए गए विवरण पत्र या विवरण पत्रों की सत्यता का परीक्षण करने के उद्देश्य से तथा व्यवहारी या व्यवहारियों के वर्ग द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट सहित विभिन्न दावों की स्वीकृति की सत्यता प्रमाणित करने हेतु उतनी संख्या के व्यवहारियों, जितना विहित किया जाय, की कर सम्परीक्षा की जाएगी।

(2) इस अधिनियम को क्रियान्वित करने वाले विभाग की सम्परीक्षा शाखा में तैनात एवं कोई राज्य सरकार या कमिश्नर द्वारा नियुक्त कर निर्धारक प्राधिकारी से अनिम्न कोई अधिकारी या इस हेतु कमिश्नर द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी उन व्यवहारियों के अभिलेखों, व्यापार के स्टाक और संबंधित दस्तावेजों की सम्परीक्षा कर सकता है जो उपधारा (1) के अन्तर्गत, निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत चयनित हो या विनिर्दिष्ट किए गए हों :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी कर निर्धारण वर्ष हेतु, उस कर निर्धारण वर्ष की सम्परीक्षा के तीन वर्ष बीत जाने के पश्चात कोई सम्परीक्षा नहीं की जायेगी :

प्रतिबन्ध यह और भी है कि जहां किसी कर निर्धारण वर्ष की सम्परीक्षा करने वाला अधिकारी सन्तुष्ट है कि व्यवहारी ने जानबूझ कर ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाया है जिससे करापवंचन हुआ है या मिथ्या दावे से कोई लाभ लिया हो, तो वह उस कर निर्धारण वर्ष, जिसमें सम्परीक्षा की जा रही हो, के तीन लगातार पूर्ववर्ती वर्षों की सम्परीक्षा कर सकता है।

(3) उपधारा (1) में संदर्भित अधिकारी कर सम्परीक्षा के उद्देश्य हेतु व्यवहारी को अभिलेख और अन्य दस्तावेज अपने कार्यालय में अपने समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि सुविधा जनक हो तो अधिकारी व्यवहारी के कार्यालय, व्यापार-स्थल या गोदाम में कर सम्परीक्षा कर सकता है।

(4) कर सम्परीक्षा पूर्ण होने के पश्चात, कर सम्परीक्षा करने वाला अधिकारी तैयार की गयी सम्परीक्षा आख्या (Audit Report) व्यवहारी के कर निर्धारक अधिकारी को प्रेषित करेगा।

लेखों, दस्तावेजों को दिखाने की आज्ञा देने की शक्ति और प्रवेश, निरीक्षण, तलाशी और जब्त करने की शक्ति

45-(1) इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा सशक्त कोई अधिकारी (जिसे आगे इस धारा में प्राधिकारी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये किसी व्यवहारी से कोई बही, दस्तावेज या लेखा जो उसके कारबार से सम्बन्धित हो, को दिखाने की अपेक्षा कर सकता है और प्रति बना सकता है और व्यवहारी से ऐसी पूछ ताँछ कर सकता है जैसी आवश्यक समझे :

प्रतिबन्ध यह है कि निर्धारण वर्ष के पाँच वर्ष से अधिक पूर्व की अवधि की बही, लेखे और दस्तावेजों की इस प्रकार अपेक्षा नहीं की जायेगी जब तक कि किसी विशेष मामले में अभिलिखित कारणों से ऐसा करना आवश्यक न हो।

(2) प्राधिकृत अधिकारी समस्त युक्तियुक्त समयों पर किसी कारबार के स्थान या गाड़ी, जलयान या अन्य भवन या स्थान जहाँ उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि व्यवहारी अपने कारबार से सम्बन्धित किसी बही, रजिस्टर, दस्तावेज, लेखा या माल रखता हो या तत्समय रख रहा हो, में प्रवेश कर सकता और तलाशी ले सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी निवास स्थान (जो कारबार सहनिवास स्थान न हो) में ऐसे अधिकारी द्वारा तब तक प्रवेश, निरीक्षण या तलाशी नहीं की जायेगी जब तक वह इस निमित्त कमिश्नर द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत न किया गया हो।

(3) ऐसे सब लेखे तथा खाते बही, जिनको कोई व्यवहारी अपने साधारण कारोबार के सम्बन्ध में साधारणतया रखता हो, माल जो उसके पास हो और उसके कारोबार के स्थान या गाड़ी सब यथोचित समयों पर ऐसे प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा तलाशी और निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे।

(4) यदि प्राधिकृत अधिकारी को किन्ही बहियों, लेखों दस्तावेजों का परीक्षण करने या तलाशी या निरीक्षण करने के दौरान यह विश्वास करने के लिये समुचित आधार हो कि कोई व्यवहारी इस अधिनियम के अधीन कर या अन्य देयों के भुगतान के दायित्व का अपवंचन करने का प्रयास कर रहा है और यह कि उसके दायित्व की जाँच करने के प्रयोजन से आवश्यक कोई बात किसी लेखा, रजिस्टर या दस्तावेज में पायी जा सकती है तो वह ऐसे लेखा, रजिस्टर या दस्तावेज, जैसा आवश्यक हो, को अभिग्रहीत कर सकता है। प्राधिकृत अधिकारी उनके लिए तत्काल रसीद जारी करेगा और ऐसी प्रतिलिपियाँ या उद्धरण लेने के पश्चात जो आवश्यक समझी जाँय, अभिग्रहण के दिनांक से 90 दिन की अवधि के भीतर उन्हें व्यवहारी या ऐसे व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा से उन्हें अभिग्रहीत किया गया हो, को वापस करने के लिये बाध्य होगा, बशर्ते व्यवहारी या उपर्युक्त व्यक्ति उसे वापस किये गये लेखा, रजिस्टर या दस्तावेज की रसीद लिखित रूप से दे दें। अधिकारी लेखा, रजिस्टर या दस्तावेज वापस करने से पूर्व उस पर एक या अधिक स्थानों पर अपना हस्ताक्षर करेगा और अपनी सरकारी मोहर लगायेगा, और ऐसे मामले में व्यवहारी या उपर्युक्त व्यक्ति से यह अपेक्षित होगा कि वह उसके द्वारा दी गयी रसीद में स्थानों की संख्या का उल्लेख करे जहाँ पर ऐसे अधिकारी के हस्ताक्षर और मोहर प्रत्येक लेखा रजिस्टर या दस्तावेज पर लगाये गये हों :

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ व्यवहारी ने कोई दस्तावेज मैगनेटिक मीडिया या इलेक्ट्रानिक मीडिया में तैयार किया है तो प्राधिकृत प्राधिकारी दस्तावेज की प्रतियाँ और सी0डी0 दो प्रतियों में लेने के बाद और प्रतियों और सी0डी0 पर विभिन्न स्थानों पर अपने हस्ताक्षर करने के बाद ऐसी सामग्री को एक प्रति और सी0डी0 के साथ ऐसे मीडिया को वापस कर देगा।

प्रतिबन्ध यह और यह है कि जहाँ जब्त किये गये लेखा रजिस्टर या दस्तावेजों की वापसी प्राप्त करने के लिए सूचना व्यवहारी को या व्यक्ति को भेज दी गयी हो और व्यवहारी और ऐसा व्यक्ति ऐसी सूचना की प्राप्ति के बावजूद ऐसे दस्तावेजों की वापसी के लिये नियत दिनांक पर उपस्थित न हो और तत्पश्चात इसके परिणाम स्वरूप जहाँ जब्त किये गये लेखे, या दस्तावेज को व्यवहारी या सम्बन्धित व्यक्ति को 90 दिनों की समाप्ति पर वापस किया गया हों तो यह समझा जायेगा कि ऐसे लेखे रजिस्टर या दस्तावेज 90 दिन की अवधि के भीतर वापस कर दिये गये है।

(5) उपधारा (4) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उस उपधारा के अधीन किसी लेखा रजिस्टर या अन्य दस्तावेज को अभिग्रहीत करने वाला अधिकारी उन कारणों से जो उसके द्वारा अभिलिखित किये जायेंगे और कमिश्नर के पूर्व अनुमोदन से इस अधिनियम के अधीन ऐसे वर्षों के सम्बन्ध में कार्यवाहियों, जिसके लिये वे सुसंगत हों, के पूरा होने के दिनांक से 30 दिन से अनधिक की अवधि के लिये ऐसे लेखा, रजिस्टर या दस्तावेज को रोक सकता है, जहाँ कि वह आवश्यक समझें।

(6) किसी प्राधिकृत अधिकारी -

(एक) को यह शक्ति होगी कि वह कारबार के स्थान या ऐसे कारबार के स्थान पर पाये गये गाड़ी, कोई बक्सा, आलमारी या अन्य सम्बन्धित सामान या गाड़ी जिसमें उन्हें यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई लेखा, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज या माल रखे गये है या अन्तर्विष्ट है, को सीलबन्द कर दें, यदि ऐसे कार्यालय दुकान, गोदाम, जलयान, गाड़ी, बक्सा, आलमारी या अन्य सामान का स्वामी या अन्य कब्जे में रखने वाला या प्रभारी व्यक्ति कारबार स्थल को छोड़ देता है या वहाँ उपलब्ध न हो या बुलाये जाने पर खोलने से इन्कार करता हो ;

(दो) जहाँ कार्यालय, दुकान, गोदाम, जलयान या वाहन या बाक्स, आलमारी या कारोबार के स्थान पर पाये गये अन्य सामान का स्वामी या उनको रखने वाला या उनका प्रभारी अन्य व्यक्ति या गाड़ी उपस्थित है परन्तु यथास्थिति स्थान को छोड़ देता है या उसे ऐसा करने के लिये अवसर दिये जाने के पश्चात ऐसे कार्यालय, दुकान, गोदाम, जलयान या गाड़ी या बाक्स आलमारी या पाये गये अन्य सामान को खोलने में विफल रहता है तो वह उन्हे तोड़कर खोल सकेगा और उनमें पाये जाने वाली सामग्रियों की सूची तैयार कर सकेगा।

(7) कोई व्यक्ति उपधारा (6) के अधीन लगायी गयी किसी मुहर से छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(8) इस धारा के अधीन तलाशी या निरीक्षण करने के दौरान कोई प्राधिकृत अधिकारी किसी व्यवहारी या अन्य व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह इस धारा के अधीन ऐसी बहियों, दस्तावेजों, लेखों या माल, जैसा कि तलाशी, निरीक्षण या अभिग्रहण के समय पाये गये हों, के सम्बन्ध में अपने पास या अपनी जानकारी में हो सकने वाली कोई सूचना दें।

(9) प्राधिकृत अधिकारी, जिसने किसी बहियों, लेखों या दस्तावेजों का निरीक्षण की तलाशी या उनका अभिग्रहण किया हो या किसी व्यवहारी को कर की देयता की छानबीन की हो, पाये गये तथ्यों और की गयी जाँच के आधार पर ऐसे निरीक्षण, तलाशी, अधिग्रहण या जाँच के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट तैयार करेगा और जहाँ रिपोर्ट तैयार करने वाला अधिकारी कर निर्धारक अधिकारी से भिन्न कोई अधिकारी हो, वहाँ वह ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति व्यवहारी के कर निर्धारण प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

(10) जहाँ उपधारा (9) में निर्दिष्ट रिपोर्ट तैयार करने वाले अधिकारी की यह राय हो कि ऐसे व्यवहारी द्वारा स्वीकृत कर के भुगतान की देयता के अतिरिक्त व्यवहारी द्वारा कर के भुगतान की देयता एक लाख रुपये से अधिक हो सकती है वहाँ वह उपधारा (9) में निर्दिष्ट रिपोर्ट की प्रति अग्रसारित करने के पूर्व कारण दर्शाने के तथ्यों का उल्लेख करते हुये कि उक्त तथ्यों के आधार पर क्यों न विपरीत निष्कर्ष निकाला जाये, एक नोटिस व्यवहारी को तामील करेगा। व्यवहारी ऐसी नोटिस पाने पर दो प्रतियों में ऐसे अधिकारी को अपना उत्तर प्रस्तुत करेगा। इसके पश्चात अधिकारी रिपोर्ट की प्रति, जारी की गयी कारण बताओ नोटिस की एक प्रति और व्यवहारी से प्राप्त उत्तर की प्रति, व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत उत्तर यदि प्रस्तुत किया गया हो, पर अपनी टिप्पणियों सहित कर निर्धारक प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

(11) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 100 और 165 के उपबन्ध, जहाँ तक सम्भव हो इस धारा के अधीन किसी प्रविष्टि या तलाशी या निरीक्षण के सम्बन्ध में लागू होंगे जैसा कि वे उक्त संहिता के अधीन किसी निरीक्षण या तलाशी के सम्बन्ध में लागू होते है।

स्पष्टीकरण :- उपधारा (4) में विर्निदिष्ट अवधि की गणना करने में उस अवधि, जिसके दौरान इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियाँ किसी न्यायालय या प्राधिकारी के आदेशों के अधीन स्थगित रही हो, को अपवर्जित कर दिया जायेगा।

व्यवहारी से भिन्न किसी व्यक्ति के मामले में तलाशी, निरीक्षण और अभिग्रहण की शक्ति।

46-जहाँ कोई व्यक्ति किसी व्यवहारी के कारबार के प्रासंगिक या आनुषंगिक या उससे सम्बन्धित कोई क्रिया कलाप करता हो वहाँ धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत कोई अधिकारी किसी व्यवहारी की कर देयता की जाँच के प्रयोजन के लिये धारा 45 की उपधारा (11) के उपबन्ध के अध्यधीन उक्त धारा की उपधारा (1) से उपधारा (10) तक के अधीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।

स्पष्टीकरण :- इस धारा के प्रयोजन के लिये निम्नलिखित व्यक्ति किसी व्यवहारी के कारबार के प्रासंगिक या आनुषंगिक या उससे सम्बन्धित क्रिया-कलाप कार्यान्वित करने वाले माने जायेंगे :—

(एक) दलाल या प्रचार अभिकर्ता जो माल के क्रेता और विक्रेता के मध्य मध्यस्थ के रूप में कार्य करता हो ; या

(दो) माल का परिवाहक या कोई अन्य वाहक या कोई फारवर्डिंग एजेन्ट ; या

(तीन) ऐसा व्यक्ति जो किसी व्यवहारी के लिये किसी माल का निर्माण या विनिर्माण करता हो ; या

(चार) ऐसा व्यक्ति जो किसी व्यवहारी की ओर से परिदान ग्रहण करता हो या माल का प्रेषण करता हो ; या

(पाँच) ऐसा व्यक्ति जो किसी व्यवहारी से सम्बन्धित किसी माल को अभिरक्षा में रखता हो ; या

(छः) ऐसा व्यक्ति जो किसी व्यवहारी के माल को किसी अन्य हैसियत से सम्भालता हो।

सूचना मंगाने और सम्मन जारी करने की शक्ति

47-(1) कोई अधिकारी, जो कर निर्धारक प्राधिकारी की श्रेणी से नीचे का न हो, किसी व्यवहारी या अन्य व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह ऐसी सूचना उपलब्ध कराये जो उसकी जानकारी में या उसके पास हो सकती है, या है।

(2) इस अधिनियम के अधीन समस्त अधिकारियों को निम्नलिखित मामलों से सम्बन्धित किसी वाद का विचारण करते समय वही शक्तियाँ होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी न्यायालय में निहित हों, अर्थात -

(क) किसी व्यक्ति की उपस्थिति के लिये दबाव डालना और शपथ या - प्रतिज्ञान पर उसका परीक्षण करना ;

(ख) दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिये बाध्य करना ; और

(ग) साक्षी के परीक्षण के लिये कमीशन जारी करना ;

और उपर्युक्त अधिकारियों में से किसी अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही को भारतीय दंड संहिता की धारा 196 के प्रयोजन के लिये धारा 193 और 228 के अन्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझा जायेगा।

(3) दस्तावेजों को प्रस्तुत करने या किसी व्यक्ति की उपस्थिति के लिये सम्मन विहित प्रपत्र में जारी किये जायेंगे।

माल अभिग्रहीत करने की शक्ति

48-(1) धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी को किसी ऐसे माल को अभिग्रहीत करने की शक्ति होगी -

(एक) जो किसी व्यवहारी के कारबार के स्थल, गाड़ी, जलयान या किसी अन्य भवन में या स्थान पर पाये जाये ; या

(दो) जिसके सम्बन्ध में ऐसे अधिकारी को यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वह किसी व्यवहारी से सम्बन्धित है और जो किसी कारबार के स्थल, गाड़ी, जलयान या किसी अन्य भवन में, या स्थान पर पाये जायं किन्तु व्यवहारी द्वारा अपने कारबार के सामान्य क्रम में अनुरक्षित अपने लेखों, रजिस्टरों या अन्य दस्तावेजों में उसका लेखा न रखा गया हो :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन अभिग्रहीत समस्त माल की सूची ऐसे अधिकारी द्वारा तैयार की जाएगी और उस पर उक्त अधिकारी और कम से कम दो साक्षियों द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा।

(2) जहाँ उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी गाड़ी, जलयान, भवन या स्थान में पाया गया माल किसी वास्तविक व्यवहारी का नहीं है अथवा यह संदेह हो कि ऐसे माल को किसी व्यवहारी ने अपने सामान्य कारबार के क्रम में अनुरक्षित अपने लेखों, रजिस्टरों व अन्य दस्तावेजों में उचित रूप से लेखाबद्ध नहीं किया है, वहाँ उसे ऐसे माल के अभिग्रहीत करने की शक्ति होगी, और इस धारा के अवशिष्ट उपबन्ध ऐसे अभिग्रहण के सम्बन्ध में यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

(3) उपधारा (1) के अधीन माल को अभिग्रहीत करने वाला अधिकारी उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिये समस्त उपाय करेगा और अभिग्रहण से सम्बन्धित अन्य दस्तावेजों सहित उपधारा (1) के परन्तुक में निर्दिष्ट सूची सम्बन्धित कर निर्धारक प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

(4) उक्त कर निर्धारक प्राधिकारी यथास्थिति, व्यवहारी या माल के प्रभारी व्यक्ति को (जिसे इस धारा में प्रभारी व्यक्ति निर्दिष्ट किया गया है) अभिग्रहण के समय एक लिखित नोटिस तामील करायेगा जिसमें उससे कारण बताये जाने की अपेक्षा की जायेगी कि क्यों न उसके विरुद्ध शास्ति आरोपित की जाये।

(5) यदि ऐसे प्राधिकारी का यथास्थिति, व्यवहारी या प्रभारी व्यक्ति के स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर विचार करने और उसे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात यह समाधान हो जाये कि उक्त माल को उपधारा (1) में निर्दिष्ट लेखों, रजिस्टरों और अन्य दस्तावेजों में नहीं दर्शाया गया है तो वह ऐसे माल के मूल्य के चालीस प्रतिशत से अनधिक जैसा वह उचित समझे, की शास्ति आरोपित करते हुये आदेश पारित करेगा।

(6) उपधारा (5) के अधीन शास्ति आरोपित करने के आदेश की प्रति यथास्थिति, व्यवहारी या प्रभारी व्यक्ति को तामील की जायेगी।

(7) माल को अभिग्रहीत करने वाला प्राधिकारी यथास्थिति, व्यवहारी या प्रभारी व्यक्ति को एक लिखित आदेश तामील करायेगा जिसमें ऐसे अभिग्रहण के तथ्य का उल्लेख होगा और जिसमें ऐसी धनराशि संसूचित होगी, जो ऐसी धनराशि से अनधिक होगी जो सम्भावित रूप में आरोपित की जाने वाली शास्ति को आच्छादित करने के लिये पर्याप्त हो, जिसके नगद जमा करने पर इस प्रकार अभिग्रहीत माल को यथास्थिति व्यवहारी या प्रभारी व्यक्ति के पक्ष में अवमुक्त किया जा सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि कमिश्नर या इस निमित्त कमिश्नर द्वारा यथा प्राधिकृत किसी उप कमिश्नर पद से अनिम्न अधिकारी अभिलिखित किये जाने वाले पर्याप्त कारणों से, निर्देशित कर सकता है कि बिना किसी जमानत के या ऐसी न्यूनतर धनराशि जमा करने पर अथवा नकद या क्षतिपूर्ति बन्धपत्र से भिन्न ऐसे रूप में, जैसा कि वह उचित समझे, प्रतिपूर्ति देने पर माल अवमुक्त कर दिया जाये :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि उन व्यक्तियों के मामलों में जो रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी नहीं है और जिनके विरुद्ध उपधारा (5) के अन्तर्गत शास्ति आदेश पारित कर दिया गया हो, ऐसे व्यक्तियों द्वारा कर विवरणी दाखिल करना तथा उन पर कर का निर्धारण किया जाना आवश्यक नहीं होगा।

(8) उपधारा (7) के अधीन जमा की गयी किसी धनराशि के समायोजन के पश्चात शास्ति या उसका कोई भाग रह जाये तो उसे शास्ति आरोपित करने वाले आदेश की प्रति के तामील के दिनांक से तीस दिनों के भीतर विहित रूप में जमा किया जायेगा। व्यतिक्रम की स्थिति में कर निर्धारक प्राधिकारी ऐसे रीति में जैसी कि विहित की जाये, माल को बेच देगा और अधिरोपित शास्ति के प्रति उसके विक्रय के आगम से समायोजन करेगा और धारा 40 के उपबन्धों के अध्यधीन शेष धनराशि यदि कोई हो, का प्रतिदाय यथास्थिति, व्यवहारी या प्रभावी व्यक्ति को करेगा।

(9) जहाँ, माल को अभिग्रहीत करने वाला अधिकारी उपधारा (3) में निर्दिष्ट सूची और अन्य दस्तावेजों को अग्रसारित करने के पूर्व या कर निर्धारक प्राधिकारी की उसके पश्चात किसी समय यह राय हो कि माल द्रुतगति से और प्राकृतिक रूप से क्षयशील है या जहाँ यथास्थिति निर्धारित कर या आरोपित शास्ति को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार जमा न किया गया हो, वहाँ यथास्थिति माल को अभिग्रहीत करने वाला अधिकारी या कर निर्धारक प्राधिकारी किसी अन्य कार्यवाही जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार की जा सके, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निर्धारित रीति से सार्वजनिक नीलाम द्वारा माल बिकवायेगा । ऐसे माल के विक्रय आगमों का समायोजन, निर्धारित कर या आरोपित शास्ति और विक्रय के व्यय के प्रति किया जायेगा । अवशेष धनराशि, यदि कोई हो, का प्रतिदाय उपधारा (8) के उपबन्धों के अनुसार, यथास्थिति, व्यवहारी या प्रभारी व्यक्ति को किया जायेगा ।

(10) यदि उपधारा (7) के अधीन जमा की गयी धनराशि उपधारा (5) के अधीन अधिरोपित शास्ति की धनराशि से अधिक हो तो इस प्रकार जमा की गयी अतिरिक्त धनराशि का प्रतिदाय, धारा 40 के उपबन्धों के अनुसार, प्राधिकारी, जिसे ऐसी धनराशि जमा की गयी हो, द्वारा यथास्थिति व्यवहारी या प्रभारी व्यक्ति को किया जायेगा ।

अध्याय-सात

जांच चौकी

जांच चौकियों और नाकों की स्थापना

49-(1) यदि राज्य सरकार को यह राय हो कि करापवंचन रोकने या इस अधिनियम के अधीन अन्य देयों के भुगतान के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक है तो -

(एक) राज्य के बाहर से लाये गये या प्राप्त किये गये माल के विक्रय ;

(दो) राज्य के बाहर से लाये गये या प्राप्त किये गये माल के उपयोग द्वारा प्रसंस्कृत या विनिर्मित माल के विक्रय ; या

(तीन) राज्य के भीतर उत्पादित या विनिर्मित माल के विक्रय या क्रय, के संबंध में -

वह गजट में अधिसूचित करके राज्य के भीतर ऐसे स्थानों, जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये गये हों, पर जाँच चौकियाँ या नाके स्थापित करने का निर्देश दे सकती है ।

(2) पूर्वगामी अधिनियम के अधीन स्थापित की गयी चौकियाँ या नाके इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर इस अधिनियम के अधीन स्थापित चौकियाँ या नाके मानी जायेगी ।

घोषणा पत्र द्वारा सड़क मार्ग से राज्य में माल का आयात

50-(1) कोई व्यक्ति (जिसे इस धारा में आगे आयातकर्ता कहा गया है), जो राज्य के बाहर के किसी स्थान से राज्य के भीतर कारबार के सम्बन्ध में अनुसूची-I में नामित एवं वर्णित वस्तुओं से भिन्न ऐसी मात्रा या माप या मूल्य का माल जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाय लाने, आयात करने या अन्य का प्राप्त करने का इच्छुक हो, निर्धारक अधिकारी से जिसकी अधिकारिता इस क्षेत्र पर हो जहाँ इस व्यक्ति के कारबार का मुख्य स्थान स्थिति है या यदि ऐसा कोई स्थान नही है तो जहाँ पर साधारणतया वह निवास करता है निर्धारित शुल्क का भुगतान करके निर्धारित घोषणा का प्रपत्र प्राप्त करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि आयातकर्ता कारबार के सम्बन्ध से भिन्न प्रयोजनों के लिये ऐसे माल को लाने, आयात करने या अन्यथा प्राप्त करने का इच्छुक हो तो वह अपने विकल्प पर उसी प्रकार प्रमाण-पत्र का निर्धारित प्रपत्र प्राप्त कर सकता है।

(2) (क) यदि ऐसा माल रजिष्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा राज्य के भीतर आयात किया जाता है, लाया जाता है, या अन्यथा प्राप्त किया जाता है तो वह ऐसे घोषणा पत्र या दस्तावेज, जैसे विहित किये जाँय, अपने साथ रखेगा।

(ख) जहाँ ऐसा माल राज्य के भीतर कारबार से सम्बन्धित व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति द्वारा आयात किया जाता है, लाया जाता है या अन्यथा रूप से प्राप्त किया जाता है तो वह ऐसे प्रमाण पत्रों, दस्तावेजों, जिन्हें विहित किया जाय, को इसी तरह अपने साथ रखेगा।

(3) पूर्ववर्ती उपधाराओं में निर्दिष्ट कोई माल ले जाने वाली किसी गाड़ी का ड्राइवर या अन्य प्रभारी व्यक्ति गाड़ी को प्रत्येक जाँच चौकी या नाके पर या धारा 45 की उपधारा (1) या धारा 48 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाने पर किसी भी अन्य स्थान पर रोकेगा, और उसे तब तक रोके रखेगा जब तक कि यथास्थिति उस जाँच चौकी या नाके के प्रभारी अधिकारी द्वारा या धारा 45 की उपधारा (1) या धारा 48 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवश्यक समझा जाय, और उसे गाड़ी की तलाशी लेने देगा और माल का और पूर्ववर्ती उपधाराओं में निर्दिष्ट सभी लेख पत्रों का निरीक्षण करने देगा और यदि अपेक्षित हो उसे अपना नाम और पता और गाड़ी के स्वामी और माल के पारेषक और पारेषिती का नाम और पता देगा।

(4) यदि उपधारा के अधीन तलाशी लेने या निरीक्षण करने वाले अधिकारी को यह पता चले कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे माल का परिवहन कर रहा है या परिवहन करने का प्रयत्न कर दुष्प्रेरण कर रहा है जिस पर यह धारा लागू होती है किन्तु उसे पूर्ववर्ती उपधाराओं में निर्दिष्ट उचित और वास्तविक लेख पत्रों में दिखाया नहीं गया है और यदि ऐसे व्यक्ति के सुनवाई के अवसर देने के पश्चात, उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, उसका यह समाधान हो जाये

कि ऐसे माल का इस अधिनियम के अधीन निर्धारण या देय कर या सम्भाव्य देय कर को भुगतान का अपवंचन करने के प्रयास में परिवहन किया जा रहा था तो वह ऐसे माल को रोकने का आदेश दे सकता है।

(5) माल को रोके रखने के सम्बन्ध में धारा 48 की उपधारा (3), (7), (8), (9) और (10) के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार कि उक्त धारा के अधीन अभिग्रहण के सम्बन्ध में लागू होते है।

राज्य में रेल वायुमार्ग, डाक, नदी या रज्जु मार्ग द्वारा माल का आयात

51-(1) (क) जहाँ कर योग्य कोई माल राज्य के बाहर किसी स्थान से राज्य के भीतर किसी व्यवहारी को परिदान के लिये रेल, वायुमार्ग या डाक द्वारा पारेषित किये जाते है तो सम्बन्धित प्राधिकारी माल का परिदान व्यवहारी या पारेषिती को तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह ऐसे प्राधिकारी को विदित प्रपत्र में घोषणा प्रपत्र सहित अन्य ऐसे अभिलेख जिन्हें विहित किया जाय प्रस्तुत नहीं कर देता है या नही करवा देता है।

(ख) जहाँ कर योग्य कोई माल राज्य के बाहर किसी स्थान से राज्य के अन्दर किसी स्थान पर व्यवहारी को परिदान के लिये नदी मार्ग या रज्जु मार्ग से पारेषित किये जाते है, वहाँ माल को प्राप्त करने वाला व्यवहारी उसका परिदान तब तक प्राप्त नही करेगा या करवायेगा जब तक कि वह ऐसे अधिकारी को जिसे कमिश्नर द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, विहित घोषणा-पत्र और दस्तावेज प्रस्तुत नही कर देता है या करवा देता है।

(ग) छुड़ाने के पश्चात माल को, यथास्थिति, रेलवे स्टेशन, स्टीमर या बोट स्टेशन, एयरपोर्ट या डाकघर या कोरियर के कार्यालय से तब तक न ले जायेगा या न ले जाने देगा जब तक कि माल के साथ ऐसे अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से पृष्ठांकित घोषण-पत्र की एक प्रति न हो :

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ कोई कोरियर सेवा प्रदान करने वाला किसी माल को रेल, नदी मार्ग, वायुमार्ग, या डाक द्वारा परिवहन करता है तो ऐसा कोरियर सेवा प्रदान करने वाला उसका परिदान तब तक नही प्राप्त करेगा या करवायेगा जब तक कि माल को आयात करने वाला व्यवहारी ऐसे अधिकारी को जिसे इस निमित्त कमिश्नर द्वारा प्राधिकृत किया जाय धारा 50 की उपधारा (2) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट एक घोषण पत्र दो प्रतियों में उसके द्वारा सम्यक् रूप से भर कर और हस्ताक्षरित करके ऐसे अधिकारी को पृष्ठांकन के लिये नहीं कर देता है या करवा देता है। कोरियर सेवा प्रदाता रेल, नदी मार्ग, वायुमार्ग या डाक प्राधिकारी से माल का परिदान लेने के पश्चात माल के साथ घोषणा-पत्र के प्रपत्र की दूसरी प्रति रखेगा और व्यवहारी को माल सहित परिदान कर देगा।

(2) जहाँ कोई कराधेय माल, राज्य में व्यक्तिगत सामान के रूप में रेल, नदी, वायुमार्ग द्वारा लाया जाय वहाँ उन्हें लाने वाला व्यक्ति आयातकर्ता द्वारा सम्यक् रूप से भरे और हस्ताक्षरित किये हुये निर्धारित प्रपत्र में घोषणा-पत्र अपने साथ रखेगा, और आयातकर्ता उसे उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अगले कार्य दिवस तक कार्यालय द्वारा पृष्ठांकित किये जाने के लिए प्रस्तुत करेगा।

(3) जहाँ कोई व्यक्ति कारबार से सम्बन्धित से भिन्न कोई कराधेय माल राज्य के बाहर के किसी स्थान से राज्य के भीतर रेल, नदी, वायुमार्ग, डाक या कोरियर द्वारा लाना या प्राप्त करना चाहता है और धारा 50 की उपधारा (2) के अधीन निर्धारित प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेता है, वहाँ उपधारा (1) और (2) के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे मानो उसमें प्रयुक्त शब्द "घोषणा-पत्र" के स्थान पर शब्द "प्रमाण-पत्र" रखा गया हो।

(4) जहाँ धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत कोई अधिकारी या धारा 48 की उपधारा (1) या धारा 50 में निर्दिष्ट कोई अधिकारी, निरीक्षण या तलाशी के दौरान कोई कराधेय माल पाता है, जिसके सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष घोषणा न की हो या व्यक्तिगत सामान के रूप में लाये जा रहे माल के साथ उपधारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट घोषणा-पत्र न हो और माल के निरीक्षण के समय यथास्थिति, माल के प्रभारी व्यक्ति या माल के स्वामी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये जाने के पश्चात, ऐसे अधिकारी (निरीक्षण या तलाशी करने वाला अधिकारी) का समाधान हो जाये कि ऐसे कराधेय माल का आयात इस अधिनियम के अधीन कर के संदाय का अपवंचन करने के प्रयास में किया जा रहा है तो वह ऐसे कारण अभिलिखित करने के पश्चात माल को रोक सकता है।

(5) धारा 48 की उपधारा (3), (7), (8), (9) और (10) के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन के साथ, ऐसे रोके गये माल के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार उस धारा के अधीन अभिग्रहीत माल के सम्बन्ध में लागू होते है।

(6) धारा 50 और इस धारा में किसी बात के होते हुये भी राज्य सरकार लोकहित में और पर्याप्त कारणों से उक्त धाराओं में निर्दिष्ट घोषणा-पत्र या प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करने की अपेक्षाओं से इस सीमा तक, जैसी अधिसूचित की जाय, छूट प्रदान कर सकती है।

राज्य से होकर सड़क मार्ग से माल जाने के लिये प्राधिकार पत्र (बहती) जारी करना

52-जब राज्य से बाहर किसी स्थान से आने वाली और राज्य के बाहर किसी अन्य स्थान को जाने वाली और धारा 51 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट माल ले जाने वाली कोई गाड़ी राज्य से होकर गुजरे तब ऐसी गाड़ी का ड्राइवर या अन्य प्रभारी व्यक्ति राज्य में अपने प्रवेश करने के पश्चात् पहली जाँच चौकी या नाका के प्रभारी अधिकारी को माल के पारगमन के लिये प्राधिकार विहित रीति से प्राप्त करेगा और राज्य से अपने वहिर्गमन करने से पूर्व अन्तिम जांच चौकी या नाका प्रभारी अधिकारी को वही माल के पारगमन के लिये प्राधिकार सौप देगा और ऐसा न करने पर यह मान लिया जायेगा कि उसके द्वारा ले जाया जाने वाला माल गाड़ी के स्वामी या प्रभारी व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर बेच दिया गया है :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि गाड़ी से लाये गये माल का राज्य में प्रवेश करने के पंश्चात किसी अन्य गाड़ी या वाहन से परिवहन कर दिया जाय, तब यह सिद्ध करने का भार कि माल वास्तव में राज्य के बाहर चला गया है, गाड़ी के स्वामी या प्रभारी व्यवित पर होगा।

स्पष्टीकरण : गाड़ी के भाड़ेदार को इस धारा के प्रयोजनों के लिये, गाड़ी का स्वामी समझा जायेगा।

पुलिस से सहायता लेने की शक्ति

53-धारा 45, 48, 50, 51, या 52 के उपबन्धों के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाला अधिकारी राज्य के पुलिस या अन्य अधिकारी या पदधारी की सहायता ले सकता है।

अध्याय - आठ

शास्ति

कतिपय मामलों में शास्तियां

54-(1) कर निर्धारक प्राधिकारी, यदि वह सन्तुष्ट है कि व्यवहारी या किसी अन्य व्यक्ति, जैसी स्थिति हो, ने आगे दिए गए तालिका के स्तम्भ (2) में परिभाषित कोई त्रुटि की है तो, ऐसी जाँच, जिसे वह आवश्यक समझें, करने तथा व्यवहारी या उस व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त व्यवहारी अथवा उस व्यक्ति को देय कर, यदि कोई हो, के अतिरिक्त शास्ति के रूप में चार्ट के उसी क्रमांक के सम्मुख स्तम्भ (3) में निर्धारित धनराशि जमा करने हेतु निर्देशित करेगा।

क्रम सं0	त्रुटि	शास्ति की धनराशि
(1)	(2)	(3)
1	व्यवहारी किसी कर अवधि के लिए देय कर को जमा करने में, बिना युक्तियुक्त कारण के विफल हो गया हो या विहित रीति से किसी कर अवधि के लिए या विहित अथवा विस्तारित समय के अन्तर्गत कर विवरणी को जमा करने में विफल हो गया हो,	संदेय कर का 20 प्रतिशत
2	व्यवहारी ने अपने आवर्त का विवरण छिपाया हो या ऐसे आवर्त का असत्य विवरण जानबूझ कर प्रस्तुत किया हो या इस अधिनियम के अधीन मिथ्या कर विवरणी प्रस्तुत किया हो या कर संदाय का अपवंचन किया हो जिसका वह इस अधिनियम के अधीन भुगतान करने का दायी है।	छिपायी गयी या परिवर्जित की गयी कर की धनराशि का तीन गुना
3	(एक) व्यवहारी ने मिथ्या लेखा, रजिस्टर या दस्तावेज अनुरक्षित या प्रस्तुत किया हो ; (दो) व्यवहारी या कोई अन्य व्यक्ति होते हुए, जिससे कोई बही लेखा या अन्य दस्तावेज अनुरक्षित करने की अपेक्षा की जाय, यथाविहित रूप में ऐसी बही, लेखा या दस्तावेज को अनुरक्षित नहीं करता है ;	छिपायी गयी या परिवर्जित की गई कर की धनराशि का तीन गुना
4	व्यवहारी बिना किसी युक्तियुक्त कारण के निर्धारित कर का भुगतान अनुज्ञात समय के भीतर करने में विफल हो गया हो ;	निर्धारित कर का 20 प्रतिशत
5	व्यवहारी इस अधिनियम उपबंधों के अनुसार कर बीजक या विक्रय बीजक जारी करने में विफल हो गया हो ;	माल के मूल्य का 40 प्रतिशत
6	व्यवहारी इस अधिनियम के उपबंधो के अनुसार माल के सम्प्रेषण या परिदान के सम्बन्ध में चालान अन्तरण बीजक या परिवहन मेमो जारी करने में विफल हो गया हो ;	माल के मूल्य का 40 प्रतिशत
7	जहाँ व्यवहारी - (एक) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण हेतु दायी होते हुए विहित रीति से और विनिर्दिष्ट समय के भीतर आवेदन करने में विफल हो गया हो ; या (दो) पंजीयन योग्य रहते हुए कारबार कर रहा है या कारबार जारी किए हुए है, (क) पंजीयन प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किये जाने के पश्चात; या (ख) उसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिये जाने के पश्चात; या	प्रतिदिन एक सौ रुपये, जिसके दौरान कारबार किया जाता हो

(1)	(2)	(3)
	(ग) रजिस्ट्रीकरण की स्वीकृति या उसकी निरन्तरता के लिए मांग की गयी प्रतिभूति प्रदान किये बिना रजिस्ट्रीकरण हेतु दायी होते हुए कारबार जारी रखता हो या उसे निरन्तर जारी रखता हो ;	
8	निरीक्षण, परीक्षण और प्रति प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम के अधीन सशक्त अधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर यथास्थिति, व्यवहारी या अन्य व्यक्ति ; (एक) अभिलेख, लेखाबहियाँ या दस्तावेज़ प्रस्तुत करने ; या (दो) कारबार के सम्बन्ध में प्रयुक्त अपने कम्प्यूटर को प्रचलित करने ; या (तीन) प्रतियां या प्रिंटआउट आदि अनुज्ञात करने के लिए इनकार करता है या उपेक्षा करता है ;	पांच हजार रुपये की धनराशि और पुनरावृत्ति होने पर उक्त का पाँच गुना
9	यथास्थिति, व्यवहारी या अन्य व्यक्ति धारा 45 या धारा 48 के अधीन सशक्त किसी अधिकारी या किसी जाँच चौकी या नाका के किसी प्रभारी अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निष्पादन करने में व्यवधान डालता है या उसे रोकता है ;	रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी के मामले में पांच हजार रुपये और अन्य के मामले में उसकी पांच गुना की धनराशि
10	यथास्थिति, व्यवहारी या अन्य व्यक्ति कोई सूचना उपलब्ध कराने से अस्वीकार करता है या उपेक्षा करता हो जो उसके संज्ञान या कब्जे में हो या मिथ्या सूचना उपलब्ध कराता हो ;	रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी के मामले में पांच हजार रुपये और अन्य के मामले में उसकी पांच गुनी धनराशि
11	जहाँ, यथास्थिति, व्यवहारी या अन्य व्यक्ति- (एक) इस अधिनियम के अधीन विहित मिथ्या या गलत प्रमाण-पत्र या घोषण-पत्र जारी करता हो या प्रदान करता हो, जिसके कारण से विक्रय या क्रय पर कर पूर्णत: या आंशिक रूप से उद्ग्रहणीय नहीं रह जाता है ; या (दो) माल का वास्तविक विक्रय किये बिना कर बीजक या विक्रय बीजक जारी करता है ; या (तीन) माल के वास्तविक प्रेषण या परिदान के बिना परिवहन मेमो, चालान या अन्तरण बीजक जारी करता हो ; या	माल के प्रकटित मूल्य का 50 प्रतिशत

(1)	(2)	(3)
	(चार) माल का वास्तविक रूप में क्रय किये बिना कर बीजक या विक्रय बीजक प्राप्त करता हो ; या (पाँच) माल की वास्तविक प्राप्ति के बिना परिवहन मेमो, चालान या परिवहन बीजक प्राप्त करता हो ; या (छह) मिथ्या कर बीजक, विक्रय बीजक प्रमाण पत्र या घोषणा-पत्र जारी करता हो या प्रस्तुत करता हो, जिसके कारण विक्रय या क्रय पर कर इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन उद्ग्रहणीय नहीं रह जाता हो ;	
12	जहाँ, यथास्थिति, व्यवहारी या अन्य व्यक्ति, (एक) इस अधिनियम के अधीन उपबंधों के अनुसार ऐसे किसी विहित घोषणा पत्र या प्रमाण-पत्र का प्रयोग करता हो जिसकी प्राप्ति, उसके या उसके स्वामी या अभिकर्ता द्वारा न की गयी हो ; या (दो) विधि सम्मत प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए विहित घोषणा-पत्र या प्रमाण-पत्र किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित करता है ; या (तीन) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विहित घोषणा-पत्र या प्रमाण-पत्र रखता हो जिसकी प्राप्ति उसके द्वारा न की गयी हो ;	माल के प्रकटित मूल्य का 50 प्रतिशत
13	जहाँ, यथास्थिति, व्यवहारी या अन्य व्यक्ति - (एक) इस अधिनियम के अधीन निरीक्षण से बचने के आशय से कारबार स्थल को बंद करता हो या उसे छोड़ देता हो ; या (दो) चालक या वाहन प्रभारी होते हुए माल और दस्तावेजों के निरीक्षण से बचने के आशय से वाहन को छोड़ देता हो ; या (तीन) माल का निरीक्षण करने हेतु सशक्त किसी अधिकारी द्वारा अपेक्षित कराधेय माल को ले जाने वाले वाहन को सोदेश्य न रोकता हो :	रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी के मामले में पांच हजार रुपये की धनराशि और अन्य के मामले में उसकी पांच गुना धनराशि
14	जहाँ, यथास्थिति, व्यवहारी या कोई अन्य व्यक्ति- (एक) (क) ऐसे माल ; या (ख) ऐसे माल का प्रयोग करके विनिर्मित प्रसंस्कृत या पैक किये गये माल ;	माल के प्रकटित मूल्य का 40 प्रतिशत

(1)	(2)	(3)
	के विक्रय पर कर संदाय के अपवंचन की दृष्टि से धारा 50 या धारा 51 के अधीन उपबन्धों के उल्लंघन में किसी माल का आयात करता है या आयात करने का प्रयास करता है या उसके आयात का दुष्प्रेरण करता है ; या (दो) इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के उल्लंघन में किसी कराधेय माल का परिवहन करता है, परिवहन करने का प्रयास करता है ;	
15	जहाँ, यथास्थिति, वाहन चालक या उसका प्रभारी व्यक्ति- (एक) राज्य से होकर माल के पारगमन का प्राधिकार प्राप्त करने में विफल हो और यह सिद्ध करने में भी विफल हो कि माल का तात्पर्य राज्य के बाहर व्यवहारियों या व्यक्तियों हेतु परिदान से है ; या (दो) पारगमन हेतु प्राधिकार प्राप्त करने में विफल हो किन्तु यह सिद्ध करता हो कि माल का तात्पर्य राज्य के बाहर व्यवहारियों या अन्य व्यक्तियों को परिदान से है ; या (तीन) राज्य से होकर माल के पारगमन हेतु प्राधिकार प्राप्त करने के दौरान माल को राज्य के बाहर ले जाने के लिए राज्य के अन्दर वास्तविक व्यक्ति को ऐसा माल सौंपने का उत्तरदायित्व ग्रहण करता हो किन्तु ऐसे वास्तविक व्यक्ति को ऐसा माल सौंपने में विफल हो ; या (चार) ऐसा व्यक्ति होते हुए, जो चालक या वाहन के प्रभारी व्यक्ति से माल राज्य से बाहर ले जाने के लिए प्राप्त करता है, राज्य के बाहर ऐसे माल को नहीं ले जाता है ; या (पाँच) चालक या वाहन प्रभारी व्यक्ति या परिवाहक होते हुए जो राज्य से बाहर माल ले जाने के लिए राज्य के अन्दर उसे प्राप्त करता है, निकास जाँच चौकी के प्रभारी अधिकारी के समक्ष माल के साथ साथ- माल के पारगमन हेतु प्राधिकार की प्रतियां प्रस्तुत करने में विफल हो किन्तु यह सिद्ध करता हो कि माल राज्य के बाहर ले जाए जा चुके है ; या	माल के प्रकटित मूल्य का 40 प्रतिशत

(1)	(2)	(3)
	(छः) परिवाहक या वाहन का भाड़ेदार, राज्य के बाहर माल के मिथ्या गंतव्य स्थल को दर्शाते हुए माल की रसीद तैयार करता हो ;	
16	जहाँ कोई व्यवहारी इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में कर के रूप में किसी धनराशि की मांग करता हो या उसे प्रभारित करता हो या उन्मोचित करता हो ;	इस प्रकार उन्मोचित कर का तीन गुना
17	किसी वाहन का चालक या प्रभारी व्यक्ति होते माल के निरीक्षण या ऐसे वाहन की जाँच पड़ताल से बचने के सुविचारित आशय से वाहन को रोकने में विफल हो ;	पच्चीस हजार रुपये
18	जहाँ, यथास्थिति, व्यवहारी या कोई अन्य व्यक्ति इस अधिनियम से सम्बन्धित किसी मामले में मिथ्या सत्यापन, घोषणा या अनुप्रमाणन करता हो ;	पच्चीस हजार उसके द्वारा रुपये की धनराशि या परिवर्जित किये गये कर की तीन गुना धनराशि, जो भी अधिक हो
19	जहाँ, यथास्थिति, व्यवहारी या कोई अन्य व्यक्ति इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में मिथ्या या कपटपूर्ण तरीके से धनराशि का दावा करता हो ;	इनपुट टैक्स क्रेडिट धनराशि के पांच गुना के बराबर धनराशि
20	परिवाहक, वाहक या अन्य परिवहन अभिकर्ता होते हुए किसी परिवहन मेमो, चालान या अन्तरण बीजक पर सुसंगत स्तम्भों को बिना भरे हुए माल का वहन या परिवहन करता हो	पांच हजार रुपये
21	यथा स्थिति व्यवहारी या कोई अन्य व्यक्ति धारा 45 की उपधारा (6) के अधीन लगायी गयी किसी सील के साथ छेड़छाड़ करता हो;	पच्चीस हजार रुपये
22	व्यवहारी या कोई अन्य व्यक्ति, जो इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबंधों के उल्लंघन में अन्यथा कार्य करता हो।	दस हजार रुपये

स्पष्टीकरण : इस धारा के प्रयोजन के लिए-

(एक) कर निर्धारक अधिकारी के अन्तर्गत किसी जाँच चौकी पर कमिश्नर द्वारा नियुक्त और तैनात किये गये किसी अधिकारी के श्रेणी से अनिम्न कोई अधिकारी या इस अधिनियम की धारा 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52 और 54 के अधीन शक्ति का प्रयोग करने के लिए सशक्त कोई अधिकारी सम्मिलित है।

(दो) जहाँ शास्ति की धनराशि का निर्धारण माल के आवर्त के आधार पर किया जाना हो, वहाँ दर्शाया गया या निर्धारित किया गया, जो कोई अधिक हो, माल का मूल्य कराधेय विक्रय या क्रय से सम्बन्धित माना जाएगा।

(तीन) इस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे दस्तावेजों पर लिखित माल का मूल्य और यदि मूल्य न लिखा गया हो तो स्थानीय बाजार में संगत समय पर प्रचलित अनुमानित बाजार मूल्य कराधेय विक्रय या क्रय से सम्बन्धित कराधेय माल के विक्रय या क्रय का आवर्त माना जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन पारित आदेश की एक प्रति सम्बन्धित व्यवहारी या सम्बन्धित व्यक्ति पर तामील की जाएगी और शास्ति स्वरूप अधिरोपित धनराशि, ऐसी तामीलीकरण के तीस दिन के भीतर यथाविहित रीति से ऐसे व्यवहारी या व्यक्ति द्वारा जमा की जाएगी, जिसमें विफल होने पर इसकी वसूली धारा 33 के अधीन उपबंधित रीति से की जाएगी।

(3) जहाँ इस धारा या किसी अन्य धारा के अधीन कर निर्धारक अधिकारी द्वारा पारित किसी शास्ति आदेश को किसी प्राधिकारी या न्यायालय में निहित शक्तियों का प्रयोग करके न्यायालय द्वारा इस आधार पर अभिखंडित किया जाता हो कि व्यवहारी या किसी अन्य व्यक्ति को जारी कारण बताओ नोटिस इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं है, वहाँ कर निर्धारक अधिकारी ऐसे आदेश की प्राप्ति के दिनांक से एक वर्ष के भीतर समुचित नोटिस जारी करने के पश्चात शास्ति का नया आदेश पारित कर सकता है।

(4) धारा 71 में यथा निर्दिष्ट किसी रुग्ण इकाई के मामले में कोई शास्ति आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया हो और ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील फाइल न की गयी हो, यदि राज्य सरकार ऐसा आदेश अपास्त करने के लिए कर निर्धारक प्राधिकारी को निर्देश जारी करती हो तो कर निर्धारक प्राधिकारी ऐसी तिथि, जिस पर वह राज्य सरकार से उचित प्रक्रिया द्वारा आदेश या निदेश प्राप्त करता हो, से एक वर्ष की अवधि के भीतर शास्ति का ऐसा नया आदेश पारित करेगा।

अध्याय - नौ

अपील, पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण

अपील

55-(1) धारा 48 की उपधारा (7) में उल्लिखित किसी आदेश से भिन्न कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा दिये गये किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यवहारी या अन्य व्यक्ति, आदेश की प्रति तामील किये जाने के दिनांक से 30 दिन के भीतर अपील मेमो की प्रति कर निर्धारक प्राधिकारी या कमिश्नर को तामील कराने के पश्चात,ऐसे प्राधिकारी (जिसे आगे अपील प्राधिकारी कहा गया है), जैसा निर्धारित किया जाये, को अपील कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ किसी कारणवश, कोई अपीलार्थी अपील दायर करने से पहले कर निर्धारक प्राधिकारी पर अपील मेमो की प्रति तामील करने में विफल रहता है, वहाँ वह 'अपील' दायर करने के दिनांक से एक सप्ताह के भीतर या ऐसे अग्रतर समय के भीतर जैसा अपील प्राधिकारी अनुज्ञा प्रदान करके ऐसी अपील मेमो को प्रति तामील कर सकता है ;

(2) जहाँ उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील दाखिल की गई हो, वहाँ कमिश्नर आवेदन पत्र में यथा उल्लिखित ऐसे बिन्दु पर ऐसे आदेश की वैधानिकता और उसके औचित्य का परीक्षण करने के लिये अपील प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है ऐसे आवेदन की एक प्रति अपीलार्थी को तामील की जायेगी और अपीलार्थी द्वारा दाखिल की गई अपील के साथ उस पर विनिश्चय किया जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि अपील के निपटारे के बाद वैधानिकता और औचित्य के परीक्षण के लिए कोई आवेदन ग्रहण नहीं किया जाएगा ;

अग्रतर प्रतिबंध यह है कि जहाँ कमिश्नर ने कोई आवेदन दाखिल किया हो, वहाँ अपीलार्थी उसके द्वारा दाखिल की गयी अपील को वापस लेने का हकदार नहीं होगा।

स्पष्टीकरण : इस धारा के प्रयोजन के लिए कमिश्नर के अन्तर्गत धारा 57 के अधीन न्यायाधिकरण के समक्ष कमिश्नर की ओर से अपील करने के लिए प्राधिकृत कोई अधिकारी भी होगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन किसी निर्धारण आदेश के विरुद्ध कोई अपील तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक अपीलार्थी के द्वारा दाखिल की गयी कर विवरणी में या इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में किसी स्तर पर अपीलार्थी द्वारा स्वीकृत यथास्थिति विक्रय या क्रय या दोनों, जो भी अधिक हो, के आवर्त पर इस अधिनियम के अधीन देय कर या शुल्क की धनराशि के संदाय का सन्तोषजनक प्रमाण न प्रस्तुत कर दिया हो ;

(4) अपील विहित प्रपत्र में होगी और उसे विहित रीति से सत्यापित किया जायेगा ;

(5) अपील प्राधिकारी सुसंगत अभिलेखों को मंगाने और उनका परीक्षण करने के पश्चात और अपीलार्थी और कमिश्नर को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात कर निर्धारण और शास्ति के किसी आदेश के सम्बन्ध में ;

(क) कर निर्धारण एवं शास्ति के आदेश के मामले में :-

(एक) ऐसे आदेश की पुष्टि कर सकता है या उसे रद्द कर सकता है; या

(दो) यथास्थिति कर निर्धारण या शास्ति की धनराशि में कटौती या उसमें वृद्धि करके ऐसी कटौती या, अपील या अन्यथा आधारों पर हटाये गये बिन्दु से हुई हो, ऐसे आदेश को परिवर्तित कर सकता है; या

(तीन) ऐसी जाँच, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाय, के पश्चात आदेश को अपास्त कर सकता है और कर निर्धारक अधिकारी को नया आदेश पारित करने के लिए निर्देशित कर सकता है ; या

(चार) कर निर्धारक प्राधिकारी को ऐसी जाँच करने के लिये और ऐसे समय, जैसा कि निर्देश में निर्दिष्ट किया गया है के भीतर या ऐसे बढ़ाये गये समय, जैसा कि वह इस समय पर अनुज्ञात करें, के भीतर अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये निदेशित कर सकता है, और ऐसे समय की समाप्ति पर अपील अधिकारी, चाहे रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हो या न की गई हो, पूर्व उपखन्डों के उपबन्धों के अनुसार अपील का विनिश्चय कर सकता है; या

(ख) किसी अन्य आदेश के मामले में -

(एक) ऐसे आदेश की पुष्टि, उसे रद्द या परिवर्तित कर सकता है; या

(दो) आदेश को अपास्त कर सकता है और कर निर्धारक अधिकारी को ऐसी जाँच, जैसा विनिर्दिष्ट किया जाये, के पश्चात नया आदेश पारित करने के लिये निदेशित कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा में कोई भी बात किसी भी स्तर पर, ऐसे सम्प्रेक्षणों जैसा कि वह उचित समझे, सहित अपील को खारिज करने से अपील प्राधिकारी को नहीं रोकेगा, जहाँ अपीलार्थी ने उक्त की वापसी के लिए आवेदन किया हो और अपील के अधीन कमिश्नर द्वारा वैधानिकता के परीक्षण आदेश के औचित्य के लिये कोई अनुरोध न किया गया हो।

(6) अपील प्राधिकारी, अपीलार्थी के आवेदन पर और कमिश्नर को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, के प्रवर्तन के सिवाय अपीलार्थ द्वारा संदेय कर शुल्क या शास्ति की विवादित धनराशि की वसूली अपील के निस्तारण तक स्थगित कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि -

(एक) जहाँ अपील के अधीन किसी आदेश में कर, शुल्क या शास्ति से संबंधी विवाद अन्तर्निहित हो वहाँ उस दिनांक, जिस पर स्थगन आदेश स्वीकृत किया गया हो, से तीस दिन के पश्चात कोई स्थगन आदेश प्रवृत्त नहीं रहेगा, यदि अपीलार्थी उस धनराशि, जिसकी वसूली तीस दिनों की उपर्युक्त अवधि के भीतर स्थगित कर दी गई हो, के संदाय के लिये कर निर्धारक प्राधिकारी के समाधान के लिये प्रतिभूति उपलब्ध न कराता हो :

(दो) ऐसा कोई आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक उसे उपधारा (1) के अधीन अपील के ज्ञापन सहित दाखिल न किया गया हो

(7) परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5, इस धारा के अधीन अपीलों या अन्य आवेदनों पर लागू होगी।

(8) अपील प्राधिकारी, कमिश्नर के अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे अधीक्षण और नियंत्रण का प्रयोग करके, कोई ऐसे आदेश, अनुदेश या निर्देश कमिश्नर द्वारा नहीं दिये जायेंगे जिससे अपील प्राधिकारी के उसके अपीलीय कृत्यों का प्रयोग करने के विवेक में हस्तक्षेप हो।

(9) इस धारा के प्रयोजन के लिये इस धारा के अधीन अपील . प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश की तामील और इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली में यथा परिभाषित राज्य प्रतिनिधि पर अपील के मेमो की तामील को कमिश्नर पर तामील समझा जायेगा।

(10) किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में एक ही वाद हेतुक से उद्भूत होने वाले सभी अपील, यथासम्भव, एक साथ सुनी और निर्णीत की जायेगी।

कमिश्नर द्वारा पुनरीक्षण

56-(1) कमिश्नर या ऐसा अन्य अधिकारी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किया जाय, जो संयुक्त कमिश्नर की श्रेणी से निम्न का न हो, ऐसे आदेश की वैधानिकता या औचित्य के सम्बन्ध में स्वयं का समाधान करने के प्रयोजन से अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा पारित, किसी आदेश से सम्बन्धित अभिलेख को मंगा सकता है उसका परीक्षण कर सकता है और वह, जैसा उचित समझे, उससे सम्बन्धित ऐसा आदेश पारित कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी पक्ष के हित को विपरीत रूप में प्रभावित करने वाला कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक उसे सुनवाई का कोई युक्तियुक्त अवसर न दिया जाय।

(3) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश -

(क) ऐसे किसी आदेश, जो धारा 55 के अधीन किसी अपील की विषयवस्तु हो या रहा हो ऐसे किसी आदेश, जो अपील प्राधिकारी द्वारा उस धारा के अधीन पारित किया गया हो, को पुनरीक्षित करने के लिये ;

(ख) प्रश्नगत आदेश के दिनांक से साठ दिन की समाप्ति के पूर्व ;

(ग) प्रश्नगत आदेश के चार वर्ष की समाप्ति के पश्चात पारित नहीं किया जायेगा।

स्पष्टीकरण :- जहाँ किसी आदेश के विरुद्ध अपील, धारा 72 के अधीन संदेय शुल्क के असंदाय के लिये या धारा 55 की उपधारा (3) के अननुपालन के लिये वापस ले ली गई हो या उसे खारिज कर दिया गया हो, वहाँ उक्त आदेश को धारा 55 के अधीन किसी अपील की विषयवस्तु माना जायेगा।

(4) किसी आदेश, जिसके विरुद्ध धारा 55 के अधीन अपील पड़ी हो, द्वारा व्यथित कोई व्यवहारी या कोई अन्य व्यक्ति इस धारा के अधीन ऐसे आदेश के पुनरीक्षण के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत करने का हकदार नहीं होगा।

अधिकरण

57-(1) एक अधिकरण होगा जो अध्यक्ष सहित ऐसे सदस्यों से बना हुआ होगा, जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर निम्नलिखित में से नियुक्त करने के लिए आवश्यक समझे :-

(क) ऐसे व्यक्ति जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए अर्ह हों, और

(ख) ऐसे व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश व्यापार कर सेवाओं या उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर सेवाओं से सम्बन्धित हों और जो संयुक्त कमिश्नर की श्रेणी से अनिम्न कोई पद धारण करता हो या धारित किया हो ;

प्रतिबन्ध यह है कि :—

(एक) जहाँ उक्त अधिकरण में एक या अधिक व्यक्ति हो / हों जो उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा का सदस्य या के सदस्य हो / हों वहाँ उसे या उनमें से वरिष्ठतम व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जायेगा।

(दो) अधिवक्ताओं में से कोई व्यक्ति तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक -

(क) वह ऐसी नियुक्ति पूर्ववर्ती दस क्रमवार वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में विधिक रूप से आयकर का भुगतान न कर दिया हो ;

(ख) वह नियुक्ति के दिनांक को पचास वर्ष की आयु न प्राप्त कर लिया हो ;

(ग) अधिवक्ताओं में से ऐसे सदस्यों की नियुक्ति, नियुक्ति के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि के लिए, या उसके द्वारा 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पूर्ववर्ती हो, के लिए की जायेगी।

(2) राज्य सरकार अधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए ऐसी अन्य अर्हता या शर्तें, जैसा वह उचित समझे, निर्धारित कर सकती है

(3) यू0पी0 फण्डामेन्टल रूल्स के नियम 56 के उपबन्ध अधिकरण के प्रत्येक सदस्य एवं साथ में अध्यक्ष, चाहे वे पूर्ववर्ती अधिनियम के अधीन या इस अधिनियम के अधीन या इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक को या उसके पश्चात नियुक्त किये गये हों, पर लागू रहेंगे जैसा कि वे किसी अन्य सरकारी सेवक के लिए लागू होते है।

(4) धारा 55, 56 के अधीन पारित किसी आदेश, धारा 59 के अधीन किसी विनिश्चय या धारा 48 की उपधारा (7) के परन्तुक के अधीन किसी निदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति स्वयं पर ऐसे आदेश, विनिश्चय या निदेश की प्रति के तामील किये जाने के दिनांक से नब्बे दिन के भीतर अधिकरण में अपील करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ धारा 55 के अधीन प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश किसी प्रतिभूति, जो इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अधीन अभिग्रहीत माल को छुड़ाने के लिए मांग की गयी प्रतिभूति न हो, से सम्बन्धित आदेश हो, वहां इस धारा के अधीन अपील धारा-55 के अधीन अपील प्राधिकारी द्वारा नियत प्रतिभूति प्रदान करने के पश्चात ही फाइल की जा सकती है :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ कर, शुल्क या शास्ति की विवादग्रस्त धनराशि पाँच हजार रुपये से अधिक न हो और कोई विधिक प्रश्न अन्तर्ग्रस्त न हो, वहाँ अपीलार्थी अपने विकल्प पर अधिकरण से अपनी अपील के संक्षिप्त निस्तारण के लिए लिखित रूप में अनुरोध कर सकता है, जिस पर अधिकरण तद्नुसार अपील का विनिश्चय कर सकता है।

स्पष्टीकरण : इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, पद "कोई व्यक्ति" के अन्तर्गत कमिश्नर से भिन्न किसी अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के सम्बन्ध में कमिश्नर और कमिश्नर द्वारा पारित किसी आदेश के सम्बन्ध में राज्य सरकार भी है।

(5) अपील के संक्षिप्त निस्तारण की रीति और प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी निर्धारित की जाय।

(6) परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5, इस धारा के अधीन अपील या अन्य प्रार्थना पत्रों पर लागू होगी।

(7) अधिकरण, अपीलकर्ता को सुनवायी का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात किसी प्रक्रम पर अपील खारिज कर सकता है।

(8) अधिकरण, यदि उसने उपधारा (7) के अधीन अपील पहले ही खारिज न कर दी हो, सुसंगत अभिलेख मंगाने और उनका परीक्षण करने के पश्चात और पक्षों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात या, यथास्थिति, उपधारा (5) के अधीन निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात :-

(क) ऐसे आदेश की पुष्टि, निरस्त या परिवर्तित कर सकता है, या

(ख) आदेश को रद्द कर सकता है और, यथास्थिति, कर निर्धारक या अपील या पुनरीक्षण अधिकारी या कमिश्नर को निर्देश दे सकता है कि वह ऐसी अग्रतर जाँच के पश्चात, यदि कोई हो, जैसी विनिर्दिष्ट की जाये, नया आदेश दे, या

(ग) कर, शुल्क या शास्ति की या अन्य ऐसी धनराशि को, जो देय धनराशि से अधिक वसूल कर ली गई हो, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार वापस करने का आदेश दे सकता है।

(9) जहाँ इस धारा के अधीन कोई अपील दाखिल की गई हो तो ऐसी अपील के ज्ञापन के साथ प्रस्तुत किये गये अपीलकर्ता के प्रार्थना-पत्र पर अधिकरण पक्षों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी है उसके अधीन देय किसी कर, शुल्क या शास्ति की विवादग्रस्त धनराशि की वसूली को या देय धनराशि की वापसी को या जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है उसके अधीन पुन: कर निर्धारण की कार्यवाही को अपील के निस्तारण होने तक स्थगित कर सकता है :-

प्रतिबन्ध यह है कि -

(एक) जहाँ धारा 55 के अधीन अपील प्राधिकारी ने कर निर्धारण या शास्ति के किसी आदेश को अपास्त किया हो और नये विनिश्चय के लिए मामले को कर निर्धारक प्राधिकारी को प्रतिप्रेषित किया हो और अपीलार्थी इस धारा के अधीन कमिश्नर या राज्य सरकार से भिन्न व्यक्ति है, वहाँ इस धारा के प्रयोजनार्थ कर या शास्ति की विवादग्रस्त धनराशि को वही धनराशि समझा जायेगा जो धारा 55 के अधीन अपील प्राधिकारी के पूर्व थी ; और

(दो) उपखण्ड (एक) के उपबन्ध के अधीन रहते हुए जहाँ पर ऐसे आदेश में जिसके विरुद्ध अपील की गई हो, कर, शुल्क या शास्ति की मात्रा के बारे में कोई विवाद अन्तर्ग्रस्त हो, वहाँ अपीलार्थी के आवेदन पर अधिकरण ऐसे आदेश के प्रवर्तन को, ऐसी शर्तों, जिसमें प्रतिभूति को नकद रूप में अनुज्ञात समय के भीतर देने की शर्त भी है, के अधीन रहते हुये अपील के निपटारे तक रोक सकता है ;

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि ---

(क) कर, शुल्क या शास्ति की किसी विवादग्रस्त धनराशि की वसूली को रोकने के लिये कोई प्रार्थना-पत्र ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक कि प्रार्थी ने धारा 55 की उपधारा (3) के अधीन जमा करने के लिये अपेक्षित धनराशि के अतिरिक्त ऐसी विवादग्रस्त धनराशि की कम से कम एक तिहाई धनराशि के भुगतान का सन्तोषप्रद प्रमाण प्रस्तुत न कर दिया हो।

(ख) अधिकरण विशेष और पर्याप्त कारणों से जिन्हें अभिलिखित किया जायेगा, ऐसी विवादग्रस्त धनराशि की एक तिहाई धनराशि के भुगतान करने के संबंध में खण्ड (क) की अपेक्षा का अधित्यजन या उसे शिथिल कर सकता है।

(10) जहाँ अधिकरण ने इस धारा के अधीन किसी कर, शुल्क या शास्ति की वसूली को रोकने के लिये या उस आदेश के जिसके विरुद्ध अपील की गई हो, प्रवर्तन को रोकने के आदेश पारित किया है और अधिकरण के ऐसे आदेश के परिणामस्वरूप किसी कर, शुल्क या शास्ति की वसूली रोकी गई हो वहाँ अधिकरण का ऐसा स्थगन आदेश 30 दिन से अधिक के लिये प्रवृत्त नहीं रहेगा जब तक अपीलार्थी बकाया धनराशि के भुगतान के लिये संबंधित कर निर्धारण प्राधिकारी के समाधान के रूप में पर्याप्त प्रतिभूति न दे दे।

(11) अधिकरण के सदस्य समय-समय पर यथागठित एक, दो या अधिक सदस्यों की न्यायपीठ में बैठेंगे और वे अधिकरण का ऐसा कार्य करेंगे जो उन्हें उपधारा (12) और इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुये अधिकरण के अध्यक्ष आदेश से या उसके निर्देशानुसार आवंटित किये जायं।

(12) (क) धारा 55 के अधीन अपील प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील की सुनवाई और उसका निस्तारण -

(एक) जहाँ अपीलार्थी के आवेदन पर स्थगन के लिये कोई आदेश पारित न हो, ऐसा आदेश अपर कमिश्नर (अपील) द्वारा दिया गया हो या विवादग्रस्त कर, शुल्क या शास्ति की धनराशि दो लाख रुपये से अधिक हो, दो सदस्यों की न्यायपीठ द्वारा किया जायेगा;

(दो) किसी अन्य मामले में एकल सदस्य पीठ द्वारा किया जायेगा।

(ख) धारा 48 की उपधारा (7) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन दिये गये निर्देश के विरुद्ध अपील की सुनवाई और उसका निस्तारण निम्नलिखित द्वारा किया जायेगा -

(एक) जहाँ अपील के अधीन ऐसे निर्देश, कमिश्नर, विशेष कमिश्नर या किसी अपर कमिश्नर द्वारा दिये गये हों, दो सदस्यों की पीठ द्वारा ;

(दो) किसी अन्य मामले में एकल सदस्य की पीठ द्वारा।

(ग) धारा 56 के अधीन किसी आदेश के विरुद्ध किसी अपील की सुनवाई और उसका निस्तारण निम्नलिखित द्वारा किया जायेगा --

(एक) जहाँ विवादग्रस्त कर, शुल्क या शास्ति की धनराशि दो लाख रुपये से अधिक हो या जहाँ अपील के अधीन आदेश, कमिश्नर, विशेष कमिश्नर या किसी अपर कमिश्नर द्वारा पारित किया गया हो, दो सदस्यों की पीठ द्वारा ;

(दो) किसी अन्य मामले में एकल सदस्य पीठ द्वारा।

(घ) धारा 59 के अधीन दिये गये किसी विनिश्चय के विरुद्ध अपील अध्यक्ष के समक्ष दाखिल की जायेगी और उसकी सुनवाई और निस्तारण तीन सदस्यों की पीठ द्वारा की जायेगी।

(ड.) अध्यक्ष, यदि वह उचित समझे -

(एक) किसी अपील की सुनवाई और विनिश्चय किसी वृहद्तर पीठ द्वारा किये जाने के निर्देश दे सकता है।

(दो) किसी अपील का अन्तरण एक पीठ से दूसरी पीठ को कर सकता है।

(च) दो या अधिक सदस्यों के किसी न्यायपीठ के समक्ष मामले में कोई ऐसा आदेश, जो मामले का अंतिम रूप से निस्तारण करने वाले आदेश से भिन्न हो न्यायपीठ का गठन करने वाले सदस्यों में से किसी एक द्वारा पारित किया जा सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि आस्थगन हेतु किसी आवेदन पर पारित किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील एकल सदस्यीय पीठ द्वारा अंतिम रूप से निस्तारित की जा सकती है।

(13) किसी कर निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में एक ही वाद हेतुक से उत्पन्न समस्त अपीलों की सुनवाई और उनका विनिश्चय, जहाँ तक सम्भव हो, एक साथ किया जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ ऐसी अपीलों में से किसी एक या अधिक अपीलों की सुनवाई और उसका विनिश्चय पहले ही किया जा चुका है, यदि अवशेष अपीलों की सुनवाई करने वाली न्यायपीठ विचार करती है कि ऐसे विनिश्चय से ऐसी अवशेष अपीलों में राहत देने में विधिक अड़चन हो सकती है, वहाँ वह, यदि पूर्वत्तर विनिश्चय -

(क) लघुत्तर न्यायपीठ या समसंख्य न्यायपीठ द्वारा दिया गया हो, ऐसे पूर्वत्तर विनिश्चय को रद्द कर सकती है और सभी अपीलों का विनिश्चय एक साथ करने की कार्यवाही कर सकती है ;

(ख) वृहद्तर न्यायपीठ द्वारा दिया गया हो, ऐसी अवशेष अपीलों को ऐसी अधिकारितायुक्त वृहद्तर न्यायपीठ को निर्दिष्ट कर सकती है और तत्पश्चात ऐसी वृहद्तर न्यायपीठ ऐसे पूर्वत्तर विनिश्चय को रद्द कर सकती है और सभी अपीलों का एक साथ विनिश्चय करने की कार्यवाही कर सकती है।

(14) अधिकरण की बैठक का स्थान और प्रक्रिया और अधिकरण को अपील और अन्य लेख प्रस्तुत करने की रीति इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए ऐसी होगी जैसी अधिकरण अंगीकार करना उचित समझे।

(15) किसी न्यायपीठ द्वारा सुने गये मामले का निर्णय बहुमत की राय के अनुसार होगा । यदि सदस्यों की राय बराबर विभाजित हो तो अधिकरण का अध्यक्ष -

(क) यदि वह ऐसी न्यायपीठ का सदस्य नहीं था, अपनी राय दे सकता है, या किसी अन्य सदस्य की राय के लिये मामला निर्दिष्ट कर सकता है, तदन्तर मामले का निर्णय ऐसी राय के अनुसार किया जायेगा, या

(ख) वृहद्तर न्यायपीठ बना सकता है ।

विशेष मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण

58-(1) धारा 57 की उपधारा (7) या उपधारा (8) के अधीन दिये गये आदेश से, जो उक्त धारा की उपधारा (4) के अधीन अपील का संक्षिप्त निस्तारण करने के आदेश से भिन्न हो, क्षुब्ध कोई व्यक्ति ऐसा आदेश तामील किये जाने के दिनांक से 90 दिन के भीतर उच्च-न्यायालय में इस आधार पर ऐसे आदेश के पुनरीक्षण के लिये आवेदन कर सकता है कि मामले में विधि प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन पुनरीक्षण के प्रार्थना-पत्र में मामले से सम्बन्धित विधि प्रश्न का ठीक-ठीक वर्णन होगा और विधि-प्रश्न के सूत्रीकरण या किसी अन्य किसी विधि-प्रश्न उठाये जाने की अनुमति देने के लिये उच्च न्यायालय सक्षम होगा ।

(3) यदि उस धारा के अधीन कोई प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हो तो उच्च न्यायालय उस निमित्त प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर पुनरीक्षण के लिये आशयित आदेश के अधीन देय कर, शुल्क या अर्थदण्ड की किसी विवादग्रस्त धनराशि की वसूली को या किसी देय धनराशि की वापसी को स्थगित कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी विवादग्रस्त धनराशि की वसूली के स्थगन के लिये कोई आदेश तीस दिन से अधिक प्रवृत्त नही रहेगा जब तक कि आवेदक सम्बद्ध कर निर्धारक प्राधिकारी के संतोषानुसार पर्याप्त प्रतिभूति न दे दे ।

(4) उच्च न्यायालय पुनरीक्षण के पक्षों की सुनवाई करने के पश्चात अन्तर्ग्रस्त विधि- प्रश्न का निर्णय करेगा और यदि ऐसे निर्णय के परिणामस्वरूप कर, शुल्क या अर्थदण्ड की धनराशि को फिर से अवधारित किया जाना अपेक्षित हो तो उच्च न्यायालय धनराशि को फिर से अवधारित करने के लिये निर्णय की एक प्रति, अधिकरण को भेज सकता है, और तदुपरान्त अधिकरण ऐसा आदेश देगा जो उक्त निर्णय के अनुसार मामले का निस्तारण करने के लिये आवश्यक हो ।

(5) किसी कर निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में उसी वाद हेतुक से उत्पन्न अपीलों में धारा 57 के अधीन पारित आदेशों के पुनरीक्षण के लिए सभी प्रार्थना-पत्रों की एक साथ सुनवाई और विनिश्चय किया जाएगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां ऐसे प्रार्थना-पत्रों में से किसी एक या अधिक की सुनवाई और विनिश्चय पहले कर दिया गया है, वहां यदि उच्च न्यायालय अवशेष पत्रों की सुनवाई करते समय यह विचार करता है कि पूर्वत्तर विनिश्चय से ऐसे अवशेष प्रार्थना-पत्रों में राहत देने में विधिक अड़चन हो सकती है तो वह पूर्वत्तर विनिश्चय को रद्द कर सकता है और तत्पश्चात् सभी प्रार्थना-पत्रों पर एक साथ सुनवाई और विनिश्चय करने की कार्यवाही कर सकता है।

(6) परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के उपबन्ध इस धारा के अधीन पुनरीक्षण के लिए दिए गए प्रत्येक प्रार्थना-पत्र पर यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिए पद "कोई व्यक्ति" के अन्तर्गत कमिश्नर और राज्य सरकार भी है।

कमिश्नर द्वारा विवादग्रस्त प्रश्नों का अवधारण

59-(1) यदि न्यायालय के समक्ष अथवा इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही से भिन्न कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ -

(क) कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का संघ, सोसायटी, क्लब, फर्म, कम्पनी, निगम, उपक्रम या सरकारी विभाग व्यवहारी है, या

(ख) किसी माल के प्रति किया गया कोई कार्य-विशेष स्वत: या परिणामत: माल का निर्माण, उस शब्द के अर्थानुसार है ; या

(ग) कोई संव्यवहार विक्रय या क्रय है और यदि हाँ, तो उसका विक्रय या क्रय मूल्य, यथास्थिति, क्या है ; या

(घ) किसी व्यवहारी विशेष से रजिस्ट्रीकरण कराना अपेक्षित है ; या

(ङ) किसी विक्रय या क्रय विशेष के सम्बन्ध में कर देय है, और यदि हाँ, तो उसकी दर क्या है :

तो सम्बन्धित व्यक्ति या व्यवहारी, धारा 72 में विनिर्दिष्ट शुल्क जमा करके, ऐसे दस्तावेजों सहित जो निर्धारित किये जायें, कमिश्नर को प्रार्थना-पत्र दे सकता है।

(2) कमिश्नर प्रार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, इस प्रकार उत्पन्न प्रश्न को, जैसा वह उचित समझे, विनिश्चय करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि विनिश्चय देने के पूर्व कमिश्नर स्वविवेकानुसार अपने अधीनस्थ अधिकारी से ऐसी जाँच करने के लिये कह सकता है जिसे वह उस प्रश्न के विनिश्चय के लिये आवश्यक समझे।

(3) इस धारा के अधीन कमिश्नर के विनिश्चय में किसी कर-निर्धारक प्राधिकारी, अपील सुनने वाले अधिकारी या पुनरीक्षण अधिकारी द्वारा पहले दिये गये किसी आदेश की विधिमान्यता या उसके प्रवर्तन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(4) कोई प्रश्न, जो इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा प्रार्थी के मामले में दिये गये पूर्ववर्ती आदेश से उत्पन्न हो, इस धारा के अधीन अवधारण के लिये ग्रहण नहीं किया जायेगा।

(5) उपधारा (3) में, जैसा उपबन्धित है, उसके सिवाय इस धारा के अधीन कमिश्नर द्वारा किया गया कोई विनिश्चय धारा 59 और 60 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अन्तिम होगा और आवेदक, कर-निर्धारक प्राधिकारी और अपील अधिकारी पर बंधनकारी होगा।

(6) इस धारा के अधीन दिये गये विनिश्चय की एक प्रति प्रार्थी और सम्बद्ध कर-निर्धारक प्राधिकारी को भेजी जायेगी।

आदेश जिसके विरुद्ध कोई अपील या पुनरीक्षण नही होगा

60-निम्नलिखित के विरुद्ध कोई अपील और पुनरीक्षण हेतु आवेदन न होगा -

(क) निर्धारण या पुन:निर्धारण हेतु जाँच प्रारम्भ किये जाने का आदेश या सूचना ;

(ख) धारा 45, धारा 48 की उपधारा (1), (2) या (7), धारा 50 की उपधारा (4) के अधीन कोई आदेश या कार्यवाही या माल के अभिग्रहण का कोई आदेश ; और

(ग) यथाविहित शक्ति का प्रयोग करके कमिश्नर द्वारा जारी किया गया कोई निदेश।

अपील में अतिरिक्त साक्ष्य

61-कर निर्धारिती अपील सुनने वाले या अधिकरण के समक्ष मौलिक या दस्तावेज के रूप में अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने का हकदार न होगा सिवाय उस दशा के जब पेश किये जाने वाला साक्ष्य ऐसा साक्ष्य हो जिसे कर निर्धारक प्राधिकारी ने गलती से ग्रहण करने से इन्कार किया हो अथवा जो सम्यक् तत्परता बरतने के बावजूद भी उसकी जानकारी में नहीं था अथवा उसके द्वारा कर निर्धारक प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था और प्रत्येक ऐसे मामलें में अतिरिक्त साक्ष्य अभिलिखित किये जाने पर कर निर्धारक प्राधिकारी को चुनौती देने या खण्डन करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।

अध्याय - दस

व्यवस्थापन आयोग

व्यवस्थापन आयोग का गठन

62-(1) एक व्यवस्थापन आयोग होगा जिसमें एक अध्यक्ष और ऐसी संख्या में अन्य सदस्य होगें जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाय :

प्रतिबंध यह है कि आयोग में उपधारा (4) के खण्ड (एक) और (दो) में उल्लिखित प्रत्येक श्रेणी से कम से कम एक सदस्य होगा।

(2) आयोग राज्य के मुख्यालय पर स्थित होगा किन्तु आयोग अपने कृत्यों के निर्वहन हेतु, अपने विकल्प पर, राज्य के भीतर कहीं भी, किसी सार्वजनिक स्थान पर अपना शिविर लगा सकता है।

(3) कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं होगा जब तक कि -

(एक) वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न रहा हो ; या

(दो) उसनें इस अधिनियम या इससे पूर्व के अधिनियम के अधीन अधिकरण के अध्यक्ष का पद कम से कम एक वर्ष के लिए धारण न किया हो,

(4) कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं होगा जब तक कि --

(एक) उसने इस अधिनियम या इससे पूर्व के अधिनियम के अधीन अधिकरण के सदस्य या अपर कमिश्नर का पद धारण न किया हो, या

(दो) वह, उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा का सदस्य न हो या न रहा हो।

(5) अध्यक्ष और सभी अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी, किन्तु उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाएगी जिसके लिए प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा चलाया जाएगा :

प्रतिबंध यह कि अध्यक्ष या सदस्य तब तक पद ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि उसने, यथास्थिति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद से या उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा या किसी अन्य सेवा से, जिसमें वह सेवारत था, त्याग-पत्र न दे दिया हो।

(6) अध्यक्ष और सदस्य इस रूप में अपना पद धारण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए अपना पद धारण करेगा :

प्रतिबंध यह कि कोई अध्यक्ष या अन्य सदस्य इस रूप में अपना पद ; -

(क) अध्यक्ष के मामले में पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् धारण नहीं करेगा, और

(ख) किसी अन्य सदस्य के मामले में बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् धारण नहीं करेगा।

(7) अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य राज्यपाल को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकता है।

(8) अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य विहित रीति से की गई ऐसी जांच के पश्चात् जिसमें, यथास्थिति, ऐसे अध्यक्ष या अन्य सदस्य को उसके विरुद्ध लगाये गए आरोपों की सूचना दी गई हो और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया गया हो, साबित दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर राज्यपाल द्वारा दिये गए किसी आदेश के सिवाय अपने पद से हटाया नहीं जाएगा।

(9) पद पर न रह जाने पर अध्यक्ष या अन्य सदस्य इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी के समक्ष न तो उपस्थित होगा, न कार्य करेगा और न अभिवचन करेगा।

(10) अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए।

(11) जहां अध्यक्ष अनुपस्थिति या अस्वस्थता या किसी अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वाहन करने में असमर्थ हो, या जहां अध्यक्ष का पद उसकी मृत्यु, पदत्याग या अन्यथा रिक्त हो जाए वहां अधिकरण का प्रधान, यथास्थिति, अध्यक्ष का अपने पद पुन: संभालने या इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नियुक्त अध्यक्ष के अपने पद का भार संभालने तक अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा।

व्यवस्थापन आयोग के कर्मचारी

63-(1) राज्य सरकार, व्यवस्थापन आयोग (जिसे आगे आयोग कहा गया है) को उनके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए अपेक्षित अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की प्रकृति और श्रेणियों का अवधारण करेगी और आयोग के लिए ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी जैसा वह उचित समझे।

(2) आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी अध्यक्ष के सामान्य अधीक्षण के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करेंगें।

(3) आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते और उनकी सेवा की शर्तें ऐसी होगी जैसी विहित की जाए।

व्यवस्थापन आयोग को मामले का निर्देश

64-(1) कोई व्यवहारी या अन्य व्यक्ति जिसे कोई नोटिस की तामील -

(एक) धारा 45 की उपधारा (10) के अधीन की गई हो और जिस पर इस बात का संदेह हो कि उसने एक लाख से अधिक या ऐसी अधिक कर की धनराशि के भुगतान का अपवंचन किया है जैसा कि राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ; या

(दो) या तो धारा 48 की उपधारा (4) के अधीन या धारा 54 की उपधारा (1) के अधीन सारिणी के क्रम संख्या 2 और 14 की प्रविष्टियों के अधीन शास्ति आरोपित करने के लिए की गई हो, और जहां कि आरोपित की जाने वाली शास्ति की अधिकतम धनराशि एक लाख रुपये से अधिक होने की संभावना हो,

वहां ऐसी सूचना की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिन के भीतर, ऐसी सूचना जारी करने वाले प्राधिकारी को सूचित करने के पश्चात, यथास्थिति, निर्धारित किये जाने वाले कर की धनराशि या आरोपित की जाने वाली शास्ति की धनराशि या दोनों के व्यवस्थापन के लिए आयोग के समक्ष याचिका दायर कर सकता है।

प्रतिबंध यह कि आयोग समुचित मामलों में ऐसी सूचना के अनुसरण में जहां कि कर निर्धारक प्राधिकारी ने कर निर्धारण या शास्ति का आदेश पारित न किया हों, यथास्थिति, तीस दिनों की अपील के समापन के पश्चात किन्तु नब्बे दिनों की अवधि के समापन के पूर्व, आवेदन स्वीकार कर सकता है।

(2) याचिका, विहित प्रपत्र और रीति में ऐसे अन्य दस्तावेजों के साथ, जैसे विहित किए जाएं, आयोग के अध्यक्ष को सम्बोधित होगी और आयोग के कार्यालय में पांच हजार रूपए की फीस के जमा किए जाने के संतोषजनक प्रमाण के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

आयोग द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया

65-(1) अध्यक्ष धारा 64 के अधीन प्राप्त मामलों के व्यवस्थापन के निस्तारण के लिए दो सदस्यों वाली पीठ का गठन समय-समय पर कर सकता है।

(2) दो सदस्यों की पीठ में धारा 62 की उपधारा (4) के खण्ड (एक) और (दो) में उल्लिखित प्रत्येक श्रेणी के सदस्य सम्मिलित होंगे ;

प्रतिबंध यह है कि अध्यक्ष पीठ के एक सदस्य के रूप में स्वयं को नामनिर्दिष्ट कर सकता है।

(3) धारा 64 में निर्दिष्ट याचिका पीठ के समक्ष रखी जाएगी, जिसके लिए वह अध्यक्ष द्वारा चिन्हित की गई है, और याची तथा कमिश्नर के प्रतिनिधि अधिकारी को सुने जाने का समुचित अवसर दिये जाने के पश्चात जहां पीठ की यह राय हो कि व्यवस्थापन हेतु मामला प्रथम दृष्टया सिद्ध होता है तो वह उपधारा(4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए -

(एक) मामले के रजिस्ट्रीकरण के लिए आदेश करेगी ; और

(दो) मामले में कर निर्धारक प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाहियों को आस्थगित करेगी।

(4) जहां उपधारा (3) के अधीन यथा उपबन्धित रूप में सुनवाई का समुचित अवसर दिये जाने के पश्चात् मामला सिद्ध नहीं होता है तो वह याचिका को अस्वीकृत कर सकता है ;

प्रतिबंध यह है कि जहां प्रस्तुत की गई याचिका अपूर्ण है तो आयोग याचिका को अस्वीकृत नहीं करेगा यदि याची आयोग द्वारा अनुमत समय के भीतर त्रुटियों को दूर कर लेता है।

(5) जहां व्यवस्थापन हेतु कोई मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया है वहां आयोग नोटिस जारी करने वाले प्राधिकारी से मामले में दी गई रिपोर्ट को मंगाने के आदेश दे सकता है जिसके आधार पर व्यवस्थापन मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया है, और ऐसा अधिकारी आयोग से निर्देश प्राप्त करने के तीस दिनों के या ऐसे समय के भीतर, जैसा कि आयोग अनुमति दे, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(6) उपधारा (5) में निर्दिष्ट रिपोर्ट के प्राप्त होने पर आयोग दोनो पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर दिये जाने और अभिलेखों का परीक्षण करने के पश्चात, यथास्थिति, कर की या शास्ति या दोनों की धनराशि लिखित आदेश द्वारा अवधारित करेगा, जो कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में याची व्यवस्थापन धनराशि के रूप में भुगतान करने के लिए दायी हो,

(7) उपधारा (6) के प्रयोजनार्थ आयोग याची से और कमिश्नर से मामले से सम्बन्धित किन्हीं अभिलेखों या ऐसे अन्य अभिलेखों को मंगा सकता है जो मामले में सहायक हों।

(8) दो सदस्यों के मध्य मत विभिन्नता की दशा में अध्यक्ष उन सदस्यों को सम्मिलित करते हुए जिन्होंने मामले को पहले सुना है तीन सदस्यों वाली एक पीठ का गठन करेगा। ऐसी पीठ उपधारा (6) और उपधारा (7) के अधीन प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात बहुमत से उपधारा (6) में निर्दिष्ट आदेश पारित करेगी।

(9) यथास्थिति, उपधारा (6) या उपधारा (8) के अधीन आयोग द्वारा पारित आदेश की प्रतियां, आयोग द्वारा याची को नोटिस जारी करने वाले अधिकारी को, उसके कर निर्धारण प्राधिकारी के माध्यम से याची के कर निर्धारण अधिकारी को और कमिश्नर को भेजी जाएगी और जहां आयोग द्वारा पारित आदेश कर की धनराशि के भुगतान से संबंधित हो तो कर निर्धारक प्राधिकारी धनराशि, जो कि याची द्वारा भुगतान की जानी है, के लिए मांग की नोटिस की भी तामील करेगा।

(10) याची आयोग से प्रस्ताव की प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के भीतर, यथास्थिति, कर या शास्ति या दोनों की प्रस्तावित धनराशि के भुगतान की रजामन्दी प्रस्तुत करेगा और जहाँ याची प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो आयोग उस मामले में एक आदेश पारित करेगा और याची को उस पर आदेश के तामील के दिनांक से तीस दिनों के भीतर धनराशि जमा करने का निर्देश देगा।

(11) जहां याची द्वारा व्यवस्थापन आदेश में उल्लिखित धनराशि या उसका कोई अंश जमा नहीं किया जाता है तो उस पर आदेश के तामील के दिनांक से तीस दिनों की अवधि के समापन पश्चात् वह भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूली योग्य हो जाएगी और कर निर्धारण प्राधिकारी ऐसी धनराशि की वसूली इस प्रकार करेगा मानो वह अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों के अधीन आरोपित की गई निर्धारित कर या शास्ति की धनराशि हो।

(12) कर की धनराशि के संबंध में ब्याज के भुगतान से सम्बन्धित उपबंध व्यवस्थापन आदेश में उल्लिखित धनराशि पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन आरोपित कर के मामले में लागू होते हैं।

(13) इस अधिनियम के अधीन समस्त प्रयोजनों के लिए इस धारा के अधीन अवधारित धनराशि को, यथास्थिति, आरोपित कर या शास्ति की धनराशि के रूप में समझा जायेगा और आयोग द्वारा किये गये आदेश के दिनांक को, यथास्थिति, कर निर्धारण या शास्ति के आदेश के दिनांक के रूप में माना जायेगा।

(14) जहां आयोग द्वारा व्यवहारी या अन्य व्यक्ति की याचिका को खारिज कर दिया गया हो वहां कर निर्धारण प्राधिकारी ऐसे व्यवहारी या अन्य व्यक्ति के मामले में इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अनुसरण में कर निर्धारण करने या शास्ति आरोपित करने के लिए कार्यवाही करेगा।

(15) इस अधिनियम की धारा 28 के उपबन्धों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी जहां कर निर्धारण के किसी मामले में इस धारा के अधीन कोई याचिका आयोग द्वारा खारिज कर दी गई हो तो कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा, यथास्थिति, कर निर्धारण या पुन: निर्धारण उस कर निर्धारण वर्ष, जिसमें कि कर निर्धारण प्राधिकारी ने सम्यक् प्रक्रिया द्वारा आयोग द्वारा पारित आदेश प्राप्त किया है, के पश्चात्वर्ती कर निर्धारण वर्ष के समापन के पूर्व कर दिया जायेगा।

(16) जहाँ इस धारा के अधीन कोई व्यवस्थापन का मामला आयोग के समक्ष लम्बित हो तो कर निर्धारण प्राधिकारी को उन पर निर्धारण वर्षों, जिनके व्यवस्थापन मामले लम्बित पड़े हैं, के सम्बन्ध में कोई कर निर्धारण या पुन: निर्धारण करने से कोई बात नहीं रोकेगी, किन्तु कर निर्धारण प्राधिकारी आयोग के समक्ष कारण बताओ नोटिस के अधीन सामग्री की उपेक्षा करते हुए अपना आदेश कर सकता है।

(17) जहां आयोग के समक्ष कर के अपवंचन से सम्बन्धित कोई व्यवस्थापन मामला विचारार्थ लम्बित हो और यदि उसी प्राधिकारी द्वारा कर अपवंचन के सम्बन्ध में कोई अतिरिक्त सूचना या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई नई सूचना ऐसे आधार पर जारी की जाती है जिसका पूर्व सूचना में उल्लेख नहीं था तो याची या कमिश्नर ऐसी अन्य सूचना में दी गई सामग्री के विचारण हेतु आयोग से निवेदन कर सकता है, प्रतिबंध यह कि आयोग ने व्यवस्थापन आदेश न कर दिया हो।

(18) किसी मामलें के लम्बन के दौरान अध्यक्ष -

(एक) एक पीठ से दूसरे पीठ को मामले का अन्तरण कर सकता है, या

(दो) पीठ का पुनर्गठन कर सकता है।

(19) आयोग किसी मामले से सम्बन्धित किसी याचिका को, जो कि किसी व्यवहारी द्वारा या अन्य व्यक्ति द्वारा पूर्व में दाखिल किसी याचिका की विषयवस्तु रही हो, ग्रहण नहीं करेगा।

(20) इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही या किये गये किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विचार नही होगा।

अध्याय - ग्यारह

प्रकीर्ण

अधिकारिता के संबंध में आपत्ति

66-(1) किसी अपील सुनने वाले या पुनरीक्षण अधिकारी या अधिकरण द्वारा किसी कर निर्धारक प्राधिकारी की क्षेत्रीय या धन सम्बन्धी अधिकारिता के प्रति कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी जब तक कि ऐसी आपत्ति यथासंभव शीघ्र अवसर पर कर निर्धारक प्राधिकारी के समक्ष न की गई हो और जब तक कि अपील सुनने वाले या पुनरीक्षण अधिकारी या अधिकरण की राय में उससे वास्तव में न्याय न हो पाया हो।

(2) यदि कर निर्धारण प्राधिकारी की केवल क्षेत्रीय या धन सम्बन्धी अधिकारिता के अभाव के कारण अथवा इसी प्रकार के किसी अन्य कारण से जिससे सार पर प्रभाव न पड़ता हो, कोई कर निर्धारण रद्द या अपखण्डित कर दिया गया हो तो कर निर्धारिती द्वारा स्वीकृत दायित्व की सीमा तक पहले से ही दिया गया कर निर्धारण रद्द या अपखण्डित किये जाने के फलस्वरूप उसे वापस किये जाने योग्य नहीं होगा।

हानि-रक्षा

67-कोई वाद, अभियोग अथवा कोई अन्य कानूनी कार्यवाही किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध किसी ऐसे काम के सम्बन्ध में न की जा सकेगी, जो इस अधिनियम के अधीन अथवा तद्धीन नियमों के अधीन सद्भाव से किया गया हो अथवा किया जाना आशयित हो।

कतिपय कार्यवाहियों पर रोक

68-इस अधिनियम या तद्धीन निर्मित नियमों के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किसी कर या दिए गए किसी आदेश पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायेगी और इस अधिनियम में की गई व्यवस्था के सिवाय किसी ऐसे कर निर्धारण या आदेश के विरुद्ध कोई अपील या पुनरीक्षण या पुनर्विचार के लिए प्रार्थना-पत्र नहीं दिया जायेगा।

कुछ ऐसी सूचना जो गोपनीय होगी

69-(1) इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बने नियमों के अनुसार, जो विवरण-पत्र (स्टेटमेन्ट्स ओर रिटर्न्स) या लेखे (हिसाब) या दस्तावेज प्रस्तुत किये जायं अथवा जो साक्ष्य या शपथ-पत्र, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत किसी भी कार्यवाही के सम्बन्ध में दिये जायं अथवा किसी मांग की वसूली से सम्बन्धित किसी कार्यवाही के, जो लेख (रिकार्ड) इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बने नियमों के प्रयोजन के लिए तैयार किया जाय, इन सब में जो कुछ विषय होगा वह गोपनीय माना जायेगा।

(2) उपधारा (1) में, जो कुछ कहा गया है वह उन बातों के प्रकट करने में बाधक नहीं होगा यदि -

(क) इस अधिनियम या भारतीय दंड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 5, 1860) अथवा तत्समय प्रवृत किसी अन्य अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अनुसंधान करना हो, अथवा उसके लिए अभियोग चलाना हो, या

(ख) इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बने नियमों को कार्यान्वित करने में लगा है और यह आवश्यक है कि इस अधिनियम या इसके अधीन बने नियमों के प्रयोजनों के लिए उसके समक्ष इन बातों को प्रकट किया जाय, या

(ग) इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बने नियमों के अधीन किसी मांग की वसूली के लिए प्रचलित वैधानिक कार्यवाही में आवश्यक हो, या

(घ) इस अधिनियम या उसके अधीन बने नियमों के सम्बन्ध में किसी कार्यवाही से उत्पन्न किसी विषय के किसी ऐसे दीवानी के मुकदमों में हो, जिसमें सरकार एक पक्ष के रूप में हो, या

(ङ) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अधीन प्राप्त अधिकारों का लोक सेवक (पब्लिक सर्वेन्ट) द्वारा ऐसे लेख-पत्र (डाकुमेन्ट्स) का अवरोध करने के लिए जिस पर अपर्याप्त मूल्य का स्टाम्प लगा हो, वैधानिक प्रयोग किया जाये, या

(च) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा कोई कर लगाये जाने या उसके द्वारा लगाये गये किसी कर की उगाही के लिए उसके किसी अधिकारी को उनका प्रकट किया जाना आवश्यक हो, या

(छ) वह केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी अधिकारी को, किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध कोई जांच करने के प्रयोजनार्थ हो, या

(ज) वह लोक लेखों की लेखा-परीक्षा के प्रयोजनार्थ हो

वस्तु संकेतक का आवंटन

70-(1) राज्य सरकार इस अधिनियम की किसी अनुसूची की किसी प्रविष्टि के सम्बन्ध में ऐसी वस्तुओं की सूचियाँ तैयार कर सकती है जिन्हें उक्त अनुसूची की उक्त प्रविष्टि के अधीन आच्छादित समझा जाएगा और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम 1984 के अधीन भारत सरकार द्वारा यथा अंगीकृत नाम पद्धति की संगत प्रणाली के आधार पर इस प्रकार सूचीबद्ध वस्तुओं के निमित्त वस्तु संकेत की आवंटित कर सकती है।

(2) राज्य सरकार इस धारा की उपधारा (1) के अधीन ऐसी अनुसूची की ऐसी प्रविष्टि के अधीन सूचीबद्ध वस्तु संकेतकी द्वारा प्रारम्भ में नियत की गयी वस्तुओं का उपबंध करके इस अधिनियम की किसी अनुसूची की किसी प्रविष्टि को विस्तारित कर सकती है।

रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के लिए सुविधा

71-(1) धारा 33 की उपधारा (1) और उपधारा (2) और धारा 39 में दी गयी किसी बात के होते हुए भी किन्तु ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें आरोपित किया जाना उचित समझा जाय, राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी औद्योगिक इकाई द्वारा विद्यमान या भावी देयों के भुगतान को आस्थगित करने या ऐसे देयों का भुगतान उतनी किस्तों में, जितनी विनिर्दिष्ट की जाये, करने की अनुज्ञा दे सकती है यदि ऐसी औद्योगिक इकाई को रुग्ण इकाइयों के पुन:स्थापन के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा गठित प्राधिकृत निकाय द्वारा इस निमित विनिर्दिष्ट मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार रुग्ण इकाई घोषित किया जाय और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी अनुमोदित अभिकरण द्वारा पुन:स्थापन के लिए अनुमोदित किया जाय।

(2) धारा 32 में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार किसी बीमार इकाई के विरुद्ध पारित एक पक्षीय कर निर्धारण या शास्ति के किसी आदेश को अपास्त कर सकती है और विधि के अनुसार मामले का फिर से निस्तारण करने का निर्देश दे सकती है।

कतिपय मामलों में शुल्क

72-(1) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन दाखिल या प्रस्तुत अपील के ज्ञापन-पत्र या अन्य प्रार्थना पत्रों पर देय शुल्क निम्न प्रकार होगा :

(क)	धारा 55 के अधीन अपील के ज्ञापन-पत्र पर	विवादग्रस्त कर, शुल्क या शास्ति की धनराशि का दो प्रतिशत किन्तु कम से कम एक सौ रूपये और अधिक से अधिक एक हजार रूपया।
(ख)	धारा-57 के अधीन अपील के ज्ञापन-पत्र पर	विवादग्रस्त कर, शुल्क या अर्थ दण्ड की धनराशि का साढ़े सात प्रतिशत, किन्तु कम से कम पांच सौ रुपये और अधिक से अधिक दो हजार एक सौ रुपये।
(ग)	धारा 59 के अधीन प्रार्थना-पत्र पर	एक सौ रुपये

(घ) किसी अन्य प्रार्थना-पत्र पर

(एक) जब वह व्यापार कर कमिश्नर या पुनरीक्षण अधिकारी या अधिकरण या समझौता आयोग को सम्बोधित हो	बीस रुपया
(दो) जब किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को सम्बोधित हो	दस रुपया

(2) इस धारा में या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में निर्दिष्ट शुल्क निर्धारित रीति से देय होगा और उसको जमा करने का सबूत, यथास्थिति, ज्ञापन-पत्र या प्रार्थना-पत्र में संलग्न किया जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ देय शुल्क की धनराशि एक सौ रुपये से अधिक न हो वहाँ उसका भुगतान न्यायालय फीस स्टाम्प में किया जा सकता है।

(3) निम्नलिखित के सम्बन्ध में कोई शुल्क देय न होगा:-

(क) कमिश्नर या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन नियुक्त किसी अन्य प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना-पत्र या अपील का ज्ञापन-पत्र ;

(ख) ऐसा प्रार्थना पत्र जिसमें केवल सूचना मांगी गयी हो, और जिसमें किसी विनिर्दिष्ट अनुतोष की प्रार्थना न की गई हो ; और

(ग) धारा-59 के अधीन प्रार्थना-पत्र जिसमें केवल लागू होने वाली कर की दर या स्थल जिस पर कर देय हो, के सम्बन्ध में निर्णय की मांग की गयी हो।

राजस्व को कपटवंचित करने के लिए किये गये अन्तरण का शून्य होना

73-(1)जहां इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों की विचार अवधि में कर अथवा अन्य देयों का देनदार कोई व्यक्ति अपने स्वामित्व में जंगम या स्थावर सम्पति पर किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में प्रभार उत्पन्न करता है अथवा उसे अन्तरित करता है और ऐसा इस इरादे से करता है कि ऐसा कर, अथवा अन्य देय कपटवंचित हो जाय तो ऐसा प्रभार अथवा अन्तरण उक्त कार्यवाहियों के समाधान के परिणाम स्वरूप ऐसे व्यक्ति द्वारा भुगतान किये जाने वाले किसी कर या अन्य देयों के सम्बन्ध में दावे के प्रति शून्य होगा;

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की कोई बात सद्भाव तथा प्रतिफल के लिये अन्तरिती के अधिकारों को कम नहीं करेगी।

(2) उपधारा(1) की कोई बात बैंकिग रेग्यूलेशन ऐक्ट, 1949 (अधिनियम संख्या-10 सन् 1949) में यथापरिभाषित बैंकिग कम्पनी अथवा एतदर्थ विज्ञप्ति द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य वित्तीय संस्था के पक्ष में किसी प्रभार या अन्तरण पर लागू न होगी।

अधिसूचना जारी करने की शक्ति

74-जहाँ राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन, जहाँ कहीं अपेक्षित हो, अधिसूचना जारी कर सकती है और ऐसी अधिसूचना के जारी करने के दिनांक से छः माह से अनधिक पूर्व के दिनांक से उसे प्रभावी बना सकती है ;

प्रतिबन्ध यह है कि व्यवहारी के कर के दायित्व में वृद्धि करने के परिणाम वाली कोई अधिसूचना इस धारा के अधीन भूतलक्षी प्रभाव से जारी नहीं की जायेगी।

व्यापार के परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रस्तुत की जाने वाली सूचना

75-यदि कोई व्यवहारी जिस पर धारा-17 और-18 के उपबन्ध लागू होते हैं

(क) अपने व्यापार या उसके किसी भाग को बिक्री, पट्टा , त्यागना, लाइसेन्स, भाड़ा या किसी अन्य रीति से अन्तरित करता है या अपने व्यापार या उसके किसी भाग का अन्यथा चलाता है ; या

(ख) किसी व्यापार का, चाहे क्रय द्वारा या अन्यथा, अर्जन करता है; या

(ग) अपने व्यापार के स्वामित्व या गठन में कोई अन्य परिवर्तन करता है या ऐसा परिवर्तन उसकी जानकारी में आता है ; या

(घ) अपना व्यापार बन्द करता है या अपने व्यापार या भण्डारागार के स्थान में परिवर्तन करता है; या व्यापार या भण्डारागार का कोई नया स्थान खोलता है; या

(ङ) अपने व्यापार के नाम, अभिनाम या स्वरूप में परिवर्तन करता है या उस माल के, जिसमें वह अपना व्यापार करता है, वर्ग या विवरण में, जैसा रजिस्ट्रीकरण के उसके प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट है, कोई परिवर्तन करता है ; या

(च) अपने व्यापार के सम्बन्ध में भागीदारी या अन्य सहयोजन में प्रवेश करता है ; या

(छ) कोई नया व्यापार प्रारम्भ करता है या किसी अन्य व्यापार में या तो अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से सम्मिलित होता है ; या

(ज) किसी परिनियम के अधीन निगमित किसी कम्पनी के मामले में निदेशको के बोर्ड के गठन में कोई परिवर्तन करता है ; या

(झ) धारा-17 के अधीन किसी प्रमाण-पत्र की स्वीकृति के लिये दिये गये प्रार्थना- पत्र में प्रस्तुत की गई प्रविष्टियों में कोई परिवर्तन करता है,

तो वह उपर्युक्त किसी भी घटना के होने के तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाय, सूचना देगा।

आंकड़े संग्रह करने की शक्ति

76-(1) कमिश्नर, परिपत्र जारी करके या समाचार पत्र में प्रकाशन करके निदेश दे सकता है कि इस अधिनियम के अधीन किसी विषय से सम्बन्धित आंकड़ों का संग्रह किया जाय।

(2) आँकड़े संग्रह करने के लिये प्राधिकृत कोई अधिकारी सभी व्यवहारियां या व्यवहारियों के वर्ग या विशिष्ट व्यवहारी को ऐसी सूचना, विवरणी या विवरण देने के लिये आहूत कर सकता है जो किसी विषय के सम्बन्ध में अपेक्षित हो जिसके संदर्भ मे आंकड़ों का संग्रह किया जाना है।

(3) व्यवहारी अनुमन्य समय के भीतर ऐसी सूचना प्रस्तुत करने लिये दायी होगा।

सम्पत्ति पर कर प्रथम प्रभार होगा

77-तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में निहित किसी प्रतिकूल बात के होते हुए, व्यवहारी द्वारा देय किसी धनराशि या कर, फीस, शास्ति या ब्याज के कारण इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देय कोई धनराशि व्यवहारी या ऐसे व्यक्ति की सम्पत्ति पर प्रथम प्रभार होगी।

राज्य कर परिषद

78-(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक से एक परिषद की स्थापना करेगी जिसे उत्तर प्रदेश राज्य कर परिषद के रुप में जाना जायेगा जो इस अधिनियम द्वारा या अधीन या तद्धीन बनाई गई नियमावली के अधीन इसे प्रदत्त कृत्यों का सम्पादन करेगी जिसमें निम्नलिखित होगें :-

(क) प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग उत्तर प्रदेश	अध्यक्ष, पदेन
(ख) कमिश्नर, वाणिज्यिक कर, उत्तर प्रदेश	सदस्य, पदेन
(ग) अपर कमिश्नर (विधि), वाणिज्यिक कर, विभाग उत्तर प्रदेश।	सदस्य, पदेन
(घ) अपर निदेशक (प्रशिक्षण), वाणिज्यिक कर विभाग उत्तर प्रदेश।	सदस्य, पदेन
(ङ) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति, जो उच्चतर न्यायिक सेवा का सदस्य रहा हो या वरिष्ठ कर अधिवक्ता रहा हो।	सदस्य
(च) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र का आचार्य रहा हो।	सदस्य
(छ) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति, जो अधिकरण का सदस्य रहा हो या अपर कमिश्नर, वाणिज्यिक कर।	सदस्य
(ज) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्टि दो व्यक्ति जो मान्यता प्राप्त श्रेणी के कर दाताओं में से हो।	सदस्य

(2) उपधारा(1) के खण्ड (ङ) से (ज) तक में निर्दिष्ट सदस्य इस रूप में पांच वर्ष की अवधि के लिये या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त होने तक जो भी पहले हो पद धारण करेंगे।

(3) परिषद कर संग्रह प्रणाली, कर की दर में परिवर्तन, नियमावली और प्रक्रियाओं, योजनाओं, अधिसूचनाओं, आदेशों और ऐसे अन्य विषयों की घोषणा के सम्बन्ध में जिन्हे राज्य सरकार समय-समय पर उससे अपेक्षा करें, शीर्ष परामर्शदात्री निकाय होगी।

(4) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की भर्ती और सेवा की शर्तें ऐसी होगी जैसी विहित की जाय।

(5) उपधारा(1) के खण्ड(ङ) से (ज) तक में निर्दिष्ट सदस्य ऐसा पारिश्रमिक पाने के हकदार होंगें जैसा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाय।

नियमावली बनाने की शक्ति

79-(1)राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के अनुपालन के लिये नियमावली बना सकती है।

(2) विशिष्ट तथा पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी नियमावली में निम्नलिखित की व्यवस्था होगी ---

(क) इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से अपेक्षित या अनुमत सभी विषय जो विहित किये जाये;

(ख) माल के विक्रय या क्रय में लगे हुए व्यक्तियों का रजिस्ट्रीकरण और इस अधिनियम के उपबन्धो को प्रभावी बनाने के प्रयोजन से विक्रय के सम्बन्ध में शर्त अधिरोपित करना ;

(ग) इस अधिनियम के अधीन कर के निर्धारण के प्रयोजन के लिये आवर्त का अवधारण;

(घ) कर विवरणियों का प्रस्तुतिकरण और दस्तावेजो को पेश करने के लिये मजबूर करना, और किसी व्यक्ति को उपस्थिति के लिये बाध्य करना और उनका शपथपूर्वक या स्वीकरोक्ति से परीक्षण करना ;

(ङ) इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रवर्तित करने के प्रयोजन के लिये नियुक्त अधिकारियों की नियुक्ति, कर्तव्य और शक्तियां ;

(च) सामान्यतया अनुकरण की जाने वाली प्रक्रिया और इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही में अपनाये जाने वाले प्रपत्रों को विनियमित करना;

(छ) धारा 40 या 41 की उपधारा(1) के अर्धीन जमा धनराशियों की वापसी, ऐसी वापसियों के लिये प्रक्रिया और अवधि जिसके भीतर उन्हें वापस किया जाय;

(ज) इस अधिनियम के अधीन समपहृत माल की अभिरक्षा ; और

(झ) विषय जो विहित किये जाये या हो सकते है ।

(3) इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके नियमावली बनाने की शक्ति, चार सप्ताह से अन्यून अवधि के लिये पूर्व प्रकाशन के पश्चात बनाई जा रही नियमावली की शर्तो के अधीन होंगी ;

प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिसके कारण उसे तुरन्त कार्यवाही करनी आवश्यक है, तो ऐसे पूर्व प्रकाशन के बिना कोई नियम बना सकती है ।

(4) इस धारा के अधीन बनाई गई सभी नियमावली गजट में प्रकाशित की जायेगी और ऐसे प्रकाशन के पश्चात् शीघ्र ही प्रभावी हो जायेगी मानो इस अधिनियम में अधिनियमित हो ।

कठिनाईयो को दूर करने की शक्ति

80-(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को इस अधिनियम में निहित किसी बात या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के कारण, प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार जैसा परिस्थिति में अपेक्षित हो, अधिसूचित आदेश द्वारा निदेश दे सकती है कि यह अधिनियम ऐसे अनुकूलनों के अधीन, चाहे वे उपान्तर, वृद्धि या लोप के कारण से हो जिन्हें राज्य सरकार आवश्यक और समीचीन समझे प्रभावी होगा :

परन्तु यह है कि इस धारा के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् नहीं दिया जायेगा ।

(2) उपधारा(1) के अधीन किसी आदेश द्वारा बनाये गये उपबन्ध इस अधिनियम के समान ही प्रभावी होंगे और ऐसा आदेश इस प्रकार नहीं दिया जायेगा कि वह इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्ववर्ती किसी दिनांक से प्रभावी होगा ।

(3) उपधारा(1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश यथा सम्भव शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम 1904 की धारा-23 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में प्रवृत्त होते है ।

निरसन और अपवाद

81-(1) उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 15 सन् 1948) (जिसे इस धारा में एतद्पश्चात् निरसित अधिनियमिति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी

(क) निरसित अधिनियम के अधीन जारी की गयी कोई अधिसूचना, नियम, विनियम, आदेश या नोटिस, या की गई कोई नियुक्ति या घोषणा, या की गई अधिहरण या अरोपित कोई शास्ति या अर्थ दण्ड, या कोई समपहरण, रद्दकरण या की गई कोई बात या कोई अन्य कार्यवाही, जो ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व प्रवृत्त हो, जहाँ तक इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जारी की गई, बनाई गई, प्रदान की गई या की गई समझी जायेगी ।

(ख) निरसित अधिनियम के अधीन प्रोदभूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, अर्जित बाध्यता या दायित्व प्रभावित नहीं किये जायेंगे और निरसित अधिनियम की धारा 4-क के अधीन कर के भुगतान से छूट का लाभ उठाने वाली विनिर्माण इकाईयां या उक्त अधिनियम की धारा-8 की उपधारा (2-क) के अधीन कर के भुगतान के अधिस्थगन की सुविधा उठाने वाली इकाईयाँ धारा-42 के उपबन्धों के अनुसार कर भुगतान के अधिस्थगन का दावा करने के लिये हकदार होगी।

(3) निरसित अधिनियमिति के अधीन उसकी धारा-10 -ख और धारा-13-क-की उपधारा (6) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिये कमिश्नर द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को क्रमश: धारा-56 और धारा-48 की उपधारा(7) के अधीन ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये कमिश्नर द्वारा प्राधिकृत किया गया समझा जायेगा।

(4) निरसित अधिनियम के अधीन उसके प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार या कमिश्नर द्वारा किये गये कोई आदेश या जारी किये गये कोई निर्देश जहां तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जारी किये गये समझे जायेंगे।

(5) निरसित अधिनियम के उपबन्धों के अधीन प्रस्तुत की गई कोई प्रतिभूति या अतिरिक्त प्रतिभूति, इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से तीस दिनों के भीतर विहित प्रपत्र और रीति में प्रतिभू से इस आशय की किसी वचनबंध के प्रस्तुत किये जाने पर ही इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये विधिमान्य समझी जायेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि उपर्युक्त मामले में कर निर्धारक प्राधिकारी प्रतिभू से वचनबंध प्रस्तुत करने के लिये समय बढ़ा सकता है।

(6) इस धारा में विशिष्ट मामलों का उल्लेख निरसन के प्रभाव के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा-6 की सामान्य प्रयोज्यता के प्रतिकूल या उसको प्रभावित करने वाला नहीं समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 37 सन् 2007

निरसन एवं अपवाद

82-(1) उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्द्धित कर अध्यादेश, 2007 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2)-ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अध्यादेश के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

अनुसूची - एक

[उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 7 के खण्ड (ख) का अवलोकन करें]

कर मुक्त वस्तुओं की सूची

क्रम-सं0	वस्तु का नाम एवं विवरण
1	2
1	कृषि उपकरण जिसमें छिड़काव एवं ड्रिप सिंचाई उपकरण सम्मिलित हैं - मानव चालित अथवा पशु चालित अथवा ट्रैक्टर अथवा विद्युत चालित, कलपुर्जे एवं उपस्कर आदि। (क) कृषि उपकरण - मानव चालित अथवा पशु चालित - हैन्ड-हो या खुरपा, हसिया, फावड़ा, बागुरी, हैन्ड-व्हील हो, बडिंग/ग्राफटिंग चाकू, कर्तनी, प्रूनिंग शियर या हुक, हैज शियर, स्पिंकलर, रैकर, स्प्रेयर, डस्टर एवं स्प्रेयर-कम-डस्टर, कुदाली या कुदाल, उद्यान चाकू, उद्यान हैचेट, लूपर (कर्तक), कुल्हाड़ी, फावड़ा, बेलहुक (सिंगल एज या डबल एज), मिट्टी छिद्रक, जैन्ड्रा, व्हील बैरो, ओसई पंखा या विनोवर, रोपछिद्रक, गड़ासा, पडलर, लेवलर या स्कूप, स्क्रैपर, खाद बीज डालने वाला यंत्र, शैलर, मूंगफली का छिलका उतारने का यंत्र, मैन्योर या सीड स्क्रीन, फ्लेम गन, खाद या बीज जांचने का यंत्र, तसला, तांगली, जुआ, हल, हैरो, कल्टीवेटर या त्रिफाली, बीज बोने का यंत्र, खाद डालने का यंत्र, बीज-सह-खाद डालने का यंत्र, प्लान्टर, काठफलक या डोंगा, मेड़ बनाने का यंत्र, खाई खोदने का यंत्र, बंडफारमर, थ्रेशर या पल्ला, पौधे को एक स्थान से उठाकर लगाने वाला यंत्र (ट्रांसप्लान्टर), कुट्टी काटने का यंत्र, पुर रहट एवं बाल्टी समेत चेन या वाशर चेन, फसल आंकने का हूप, पुर या म्होट, गाड़ी (कार्ट), फसल काटने वाला यंत्र, घास काटने का यंत्र, गन्ना पेरने का यंत्र (क्रशर), गन्ने का रस उबालने का कढ़ाव एवं ग्रेटिंग रोलर और रम्भा, पशु चालित गाड़ी एवं उसके टायर ट्यूब सहित। (ख) कृषि उपकरण - ट्रैक्टर चालित एवं विद्युत चालित कृषि उपकरण - हल, हैगा (हैरो), खेती जोतने वाला यंत्र, बीज बोने का यंत्र, खाद डालने का यंत्र अथवा खाद-सह-बीज डालने का यंत्र,खाद को फैलाने वाला यन्त्र, प्लान्टर,काष्ठ फलक या डोंगा, पाटा या कर्बा, बण्ड फारमर, मेड़ बनाने का यंत्र (रिजर), पडलर, खाई खोदने का यंत्र, केज व्हील, छिड़कने वाला यंत्र, डस्टर या छिड़काव-सह-डस्टर यंत्र, रोलर, फावड़ा (कुदाल), घूमने वाला फावड़ा अथवा रोटोवेटर, फसल काटने वाला यंत्र या मोवर, आलू खोदने की मशीन या स्पिनर, मूँगफली खोदने का यंत्र, शेकर, थ्रेशर, कुट्टी काटने का यंत्र, बीज का छिलका उतारने का यंत्र (शैलर), मूँगफली का छिलका उतारने का यंत्र, बीज छांटने का यंत्र, बीज ओसाने वाला यंत्र, बीज उपचारित करने का यंत्र, मुर्गीदाना मिलाने एवं पीसने का यंत्र एवं पौधे को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर पहुँचाने वाला यंत्र।
2	विकलांग व्यक्तियों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले सहायक यंत्र एवं उपकरण।

1	2
3	जानवरों की नाल, नाल खुरी एवं नाल खुरी में प्रयोग होने वाले नेल।
4	एक्वैटिक फीड, मुर्गीदाना जिसमें संतुलित मुर्गीदाना सम्मिलित है, पशु आहार जिसमें संतुलित पशु आहार सम्मिलित है एवं पशुचारा जिसमें हरा चारा, चूनी, भूसी, छिलका, चोकर, जावी, ग्वार, तेलरहित राइस पालिस, तेलरहित राइस ब्रान, तेलरहित राइस हस्क या तेल रहित पैडी हस्क धान का बाहरी छिलका, एक्वैटिक, पोल्ट्री एवं पशु आहार सप्लीमेन्ट, कन्सन्ट्रेट एवं एडीटिव आदि, गेहूँ का भूसा एवं तेलरहित खली किन्तु उसमें खली शामिल नहीं है, राइस पालिस, राइस ब्रान एवं राइस हस्क, सनई व डेंचा।
5	शिड्यूल तीन की वस्तुओं से निर्मित चूड़ियों के अतिरिक्त अन्य समस्त प्रकार की चूड़ियां, पीतल निर्मित घुंघरू एवं घंटी, मूर्तियों के मुकुट, त्रिशूल, घड़ियाल, हवन कुण्ड, घंटा, मजीरा, ताँबा या पीतल से बनी आचमनी।
6	पान का पत्ता, तैयार या बिना तैयार पान।
7	किताबें, पीरिओडिकल्स एवं जर्नल जिसमें ब्रेल पुस्तिकाऐं, नक्शे, चार्ट एवं ग्लोब सम्मिलित है।
8	मोटा अनाज जैसे कि - ज्वार, मक्का, रागी, बाजरा, कोदो, जौ एवं कुट्टू, रामदाना, सिंघाढ़ा (ताजा, सूखा अथवा उबला), कुट्टू का आटा सिंघाढ़ा आटा, सावाँ, मन्डुआ, काकुन एवं मन्झरी (अनकारी)।
9	कन्डोम एवं गर्भ निरोधक, ओरल कोन्ट्रसेप्टिव पिल्स।
10	हैन्क व कोन में सूती धागा, हैन्क व कोन में रेशमी धागा, पाली काटन रोविंग (पूनी) एवं स्लाईवर, काटन निवाड़, हाथ से बना धागा, हैन्डलूम, केस, मूंज एवं सन से निर्मित बान।
11	चरखा, अम्बर चरखा, हथकरघा (जिसमें पिटलूम, फ्रेमलूम, लाइट शटल लूम एवं पैडल लूम सम्मिलित है), खादी / खद्दर उत्पादन में प्रयोग होने वाले उपकरण, हथकरघे पर बना वस्त्र एवं पार्ट्स आदि, खादी वस्त्र एवं सामान एवं सिले सिलाये वस्त्र जो राज्य सरकार द्वारा विज्ञापित किये जायें।
12	दही, लस्सी, बटर मिल्क, फ्रेश मिल्क, पास्नुराइज्ड मिल्क एवं सपरेटा मिल्क।
13	विद्युत।
14	मिट्टी के बर्तन एवं अन्य सभी सामान जो कुम्हार द्वारा मिट्टी से बनाये गये हों परन्तु इसमें सिरेमिक से बने बर्तन एवं अन्य सामान सम्मिलित नहीं है गोबर एवं गोबर से बना उपला, छत छाने के लिए बनी मिट्टी की टाइल्स (खपरैल और नाली)।
15	जलाऊ लकड़ी जिसमें कैस्यूराइना एवं यूक्लिप्टस की टिम्बर शामिल नहीं है।
16	ताजे पौधे सैपलिंग्स एवं ताजे फूल।
17	तला अथवा भुना चना।

1	2
18	मछली पकड़ने का जाल, मछली के जाल का कपड़ा, मछली के बीज, प्रान / श्रिम्प बीज।
19	ताजी सब्जियाँ एवं ताजे फल जिसमें आलू, प्याज, लहसुन एवं अदरक सम्मिलित है। ताजा गन्ने का रस एवं ताजे फलों का रस जिसमें सील्ड या टिन कन्टेनर में पैक्ड एवं होटल या रेस्टोरेन्ट में बिक्री के उक्त रस शामिल नहीं है।
20	मानव रक्त एवं रक्त प्लाज्मा।
21	समस्त प्रकार का हैण्डलूम कपड़ा, हैण्डलूम दरी, हैण्डलूम शाल एवं लोई, चाहे सादी, छपी हुई रंगी हुई अथवा कढ़ी हो।
22	हस्तनिर्मित स्वदेशी वाद्य यंत्र।
23	कुमकुम, बिन्दी, आलता और सिंदूर, रोली, महावर, मेंहदी की पत्ती एवं इसका पाउडर, काजल, सुरमा, बालों की पिन, बालों का बैण्ड, बालों की चिमटी (मूल्यवान धातुओं से निर्मित से भिन्न), रबड़ बैण्ड, सैफ्टीपिन, चुटीला, बिछिआ एवं राखी, काँच से निर्मित मोती एवं मूँगा।
24	मांस, मछली, झींगा (प्रान) एवं अन्य जलीय उत्पाद (जो क्योर्ड एवं फ्रोजेन न हो), अंडा एवं लाइव स्टाक
25	राष्ट्रीज ध्वज, समाचार-पत्र, समाचार-पत्र के प्रकाशन हेतु न्यूज प्रिंट की बिक्री, ध्वज, पोस्टर, बैनर, टोकेन एवं समान प्रकार की वस्तुएं जो सात दिसम्बर को मनाये जाने वाले सशस्त्र सेना झण्डा दिवस से सम्बन्धित है।
26	कार्बनिक एवं जैविक खाद, जिंक सल्फेट उर्वरक व माईक्रो न्यूट्रियेन्ट मिश्रण, निम्नलिखित रासायनिक उर्वरकों के पोटाश तथा फासफैटिक संघटक:-

क्रम-संख्या	रासायनिक खाद	अवयवों का अनुपात
1	डी०ए०पी०	18:46:0
2	एम०ओ०पी०	–
3	एस०एस०पी०	–
4	एन०पी०के०	12:32:16
5	एन०पी०के०	20:20:0
6	एन०पी०के०	15:15:15
7	एन०पी०के०	23:23:0
8	एन०पी०के०	14:35:14
9	एन०पी०के०	20:20:10
10	एन०पी०के०	15:15:10

क्रम-संख्या	रासायनिक खाद	अवयवों का अनुपात
11	एन०पी०के०	10:10:10
12	एन०पी०के०	12:6:0
13	एन०पी०के०	16:9:0
14	एम०ए०पी०	11:52:0

रासायनिक उर्वरकों में विभिन्न संघटकों के प्रतिशत का अवधारण कृषि विभाग, उ0प्र0 द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार किया जायेगा।

क्रम-सं0	वस्तु का नाम एवं विवरण
27	पापड़, आम पापड़, कचरी, सिवइयाँ, मुंगौड़ी, बड़ी जिसमें सोयाबीन बड़ी एवं सोयाबीन मुंगौड़ी शामिल नहीं है।
28	धार्मिक संस्थानों द्वारा बेचा जाने वाला प्रसाद, भोग या महाभोग, पंचामृत, मिश्री, विभूति, बताशा, इलायची दाना, गट्टा, कम्पट।
29	राजकीय कोषागार द्वारा विक्रय किये जाने वाले गैर न्यायिक स्टैम्प पेपर, सरकार द्वारा बेचे जाने वाली डाक सामग्री जैसे - लिफाफा, पोस्ट कार्ड इत्यादि, रिजर्व बैंक आफ इंडिया को बेचे गये रुपये के नोट, चेक खुले अथवा बुक फार्म में।
30	कच्चा ऊन जिसमें जानवरों के बाल भी सम्मिलित है।
31	वीर्य जिसमें जमा वीर्य भी सम्मिलित है, बोन्स, सींग और खुर।
32	स्लेट एवं स्लेट पैंसिल, तख्ती, चाक स्टिक एवं चाक पाउडर, श्याम पट, झाणन (डस्टर)।
33	रेशम कीड़े का कोकून एवं कच्चा रेशम।
34	समस्त प्रकार के बीज जिसमें तिलहन शामिल नहीं है।
35	कच्चा हरा नारियल, पानी वाला नारियल।
36	बन, रस्क, ब्रेड (पिज्जा ब्रेड को छोड़कर), आटा, मैदा, सूजी, बेसन, गुड़, भेली तथा खाने योग्य राब गुड़।
37	नमक (ब्रान्डेड अथवा अन्य), काला नमक, सैंधा नमक।
38	पानी जिसमें ऐरेटेड, मिनरल, डिस्टिल्ड, मैडिसिनल, आयनिक, बैटरी, डी-मिनरलाइज्ड एवं सील्ड डिब्बों में बिकने वाला पानी सम्मिलित नहीं है।
39	पी0डी0एस0 के अधिक्षेत्र में आने वाली वस्तुऐ (कैरोसिन के अतिरिक्त)
40	पवित्र धागा (जिसे सामान्यत: यज्ञोपवीत के रूप में जाना जाता है), लकड़ी के खड़ाऊ।
41	एसेन्स स्टिक जिसे सामान्यत: अगरबत्ती, धूपकाठी या धूपबत्ती, हवन सामग्री के रूप में जाना जाता है, जिसमें धूप, अगरबत्ती, सम्ब्रानी या लोहबान सम्मिलित है, रुद्राक्ष, रुद्राक्ष माला, तुलसी कण्ठी माला।

क्रम-सं0	वस्तु का नाम एवं विवरण
	स्थानीय महत्व की वस्तुऐं
42	चिकन उत्पाद एवं बनारसी रेशमी साड़ी, कलाबत्तू।
43	पतंग, मांझा एवं पतंग उड़ाने की चरखी।
44	कृपाण, धार्मिक चित्र जो कलेण्डर के रूप में प्रयोग किए जाने के लिए न हो।
45	सरकन्डा के बने मुद्ढे, फूल बहारी झाड़ू एवं अनब्रान्डेड झाड़ू की सींक।
46	पफ्ड राइस (पोहा), मुरमुरा एवं लइया, मूरी, पिटा एवं चिपटा चावल (चिवड़ा), पारच्ड राइस (खोई), पारच्ड पैडी या चावल जिस पर चीनी या गुड़ की कोटिंग हो (मुरकी) एवं सत्तू।
47	25 मि0ली0 क्षमता से अनधिक स्वयं के द्वारा हस्तनिर्मित कांच की फॉयल।
48	हैण्डलूम दरी, हाथ से बुनी टाट पट्टी, गुदड़ी।
49	हस्तशिल्प जिसमें लकड़ी के बने हस्तशिल्प एवं केन के बने हस्तशिल्प सम्मिलित है परन्तु लकड़ी एवं केन का फर्नीचर सम्मिलित नहीं है।
50	प्रेस्ड एवं स्टिन्ड के अतिरिक्त पत्ते से बनी प्लेट एवं कप।
51	लकड़ी के खिलौने।

अनुसूची - दो

[उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (क) का अवलोकन करें)]

भाग-क

4% की दर से करारोपित वस्तुओं की सूची

क्रम-सं0	वस्तु का नाम एवं विवरण
1	2
1	अम्ल
2	संचार के सभी उपकरण जैसे कि -पी0वी0एक्स0 एवं इलेक्ट्रिक प्राइवेट आटोमैटिक ब्रान्च एक्सचेंज (ई0पी0ए0बी0एक्स0), टेलीप्रिन्टर, वायरलैस उपकरण एवं पार्ट्स आदि।
3	समस्त अस्पर्शीय गुड्स जैसे कि कापी राइट, पेटेन्ट, रेपा0 लाइसेन्स आदि वस्तु के प्रयोग के अधिकार का हस्तान्तरण।
4	समस्त धातु की कास्टिंग्स, अनुसूची तीन की वस्तुओं से निर्मित चेन के अतिरिक्त अन्य किसी भी धातु या एलोय से निर्मित चेन।

क्रम-सं0	वस्तु का नाम एवं विवरण
5	मारबल गुड्स, ताँबा या ब्रास से निर्मित दीपक, ब्रास से निर्मित मूर्ति, वूलेन कारपेट, कप, ट्राफी एवं शील्ड, नाइयों के द्वारा प्रयोग किये जाने वाली कैची व उस्तरा, पैडलाक, रामपुरी चाकू।
6	हैन्क में सूती एवं रेशमी धागे के अतिरिक्त सभी प्रकार के धागे, सिलाई धागा, काटन वेस्ट यार्न।
7	कीमती धातुओं से बने बर्तनों के अतिरिक्त अन्य समस्त बर्तन जिसमें प्रेशर कुकर / कढ़ाई भी सम्मिलित है, कलात्मक पीतल के सामान एवं इंगटस (गुल्ली) एवं कोरा माल।
8	एल्यूमीनियम कन्डक्टर स्टील री-इन्फोर्स्ड (ए0सी0एस0आर0)।
9	सुपारी पाउडर एवं कसैली।
10	आडियो एण्ड वीडियो कैसेट।
11	रोल्ड गोल्ड एवं नकली सोने की बनी वस्तुऐं; काथिर, जर्मन सिल्वर एवं एल्यूमीनियम से बने गहने।
12	गन्ने की खोई (बगास), लकड़ी का बुरादा।
13	बांस, बांस की तीली (फट्टी)।
14	बेसिक क्रोमियम सल्फेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, तरल ब्लीच
15	बियरिंग्स जिसमें प्लूमेन्स ब्लाक, बियरिंग्स की हाउसिंग, लोकेट रिंग्स एवं कवर एडोप्टर, विड्राल स्लीव, लाकनर्स, लाक वाशर कैलेम्प्स एवं रोलिंग एलीमेन्ट्स सम्मिलित है।
16	बेडशीट, तकिया का गिलाफ एवं कपड़े की बनी अन्य वस्तुएं जिसमें हैण्डलूम पर बनी वस्तुएं सम्मिलित नहीं है।
17	बीड़ी का पत्ता एवं तेंदू पत्ता।
18	समस्त प्रकार की बैल्टिंग।
19	बाईसिकिल, ट्राई साइकिल, साइकिल रिक्शा एवं उसके पार्ट्स, टायर एवं ट्यूब इत्यादि।
20	रासायनिक खाद जिसमें अनुसूची-एक के क्रमांक 26 में उल्लिखित रासायनिक खादें सम्मिलित नहीं है - माइक्रो न्यूट्रीऐन्ट्स तथा प्लान्ट ग्रोथ प्रमोटर्स एवं रैगुलेटर्स, हर्बीसाइड, इन्सेक्टीसाइड, वीडिसाइड, पैस्टीसाइड।
21	बायोमास ब्रिकेट्स।
22	कोलतार (बिटुमिन)।
23	बोनमील, हड्डी का चूरा, बोन स्न्यूज, बोनग्रिस्ट।

क्रम-सं0	वस्तु का नाम एवं विवरण
24	लोहा एवं स्टील, एल्यूमीनियम, प्लास्टिक या अन्य पदार्थ से बनी बाल्टियाँ (जिसमें मूल्यवान पदार्थ से बनी वस्तुयें सम्मिलित नहीं है), प्लास्टिक की अन्य कन्वियन्स की वस्तुयें।
25	मोमबत्ती।
26	मशीनरी, इक्विपमेन्ट, अपरेटेस, टूल्स, मोल्ड, डाईज एवं कम्पोनेन्ट स्पेयर पार्ट्स, एसेसरीज इत्यादि , अर्थ मूवर्स।
27	अरन्डी का तेल।
28	सैन्ट्री फ्यूगल, मोनो ब्लाक सब मर्सीबिल पम्प सेट जिसमें होज कालर, होज साकेट, होज कनेक्टर्स, होज क्लिक, होज निपल, फूट वाल्व एवं वाटर हैण्डलिंग डेल्टा स्टार्टर एवं पार्ट्स इत्यादि।
29	रसायन जिसमें कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटाश, सोडा ऐश, ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रो सल्फेट, एल्युमूना का सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम सल्फेट, एसिड स्लरी, ट्राई सोडियम फास्फेट, सोडियम ट्राई पोली फास्फेट, सोडियम सिलीकेट, सोडियम मेटा सिलीकेट, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, सोडियम सल्फाइड, एसीटिक एसिड, सोडियम बाई सल्फाइट, आक्जेलिक एसिड, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम सल्फाइट, सोडियम एल्जीनेट, बैन्जीन, साइट्रिक एसिड, डाई इथाईलिन ग्लाईकोल, सोडियम नाइट्रेट, हाइड्रोजन पैरोक्साइड, एसिटल्डीहाइड, पेन्टाएरीथ्रीटाल, सोडियम अल्फा ओलिफिन, सल्फोनेट, सोडियम फारमेट,रासायनिक संघटक एवं मिश्रण एवं अन्य सभी रसायन जो इस अनुसूची अथवा किसी अन्य अनुसूची में सम्मिलित न हों।
30	क्ले जिसमें फायर क्ले, फाइन चाइना क्ले एवं वाल क्ले सम्मिलित है।
31	कोलतार, तारकोल एवं चारकोल।
32	कोपरा से भिन्न शैल में नारियल एवं नारियल का सेपरेटेड कर्नेल।
33	काफी की फलियाँ एवं बीज, कोको की फलियाँ एवं बीज, हरी चायपत्ती एवं चिकौरी।
34	क्वायर एवं क्वायर प्रोडक्ट्स जिसमें क्वायर के गद्दे शामिल नहीं है।
35	कंघा।
36	कम्प्यूटर स्टेशनरी।
37	काटन एण्ड काटन वेस्ट।
38	क्रूसिबिल।
39	कागज एवं प्लास्टिक के कप एवं गिलास।

क्रम-सं0	वस्तु का नाम एवं विवरण
40	लोहा एवं स्टील, सभी प्रकार का कोयला एवं कोक, क्रूड आयल, हाइड एण्ड स्किन (जिसमें जानवरों के बाल सम्मिलित नहीं है), घरेलू उपयोग की तरल पैट्रोलियम गैस एवं केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 में यथापरिभाषित जूट।
41	ड्रग्स एवं मेडिसिन जिसमें टीका, सुईयाँ एवं ड्रेसिंग, औषधीय लेप, आई0पी0 स्तर का हल्का तरल पैराफिन सम्मिलित है।
42	समस्त प्रकार के रंजक जो अनुसूची में कहीं अन्य विनिर्दिष्ट नहीं है।
43	खाद्य तेल एवं खली।
44	इलैक्ट्रोड एवं वैल्डिंग उपकरण।
45	कढ़ाई अथवा जरी की वस्तुऐं जैसे कि -लच्छा, धापा, गोखुरू ईमी, जरी, कसाब, सलमा, दबका, चुमकी, गोटा, सितारा, नगसी, कोरा, सीसा, बाड़िआ, गिजाई कटिंग एवं वेस्ट सहित जरी के हार कढ़ाई की मशीन, कढ़ाई की सुई।
46	अभ्यास पुस्तिका, ग्राफ बुक, प्रयोगशाला नोट बुक एवं वर्क बुक, स्कूल बैग, ग्रीटिंग कार्ड एवं कलेण्डर्स।
47	बच्चों की दूध की बोतल एवं निपल।
48	लौह एवं अलौह धातुऐं एवं मिश्रित धातुऐं, अधातु जैसे कि - एल्यूमिनियम, कापर, जिंक एवं इनके एक्सट्रूजन्स।
49	सभी प्रकार के रेशे एवं रेशों का वेस्ट।
50	फायर क्ले, कोल ऐश, कोल वायलर ऐश, कोल, सिंदार ऐश, कोल पाउडर, क्लिंकर, फ्लाई ऐश।
51	निकाला गया।
52	अनाज जिसमें धान, चावल, गेहूँ एवं दालें सम्मिलित है।
53	ग्लूकोज।
54	निकाला गया।
55	सभी प्रकार एवं विवरण का जिप्सम।
56	हैण्ड पम्प एवं इसके स्पेयर पार्ट्स तथा फिटिंग्स।
57	सामान्य तौर पर जड़ी बूटी की तरह जानी जाने वाली हर्ब, छाल, सूखे पौधे, सूखी जड़े एवं सूखे फूल।
58	शहद एवं बीहाइव।
59	होज पाइप एवं इसकी फिटिंग।

क्रम-सं0	वस्तु का नाम एवं विवरण
60	होजरी गुड्स।
61	हरीकेन लालटेन, कैरोसिन लैम्प, लालटेन, पैट्रोमेक्स, कांच की चिमनी एवं इनकी सहायक पुर्जे एवं संघटक।
62	राइस पालिस एवं राइस ब्रान।
63	अनुसूची के भाग-"ख" में यथाउल्लिखित आई0टी0 उत्पाद जिसमें कम्प्यूटर, टेलीफोन एवं उनके पार्ट्स, सेल फोन, सैटेलाइट, रिसीवर, डी0वी0डी0, सीडी, टेलीप्रिन्टर तथा वायरलैस उपकरण एवं इनके पुर्जे शामिल है।
64	बर्फ।
65	औद्योगिक केबिल (उच्च विभवीकृत केबिल एक्स0एल0वी0ई0 केबिल्स, जैलीफिल्ड केबिल्स, आप्टीकल फाइबर्स)।
66	इन्सुलेटर्स।
67	इन्वर्टर्स।
68	कत्था।
69	पी0डी0एस0 के द्वारा बेचा जाने वाला मिट्टी का तेल।
70	बुनाई का ऊन।
71	लाख एवं शैलाक पाशवा सहित, मुल्मा, बटन लाक एवं कीरी।
72	दाबीकृत अथवा सिले हुए पत्ते से बने प्लेट एवं कप, जूना जो सफाई के कार्य में आता है।
73	लिगनाइट।
74	चूना, चूना पत्थर, डोलोमाइट एवं व्हाइट वॉश की अन्य वस्तुएं जो किसी अन्य शिड्यूल में अंकित नहीं है।
75	लीनियर अल्काइल बैन्जीन, लैब सल्फोनिक एसिड, अल्फा ओलिफिन सल्फोनेट।
76	भाग "ग" में यथाउल्लिखित औद्योगिक इन्पुट एवं पैकिंग मैटेरियल।
77	समस्त प्रकार के ताले, इनकी चाभियाँ एवं पुर्जे।
78	मक्का स्टार्च, मक्का ग्लूटेन, मक्का जर्म एवं तेल।
79	चिकित्सीय उपकरण / डिवाइस एवं उपस्कर : कान्टेक्ट लेन्सेज, चश्मों के फ्रेम, लेन्सेज, चश्में जिसमें धूप के चश्में एवं धूप के लेन्सेज सम्मिलित नहीं है।
80	सभी प्रकार एवं श्रेणी की मिश्रित धातुऐं, धातु पाउडर, धातु पेस्ट और घोषित माल के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं से भिन्न मेटल स्क्रेप।

क्रम-सं0	वस्तु का नाम एवं विवरण
81	मिल्क फूड एण्ड मिल्क प्रोडेक्ट जिसमें स्किम्ड मिल्क पाउडर, टिन, बोतल में बन्द अथवा पैकिंग किया हुआ एवं फ्लेवर्ड मिल्क, यू0एच0टी0 मिल्क, मिल्क पाउडर, बेबी मिल्क फूड, खोया/खोआ, पनीर, चीज, क्रीम, घी, मक्खन सम्मिलित है।
82	मिक्स्ड पीवीसी स्टैबलाइजर।
83	मोल्डेड प्लास्टिक फुटवियर, हवाई चप्पल एवं इनके स्ट्रैप, सभी प्रकार के फुट वेयर जिनका अधिकतम उपभोक्ता मूल्य तीन सौ रुपये या उससे कम हो।
84	नापा स्लैब्स (फर्श बनाने का रफ पत्थर) एवं शाहाबाद पत्थर।
85	निवाड़ (काटन निवाड़ व हैण्डलूम निवाड़ को छोड़कर) एवं टेप।
86	मछुआरों की बिना यंत्र चालित नाव।
87	नट, बोल्ट, पेंच एवं फास्टनर जैसे कि -कब्जे, कील, रिवेट्स, काटर, कॉटर पिन्स, स्टैपल, पैनल पिन एवं औजार, तेल की कुप्पी, कारीगरों के द्वारा प्रयोग किये जाने वाली रेती।
88	तिलहन।
89	अयस्क एवं खनिज।
90	पैकिंग केसेस एवं पैकिंग मैटेरियल जिसमें कार्क, कार्क शीट, गनी बैग्स, एच डी पी ई पी पी वोवन स्ट्रिप्स, एच डी पी ई पी पी सरकूलर स्ट्रिप्स एवं वोवन फैब्रिक, हैसियन क्लाथ, हैसियन बेस्ड पेपर, पॉलीथीन, हैसियन बेस्ड पेपर, एच डी पी ई फैब्रिक बेस्ड पेपर एवं बिटुमिनाइज्ड जलरोधी कागज, जूट रस्सा, पॉलीथीन एवं प्लास्टिक बैग्स जिसमें दूध रखने के एल0डी0पी0ई0 प्लास्टिक बैग्स, टिन कन्टेनर, शूक्स, टी चेस्ट, रद्दी कागज, लकड़ी के बक्से, लकड़ी की शेविंग, लकड़ी के क्रेट, लकड़ी के केबिल ड्रम या अन्य वस्तुऐं जो राज्य द्वारा इस निमित्त विज्ञापित होंगी, सम्मिलित है। **स्पष्टीकरण** - तख्ता, पैनल, वैटन जब जोड़ने पर टी चेस्ट या पैकिंग केस का निर्माण करें तो इस प्रविष्टि के लिए पैकिंग केसेस माने जायेंगे।
91	पाम फैटी एसिड।
92	सभी प्रकार का कागज (जिसमें समाचार-पत्र प्रकाशकों से भिन्न को न्यूज प्रिन्ट की बिक्री सम्मिलित है), हस्तनिर्मित कागज एवं गम टेप सम्मिलित है, चाहे इनका प्रयोग लिखने, छापने, नकल उतारने, पैकिंग अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए किया जाये परन्तु इसमें सैलोफेन, मिल बोर्ड, डुप्लेक्स बोर्ड एवं ग्रे बोर्ड सम्मिलित नहीं है, प्लाई वुड, फ्लेश डोर एवं ब्लाक बोर्ड, हार्डवेयर, मिल स्टोरर्स।
93	खाने योग्य श्रेणी के अतिरिक्त अन्य सभी श्रेणी की पैराफिन वैक्स जिसमें स्टैण्डर्ड वैक्स एवं मैच वैक्स सम्मिलित हैं।

क्रम-सं0	वस्तु का नाम एवं विवरण
94	सभी प्रकार के पाइप जिसमें जी0 आई0 पाइप, सी0 आई0 पाइप, डक्टाईल पाइप, पी0वी0सी0 आदि एवं फिटिंग्स सम्मिलित है।
95	पिज्जा ब्रेड।
96	प्लास्टिक दाना, प्लास्टिक पाउडर, मास्टर बैचेज एवं स्क्रैप।
97	प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, औजार-बी0 ओसी इन्यूबेटर, सी0 ओ0सी0 उपकरण, आयन विश्लेषक, वायु प्रदूषण नियंत्रक उपकरण- फिल्टर, (फैब्रिक्स फिल्टर, बैग फिल्टर, निर्वात फिल्टर) इलैक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, साइक्लोन्स, वेट स्क्रबर, कण विश्लेषक (SO_2, CO, NOx, SOx, हाइड्रोकार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन आदि), व्यक्तिगत सैम्पलर, डिटेक्टर्स (गैस के लिए), उच्च वाल्यूम सैम्पलर, प्रेशर गेज, टाईमर, फिल्टर हेड असेम्बली, पिटेट ट्यूब, सैम्पलिंग ट्रेन (एम्बीएन्ट / स्टैक्ड वायु के देखभाल हेतु), धूम्र मीटर, मिस्ट एलीमिनेटर।
98	पोलिएस्टर एवं स्टैपल फाइवर यार्न।
99	पोरिज।
100	छपी वस्तुऐं जिसमें डायरी और कलैण्डर सम्मिलित है।
101	छपाई की स्याही जिसमें टोनर एवं कार्टिजेज सम्मिलित नहीं है।
102	प्रोसेस्ड एवं फ्रोजन मांस, पोल्ट्री एवं मछली।
103	प्रोसेस्ड अथवा प्रेजर्ब्ड सब्जियाँ एवं फल जिसमें फलों का जैम, जैली, अचार, फल स्क्वैश, पेस्ट, फ्रूट ड्रिंक एवं फ्रूट जूस (डिब्बा बन्द अथवा अन्यथा) सम्मिलित है।
104	बांस की लुगदी, लकड़ी की लुगदी एवं रद्दी कागज की लुगदी।
105	सवारी अथवा माल ढोने के रेल के डिब्बे, इंजन एवं इनके पार्ट्स।
106	कच्चा काजू।
107	सिलेसिलाये वस्त्र, बिना भरी रजाई।
108	रिनुऐबुल इनर्जी डिवाइसेस एवं स्पेयर पार्ट्स।
109	रिबर सेन्ड्स एवं ग्रिट्स।
110	रबड़, कच्ची रबड़, लेटैक्स, आरएमए श्रेणी की सूखी धारीदार शीट, ट्री लेस, अर्थ स्क्रैप अमोनिएटेड लेटेक्स, लेटेक्स कन्सन्ट्रेट, सेन्टीफ्यूगल लेटेक्स, सूखी क्रेप रबड़, सूखी ब्लाक रबड़, क्रम्ब रबड़, स्किम्ड रबड़ एवं अन्य सभी गुण एवं श्रेणी की लेटेक्स, रीक्लेम्ड रबड़, सभी गुण एवं श्रेणी की सिंथेटिक रबड़।
111	माचिस एवं हस्तनिर्मित माचिस।

क्रम-सं0	वस्तु का नाम एवं विवरण
112	सिलाई मशीन एवं इसके पार्ट्स।
113	शिप एवं अदर वाटर वैसल्स।
114	रेशमी कपड़ा जिसमें हैण्डलूम रेशमी कपड़ा सम्मिलित नहीं है एवं जो अनुसूची-एक में उल्लिखित नहीं है।
115	साल्वेन्ट आयल्स (जिसमें कार्बनिक सालवेन्ट आयल सम्मिलित नहीं है), तेल पर आधारित वाशिंग सोप जिसमें डिटरजेंट एवं टोयलेट सोप सम्मिलित नहीं है।
116	समस्त प्रकार के मसाले एवं कान्डीमेन्ट्स जिसमें क्यूमिन सीड, टरमरिक, अजवायन, हल्दी, धनिया, हींग, मैथी, सौठ, कलौंजी, सौफ, खटाई, अमचूर, लौंग पत्ता, दालचीनी, तेजपत्ता, जावित्री, जायफल, कालीमिर्च, सभी प्रकार की इलायची, सूखी मिर्च, काकुल मिर्च आरारोट, मशरूम, खुम्बा एवं गुच्छी, गोला, गोले का बुरादा, सींक नारियल, तिल, राई, पोस्तादाना, सभी प्रकार के मगज, केसर, मेवा, सोयाबीन एवं सोयाबीन मुंगौड़ी।
117	स्पोर्ट्स गुड्स जिसमें एप्रैल्स एवं फुटवियर शामिल नहीं है।
118	स्टार्च, सैगो एवं साबुदाना।
119	नैरो वोविन फैब्रिक्स, नोन वोविन फैब्रिक्स, कोटेन कोटेड फैब्रिक्स।
120	इमली के बीज एवं इमली पाउडर।
121	तारपोलिन।
122	चाय।
123	उपकरण, आरी एव कन्नी जो बढ़ई एवं राज मिस्त्री के द्वारा प्रयोग की जाती है।
124	इलैक्ट्रोनिक खिलौने के अतिरिक्त खिलौने।
125	ट्रैक्टर्स, ट्रैक्टर ट्रालीं, हारवेस्टर्स एवं अटैचमेन्ट एवं इसके पुर्जे, ट्रैक्टर टायर एवम् ट्यूब।
126	ट्रांसफारमर्स।
127	ट्रांसमीशन वायर एवं टावर्स , टेलीकाम टावर।
128	छाता जिसमें उद्यान छाता और उसके पुर्जे सम्मिलित नहीं है।
129	प्रयोगशुदा मोटर गाड़ियाँ।
130	वनस्पति (हाइड्रोजनेटेड वैजीटेबुल आयल)।
131	वनस्पति तेल जिसमें गिन्गली आयल और ब्रान आयल सम्मिलित है।
132	ताजा खजूर।

क्रम-सं0	वस्तु का नाम एवं विवरण
133	पानी खींचने अथवा विद्युत उत्पादन करने वाले वायु मिल।
134	लकड़ी के क्रेट्स।
135	लिखने वाली स्याही।
136	लिखने के उपकरण, ज्योमेट्री बाक्सेज, कलर बाक्स, कैरीऑन्स एवं पैंसिल शार्पनर्स, स्केल एवम् इरेजर, साइन्टिफिक, मैथैमैटिकल्स, सर्वे, मैकेनिकल, ड्राइंग, बाइलौजिकल इन्स्ट्रूमेन्ट्स एवं उपकरण।
137	मिठाई, नमकीन और शुगर प्रोडेक्ट्स, बूरा, कुलिया रेवड़ी एवं गजक।
138	तोडी, नीरा एवं अर्क।
139	खाण्डसारी।
140	समस्त अन्य घोषित माल।

भाग-ख

4% की दर से करारोपित उत्पादों की सूची

क्रम सं0	वस्तु का नाम एवं विवरण
1	2
1	वर्ड प्रोसेसिंग मशीन, इलैक्ट्रोनिक टाइपराइटर्स।
2	माइक्रोफोन्स, मल्टीमीडिया स्पीकर्स, हेडफोन्स, ईअरफोन्स एवं कम्बाइन्ड माइक्रोफोन / स्पीकर्स सेट्स एवं इनके पुर्जे।
3	टेलीफोन आन्सरिंग मशीन एवं इनके पुर्जे।
4	ध्वनि रिकार्डिंग हेतु तैयार किया गया अनरिकार्डेड मीडिया अथवा उसी प्रकार की रिकार्डिंग अथवा अन्य प्रक्रिया जिसमें काम्पेक्ट डिस्क (CD) एवं डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क (DVD) भी है।
5	आई0टी0 साफ्टवेयर या अन्य मीडिया।
6	रेडियो अथवा टेलीविजन प्रसारण के अतिरिक्त अन्य संचार उपकरण। संचार उपकरण में संचार ग्रहण करने वाले एवं डिजिटल स्टिल इमेज वीडियो कैमरा है।
7	रेडियो कम्यूनिकेशन रिसीवर, रेडियो पेजर्स।
8	एरिअल्स, एन्टिना एवं पुर्जे।
9	एल0सी0डी0 पेनल्स, एल0ई0डी0 पेनल्स एवं पुर्जे।

1	2
10	इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर्स, फिक्स्ड वेरिएबिल एवं पुर्जे।
11	इलेक्ट्रोनिक कैलकुलेटर्स।
12	इलेक्ट्रीकल रेजिस्टर्स जिसमें रिह्ओस्टेट एवं पोटेन्शिओमीटर सम्मिलित है परन्तु इसमें हीटिंग रेजिस्टर्स सम्मिलित नहीं है।
13	प्रिन्टेड सरकिट्स बोर्डस्।
14	स्विचेज, कनेक्टर्स, रिलेज, इलैक्ट्रोनिक फ्यूजेज।
15	डाटा / ग्राफिक डिस्प्ले ट्यूब्स, टी0वी0 पार्ट्स, टी0वी0 पिक्चर ट्यूब्स एवं उनके पुर्जे।
16	डायोड, ट्रांजिस्टर्स एवं इस प्रकार की अन्य सेमी कन्डक्टर डिवाइस, प्रकाश संवेदी कन्डक्टर डिवाइस जिसमें फोटो वोल्टिक सेल जो चाहें मॉड्यूल्स में असेम्बल हो अथवा नहीं या पैनल में लगे हों, प्रकाश उत्सर्जन डायोड, माउटेड पीजो इलैक्ट्रिक कण।
17	इलैक्ट्रोनिक इन्टीग्रेटेड सर्किट्स एवं माइक्रो असेम्बलीज।
18	सिगनल जनरेटर्स एवं पुर्जे।
19	आप्टीकल फाइबर कैबल्स।
20	आप्टीकल फाइबर एवं आप्टीकल फाइबर बंडल्स एवं जोड़ने वाले किट्स एवं इनके जोड़ने वाले पदार्थ।
21	लिक्विड क्रिस्टल्स डिवाइसेज, फ्लैट पैन्स डिस्प्ले डिवाइसेज एवं इनके पार्ट्स।
22	कम्प्यूटर सिस्टम एवं पेरिफिरल्स, इलैक्ट्रानिक डायरीज।
23	कैथोड रे औसिलोस्कोप, स्पैक्ट्रम एनालाइजर, क्रास टाक मीटर, गेन मेजरिंग उपकरण, डिस्टोरसन फैक्टर मीटर, फास्फोमीटर एवं सिगनल एनालाइजर।
24	डीसी माइक्रो मोटर्स, स्टैपर्स मोटर्स।
25	अन-इन्टरैप्टेड पावर सप्लाई (UPS) डिवाइस एवं इनके पार्ट्स।
26	परमानेन्ट मैगनेट अथवा वे वस्तुऐं जो परमानेन्ट मैगनेट बन सकती है। (फैराइट्स)
27	लाइन टेलीफोनी अथवा लाइन टेलीग्राफी के विद्युत उपकरण जिसमें कार्डलैस हैण्ड सेट सहित लाईन टेलीफोन सेट एवं दूर संचार उपकरण जो लाइन सिस्टम अथवा डिजिटल लाइन सिस्टम के विद्युत संवाहक हों, वीडिओ फोन।
28	मेल फोन्स एवं इसके पुर्जे।
29	निकाला गया।

भाग-ग

4 प्रतिशत पर करारोपित औद्योगिक इनपुटों की सूची

क्रम सं0	वस्तु का नाम एवं विवरण
1	2
1	जन्तु (मछली शामिल है) वसा एवं तेल, कच्चा, रिफाइन्ड ऑर शुद्धिकृत।
2	ग्लीस्रोल, क्रूड, ग्लीस्रोल वाटर एवं ग्लीस्रोल लाईज।
3	वेजीटेबुल वैक्स (ट्राईग्लिसराइड के अतिरिक्त), बी-वैक्स, अन्य इन्सेक्ट वैक्स एवं स्पर्मासेटी चाहें साफ या रंगीन हो या न हो, डेग्रास, जन्तु वसा या वानस्पतिक वसा के उपचार से प्राप्त अवशिष्ट।
4	जन्तु अथवा वानस्पतिक वसा उबाली हुई, आक्सीकृत, डिहाइड्रेटेड, सल्फ्यूरीकृत, ब्लोन, निर्वात अथवा अक्रियाशील गैसों में गर्मी से संघनित किया हुआ या अन्य प्रकार से केमीकली मोडिफाइ, इस अध्याय के वसा एवं तेल के अखाद्य मिश्रण अथवा उनकी तैयारी उत्पाद।
5	लिक्विड ग्लूकोज (नान मेडीशिनल) डेक्सट्रोज सीरप।
6	निकाला गया।
7	सल्फर, बेरिएट्स।
8	मैग्नीज ओर्स एवं कन्सन्ट्रेट्स, जिसमें ड्राई वेट पर आगणित 20 प्रतिशत या अधिक मैग्नीज वाला फैरयूजिनस मैग्नीज ओर एवं कन्सन्ट्रेट सम्मिलित है।
9	कापर ओर्स एवं कन्सन्ट्रेट्स।
10	निकिल ओर्स एवं कन्सन्ट्रेट्स।
11	कोबाल्ट ओर्स एवं कन्सन्ट्रेट्स।
12	एल्यूमीनियम ओर्स एवं कन्सन्ट्रेट्स।
13	लेड ओर्स एवं कन्सन्ट्रेट्स।
14	जिंक ओर्स एवं कन्सन्ट्रेट्स।
15	टिन ओर्स एवं कन्सन्ट्रेट्स।
16	क्रोमीयम ओर्स एवं कन्सन्ट्रेट्स।
17	टंग्नस्टन ओर्स एवं कन्सन्ट्रेट्स।
18	यूरेनियम या थोरियम ओर्स एवं कन्सन्ट्रेट्स।
19	मोलीबिडनम ओर्स एवं कन्सन्ट्रेट्स।
20	टाइटेनियम ओर्स एवं कन्सन्ट्रेट्स।

1	2
21	नियोबियम, टेन्टलम, वैनेडियम या जिरकोनिया ओर्स एवं कन्सन्ट्रेट ।
22	प्रिसिअस मेटल ओर्स एवं कन्सन्ट्रेट्स ।
23	अन्य ओर्स एवं कन्सन्ट्रेट्स ।
24	आयरन अथवा स्टील के विनिर्माण से प्राप्त ग्रेनुलेटेड स्लैग (स्लैग सेन्ड) ।
25	ग्राउन्ड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फरनेस स्लैग (GGBS) ।
26	बेन्जॉल ।
27	टॉल्युऑल ।
28	जाइलोल ।
29	नेप्थालीन ।
30	फिनॉल ।
31	क्रिऑस्ट आयल ।
32	मिश्रित जाइलीन ।
33	ब्यूटाडीन ।
34	नार्मल पैराफिन एवं पैराफिन वैक्स ।
35	फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ।
36	सबलाईम्ड अथवा अवक्षेपित सल्फर, कोलायडल सल्फर ।
37	कार्बन (कार्बन ब्लैक एवं कार्बन के अन्य प्रकार जो अन्य कहीं विनिर्दिष्ट सम्मिलित नही है)
38	हाइड्रोजन, रेअर गैस, आक्सीजन गैस ।
39	एल्कली अथवा एल्कालाइन अर्थ मेटल, रेअर अर्थमेटल, स्केन्डियम एवं ईट्रीयम चाहे इन्टरमिक्स्ड अथवा इन्टरएलायड हों या न हो, मरकरी ।
40	हाइड्रोजन क्लोराइड (हाइड्रोक्लोरिक एसिड) क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड ।
41	सल्फ्यूरिक एसिड एवं इसके अनहाईड्राईड, ओलियम ।
42	नाइट्रिक एसिड, सल्फोनाइट्रिक एसिड ।
43	डाइफास्फोरस-पेन्टाऑक्साइड,फास्फोरिक एसिड एवं पोलीफास्फोरिक एसिड ।
44	बोरॉन के आक्साइड, बोरिक एसिड ।
45	अन्य कार्बनिक अम्ल एवं अधातुओं के अन्य अकार्बनिक यौगिक ।
46	हैलाइड्स एवं अधातुओं के हैलाइड्स ऑक्साइड्स ।

1	2
47	अधातुओं के सल्फाइड्स, वाणिज्यिक फास्फोरस ट्राइसल्फाइड ।
48	अमोनिया, अनहाइड्रस अथवा एक्यूअस सॉल्यूशन ।
49	सोडियम हाइड्रॉक्साईड (कास्टिक सोडा), पोटेशियम हाइड्रॉक्साईड (कास्टिक पोटाश), सोडियम या पोटेशियम के परॉक्साईड् ।
50	मैग्नीशियम का हाइड्रॉक्साईड एवं परॉक्साईड, स्ट्रॉन्शियम अथवा बेरियम के ऑक्साईड, हाईड्रॉक्साईड एवं परॉक्साइड ।
51	जिंक आक्साईड, जिंक पैरॉक्साईड ।
52	एल्यूमिनियम हाइड्रॉक्साईड, एल्यूमिनियम कैल्साईड ।
53	क्रोमियम ऑक्साईड्स एवं परॉक्साईड्स ।
54	मैगनीज ऑक्साईड्स ।
55	आयरन ऑक्साईड्स एवं हाइड्रॉक्साईड्स ।
56	कोबाल्ट ऑक्साईड्स एवं हाइड्रॉक्साईड्स, वाणिज्य कोबाल्ट ऑक्साईड्स ।
57	टाइटेनियम ऑक्साईड्स ।
58	लेड ऑक्साईड्स, रेड लेड एवं ऑरेन्ज लेड ।
59	हाइड्राजिन एवं हाइड्राक्सिल अमीन एवं इनके अकार्बनिक लवण, अन्य अकार्बनिक बेसेस, अन्य धातुओं के ऑक्साईड्स, हाइड्रॉक्साईड्स एवं परॉक्साईड्स ।
60	फ्लोराइड्स, फ्लोरोसिलिकेट्स, फ्लोरोएल्यूमिनेट्स एवं फ्लोरिन के अन्य जटिल लवण।
61	क्लोराइड्स, क्लोराइड आक्साईड्स एवं क्लोराइड हाइड्रॉक्साईड्स, ब्रोमाइड ऑक्साईड्स, आयोडाईड्स तथा आयोडाइड ऑक्साईड्स ।
62	ब्लीच लिक्विड, ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम हाइपोक्लोराईड, सोडियम क्लोराईड ।
63	क्लोरेट्स एवं परक्लोरेट्स, ब्रोमेट्स एवं परब्रोमेट्स, आयोडेट्स एवं परआयोडेट्स ।
64	सल्फाइड्स, पॉलीसल्फाइड्स ।
65	डाइथायोनाइट्स एवं सल्फोजाइलेट्स ।
66	सल्फाइट्स, थायोसल्फेट्स ।
67	सोडियम सल्फेट्स, एलम्स, परऑक्सोसल्फेट्स (परसल्फेट), सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, फेरस सल्फेट, कापर सल्फेट, अमोनिया एलम, पोटाश एलम एवं फेरिक एलम, मैगनीज सल्फेट, स्ट्रॉन्शियम सल्फेट ।
68	बेसिक क्रोमियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, मैगनिशीयम सल्फेट, फेरस सल्फेट ।
69	नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स ।

1	2
70	फॉस्फिनेट्स (हाइपोफॉस्फाइट्स), फास्फोनेट्स (फास्फाईट्स), फास्फेट्स एवं पोली - फास्फेट्स, सोडियम ट्राइपॉलिफास्फेट्स, ट्राइ सोडियम फास्फेट्स।
71	कार्बोनेट्स, परऑक्सोकार्बोनेट्स (परकार्बोनेट्स, वाणिज्यिक अमोनियम कार्बोनेट्स जिसमें अमोनियम कार्बोनेट्स) उपलब्ध हो, पोलीकर्बोनेट।
72	साइनाइड्स, साइनाइड ऑक्साइड्स एवं जटिल साइनाइड्स।
73	फलमिनेट्स, साइनेट्स एवं थायोसाइनेट्स।
74	सिलिकेट्स, वाणिज्यिक क्षारिय धातुऐं, सोडियम सिलिकेट्स, सोडियम मेटा सिलिकेट्स, पोटेशियम, मैगनिशीयम ट्राइसिलिकेट्स का सोडियम सिलिकेट्स।
75	बोरेट्स, परऑक्सो बोरेट्स (पर बोरेट्स)।
76	सोडियम बाइक्रोमेट्स।
77	सोडियम डाइक्रोमेट्स।
78	पोटेशियम डाइक्रोमेट्स।
79	रेडियोधर्मी रासायनिक तत्व, रेडियोधर्मी आईसोटोप्स (जिसमें विखंडनीय रासायनिक तत्व एवं आईसोटोप सम्मिलित है) एवं इनके यौगिक, मिश्रण एवं अवशिष्ट जिसमें यह वस्तुऐं मौजूद है।
80	शीर्षक संख्या 28.44 में वर्णित के अतिरिक्त अन्य आईसोटोप्स एवं इनके यौगिक, इन आईसोटोप्स के अकार्बनिक अथवा कार्बनिक चाहे रासायनिक रुप से इन्हें परिभाषित किया गया या न किया गया हो।
81	कम्पाउन्ड्स, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक, आफ रेअर अर्थ मेटल्स, आफ इट्रीयम ऑर आफ स्कैन्डियम ऑर आफ मिक्चर्स आफ दीज मेटल्स।
82	हाइड्रोजन पैरॉक्साईड्स, जिसे यूरिया के साथ ठोसीकृत किया गया हो अथवा नहीं।
83	फास्फाईड्स, चाहें इन्हें रासायनिक रुप से परिभाषित किया गया हो अथवा नहीं परन्तु फैरोफॉस्फोरस सम्मिलित नहीं है।
84	सिलिकन कारबाईड।
85	कैल्शियम कारबाईड।
86	हाइड्राईड्स, एजाईड्स, सिलिडाईड्स एवं बोराईड्स।
87	चंक्रीय हाइड्रो कार्बन।
88	हाइड्रो कार्बन्स के हैलोजनेटेड डेरिवेटिव्स।
89	हाइड्रो कार्बन्स के सल्फोनेटेड, नाइट्रेटेड अथवा नाइट्रोसेटेड डेरिवेटिव्स चाहें वे हैलो जेनेटेड हों या नहीं।

1	2
90	एसाइक्लिक अल्कोहल्स एवं इनके हैलोजनेटेड, सल्फोनेटेड, नाइट्रेटेड अथवा नाइट्रोसेटेड डेरिवेटिव्स।
91	साइक्लिक अल्कोहल्स एवं इनके हैलोजनेटेड, सल्फोनेटेड, नाइट्रेटेड अथवा नाइट्रोसेटेड डेरिवेटिव्स।
92	फिनॉल्स, फिनॉल एल्कोहल एवं इनके डेरिवेटिव्स।
93	फिनॉल्स एवं फिनॉल एल्कोहल के हैलोजनेटेड, सल्फोनेटेड, नाइट्रेटेड अथवा नाइट्रोसेटेड डेरिवेटिव्स।
94	ईथर्स, ईथर एल्कोहल्स, ईथर फिनॉल्स, ईथर एल्कोहल फिनॉल्स, एल्कोहल परऑक्साईड्स, ईथर परऑक्साईड्स, कीटोन परऑक्साईड्स एवं इनके हैलोजनेटेड, सल्फोनेटेड, नाइट्रेटेड अथवा नाइट्रोसेटेड डेरिवेटिव्स।
95	एपॉक्साईड्स, एपॉक्सी एल्कोहल्स, एपॉक्सी फिनॉल्स और एपॉक्सी ईथर्स जिसमें तीन चक्र वाले सदस्य भी सम्मिलित है एवं इनके हैलोजनेटेड, सल्फोनेटेड, नाइट्रेटेड अथवा नाइट्रोसेटेड डेरिवेटिव्स।
96	एसीटल्स एवं हैमीएसीटल्स, चाहें वे अन्य आक्सीजन क्रिया करते हों या नहीं एवं इनके हैलोजनेटेड, सल्फोनेटेड, नाइट्रेटेड अथवा नाइट्रोसेटेड डेरिवेटिव्स।
97	एल्डीहाईड्स, चाहें वे अन्य आक्सीजन क्रिया करते हों या नहीं एवं एल्डीहाईड का साइक्लिक पॉलीमर, पैराफारमेल्डिहाईड।
98	हैलोजनेटेड, सल्फोनेटेड, नाइट्रेटेड अथवा नाइट्रोसेटेड डेरिवेटिव्स।
99	एसीटोन, साइक्लोहैक्सानोन, डाइएसीटोन एल्कोहल एवं अन्य।
100	संतृप्त एसाइक्लिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स एवं इनके एनहाइड्राईड, हैलाईड्स परॉक्साईड्स एवं परऑक्सी एसिड्स, इनके हैलोजनेटेड, सल्फोनेटेड, नाइट्रेटेड अथवा नाइट्रोसेटेड डेरिवेटिव्स।
101	असंतृप्त एसाइक्लिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स, साइक्लिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स इनके एनहाइड्राईड, हैलाईड्स परॉक्साईड्स एवं परऑक्सी एसिड्स, इनके हैलोजनेटेड, सल्फोनेटेड, नाइट्रेटेड अथवा नाइट्रोसेटेड डेरिवेटिव्स।
102	पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड्स एवं इनके एनहाइड्राईड, हैलाईड्स परॉक्साईड्स एवं परऑक्सी एसिड्स, इनके हैलोजनेटेड, सल्फोनेटेड, नाइट्रेटेड अथवा नाइट्रोसेटेड डेरिवेटिव्स।

1	2
103	कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो अतिरिक्त ऑक्सीजन क्रिया सक्षम हो एवं इनके एनहाइड्राईड, हैलाईड्स परॉक्साईड्स एवं परऑक्सी एसिड्स, इनके हैलोजनेटेड, सल्फोनेटेड, नाइट्रेटेड अथवा नाइट्रोसेटेड डेरिवेटिव्स।
104	फास्फोरिक एस्टर्स एवं उनके लवण जिनमें लैक्टोफास्फेट्स, उनके हैलोजनेटेड, सल्फोनेटेड, नाइट्रेटेड अथवा नाइट्रोसेटेड डेरिवेटिव्स।
105	अन्य अकार्बनिक अम्ल के एस्टर्स (जिसमें हाइड्रोजन हैलाइड्स के एस्टर्स सम्मिलित नहीं है) उनके लवण एवं इनके हैलोजनेटेड, सल्फोनेटेड, नाइट्रेटेड अथवा नाइट्रोसेटेड डेरिवेटिव्स।
106	अमीन-फंक्शन कम्पाउन्ड एवं इनके डेरिवेटिव्स तथा साल्ट्स।
107	ऑक्सीजन फंक्शन अमीनो कम्पाउन्ड।
108	क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट्स एवं हाइड्रोक्साइड्स, लेसीथिन एवं अन्य फास्फोअमीनोलिपिड्स एवं लेसीथिन।
109	कार्बोक्सीएमाइड्स फंक्शन कम्पाउन्ड्स, अमाइड फंक्शन कम्पाउन्ड्स आफ कार्बोनिक एसिड।
110	कार्बोक्सीएमाइड्स फंक्शन कम्पाउन्ड्स (सैक्रीन एवं इसके लवण सम्मिलित है) एवं ईमीन फंक्शन कम्पाउन्ड्स।
111	नाइट्राइल फंक्शन कम्पाउन्ड्स।
112	डाइएजो, एजो या एजॉक्सी कम्पाउन्ड्स।
113	हाईड्राजीन अथवा हाईड्राक्सील अमीन के आर्गेनिक डेरिवेटिव्स।
114	अन्य नाइट्रोजन फंक्शन के कम्पाउन्ड्स।
115	आर्गेनो-सल्फर कम्पाउन्ड्स।
116	ईथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, नाइट्रिलो ट्राइ एसिटिक एसिड एवं इनके डेरिवेटिव्स।
117	हैट्रोसाइक्लिक कम्पाउन्ड्स विद ऑक्सीजन हैट्रोएक्टम (स) केवल।
118	हैट्रोसाइक्लिक कम्पाउन्ड्स विद नाइट्रोजन हैट्रोएक्टम (स) केवल।
119	न्यूक्लिक एसिड्स एवं इनके लवण, अन्य हैट्रोसाइक्लिक कम्पाउन्ड्स।
120	सल्फोनामाइड्स।
121	ग्लूकोसाइड्स, प्राकृतिक अथवा संश्लेषित एवं इनके लवण, ईर्थस, एस्टर्स एवं अन्य डेरेवेटिव्स।

1	2
122	वानस्पतिक एल्कोलाएड्स, प्राकृतिक अथवा संश्लेषित एवं इनके लवण, ईथर्स, एस्टर्स एवं अन्य डेरेवेटिव्स।
123	ईथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, नाइट्रिलो ट्राइ एसिटिक एसिड एवं इनके डेरिवेटिव्स।
124	विजिटेबिल मूल के टेनिंक एक्सट्रैक्ट्स, टेनिंग्स एवं उनके लवण, ईथर्स, कत्था एवं गैम्बियर को छोड़कर ईस्टर्स एवं अन्य डेरिवेटिव्स।
125	संश्लेषित आर्गेनिक टेनिंग सब्सटेन्सेज; इनआर्गेनिक टेनिंग सब्सटेन्सेज; टेनिंग प्रिपरेशन्स, चाहें उनमें प्राकृतिक टेनिंग सब्सटेन्सेज हों अथवा नहीं; कत्था एवं गैम्बियर को छोड़कर प्री-टेनिंग के लिए एन्जाईम्स प्रिपरेशन्स।
126	वैजिटेबिल और एनीमल मूल के कलरिंग मैटर (एनीमल ब्लैक को छोड़कर डाईंग एक्सट्रैक्ट्स सहित); कत्था एवं गैम्बियर को छोड़कर प्रिपरेशन्स जो वैजिटेबिल और एनीमल मूल के कलरिंग मैटर पर आधारित हो।
127	संश्लेषित आर्गेनिक कलरिंग मैटर, चाहें रासायनिक रूप से परिभाषित हो अन्यथा नहीं; प्रिपरेशन्स जो संश्लेषित आर्गेनिक कलरिंग मैटर आधारित हों; सिंथेटिक आर्गेनिक का ऐसा उत्पाद जो फ्लोरेसेन्ट ब्राइटनिंग एजेन्ट अथवा ल्यूमिनोफोरस के रुप में प्रयोग किया जाये, चाहें रासायनिक रूप से परिभाषित हो अथवा नहीं।
128	कलर लेक्स; कलर लेक्स पर आधारित प्रिपरेशन्स।
129	पिगमेन्ट्स, ल्यूमिनोफोरस के रुप में प्रयोग किया जाने वाले इन आर्गेनिक उत्पाद अल्ट्रामैराईन एण्ड प्रिपरेशन्स, लिथफोन एवं अन्य पिगमेन्ट्स और जिंक सल्फाइड पर आधारित प्रिपरेशन्स।
130	रेडऑक्साइड्स ; ब्रान्ज पाउडर।
131	मास्टर बैचेज, अल्ट्रामैराईन ब्लू सहित अन्य कलरिंग मैटर।
132	प्रिपेअॅर्ड पिगमेन्ट्स एवं इसके सभी डेरेवेटिव्स।
133	पाउडर, ग्रेन्यूल्स या फ्लेक्स के रुप में ग्लास फ्रिट एवं अन्य ग्लास।
134	प्रिपेअॅर्ड ड्रायर्स।
135	पेन्ट्स (एनॉमिल्स सहित) के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले लिक्विड या पेस्ट के रुप में पिगमेन्ट्स (मैटेलिक पाउडर एवं फ्लेक्स सहित) जो नान-एक्वियस माध्यम में डिस्पर्स किया गया हो; स्टैम्पिंग फॉयल्स; डाईज या अन्य कलरिंग मैटर उदाहरणार्थ - जो बेल्स के रूप में हो।

1	2
136	सिलिकॉन सरफेक्टेंट, नान-आयोनिक, सल्फोनेटेड या सल्फेटेड ऑक्साइड; क्लोरीन केस्टर आयल।
137	अप्राकृतिक मोम अथवा तैयार किया गया मोम।
138	केसिन, केसिनेट्स एवं अन्य केसिन डेरेवेटिव्स, केसिन ग्लूज़।
139	एन्जाइम्स: तैयार किये गये एन्जाइम्स जिन्हें कहीं और न तो शामिल किया गया हो और न स्पैसिफाई किया गया हो।
140	फोटोग्राफी के प्रयोग हेतु केमिकल प्रिपरेशन्स (वार्निशेज, ग्लूज, एडहेसिव्स एवं अन्य ऐसे प्रिपरेशन्स के अतिरिक्त)।
141	आर्टिफिशियल ग्रेफाइट; कोलोइडल एवं सेमी कोलोइडल ग्रेफाइट; ग्रेफाइट या पेस्ट्स, ब्लाक्स, प्लेट्स के रूप में अन्य कार्बन पर आधारित प्रेपरेशन्स या अन्य अर्धनिर्मित कार्बन।
142	एक्टिवेटेड कार्बन; एक्टिवेटेड प्राकृतिक खनिज उत्पाद; स्पेन्ट एनीमल ब्लैक सहित एनीमल ब्लैक।
143	टाल ऑयल को छोड़कर वुड पल्प के निर्माण से अवशेष लाईज, लिगनिन सल्फोनेट्स को शामिल करते हुए, चाहे कन्सन्ट्रेटेड, डी शुगर्ड या केमिकली ट्रीटेड हो अन्यथा नहीं।
144	गम्स और टरपैंटाइन आयल।
145	रेजिन और रेज़िन एसिड्स और उसके डेरेवेटिव्स; रेजिन स्प्रिट और रेजिन आयल्स; रन गम्स।
146	वुड टार; वुड टार आयल्स; वुड क्रिओजोट; वुड नेप्था; वेजिटेबुल पिच; ब्रीवर्स पिच और रेजिन, रेजिन एसिड्स या वेजिटेबुल पिच पर आधारित ऐसे प्रिपेरेशन्स।
147	टैक्नीकल ग्रेड्स के इन्सेक्टीसाइड्स, फंगिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, वीडिसाईड्स और पेस्टीसाईड्स।
148	सोडियम पेन्टा क्लोरोफिनेट।
149	टैक्सटाइल, पेपर, लेदर या ऐसी इण्डस्ट्रीज में प्रयुक्त होने वाले फिनिशिंग एजेन्ट्स, डाई केरियर्स जो डाई करने एवं डाई स्टफ को फिक्स करने और अन्य उत्पाद एवं प्रिपरेशन्स (उदाहरण के लिए ड्रेसिंग्स और मोर्डेन्ट्स) को एक्सीलरेट करे तथा जो कहीं अन्यथा शामिल अथवा स्पेसीफाई न किया गया हो।
150	प्रिपेअर्ड रबर एक्सीलरेटर्स; रबर या प्लास्टिक्स हेतु कम्पाउन्ड प्लास्टिसाइजर्स जिन्हें कहीं अन्यथा उल्लिखित अथवा शामिल न किया गया हो ; रबर या प्लास्टिक्स हेतु एन्टी ऑक्सीडाइजिंग प्रिपरेशन्स एवं अन्य कम्पाउन्ड स्टैबिलाइजर्स जूतों के अपर एवं लोअर, सोल, आइलेट एवं जूतों के फीते।

1	2
151	रिड्यूसर एवं ब्लेन्कट वाश/ रोलर वाश जो छपाई उद्योग में प्रयोग होते है, रबर ब्लैंकेटस।
152	रिएक्शन इनीशिएटर, रिएक्शन एसीरिलेटर एवं कैटेलिटिक प्रिपरेशन जो कहीं अन्य वर्गीकृत या सम्मिलित नहीं है।
153	मिक्सड अल्काइल बेन्जीन एवं मिक्सड अल्काइल नेफथालीन।
154	केमिकल एलीमेन्ट डोप्ड फार यूज इन इलेक्ट्रानिक्स, इन दी फार्म्स आफ डिस्क, वैफरस और सिमिलर फार्म्स, केमिकल कम्पाउन्ड डोप्ड फार यूज इन इलेक्ट्रानिक्स।
155	औद्योगिक मोनो कार्बोक्सिलिक फैटी एसिड, रिफाइनिंग से बना एसिड आयल, औद्योगिक फैटी अल्कोहल, सोप स्टाक।
156	छपाई उद्योग में प्रयोग होने वाले रिटार्डर।
157	पोलीमर्स आफ इथाइलीन इन प्राइमरी फार्म्स।
158	पोलीमर्स आफ प्रोपाइलीन इन प्राइमरी फार्म्स।
159	पोलीमर्स आफ स्टायरीन इन प्राइमरी फार्म्स।
160	पोलीमर्स आफ विनाइल क्लोराइड और आफ़ अदर हैलोजिनेटेड ओलीफीन्स इन प्राइमरी फार्म्स।
161	पोलीमर्स आफ विनाइल एसीटेट और आफ़ अदर विनाइल इस्टर्स इन प्राइमरी फार्म्स, अदर विनाइल पोलीमर्स इन प्राइमरी फार्म्स।
162	एक्रीलिक पोलीमर्स इन प्राइमरी फार्म्स।
163	पोलीएसीटल्स, अन्य पोलीइथर एवं एपोक्साइड रेजिन्स, इन प्राइमरी फार्म्स, पोलीकार्बोनेट्स, एल्किड रेजिन्स, पोलीएलाइल एस्टर्स एवं अन्य पोली एस्टर्स इन प्राइमरी फार्म्स।
164	पोलीएमाइड्स इन प्राइमरी फार्म्स।
165	अमीनो-रेजिन्स, पोलीफिनाइलीन आक्साइड, फिनोलिक रेजिन्स एवं पोलीयूरेथेन्स इन प्राइमरी फार्म्स।
166	सिलकोन्स इन प्राइमरी फार्म्स।
167	पेट्रोलियम रेजिन्स, कूमेरोन-इन्डीन रेजिन्स, पोलीट्रर्पीन्स, पोलीसल्फाइड, पोलीसल्फोन्स।
168	सेलुलोज एवं इसके केमिकल डेरीवेटिव एवं सेलुलोज ईथर्स जो प्राइमरी फार्म्स में कहीं अन्य सम्मिलित अथवा वर्गीकृत नहीं है।

1	2
169	प्राकृतिक पोलीमर्स (उदाहरण - एल्जिनिक एसिड) तथा मौडीफाइड प्राकृतिक पोलीमर्स (उदाहरण-हार्डेन्ड प्रोटीन्स.प्राकृतिक रबड़ के केमिकल डेरीवेटिव) जो प्राइमरी फार्म्स. में अन्य कहीं सम्मिलित या वर्गीकृत नहीं है।
170	पोलीमर्स पर आधारित आयन-एक्सचेन्जर्स।
171	सेल्फ एडेसिव प्लेट्स. शीट्स. फिल्म फ्वायल.टेप.प्लास्टिक स्ट्रिप चाहे रोल में है या नहीं।
172	प्लास्टिक की अन्य प्लेट्स. शीट्स. फिल्म. फ्वायल एवं स्ट्रिप. नान सेलुवर. चाहे लैक्ड या मेटेलाइस्ड या लैमिनेटेड. सपोर्टेड या इसी प्रकार से अन्य पदार्थों से युक्त हो या नहीं. प्रिन्टिंग में प्रयोग होने वाली प्रीसेनसाइज्ड एल्यूमियम प्लेट. लिथ फिल्म।
173	थर्मोकोल।
174	सामान की पैकिंग के लिये प्लास्टिक की बनी हुई वस्तुएं जैसे-क्रेट्स. कन्टेन्र्स. कारब्याज. बोतल. जार. जेरीकेन एवं इनकी स्टापर.ढकने. प्लास्टिक से बने ढक्कन परन्तु इसमें इन्सुलेटेड वेयर्स सम्मिलित नहीं है। प्राकृतिक रबड़. बलाटा.गटापार्चा. ग्यूयूल.चिक्ली एवं अन्य प्राकृतिक गम्स इन प्राइमरी फार्म्स या प्लेट. शीट या स्ट्रिप में. संश्लेषित रबड़ एवं तेल से निकला फेक्टाइस प्राइमरी फार्म्स में या प्लेट. शीट या स्ट्रिप में. कम्पाउन्डेड अन वल्कनाइज्ड रबड़ प्राइमरी फार्म्स या प्लेट.शीट या स्ट्रिप में . कम्पाउन्डेड अन वल्कनाइज्ड रबड़ प्राइमरी फार्म्स या प्लेट. शीट या स्ट्रिप में।
175	मैकेनिकल वुड पल्प. केमिकल वुड पल्प. सेमी केमिकल वुड पल्प तथा अन्य फाइब्रस सेलुलोजिक मेटेरियल का वुड पल्प।
176	कार्टन्स (चपटे एवं मुड़े हुए कार्टन्स शामिल है). बाक्सेज (चपटे एवं मुड़े हुए बाक्सेज शामिल है). केसेज. बैग्स एवं कागज एवं पेपर बोर्ड के अन्य पैकिंग कन्टेनर्स।
177	कागज के प्रिन्टेड लेबिल एवं पेपर बोर्ड के प्रिन्टेड लेबिल।
178	कागज के सेल्फ एडहेसिव टेप एवं पैकिंग प्रयोग हेतु प्रिन्टेड रैपर्स ।
179	पोलिएस्टर टैक्स्चराईज्ड यार्न ।
180	पोलिएस्टर यार्न. पार्शियली ओरिएन्टेड।
181	जूट या कपड़े के बने थैले एवं बैग्स।
182	कांच के बने हुए कारब्याज. बोतल. जार एवं फॉयल. स्टॉपर. लिड एवं अन्य क्लोजर्स जिनका प्रयोग सामान की पैकिंग में हो ।

1	2
183	ग्लास फाइबर (इसमें ग्लास वूल एवं ग्लास फिलामेन्ट्स शामिल है) तथा अन्य वस्तुऐं (उदाहरणार्थ यार्न, वोवन फेब्रिक्स), चाहें प्लास्टिक या वार्निश से इम्प्रीगनेटेड, कोटेड, कवर्ड, लेमिनेटेड हो या न हो।
184	फैरो एलॉयज।
185	0.2 मिलीमीटर से कम मोटाई वाला एसैप्टिंक पैकिंग एल्यूमिनियम फॉयल एवं कागज एवं एल0डी0पी0ई0 से बेक की हुई।
186	स्टोपर, कैप्स, लिड्स (क्राउन कार्क, स्क्रू कैप्स एवं पोरिंग स्टोपर्स शामिल है) बोतल के कैप्स्यूल, थ्रेडेड बंग्स, बंग कवर्स, सील्स एवं अन्य पैकिंग एसेसरीज, बेस मेटल की बनी हुई।
187	स्टायरिन-पॉली स्टायरिन के पॉलीमर्स या एक्सपेन्डेबुल पॉली स्टायरिन।
188	टैक्सटाईल्स फिनिशिंग एजेन्ट्स, टैक्सटाईल प्रिन्टिंग बाइन्डर-पी0वी0ए0 कोपॉलीमर, टैक्सटाईल नान-वोवन बाइन्डर-पी0वी0ए0 कोपॉलीमर, लेमिनेशन इमल्शन-पी0वी0ए0 कोपॉलीमर, पैकेजिंग इमल्शन-पी0वी0ए0 कोपॉलीमर, लेमिनेशन इमल्शन-पी0वी0ए0 कोपॉलीमर।
189	वाटर हाईड्रोलिक, इण्डस्ट्रीयल वाल्व्स।
190	प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड्स के लिए कापर क्लेड शीट्स (पी0सी0बी0 सीट्स)।
191	म्यूजिकल इन्स्ट्रूमेन्ट की स्ट्रिंग्स।
192	प्योरिफाइड टेरौथेलिक एसिड।
193	एक्सपेन्डेबुल पोलिस्टिरीन और पोलिस्टिरीन आफ स्टिरीन।
194	जिंक ऑक्साइड।
195	जूट यार्न, जूट क्लॉथ, जूट ट्वाइन एवं जूट शीट्स।
196	एल0एल0डी0पी0ई0 / एल0डी0पी0ई0 / एच0डी0पी0ई0, पी0पी0 / एच0डी0पी0ई0, वोवन सेक्स पी0पी0 / एच0डी0पी0ई0 फ्रेब्रिक्स एच0डी0पी0ई0 मोस्क्यूटो नेट।
197	रिफेक्ट्री मोनोलिथिक।
198	पी0वी0ए0 कोपॉलीमर।
199	सी0एन0एस0एल0 कार्डानोल एण्ड एल्कायड रेजिन।
200	हेसिन क्लाथ एण्ड शीट्स।
201	मैटल कन्टेनर्स।
202	सोडियम सल्फेट।

1	2
203	पाइन ऑयल,टरपीनियोल ।
204	कैम्फर ।
205	माइक्रो सैल्यूलर शीट्स, बंनवार शीट्स एवं हवाई स्ट्रैप्स ।
206	वोवन लेबल टेप्स ।
207	वुडन क्रेट्स, टी चेस्ट्स, विनियर ।
208	पॉलीमर्स आफ विनायल एसीटेट एवं पॉली विनायल एसीटेट इमल्शन ।
209	एल0पी0जी0 के खाली सिलेण्डर्स ।
210	एल्यूमिनियम इंग्ट्स एवं एल्यूमिनियम वायर, राड्स ।
211	ब्यूटाडीन ।
212	कैप्रोलेक्टम, डी0एम0टी0, एम0ई0जी0 ।
213	डाई-इथाइलिन ग्लाइकोल, मोनो-इथाइलिन ग्लाइकोल, ट्राई-इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल, हैवी -इथाइलिन ग्लाइकोल ।
214	ईथाइलिन ऑक्साइड ।
215	ईथाइलिन प्रोपॉयलीन ।
216	फ्लैक्सेबुल प्लेन फिल्म्स ।
217	मिथेनाल ।
218	पौलिइथाइलिन टैरी थैलेट चिप्स ।
219	जिंक, ब्रास, कापर की शीट्स, सर्किल्स एण्ड इंगट ।
220	बटन, एलास्टिक, जिप, जिप फास्टनर्स, फोम, नायलोन टेप, लेस एवं जिपर ।
221	पोलियूथेरीन फोम की शीट्स ।
222	रेलवे स्विनेज,क्रासिंग,स्विन एक्सपेन्शन ज्वाइन्ट,स्टील टर्न आउट स्लीपर, फिश- प्लेट, स्टील क्लिप,ट्रेक बोल्ट एवं नट, एलास्टिक रेल क्लिप एवं रेलवे सिगनल, सिगनल उपकरण एवं एसेसरीज तथा इनके पुर्जे ।
223	ग्लास शेल,लेड ग्लास ट्यूब,फिलामेन्ट, मोली वायर, लेड इन वायर ,कैप्स, ड्यूमेट वायर,सोल्डर वायर, क्रैपिंग सीमेन्ट ।
224	स्क्रैप आफ प्लास्टिक, ग्लास एण्ड मेटल्स एण्ड ब्रोकन ग्लास ।
225	फ्लैवरिंग एसेन्स, सिन्थेटिक्स एसेन्शियल आयल ।
226	रेड लेड, लिथार्ज एवं ग्रे आक्साइड ।
227	सोडियम पेट्रोलियम सल्फोनेट, कैल्शियम पेट्रोलियम सल्फोनेट ।

1	2
228	एसिड स्लज।
229	सिलिकन स्टील स्टैम्पिंग,हौलो पोर्सलीन बुशिंग,ग्राइन्डिंग व्हील।
230	इंसुलेटिंग पेपर्स एवं बोर्ड्स, इंसुलेटिंग फैब्रिक टेप एवं शीट्स।
231	पेट्रोलियम जैली आई.पी.।
232	ले-फ्लैट ट्यूब।
233	पालिथिन बैग्स,प्लास्टिक बैग्स, पाउनेज एवं क्लोजर्स।
234	माइक्रो सेलुलर शीट्स एवं बनवर शीट्स।
235	रेजिन्स, टर्पिन केमिकल्स जैसे पाइन आयल ,डेपेन्टीन,डी.डी.,टर्पेन्टाइन, टर्पेनियौल, कैम्फर।
236	बिजली का सामान जैसे- वाइन्डिंग वायर एवं स्ट्रिप्स, स्विचेज, सलेक्टर स्विचेज, 15 एम्पीयर क्षमता तक की फ्यूज स्विचेज जो एन्क्लोजर में न हो, कान्टेक्टर, ऑक्जीलरी कान्टेक्टर, कान्टेक्ट ब्लाक, कन्ट्रोल गियर्स एवं स्टार्टर्स, अमीटर, के डब्ल्यू एच मीटर, वोल्ट मीटर, इन्सूलेटिंग मैटेरियल्स, इन्सूलेटर, ज्वाइन्टिंग मैटेरियल्स, सर्किट ब्रेकर्स, एच आर सी फ्यूज, थर्मोस्टेट, प्रोग्रामेबुल लॉजिक कन्ट्रोलर, टाइमर्स, स्विच बोर्ड, पैनल बोर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, कन्ट्रोल पैनल, मोटर कन्ट्रोल सेन्टर, पावर कन्ट्रोल सेन्टर, बस डक्ट, बर्नर कन्ट्रोल क्यूबिकिल, कन्ट्रोल डेस्क, पुश बटन स्टेशन, लोकल कन्ट्रोल स्टेशन, किऑस्क, फीडर पिलर, एस एम पी एस, इलैक्ट्रिकल रिलेज एवं सिंगल फेजिंग प्रीवेन्टर तथा टाइमर, ओवर हेड ट्रांसमीशन लाइन मैटेरियल जिसमें कम्पोनेन्ट्स, एसेसरीज तथा इनके संघटक पुर्जे सम्मिलित है।
237	प्यौरीफाइड टेरीथैलिक एसिड।
238	धातु की वस्तुएं जैसे-बाक्सेज,केसेज,क्रेट्स, कन्टेनर्स तथा इनके धातु के बने स्टापर्स,कैप्स,लिड्स जिनका उपयोग वस्तु की पैकिंग में हो (इन्सुलेटेड वेयर्स शामिल नहीं है)।
239	आटा चक्की पत्थर।
240	पालिएस्टर स्टेपल फाइबर एवं पालिएस्टर स्टेपल फाइबर फिल एवं पालिएस्टर फाइबर वेस्ट।
241	चाइना क्ले।
242	रबर प्रौसेस्ड आयल।
243	तरलीकृत क्लोरीन।

1	2
244	पेट्रोलियम कोक ।
245	लैटेराइट ।
246	सिलिका सैण्ड ।
247	रेड आचर ।
248	फेल्सपार ।
249	हाइड्रेटेड लाइम ।
250	क्वार्ट्ज पाउडर ।
251	सोडियम हाईपो क्लोराइट ।
252	कार्बन टैपिन इलेक्ट्रोड ।
253	कार्बन कैटेलिस्ट ।
254	एमिटिलीन गैस ।
255	मेन्था आयल, डीमेन्थलाइज्ड आयल और मेन्थाल ।
256	सोप स्टोन पाउडर ।
257	सोडा का हाइड्रो सल्फाइट ।
258	सोडियम बाई कार्बोनेट ।
259	डाईज एण्ड डाईज स्टफ जिसमें निम्नलिखित शामिल नहीं है: पेन्ट, इनेमॅल, सीमेन्ट बेस्ड वाटर कलर्स, ड्राई डिस्टेम्पर, ऑयल बेस्ड डिस्टेम्पर, इमल्शन पेन्ट्स जिसमे एक्रेलिक एवं प्लास्टिक इमल्शन पेन्ट्स, लैकर्स जिसमें सेल्यूलोज लैकर्स, वार्निसेज एवं सभी प्रकार का सिन्थेटिक एडहेसिव्स ।
260	ग्वार, ग्वार रिफाइन्ड दाल या टुकड़ा, ग्वार गम पाउडर एवं पुनवाड ।
261	धागा जिसमें अग्निरोधी धागा शामिल है ।
262	वुडेन हील ।
263	एन्टीसेप्टिक इन्सोल ।
264	बार्ली माल्ट, मोलेसिस, ईस्ट, जैल (केक इम्प्रूवर), ब्रेड इम्प्रूवर, बेकरी मिक्स एवं बेकिंग पाउडर ।
265	पी.यू.फोम शीट्स ।
266	स्टेनलेस स्टील इंगट, बिलेट्स ब्लूम्स ,फ्लैट्स, फ्लैटबार्स,पट्टा एव सर्किल, माइल्ड स्टील शीट्स स्टेलनेस स्टील वायर, वायर राड, राउण्ड, ब्राइट बार शीट एवं प्लेट ।

1	2
267	कीटोन्स एवं क्वीनोन्स, अन्य आक्सीजन फंक्शन के साथ अथवा बगैर एवं इनके हैलोजनेटेड, सल्फोनेटेड, नाइट्रेटेड अथवा नाइट्रोसेटेड डेरिवेटिव्स।
268	बफिंग गुड्स एवं पालिशिंग मैटीरियल्स।
269	रबर रोल एवं पालिशर्स।
270	इस प्रकार की अन्य वस्तुएं जिन्हें राज्य सरकार विज्ञप्ति से विनिर्दिष्ट करे।

अनुसूची - तीन

(उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-2008 की धारा-4 की उपधारा-(1) के खण्ड-(ख) का अवलोकन करें)

1% की दर से करारोपित वस्तुओं की सूची

क्रम सं0	वस्तु का नाम एवं विवरण
1	सोना, चांदी एवं अन्य मूल्यवान धातुएं ; सोना, चांदी एवं मूल्यवान वस्तुओं से बनी वस्तुएं जिसमें सोने, चांदी एवं मूल्यवान धातुओं से बने गहने सम्मिलित है।
2	मूल्यवान एवं अर्ध मूल्यवान जवाहरात जैसे-हीरा, पन्ना, रुबी, मोती एवं नीलम जिनकी बिक्री खुले रूप में अथवा किसी गहने के भाग के रूप में हो।
3	बुलियन एवं स्पेसी।
4	दालें (साबुत अथवा दली हुई)।

अनुसूची - चार

(उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-2008 की धारा-4 की उपधारा-(1) के खण्ड-(ग) का अवलोकन करें)

क्रम सं0	वस्तु का नाम एवं विवरण	कर का बिन्दु	कर की दर
1	2	3	4
1	स्प्रिट एवं समस्त प्रकार की स्प्रिटयुक्त मदिरा जिसमें यूनाइटेड प्राविन्सेज सेल्स आफ मोटर स्प्रिट, डीजल आयल एण्ड एल्कोहल टैक्सेशन ऐक्ट, 1939 में यथा परिभाषित एल्कोहल सम्मिलित है, परन्तु इसमें देशी शराब सम्मिलित नहीं है।	नि0/आ0	32.5%
2	निकाला गया।	नि0/आ0	20%
3	निकाला गया।	नि0/आ0	20%
4	आर्म्स एवं एम्यूनिशन	नि0/आ0	20%
5	पैट्रोल	नि0/आ0	26%

1	2	3	4
6(क)	डीजल आयल जैसा कि यूनाइटेड प्राविन्सेज सेल्स आफ मोटर स्प्रिट, डीजल आयल एण्ड एल्कोहल टैक्सेशन ऐक्ट, 1939 में वर्णित है , जब पंजीकृत व्यापारी को कर योग्य वस्तुओं के निर्माण में प्रयोग के लिए कमिश्नर द्वारा निर्धारित प्रमाण-पत्र के विरुद्ध बिक्री किया जाएगा।	नि0/आ0	4%
6(ख)	डीजल आयल जैसा कि यूनाइटेड प्राविन्सेज सेल्स आफमोटर स्प्रिट, डीजल आयल एण्ड एल्कोहल टैक्सेशन ऐक्ट, 1939 में वर्णित है, कालम 6(क) में वर्णित मामलों के अतिरिक्त।		21%
7	ड्यूटी पेड एवीएशन टरवाईन फ्यूल अथवा एवीएशन टरवाईन फ्यूल (वॉडेड) आदि।	नि0/आ0	20%
8	ड्यूटी पेड एवीएशन गैसोलिन अथवा एवीएशन गैसोलिन (वॉडेड)	नि0/आ0	20%
9(क)	फरनेस आयल जिसमें रेजीडुअल फरनेस आयल सम्मिलित है, जब पंजीकृत व्यापारी को कर योग्य वस्तुओं के निर्माण में प्रयोग के लिए कमिश्नर द्वारा निर्धारित प्रमाण-पत्र के विरुद्ध बिक्री किया जाए।	नि0/आ0	20%
9(ख)	फरनेस आयल जिसमें रेजीडुअल फरनेस आयल सम्मिलित है, कालम 9(क) में वर्णित मामलों के अतिरिक्त।	नि0/आ0	20%
10(क)	प्राकृतिक गैस, जिसमें कम्प्रेस्ड नैचुरल गैस (CNG) सम्मिलित नहीं है, जब पंजीकृत व्यापारी को कर योग्य वस्तुओं के निर्माण में प्रयोग के लिए कमिश्नर द्वारा निर्धारित प्रमाण-पत्र के विरूद्ध बिक्री किया जाए।	नि0/आ0	4%
10(ख)	प्राकृतिक गैस, जिसमें कम्प्रेस्ड नैचुरल गैस (CNG) सम्मिलित नहीं है, 10 (क) में वर्णित मामलों के अतिरिक्त।	नि0/आ0	20%
11(क)	नैफ्था जब पंजीकृत व्यापारी को कर योग्य वस्तुओं के निर्माण में प्रयोग कर लिए कमिश्नर द्वारा निर्धारित प्रमाण-पत्र के विरुद्ध बिक्री किया जाए।	नि0/आ0	4%
11(ख)	नैफ्था कालम 11(क) में वर्णित मामलों के अतिरिक्त।	नि0/आ0	20%
12	भांग।	नि0/आ0	32.5%
13	अफीम।	नि0/आ0	32.5%

अनुसूची-पाँच

(उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-2008 की धारा-4 की उपधारा-(1) के खण्ड-(घ) का अवलोकन करें)

12.5% की दर से करारोपित वस्तुओं की सूची

क्रम-सं0	वस्तु का नाम एवं विवरण
1	2
1.	अनुसूची-एक, अनुसूची-दो, अनुसूची-तीन एवं अनुसूची-चार में उल्लिखित या वर्णित वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य समस्त वस्तुऐं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-82 तक अनुसूची 1, 2, 3, 4 व 5, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

सरकार हमारे सुझावों को मान नहीं रही है, वह व्यापारियों का उत्पीड़न कर रही है, इसलिये हम और हमारा दल इसका बहिष्कार करते हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सदन त्याग कर चले गये)

श्री प्रदीप जैन आदित्य-

हम भी वैट के विरोध में सदन का त्याग करते हैं।

(कांग्रेस पार्टी के सदस्य सदन त्याग कर चले गये)

श्री नकुल दुबे-

मान्यवर, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर विधेयक, 2008 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर विधेयक, 2008 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री गौरीशंकर एडवोकेट-

मान्यवर, वैट के विरोध में हम और हमारा दल सदन का बहिर्गमन करते हैं।

(श्री गौरीशंकर एडवोकेट अपने दल के साथ सदन त्याग कर चले गये)

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 15 फरवरी, 2008 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 31 सूचनाएं प्राप्त हुईं। स्वीकृत सूचनाओं का विवरण निम्न प्रकार है :-

पहली सूचना डा0 राजकुमार सिंह गौतम की जनपद-गार्जीपुर स्थित नक्सल प्रभावित क्षेत्र जमानियां में फाक्सगंज-चोचकपुर मार्ग की मरम्मत एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

दूसरी सूचना श्री मदन चौहान की जनपद गौतमबुद्धनगर के दादरी तहसील में ग्राम-घोड़ी व मुथरापुर के किसानों की भूमि का प्रतिकर समान रूप से देने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

तीसरी सूचना श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल की जनपद-मेरठ स्थित दौराला चीनी मिल द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण फैलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

चौथी सूचना श्री प्रदीप जैन आदित्य की जनपद-झांसी स्थित ऐतिहासिक 'लक्ष्मी तालाब' की सफाई एवं उसका विकास कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

पांचवीं सूचना श्री कालीचरन राजभर की जनपद-गार्जीपुर स्थित डेहमा-बेर्नापुर मार्ग से दलित बस्ती कुसहा तक सड़क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

छठवीं सूचना श्री प्रमोद तिवारी की जनपद-प्रतापगढ़ स्थित पर्यटन स्थल एवं धार्मिक केन्द्र घूइसरन नाथ धाम तथा बेलहा देवी मंदिर के पास सई नदी के प्रदूषित जल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

सातवीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की लखनऊ स्थित राजाजीपुरम् क्षेत्र में रानी लक्ष्मीबाई संयुक्त चिकित्सालय में मानक के अनुरूप डाक्टरों एवं स्टाफ की नियुक्ति करने एवं उसका संचालन कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

आठवीं सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की जनपद-आजमगढ़ के चीफ फार्मासिस्ट सी0एम0एस0डी0 स्टोर, आजमगढ़ द्वारा दवाओं में किये गये घोटाले से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

नौवीं सूचना श्री राम विशुन आजाद की जनपद-गोण्डा के मनकापुर एवं छपिया पंचायत क्षेत्र में बी0पी0एल0/अन्त्योदय कार्ड धारकों एवं मिड-डे-मिल में खाद्य सामग्री/मिट्टी का तेल न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

दसवीं सूचना श्री शिव गणेश लोधी की जनपद-मैनपुरी एवं फतेहपुर में लोध जाति को विमुक्त जाति का प्रमाण-पत्र जारी न किये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

ग्यारहवीं सूचना डॉ0 पी0 के0 राय की जनपद-कुशीनगर की तहसील-तमकुहीराज में आयी बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त सभी मार्गों एवं पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं :-

डॉ0 रघुनाथ प्रसाद शंखवार, श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव, डॉ0 राजेन्द्र सिंह, डॉ0 आर0 ए0 उस्मानी, महन्त कौशलेन्द्र नाथ योगी, श्री अनिल कुमार यादव, श्री शंभूनाथ चौधरी, श्री अब्दुल वारिस खां, श्री सुरेश कुमार खन्ना, चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी, श्री लल्लू सिंह, श्री सुन्दर लाल लोधी, श्री संजय कपूर, श्री जोखूलाल यादव, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री राधेश्याम जायसवाल, श्री अवस्थी बाला प्रसाद, श्री पूरन प्रकाश, श्री जगन प्रसाद गर्ग, श्री श्यामदेव राय चौधरी।

अब हम उठते हैं। 19 फरवरी, 2008 को 11.00 बजे पूर्वाह्न फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन मध्याह्न 01 बजकर 45 मिनट पर मंगलवार दिनांक 19 फरवरी, 2008 को 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
दिनांक 15 फरवरी, 2008।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0एल0-36 विधान सभा (66)-29-5-08-813 (कम्प्यूटर/आफसेट)।